राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का 14 वां दिवस [संख्या 1)

गुरुवार,
दिनांक 1 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक म० प्र० 11-01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(कृषि, वित्त, श्रम, उद्योग, योजना, शिक्षा, समाज-कल्याण, आर्थिक एवं सांख्यिकी, रोजगार, स्वायत्त शासन, नगर विकास न्यास, हाउसिंग बोर्ड, अकाल सहायता एवं गृह विभाग)

श्री गौरीशंकर (खानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन कर दूं....

श्री अध्यक्ष : वाद में निवेदन कर दें ।

श्री गौरीशंकर : जो प्रश्न होते हैं, वह पूरे नहीं हो पाते हैं, इसलिए ऐसा समय रखा जाये जिससे सभी के प्रश्न हो जायें ।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह गहलोत ।

उद्योगों को इलेक्ट्रिक ड्यूटी में रियायत

215. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधी नगर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि अप्रेल, 1968 से 31 मार्च, 1974 तक जो उद्योग, अपना उत्पादन बढ़ायेंगे उन्हें इलेक्ट्रिक ड्यूटी में रियायत दी जायेगी? यदि हां, तो यह रियायत कितने उद्योगों को प्रदान की गई ? यदि नहीं, तो घोषणाओं को क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि 1970 से 1975 के मध्य स्थापित होने वाले उद्योगों के लिये ऐसी घोषणाएं की गई थीं कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी 10, 15 तथा 25 प्रतिशत के अनुसार प्रदान की जावेगी ? यदि हां, तो अब तक इसमें कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए 15 दिन की अवधि मांगी गई है। इसलिए इस को स्थगित किया जाये ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह एक पुराना प्रश्न है । घोषणा भी की जाती रही है । घोषणा की जाती है और आगे अवधि बढ़ाई जाती है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, जवाब सरकार के पास मौजूद है। सरकार इम्प्लीमेन्टेशन टालती रही है। उद्देश्य यह है कि इसको टाला जाये। अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दिलाया जाये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): 8 मार्च, 62 की यह घोषणा है। उस घोषणा की क्रियान्विति का प्रश्न है। यह उद्योगों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदया 15 दिन में जवाब देती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार शीघ्र ही क्या करने जा रही है?

श्री अध्यक्ष: आगे कोई रियायत नहीं दी जाय।

स्थगित किया गया।

श्री जगमोहन सिंह।

गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु सर्वे

216. **श्री जगमोहनसिंह** (छबड़ा): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि आगामी पंचवर्षीय योजना में 1000 से 1500 तक की आबादी वाले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? अगर हां, तो क्या गांवों का कोई सर्वे कराकर सूची बनाई गई है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

योजना मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अभी तैयार नहीं हुआ है, अतः अभी यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री जगमोहनसिंह: भारत सरकार द्वारा इतने महीने पहले घोषणा की गई। मेरे खयाल में माननीय मंत्री महोदय को जानकारी होगी। प्रारूप तैयार होने पर इस प्रकार से घोषणा की गई है या करेंगे तभी जाकर इसकी क्रियान्विति हो सकेगी।

श्री चन्दनमल बैद: उसमें जो गांव बताये गये थे, वह 1500 तक की आबादी वाले गांव बताये गये हैं। उनको सड़क से जोड़ा जाय। इसके लिए पंचवर्षीय योजना में कितना पैसा एलॉट होता है और उसमें से कितना राजस्थान को मिलता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा। हम अपने राजस्थान के जितने 1500 आबादी वाले गांव हैं, उनको सड़क से जोड़ सकेंगे या नहीं। इस लिए मेरा निवेदन है कि पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है, और वह प्लानिंग कमीशन से मंजूर नहीं हो जाय, तब तक मैं यह नहीं कह सकता हूं कि जिनकी आबादी 1500 है, यह जो क्राइटेरिया रखा है उनको सड़क से जोड़ सकें।

प्रश्न संख्या 217

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

अलवर में औद्योगिक बस्ती के लिये एलॉट की गई भूमि

218. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अलवर में औद्योगिक बस्ती के लिये कितनी क्षेत्रफल भूमि एलॉट की गई है? वह भूमि कौन कौन से गांवों में स्थित हैं? कृपया प्रत्यक गांव का एलॉट किया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
गया रकबा गांव-वार अलग अलग बताने का कष्ट करें।

(2) औद्योगिक बस्ती के लिये एलॉट की गई भूमि कितने औद्योगिक यूनिटों में वितरण करने के लिये बांटी गई है ? अभी तक जितने प्लाटों का एलॉटमेंट जितनी औद्योगिक इकाइयों में जिस जिस साल में किया गया है उसकी सूची सदन की मेज पर प्लाटवार रकबे ईकाईवार और सालवार दर्शाते हुए रखने का कष्ट करें।

(3) इन एलॉटशुदा प्लाटों पर कौन कौन सी ईकाइयों ने कार्य शुरू कर दिया है और कब से ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या ऐसी भी कोई औद्योगिक ईकाईयां हैं जिन्होंने अलवर की औद्योगिक बस्ती में प्लाट लेने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है, लेकिन उन्हें अभी प्लाट एलॉट नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो ऐसी ईकाईयों की सूची सदन की मेज पर रखें और प्लाट एलॉट न किये जाने के कारण भी प्रत्येक के सामने दर्ज करें।

श्री अध्यक्ष : उद्योग मंत्री जी।

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, खेद के साथ कहना पड़ता है कि 15 दिन का समय और चाहिए, क्योंकि प्रश्न काफी लम्बा है।

एक माननीय सदस्य : सभी प्रश्नों के लिए 15 दिन का समय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

सांख्यिकी सहायक पद पर चयनित कर्मचारी

219. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या मंत्री, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन कमेटी ने 1965 की बैठक में सांख्यिकी सहायक पद पर कितने व्यक्तियों को चयनित किया ? क्या डी. पी. सी. द्वारा चयनित सभी कर्मचारियों को सांख्यिकी सहायक पद पर स्थायी किया गया ?

(2) डी. पी. सी. द्वारा चयनित सूची में से छः को सांख्यिकी सहायकों को स्थायी घोषित कर फिर अस्थाई कैसे कर दिया ?

(3) डी. पी. सी. द्वारा चयनित कर्मचारियों की निर्धारित प्रोबेशन का समय समाप्त होने के बाद सम्बन्धित विभाग द्वारा स्थायी क्यों नहीं किया जाता ?

(4) क्या यह सही है कि भूतपूर्व मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिया था कि 1965 में बैठी डी०पी०सी० द्वारा चयनित सांख्यिकी सहायक पद पर स्थायी करने में भेद न किया जाय ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : कश्वेन कुछ रोंग आ गया है।

श्री अध्यक्ष: स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 200

श्री लूनाराम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द सामरिया।

Page No. 4

गर्डर्स, जी० पी० शीट्स, एंगल्स व राउन्ड्स का कोटा

221. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार को 1972–73 में एम. एस. बी. पी. शीट्स 10 गेज का कितना कोटा मिला ? तथा इसका वितरण किस-किस उद्योग को कितना-कितना किया गया और उस माल का उपयोग वांछित उत्पादन हेतु ही हुआ या नहीं इसकी क्या जानकारी है ?

(2) गर्डर्स, जी. पी. शीट्स, एंगल्स व राउण्ड्स का 1972–73 में कितना कोटा मिला तथा किस–किस उद्योग को कितना-कितना एलॉट किया गया ?

(3) क्या फर्नीचर बनाने में 8 से 16 गेज की गर्डर्स काम आती है ? यदि नहीं, तो ऐसे कितने उद्योग हैं जिन्होंने फर्नीचर हेतु 8 से 16 गेज के गर्डर्स प्राप्त किये ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जिस प्रकार के आइटम्स का विवरण दिया है, जो जानकारी राजस्थान भर की चाहिए, वह संक्षिप्त समय में विवरण देना सम्भव नहीं है इसलिए इसके लिए एक महीने की अवधि दी जाय।

श्री मूलचन्द सामरिया : सभी प्रश्नों के लिए 15 दिन की अवधि ही दी है। फिर इस प्रश्न के लिए भी 15 दिन की अवधि देनी चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रेजरी बैंचेज के लोग इन्वॉल्व्ड हैं, उनको छुपाने के लिए इतनी लम्बी अवधि दी जा रही है जब कि आप और प्रश्नों के लिए 15 दिन की मोहलत दे रहे हैं, तो इस मामले में एक महीने की अवधि क्यों दी जा रही है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपकी जानकारी इतनी विस्तृत है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बातें गलत हैं। अगर मुझ से सम्बन्धित है तो नाम दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री भानुकुमार शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो, और उसमें ट्रेजरी बैंचेज के लोग इन्वॉल्व्ड हों तो 15 दिन की अवधि दे दी जाय।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसी सदन में, इसी सत्र में जबाब आवश्यक रूप से दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री निरंजननाथ आचार्य।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : टू टू टू (222)

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर): आखिरकार इस प्रश्न में दिक्कत क्या है ?

श्री अध्यक्ष : लम्बा है।

श्री लक्ष्मणसिंह : इसका निराकरण अवश्य होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

जे०के० सिन्थेटिक्स से सेल्स टैक्स व इण्टर स्टेट टैक्स की वसूली की कार्यवाही

222. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : मैं दो दफे बोल चुका हूं, टू टू टू।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जे०के० सिन्थेटिक्स ने अपने उत्पादन के सम्बन्ध में टायर कार्ड व फाइबर का प्रश्न खड़ा कर न तो सेल्स टैक्स दिया है और न ही इन्टर स्टेट टैक्स का ही भुगतान किया है ?

(2) क्या यह सही है कि भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री मथुरादास माथुर ने विधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि अब कर वसूली की कार्यवाही शीघ्र ही की जायेगी ?

(3) क्या यह सही है भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री शोभाराम ने इस फर्म की ब्रान्च ऑफिसों के खातों की जांच करवाई और उसके परिणामस्वरूप लगभग 1 करोड़ रुपये की डिमान्ड्स स्लिप जारी की ?

(4) क्या यह सही है कि इस फर्म से अभी तक इस सम्बन्ध में एक पैसा भी वसूल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी नहीं । टायर कार्ड व फाइबर के बारे में कोई विवाद नहीं है, परन्तु 'टायर कार्ड' और 'टायर कार्ड फ़ैब्रिक' के बारे में विवाद अवश्य है। चूंकि फर्म टायर कार्ड फैब्रिक्स को कर-मुक्त मानकर कर नहीं दे रही है।

(2) जी नहीं । भूतपूर्व वित्तमंत्री श्री मथुरादास माथुर द्वारा नाइलोन कार्ड व फाइबर या फैब्रिक्स के सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया गया । फर्म द्वारा की गई कुछ बिक्री अन्तर्राज्यीय बिक्री है या राज्य के बाहर बिक्री है, इस मुद्दे पर विवाद था। इस मुद्दे पर जांच कराई गई थी, और उस जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में श्री मथुरादास माथुर ने दिनांक 10-5-71 को यह आश्वासन दिया था कि–

"जो रिपोर्ट आई है जिसमें मुझे शक हो और सन्देह हो तो स्पेशल पार्टी भेज दूंगा। रिपोर्ट आई है, वो ठीक हो तो कार्यवाही की जरूरत है। मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है। मैं उसको देखूंगा। रिपोर्ट ठीक नहीं है तो दुबारा पार्टी भेजकर जो भी कानून के अनुसार किया जा सकता है, वह मैं करूंगा।"

(3) जी नहीं । जो जांच कराई गई वह उपरोक्त आश्वासन पर की गई । और उसमें टायर कार्ड व फाइबर या फैब्रिक्स का कोई विवाद नहीं था। यह सही नहीं है कि एक करोड़ रुपये की डिमाण्ड स्लिप जारी की गई ।

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह जैसा कि आश्वासन भूतपूर्व वित्तमंत्री ने दिया था। रिपोर्ट पर स्पेशल पार्टी द्वारा जांच करायेंगे, क्या वह आश्वासन असफल हुआ है ?

श्री चन्दनमल बैद : वह जांच कराई गई। लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं पाई गई जिससे यह माना जा सके कि उन्होंने बेईमानी की ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जांच किससे कराई गई ?

श्री चन्दनमल बैद : अधिकारियों द्वारा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अधिकारी कौन थे ? राज्य सरकार के या बाहर के ?

श्री चन्दनमल बैद : राज्य सरकार के ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनकी रिपोर्ट आई है ? उसको सदन पटल पर रख सकेंगे ? क्योंकि यह प्रश्न सदन में बहुत गर्मी से उठा था, और वित्तमंत्री ने कहा था कि मैं बहुत जल्दी पार्टी भेजूंगा। उसका कुछ न कुछ निष्कर्ष निकले। यह सदन का प्रश्न होगया था। वह रिपोर्ट प्राप्त हो गई हो, तो सदन पटल पर रखने का कष्ट करें।

श्री चन्दनमल बैद : अभी भी वह रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है। हम बार-बार इस बात की जांच कर रहे हैं कि जो अन्तर्राज्य की बिक्री को वह बाहर राज्य की बिक्री दिखा रहे हैं उसको पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन हम अभी तक उसको पकड़ नहीं सके हैं। उनका कहना है कि यह अन्तर्राज्य बिक्री है, और हमारे सदन की यह राय रही है कि राज्य के बाहर जाकर बिक्री कर रहे हैं। अभी इसमें कोई फैसला नहीं हुआ है। हम बार-बार इस कोशिश में हैं कि किसी तरीके से वह जो चोरी करते हैं वह हमारी पकड़ में आ जाय।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट जिसके सम्बन्ध में आप फिर से विचार कर रहे हैं पकड़ने के सम्बन्ध, में तो क्या हम यह मानकर चलें कि यह पकड़ने की प्रक्रिया आपकी माह दो माह में समाप्त हो जायगी ?

श्री चन्दनमल बैद : यह मैं नहीं कह सकता।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आपके विभाग के किसी अधिकारी ने, सेल्स टैक्स ऑफिसर या उसके ऊपर के किसी अधिकारी ने, ऐसा कोई निर्णय लिया है कि यह इन्टर स्टेट सेल है या और कुछ ? आखिर आपके किसी अधिकारी ने कोई तो निर्णय लिया ही होगा। छोटी सी पार्टी अगर कोई सेल्स टैक्स नहीं देती है तो उसको हाई कोर्ट तक खींचा जाता है।

श्री चन्दनमल बैद : पार्टी की यह रीजनिंग है कि राज्य के बाहर बिक्री हो रही है। सदन में कहा गया कि इसको अन्तर्राज्य बिक्री मानी जाय। हम इसके डिटेल्स में जा रहे हैं और हमारी पार्टीज बॉम्बे और दूसरी जगहों पर भी जाकर जांच कर आई है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिससे वह कानून की गिरफ्त में आ सकें। हम भारत सरकार को भी लिख रहे हैं कि उनके सेन्ट्रल सेल्स टैक्स को इस तरह अमेंड किया जाये जिससे इन लोगों को जो कानून का सेविंग मिल रहा है और वह राज्य के बाहर की बिक्री बताकर हमारे कर की चोरी करते हैं, उनको हम पकड़ सकें। यह एक कानून का लेकूना है। अभी अभी भारत सरकार से यह पत्र प्राप्त हुआ है कि वह सारे प्रश्न को लॉ कमिशन को सौंप रहे हैं। लॉ कमीशन क्या राय देता है उसके बाद में कानून में संशोधन करने की बात पर सोचा जायेगा। यह कानून का प्रश्न है और कानून की गिरफ्त से बचने के लिये बड़ी बड़ी पार्टीज बड़े बड़े वकीलों की राय लेकर कानून से बचती है। उनको किस तरीके से पकड़ा जाये, यह पेचीदा प्रश्न है जिसका हल निकालने में हम लगे हुये हैं। इसके बारे में जितना इस सदन के माननीय सदस्य सचेत हैं कि हमारे राज्य की इन्कम हमारे राज्य को मिलनी चाहिये, उतना ही हम भी जागरूक हैं, लेकिन जब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आते तब तक हमारे हाथ भी बन्धे हुए हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या यह सही है कि जे० के० वाले चुंगी भी नहीं देते ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, अध्यक्ष महोदय। मैंने यह पूछा है कि क्या विभाग के किसी अधिकारी ने कोई निर्णय इस बारे में लिया है कि यह इन्टर स्टेट सेल है या आउटसाइड दी स्टेट सेल है। इसका कोई उत्तर नहीं मिला। या तो आप असैस करते हैं या नहीं करते हैं ? There are only two alternatives. इसलिये श्रीमान यह फरमाएं कि किसी सैल्स टैक्स ऑफिसर ने इसके बारे में कोई निर्णय भी लिया है या नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : निर्णय लेने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि किसी तरीके से यह साबित हो जाये तो वह कानून की गिरफ्त में आ जायें। इसके लिये हम बराबर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक वह कानून की गिरफ्त में नहीं आते तब तक हम भी मजबूर हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं यह निवेदन करना चाहता था कि एक साल पहले भूतपूर्व वित्त मंत्री महोदय ने भी इसी प्रश्न पर आश्वासन दिया था कि वह प्रयत्नशील हैं कि कानून की गिरफ्त में आयें और आज भी माननीय वित्त मंत्री यही उत्तर दे रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह सदन का प्रश्न है। आपके सामने कोई इनीशियल रिपोर्ट आई है क्या कि जिसके आधार पर आप गिरफ्त में लाने की कोशिश कर रहे हैं ? मैं निवेदन करना चाहूंगा इस सारे प्रश्न पर कि आप उनको गिरफ्त में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉ कमीशन को रेफर करा रहे हैं, आदि, इसके बारे में एक डिटेल्ड स्टेटमेंट आप सदन में दे दें ताकि सदन, जो आज उग्र है, वह सन्तुष्ट हो जाये और आपके प्रयत्नों का भी मूल्यांकन हो जाये। इसलिये एक डिटेल्ड रिपोर्ट सारे प्रश्न पर, एन्क्वायरी रिपोर्ट जो आपके सामने आई है, आप जो प्रयास कर रहे हैं गिरफ्त में लाने के लिये, इस सारे सम्बन्ध में आप एक डिटेल्ड रिपोर्ट सदन में पेश करें ताकि सदन भी संतुष्ट हो सके।

श्री चन्दनमल बैद: मैंने सारी बातें जो प्रश्न का आधार हैं वह कह दी हैं और जो कुछ कार्यवाही हम कर रहे हैं उस कार्यवाही को सदन के पटल पर रखना हमारे प्रयत्नों को बाधा पहुंचा सकता है, इसलिये माननीय सदस्य ऐसा नहीं पसन्द करेंगे। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये आप हमें बाध्य न करें। सारा प्रश्न इस पर निर्भर है कि जो अन्तर राज्य की बिक्री बताई जाती है वह राज्य के अन्दर की बिक्री साबित हो जाये। कानून में जो खामी है उसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह हमको धोखा नहीं दे सकें। दूसरी तरफ भारत सरकार को भी लिख रहे हैं और भारत सरकार रजामंद भी हो गई है कि लॉ कमीशन को इसके बारे में रेफर करने के लिये कि कानून में संशोधन हो सकता है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री जय किशन लाल।

श्री यशवन्त सिंह नाहर: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न। क्या कोई ऐसा असेसमेंट ऑर्डर हुआ है जिसके अन्दर इसको इन्टर स्टेट सेल माना है ? जब पार्टी ने अपना रिटर्न पेश किया होगा तब उस पर कोई तो असेसमेंट ऑर्डर हुआ होगा। वेदर एनी असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन पास्ड आर नॉट, देट आई वांट टू नो।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न का स्पेसीफिक उत्तर आना चाहिये। जे० के० सिंथेटिक्स के बारे में प्रश्न चल रहा है। उनका डाइरेक्टर सिंघानिया टैक्स की चोरी करने में एक्सपर्ट है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आपके पास जे० के० सिंथेटिक्स का सवाल आता है तो आप उसमें किसी ईमानदार अधिकारी को भेज करके जांच करायें। तब ही आप के वह गिरफ्त में आयेगा, अन्यथा नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल,जयपुर): क्या यह सही है कि आपके बिक्री कर अधिकारी ने उन पर 74 लाख का असेसमेंट किया है ?

श्री चन्दनमल बैद : आप जे० के० सिंथेटिक्स को डी० सी० एम० से कन्फ्यूज कर रहे हैं। ये दो केस हैं। फैब्रिक्स का प्रश्न जो मावली से आनेवाले माननीय सदस्य ने पूछा है वह डी० सी० एम० से सम्बन्धित है, जे० के० से नहीं। इस तरह का असेसमेंट भी है और उसके बाद हमने डिमांड भी भेजा है। उस पर वह हाई कोर्ट में चले गये, हाई कोर्ट में केस चला और हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि जो इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स हम दस प्रतिशत के हिसाब से लेते हैं, वह कानून की खामियों के कारण 3 प्रतिशत ही लेना चाहिये इस वास्ते हमने 3 पर्सेन्ट लिया। उनकी डिमाण्ड 74 लाख, यह जो आप कह रहे हैं, वह एण्ड में जाकर 13 लाख 50 हजार पर पहुंच गई। लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट में गये और सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया, और अभी तक मामला चल रहा है, लेकिन सन् 1972-73 के बारे में इसी डी० सी० एम० से हमारी डिमाण्ड 4 लाख 3 हजार 805 रुपये की थी, इसके पहले कि वह सुप्रीम कोर्ट में जायं औ सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आयें, हमने वसूली करली है। एक कन्फ्यूजन इसमें हो रहा है. डी० सी० एम० और जे० के० सिन्थेटिक्स में कन्फ्यूजन कर रहे हैं। जिस डिमाण्ड की बात कर रहे हैं वह डी० सी० एम० के अगेन्स्ट थी। डी० सी० एम० का केस, जैसा मैंने ब्यौरेवार बताया, किस तरह डिमाण्ड क्रियेट की, किस तरह हाई कोर्ट में केस गया, कैसे हम जीते। उसके बाद किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में गये और कैसे 1972-73 की डिमाण्ड क्रियेट की, इसके पहले कि वह स्टे ऑर्डर ले आते, ले आये, 4 लाख 3 हजार रुपये की वसूली कर ली। तो थोड़ा कन्फ्यूजन यहां क्रियेट कर रहे हैं, डी० सी० एम० और जे० के० सिन्थेटिक्स में, इस कारण से कि दोनों कोटा की इन्डस्ट्री हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : छोटा सा प्रश्न है मेरा माननीय मंत्री से.....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : यह केस कब तक चलता रहेगा ? कब तक केस चलाते रहेंगे ? इन्हें गिरफ्त में लाने के लिए एक तरफ कानून बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके अधिकारी सक्षम नहीं हैं कि उनको पकड़ सकें। क्या गवर्नमेन्ट ने इस सम्बन्ध में स्टेप्स उठाये हैं – यह स्पेसिफिक तौर पर बतायें ? इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतने लम्बे समय तक खुली छूट नहीं देनी चाहिए।

श्री चन्दनमल बैद : खुली छूट नहीं दी गई है। जब तक हम साबित नहीं करते तब तक किसी को बेईमान नहीं कह सकते, ईमानदार ही कहना पड़ेगा। आप कितना ही कहें, जब तक कानून में छूट है, जब तक पकड़ नहीं लेते तब तक यह कहें कि क्योंकि बड़ा है इसलिये बेईमान है यह शोभाजनक नहीं है। हम

(**श्री चन्दनमल वैद**)

कोशिश कर रहे हैं, इसमें सब कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सदन चाहता है, सदन में इस बात को बार बार कहा गया है। हमने अहमदाबाद और बम्बई में अपनी पार्टी भेजी, ईमानदार ऑफिसर हैं उनको भेजा है। उसके बावजूद पकड़ में नहीं आया। पकड़ में नहीं आये इसलिये कहें कि बेईमान है, यह गलत है।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : घपला आपके प्रेडिसर्स का है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी-नगर, जयपुर) : वित्त मंत्रीजी ने कहा कि ईमानदार ऑफिसर्स को भेजा है, तो क्या वित्त मंत्री मानते हैं कि बेईमान ऑफिसर्स भी हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : जे० के० सिन्थेटिक्स····

श्री चन्दनमल वैद: ऑफिसर्स को प्रिमेच्योर रिटायर किया गया है, अगर बेईमान नहीं होते तो क्यों रिटायर किये जाते ? यह आप और हम सब जानते हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : कितने अधिकारी बेईमान हैं, यह मेरा सप्लीमेन्ट्री है ?

श्री अध्यक्ष : आप पूछ चुके हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो तथ्य बतायें हैं, यह जो सारी स्थिति है, यह सदन के पटल पर रखने को तैयार हैं ? क्या अध्यक्ष महोदय को विस्तृत जानकारी सारे प्रश्न की दे सकते हैं ? अगर अध्यक्ष महोदय संतुष्ट हो जाते हैं तो सारा सदन संतुष्ट हो जायगा।

श्री चन्दमल वैद : मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष महोदय देखना चाहें, जे० के० सिन्थेटिक्स, डी० सी० एम० की किसी भी फाइल को देखना चाहें और आज की नहीं, आज से दस वर्ष पहले से आज तक की कार्यवाही देखना चाहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तो नहीं देंगे ?

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय की बात कह रहे हैं, इसलिये मैं उनकी बात कह रहा हूं। मुझे दिक्कत नहीं है उनको दिखाने में।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हाई कोर्ट में रिट खारिज हुई, वह टेक्निकल प्वाइंट पर खारिज हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में गये हैं, तो क्या यह ग्राउण्ड रखा है कि आज तक बिक्री कर अधिकारियों·······

श्री अध्यक्ष : यह डी० सी० एम० के बारे में है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जे० के० सिन्थेटिक्स और डी० सी० एम० दोनों का कम्बाइण्ड है। मंत्री महोदय ने जवाब दिया है उसके संदर्भ में कहना चाहता हूं कि जो वहां पर डाकूमेन्ट दिया है उसमें सबसे बड़ा बेसिस बताया है, जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला है, वह यह है कि आज तक बिक्री कर अधिकारियों ने असेसमेंट नहीं किया है, डिमाण्ड क्रियेट नहीं की है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने यह कार्यवाही नहीं की, उनके विरुद्ध विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

Page No. 10

श्री चन्दनमल बैद : हाई कोर्ट ने मान लिया है कि दस पर्सेन्ट के बजाय तीन पर्सेन्ट डिमाण्ड क्रिएट करनी चाहिए। हमने भी मान लिया ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : आया स्टे इस बात पर हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री जयकिशन।

हाउसिंग बोर्ड द्वारा अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों को ब्याज माफ करने का प्रस्ताव

233. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या हाउसिंग बोर्ड मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सच है कि राजस्थान हाउसिंग फाइनेन्स कोआपरेटिव सोसाइटीज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को लोन मिलता है उसमें सरकार अपनी ओर से इनको ब्याज देती है ? यदि हां, तो हाउसिंग बोर्ड से जो मकान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को मिलते हैं, का ब्याज अपनी ओर से क्यों नहीं देती ?

(2) क्या सरकार उक्त जाति के व्यक्तियों का ब्याज माफ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य के हाउसिंग बोर्ड ने सरकार के पास इन लोगों का ब्याज माफ करने का प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

नगर आयोजन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध समाज-कल्याण विभाग से है। इसलिए वहां स्थानान्तरण कर दिया गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह कितनी दूर है विभाग ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जिन्हें स्थानान्तरित किया है, वह मिनिस्टर भी यहां है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 224, श्री रामचरण।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री श्रीराम गोटेवाला।

नगर विकास न्यास, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही।

225. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) एवं **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलौदी) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार को नगर विकास न्यास, जयपुर का वर्ष 69-70, 70-71 तथा 71-72 के हिसाब की ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो कब ?

(2) राज्य सरकार द्वारा इन ऑडिट रिपोर्टों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? कृपया इनका विवरण एवं ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(3) ऑडिट रिपोर्ट में जिन आपत्तियों का उल्लेख किया जाता उनके निराकरण करने की अवधि कितनी है ? उक्त नियम की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त ऑडिट रिपोर्ट में अनुचित रूप में भू-खण्ड आवंटन किये जाने का उल्लेख है ? यदि हां, तो अभी तक कितने भू-खण्डों के आवंटन आदेश निरस्त किये गये ?

(5) ऑडिट रिपोर्ट्स के अनुसार अनुचित रूप से भू-खण्ड आवंटित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

नगर आयोजन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) नगर विकास न्यास, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट सन् 1969-70, 1970-71 क्रमशः दिनांक 22-10-70 एवं 28-8-72 को प्राप्त हो चुकी है व सन् 1971-72 की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(2) वर्ष 1969-70 के अंकेक्षण प्रतिवेदन का जवाब नगर सुधार न्यास, जयपुर द्वारा दिनांक 17-4-72 को परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर को भेजा जा चुका है। 1969-70 एवं 1970-71 के ऑडिट रिपोर्टों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। सन् 1970-71 के ऑडिट रिपोर्ट का उत्तर नगर सुधार न्यास द्वारा तैयार किया जा रहा है।

(3) राजस्थान स्थानीय निधि अधिनियम की धारा 10 तथा नियम 28 के अनुसार प्रतिवेदन की अनुपालना प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से 3 माह के अन्दर-अन्दर भेजने की व्यवस्था है। नियम की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। अनुचित भू-खण्ड आवंटन का उल्लेख ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है, किन्तु न्यास ने सभी आवंटनों को अनुचित नहीं माना है। सिन्धी कालोनी के 21 प्लॉटों, गांधी शताब्दी के उपलक्ष में अनुसूचित जाति, जन-जाति को आवंटन हेतु 16 प्लॉटों तथा मोती डूंगरी विस्तार योजना में खुली भूमि में आवंटित समस्त प्लॉटों के आदेश निरस्त किये जा चुके हैं। शेष के विषय में वस्तुस्थिति से स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को अवगत करा दिया गया है ।

(5) ऑडिट रिपोर्ट में किसी पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया है, अतः कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जिन्होंने अनियमितता की जिनके विरुद्ध ऑडिट रिपोर्ट में शिकायत है और स्पष्टीकरण का नियम यह है कि तीन माह के भीतर-भीतर उन शिकायतों को रफा दफा किया जाना चाहिए, कार्यवाही की जानी चाहिए, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, तो मैं जानना चाहता हूं कि अनियमितता हुई तो जिनकी वजह से अनियमितता हुई, उनके विरुद्ध विभाग ने या नगर विकास न्यास ने क्या कार्यवाही की ?

श्री मीठालाल : रफा दफा कर दिया।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि भू-खण्ड का आवंटन ट्रस्ट के द्वारा किया गया और ट्रस्ट एक ऑटोनॉमस बॉडी है, किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक पार्टी के द्वारा आवंटन

(श्री परसराम मदेरणा)
नहीं किया गया है। इसलिए उत्तरदायित्व है वह ट्रस्ट पर है। जब ऑडिट का ऐतराज आया, उन्होंने कुछ प्लाट कैंसिल कर दिये, कुछ प्लॉट्स के बारे में वापिस लिख कर ऑडिट रिपोर्ट की अनुपालना में भेज दिया, यह कार्यवाही नियमन की की गई, नियमन है या नहीं, इस पर अगली ऑडिट रिपोर्ट एक्जामिनर लोकल ऑडिट पार्टी की होगी, उसमें फिर ऐतराज करेगी तो देखने की बात होगी कि जो अनुपालना में एक्स्प्लेनेशन ट्रस्ट द्वारा किया गया है उसको मानते हैं या नहीं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : पहले मंत्री महोदय को धन्यवाद दे दूं कि अनियमितता का उन्होंने लेखा जोखा भेजा है, पूरी महाभारत है, इन अनियमितताओं का हिसाब नहीं है। मैं इसको शुरू करूं तो एक घण्टा ले लूंगा और मंत्री महोदय को जवाब देना पड़ेगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सिन्धी कॉलोनी, बनी पार्क में 21 प्लॉट का अनियमित वितरण हुआ—उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

दूसरा प्रश्न है, उदयसिंह को अनियमित भू-आवंटन किया गया, उसके बारे में क्या कार्यवाही की ?

तुलसीराम पुत्र भगतराम को अनियमित भू-आवंटन किया गया उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

अध्यक्ष महोदय, मोती डूंगरी नाम की स्कीम में जिन व्यक्तियों ने अनियमित प्लॉट लिये हैं उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

ठेकेदारों को गलत भुगतान, ट्रेक्टर का गलत तरीके से उपयोग लिपिक या दूसरे कर्मचारियों को गलत तरीके से भत्ता देने, प्रोमोशन देना यह सारी की सारी बातें नगर सुधार न्यास में हुई हैं। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि आधे घण्टे की बहस के लिए स्वीकृति दें।

श्री मीठालाल : आप लिख दें।

श्री परसराम मदेरणा : तुलसीराम, उदयसिंह को भू-खण्ड आवंटन के लिए माननीय सदस्य फलोदी से आने वालों ने कहा है—इन दोनों के बारे में न्यास का एक्स्प्लेनेशन यह है कि उनको आवंटन नियमों के आधार पर किया गया है और ठीक किया गया है।

नगर विकास न्यास ने उनको नियमित माना है अपने एक्स्प्लेनेशन में जो कि उन्होंने दिया है। इसके अलावा जहां तक ठेकेदारों के भुगतान का सवाल है उन्होंने यह बताया है कि वह ठीक किया गया है। इसके अलावा अगर वह एतराजात सही हैं और उनकी अनुपालना नहीं की गयी है तो इस साल जो लोकल ऑडिट फन्ड उनका इन्सपेक्शन करता है उसमें आ जायेगा। हमने उन्हें इन सभी ऐतराजात की अनुपालना करने के लिये तीन महीने की अवधि दी थी। अगर वाकई में ठेकेदारों को भुगतान गलत ढंग से किया गया है तो लोकल ऑडिट फण्ड की इन्सपेक्शन रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही हो जायेगी। इसके अलावा।

तुलसीप्रसाद वाले मामले की बात है हमने उन्हें हिदायत देदी है कि भविष्य में इस प्रकार की अवहेलना नहीं की जाय। और इसके लिये उन्हें यह भी हिदायत दे दी गयी है कि ऑडिट आबजेक्शन के बारे में धारा 10 जो कि लोकल ऑडिट की है उसकी अनुपालना की जानी चाहिये।

Page No. 13

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पर मुझे प्रश्न पूछना है । अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मोती डूंगरी रोड पर एक को प्लाट एलॉट किया उसके बारे में......

श्री अध्यक्ष: काफी समय हो गया है। नेक्स्ट ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, तो फिर इस महत्वपूर्ण प्रश्न के लिये इस सदन में आधे घन्टे की चर्चा रखी दी जाय ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। समय बहुत ही कम है और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आने वाला है आप सभी लोग जानते हैं लोक आयुक्त वाला।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मुझे प्रश्न पूछने दिया जाय और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है तो आप आधे घन्टे की चर्चा हेतु व्यवस्था कर दें ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य, जो मोती डूंगरी रोड पर प्लॉटस के बारे में कह रहे हैं उनके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन समस्त प्लाट्स का आवन्टन निरस्त कर दिया है। क्योंकि वहां भी यू०आई टी० ने कानूनों की अनुपालना नहीं की । इस सदन के माननीय सदस्यों को भली-भांति पता है कि राज्य सरकार ने 1972 में ट्रस्ट्स को भंग कर दिये थे और वहां पर अब उसके लिये इस सदन में विधेयक लाया जा रहा है, और तब तक के लिये इन ट्रस्ट्स के चेयरमैन कलेक्टर्स को एपोईन्ट कर दिया गया है। इसके अलावा मैं यही कहना चाहता हूं कि जितनी सूचना इन्होंने मांगी है वह सभी सूचना मैंने इनको दे दी है । अब अगर इनको देखकर माननीय सदस्य कोई दूसरे मुद्दे उठाना चाहते हैं, तो वह बात अलग है। वह उनकी मरजी है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : वो बात ठीक है लेकिन जो अनियमिततायें ट्रस्ट द्वारा की गई हैं उसके लिये राज्य सरकार ने क्या किया ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक प्रश्न में पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि जो आवन्टन मोती डूंगरी रोड़ पर किये गये उन्हें निरस्त कर दिये गये हैं बाकी दूसरी जगहों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? लोकल ऑडिट फण्ड ने जो रिपोर्ट की उसकी तीन महिने अन्दर अन्दर जो भी एतराज थे उन्होंने अनुपालना की या नहीं ? और अब जो ऑडिट हो रहा है उसमें क्या उल्लेख किया गया है उसके बारे में.....

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है जिन्होंने अनियमिततायें की उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अध्यक्ष : आप इसके लिये आधे घन्टे की चर्चा सदन में रख सकते हैं उसका अलग से प्रोसीजर है ।

नेक्स्ट । श्री रामप्रसाद बोहरा ।

अकलेरा तहसील में बन्दूकों के लाईसेन्स का नवीनीकरण

226. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अकलेरा तहसील (जिला झालावाड़) में बन्दूकों के लाईसेंन्स अभी जो नवीनीकरण के लिये सन् 73 में आये हैं उनको केवल एक ही साल के लिये रिन्यू किया जा रहा है जबकि हर लाईसेन्स 3 वर्ष के लिये रिन्यू किये जाते रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अकलेरा तहसीलदार जान बूझकर एक साल से ज्यादा लाईसेंन्स की मियाद आगे नहीं बढ़ा रहे है ?

(3) क्या इस प्रकार की कार्यवाही से जनता में भारी असन्तोष नहीं होगा ?

राज्यमंत्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) इस वर्ष तहसील अकलेरा में 1470 लाईसेन्स 2 वर्ष के लिये नवीनीकृत हुए हैं और 30 लाईसेन्स एक वर्ष के लिये। साधारणतया लाईसेन्स तीन वर्ष के लिये रिन्यू किये जाते हैं।

(2) प्राईमाफेसी (Prima facie) तहसीलदार की कार्यवाही अनियमित हुई है अतः राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार को निलम्बित किये जाने के हेतु राजस्व विभाग को लिख दिया गया है।

(3) जी हां। स्वाभाविक है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि बन्दूकों की आवश्यकता तो उस वक्त थी जब घने जंगल थे। जंगल तो मंत्री खा गये और ठेकेदार जंगल के अन्दर जो जानवर थे उन्हें मार दिये।

श्री अध्यक्ष: नेकस्ट प्रश्न संख्या 227, श्रीमती नगेन्द्रबाला।

कोटा नगर परिषद् के कतिपय सदस्यों द्वारा नियम विरुद्ध भूमि का बेचान

227. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (दीगोद) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर परिषद् के कतिपय माननीय सदस्यों ने नियम विरुद्ध बेचान किया है ?

(2) क्या यह सही है कि कोटा नगर परिषद् के कुछ सदस्यों को जिलाधीश ने नोटिस दिये हैं ?

(3) यदि हां, तो नोटिस किस विषय में दिये गये हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा):— (1) आयुक्त नगर परिषद, कोटा ने अध्यक्ष को सहमति से जिलाधीश कोटा को दिनांक 21-6-72 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार वार्ड नं० 14,17 व 7 के पार्षदों द्वारा नियमों के विपरीत अनधिकृत रूप से भूमि का आवन्टन किया गया है एवं किये जाने की सिफारिश की किन्तु अभी इसकी जांच विचाराधीन है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि भूमि का नियमानुसार बेचान किया गया है अथवा नहीं।

(2) यह सही है कि जिलाधीश, कोटा ने उपरोक्त वार्ड के सदस्य सर्व श्री रणजीत

Page No. 15

(श्री परसराम मदेरणा)
सिंह कछवाहा, मोहम्मद उमर, प्रहलाद कृष्ण भार्गव को इस संबंध में नोटिस दिनांक 23-1-73 को जारी किए हैं।

(3) उपरोक्त सदस्यों द्वारा को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के भूमि आवन्टन करने के आरोप के फलस्वरूप ये नोटिस जारी किये गये हैं। सदस्य के द्वारा नोटिसेज का जवाब जिलाधीश, कोटा को दिनांक 29-1-73 को प्रेषित किया जा चुका है एवं इस सम्बन्ध में अभी जांच विचाराधीन है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहती हूं कि क्या म्यूनिसिपेलिटी के चेयरमैन ने कलेक्टर कोटा को समय समय पर यह लिखा था कि अमुक अमुक अनियमिततायें पार्षदों द्वारा बरती जारही हैं, और उसकी शीघ्र जांच करने के लिए कहा गया था? उन्होंने क्या कार्यवाही की?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब उपर आ गया है कि जिलाधीश ने 24-1-73 को नगरपालिका के सदस्यों को नोटिसेज दिये हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि आयुक्त के पहले चेयरमैन म्यूनिसिपेलिटी, कोटा ने जिलाधीश को सूचना दी उसके बारे में क्या कार्यवाही की गयी? अध्यक्ष महोदय, वहां इस प्रकार की अनियमिततायें की गयी हैं कि कॉलोनीज की कॉलोनीज ही बस गयी हैं। मकान बन गये हैं आप उन्हें किस प्रकार हटा सकेंगे? समीपक्के मकान हैं और अनियमित हैं। अध्यक्ष महोद पहले इस प्रकार के काम किये जाते हैं और बाद में राज्य सरकार द्वारा उनको रेग्यूलराइज कर दिये जाते हैं। मैं निवेदन करूंगी कि इन मकानों को शीघ्रातिशीघ्र डिसक्वालिफाइड किया जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में कुछ पूछना चाहता हूं वह यह कि मैं भी म्यूनिसिपेलिटी का मेम्बर हूं, मैं समझता हूं कि बिना अध्यक्ष की स्वीकृति के नगरपालिका का पार्षद कोई भी लैण्ड का एलॉटमेंट कैसे कर सकता है? पार्षद के हाथ एलॉटमेन्ट करना तो होता नहीं तो इस बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कलेक्टर ने जो नोटिसेज दिये हैं उनमें म्यूनिसिपेलिटी के चेयरमैन का भी एक्सप्लेनेशन मांगा है? क्या कलेक्टर ने चेयरमैन को पार्टी बनाया है? कमिश्नर को भी पार्टी बनाया है यह मंत्री महोदय, कृपा करके बतायें।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एलॉटमेंट जो भी किया गया है वह चेयरमैन द्वारा किया गया है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। कांग्रेसी पार्षदों को कलेक्टर द्वारा झूंठा डराया जा रहा है। I have recorded proof. अध्यक्ष महोदय, वहां काफी मकान बन गये हैं, लेकिन अब राजनैतिक हस्तक्षेप किया जा रहा है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, से इस विषय में मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा एक प्रश्न और है मंत्री महोदय से कि क्या नगरपरिषद् का पार्षद विना स्वीकृति के हर प्रकार की जमीन बेच सकता है? दूसरी बात, क्या सिर्फ सदस्य का ही एक्सप्लेनेशन पूछा गया है या चेयर-

(श्री श्रीराम गोटेवाला) मैन और नगरपरिषद के कमिश्नर के भी एक्शप्लेनेशन पूछे गये हैं।

श्री अध्यक्ष : (श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया के खड़े होने पर) अभी तो आप बोल चुके हैं फिर खड़े हो गये हैं। दूसरो को भी मौका दें।

श्रीमती नगेन्द्रबाला । अध्यक्ष महोदय, इसका संबंध कोटा नगरपालिका से है और मैं यह पूछना चाहती हूं कि कोटा नगरपालिका के पार्षदों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या वहां से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और हुई तो उन पार्षदों के खिलाफ जिन्होंने कि अनियमियततायें की हैं मंत्री महोदय ने क्या कार्यवाही की ?

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि कलेक्टर ने जो नोटिसेज दिये हैं एलॉटममेन्ट के बारे में पार्षदों को, उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गयी, बतलाई जाय ?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : अध्यक्ष महोदय, एक सैकिन्ड। चेयरमैन के खिलाफ कार्यवाही की जाय। इजाजत तो उसने दी है।

श्री अध्यक्ष : आप और कुछ पूछ लीजिये सवाल। थोड़ी देर में फिर पूछेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार, जयपुर) : 22 सवाल पूछ लिये एक का भी जवाब नहीं आया।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जब आयुक्त, नगरपालिका, कोटा ने जिलाधीश को शिकायत की तो जिलाधीश ने 232 फाइलों को मंगा कर जांच की। नगरपरिषद् एक्ट की धारा 283 के अन्दर....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : आयुक्त ने कब भेजी ?

श्री अध्यक्ष : पहले सुन लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : पहले बता दिया है। जिलाधीश ने 232 फाइलें मंगायीं और राज्य सरकार के पास में उनके साथ साथ में एक प्रतिवेदन भेजा। उसके बारे में विस्तृत जांच करने के लिये राज्य सरकार को उन्होंने परामर्श दिया। जिलाधीश का पत्र दो-तीन दिन पहले ही प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार ने आफिसर फोर एन्क्वायरी नियुक्त कर दिया डिप्टी डाइरेक्टर को ताकि वे फाइलों को लेकर जांच करें। कलेक्टर ने किसी प्रकार के एक्सपर्शन्स चेयरमैन के खिलाफ पास नहीं किये हैं। वे रोकना चाहते थे लेकिन रोक नहीं सके।

श्री श्रीराम गोटेवाला : चेयरमैन रोकना चाहते थे लेकिन कार्यवाही कैसे नहीं रुकी फिर ?

श्री परसराम मदेरणा : 3 फरवरी, 73 को परिषद् की मीटिंग में चेयरमैन खुद प्रिसाइड कर रहे थे। उन्होंने पार्षद को हटाने की बात रखी, रेजोल्यूशन पास कर आगे 383 की कार्यवाही की जा रही है। किसी मेम्बर के खिलाफ जब तक एन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट न होकर कार्यवाही न हो जाय तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती है हटाने की। रात को ही एन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करने के आदेश दिये हैं। जब तक एन्क्वायरी पूरी होकर उसके सम्बन्ध में प्रेलिमिनरी फेक्टस न आ जांय तब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। फेक्टस आने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर): मैं निवेदन करना चाहता हूं.....

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है मुझे एक सेकिन्ड दे दिया जाय। जैसा मंत्री महोदय ने कहा मुझे विश्वास है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्यवाही करेंगे लेकिन एतराज इस बात का है कि विना सोचे समझे राजनैतिक तूल देकर गलत काम करने वालों को बचाया जाय यह बिलकुल गलत है। हाउस में आकर कह न सके......

कई माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय,.

(शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : राजनैतिक तौर पर लाया गया है। चेयरमैन के खिलाफ (शोरगुल) कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सम्माननीया सदस्या ने जो बात कही है निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि पार्षद स्वयं में कोई आथोरिटी नहीं है, अध्यक्ष की सहमति नहीं होती तो यह संभव नहीं था। पार्षद सस्पेन्ड हों तो निश्चित रूप से वे भी सस्पेन्ड होने चाहिये। कमिश्नर के कहे बिना रसीदें नहीं काट सकते थे।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर आ जाय कि राज्य सरकार की अनुमति के विना किस प्रकार बेचे गये।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ले लिया है और वह पूछ लिया गया है।

नेहरू युवक केन्द्र स्थापित किये जाने की योजना

228. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान में नेहरू युवक केन्द्र स्थापित किये जाने की योजना है ? यदि हां, तो ऐसे केन्द्र कहां कहां खोले जा रहे हैं ? सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में इस वर्ष कोई युवक केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि नाथद्वारा सभी दृष्टियों से इसके लिये उपयुक्त स्थान है जहां युवक केन्द्र खोला जा सकता है ? यदि हां, तो यह कब तक संभव हो सकेगा ?

राज्यमंत्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह): (1) जी हां, ये केन्द्र निम्न स्थानों पर खोले गये हैं :—

(1) झुंझुनूं, (2) जयपुर, (3) बाड़मेर, (4) चूरू, (5) बूंदी, (6) टौंक व (7) डूंगरपुर।

(2) यह सही है। सीमित संख्या में स्वीकृति होने की वजह से सभी जिलों में केन्द्रों का खोलना अभी संभव नहीं था।

(3) भारत सरकार की यह योजना केवल जिला मुख्यालयों में ही युवक केन्द्र खोलने की है, न कि अन्य स्थानों पर।

श्री मनोहर कोठारी : देखिये, ऐसा है कि जहां पर जिला मुख्यालय नहीं हैं, मंत्री महोदय, कृपया बतायेंगे कि उन स्थानों में

Page No. 18

(**श्री मनोहर कोठारी**)
कहीं पर भी युवक केन्द्र नहीं खोले गये हैं इसका क्या कारण है?

श्री जुझारसिंह: मैंने 7 जगह बतायी हैं जहां पर युवक केन्द्र खोले गये हैं और जो जिला मुख्यालय हैं....

श्री मनोहर कोठारी: आपने जिलों के नाम बताये हैं। डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर नहीं खोले हैं। आप जगह बतायें जहां यह खोले हैं। आप क्या यह कह रहे हैं कि और जगह खोल ही नहीं सकते?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर): मंत्री महोदय ने युवक केन्द्र जिला मुख्यालयों पर खोलने की बात बतायी और जयपुर का भी उल्लेख किया। जयपुर में युवक केन्द्र कब खोला और उसकी गतिविधियां क्या हैं इसका आम लोगों को कुछ पता नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): कहां बिराजमान हैं?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर): राजस्थान में युवक केन्द्रों की कहीं कोई स्थापना की है आज तक तो केवल कागजों में ही है? क्या योजना है यह तो पता लगे।

श्री जुझारसिंह: माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा क्या जिला मुख्यालयों पर सात केन्द्र खोले गये हैं। उनके नाम मैं फिर दोहरा देता हूं। झुंझनू, जयपुर, बाड़मेर, चुरू, बूंदी, टौंक, व डूंगरपुर। ये सब ही डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर हैं और कहीं नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला: काम चालू नहीं हुआ है चयन होने से क्या होता है।

श्री जुझारसिंह: काम प्रारम्भ हो जावेगा।

एक माननीय सदस्य: स्थानों का किस प्रकार सिलेक्शन किया है?

श्री जुझारसिंह: छोटे स्थानों पर जहां पर कि यूथ की एक्टीविटीज को एट्रेक्ट किया जा सकता है इसलिये किया गया।

श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा): जयपुर छोटा है क्या?

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, मैं अर्ज कर दूं। माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सदन की गरिमा कायम रखने के लिये बोलने के लिये एक समय एक ही माननीय सदस्य खड़े हों। तीन-चार माननीय सदस्य एक साथ बोलने लग जाते हैं जिससे किसी को उत्तर भी नहीं मिल सकता। साथ ही इस प्रकार से सदन में भी अच्छा नहीं लगता है। अतः एक ही माननीय सदस्य एक ही समय बोलें।

श्री फूलचन्द जैन: मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता था कि जहां जहां यह युवा केन्द्र खोले जाने की बात कही है किसी जगह पर अभी तक युवा केन्द्र खुल कर काम करना प्रारम्भ कर दिया हो वहां पर कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? किस प्रकार से उनका संचालन होता है? हमारी जानकारी में तो युवा केन्द्र राजस्थान में सिर्फ अखबारों में या मंत्री महोदय के सिवा और किसी को ज्ञात है नहीं हैं कि जहां पर युवा केन्द्र कार्य कर रहा हो।

श्री जुझारसिंह : नेहरू युवा केन्द्र खोलने की यह स्कीम है। यह भारत सरकार की स्कीम है और जितना भी फाइनेन्स किया जावेगा वह भारत सरकार के द्वारा किया जावेगा। राजस्थान सरकार उनके लिये जगह का सिलेक्शन करने और उनको हेल्प करने के लिये है। फाइनेन्शियल और अदर इम्प्लीकेसन्स जितने भी हैं वे सब भारत सरकार द्वारा उठाये जावेंगे। इस स्कीम को अल्टीमेटली सारे जिलों में चलाना है। 7 जिले अभी चयन किये हैं। आगे जब इनका एक्सटेन्शन होगा और फण्डस उपलब्ध हुए तो दूसरे जिलों में भी ये खोले जावेंगे लेकिन ये केवल डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर ही होंगे।

दूसरा माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा कि क्या प्रोग्राम है और किस लिये युवक केन्द्र खोले गये हैं। ऐसे स्टूडेन्ट्स जो रेग्युलर्ली पढ़ते न हों या स्कूल्स में पढ़ने वाले हैं ऐसे ऐसे छात्र जो 15 से 25 वर्ष की एज ग्रुप में आते हैं और रेग्युलर्ली स्कूल्स में नहीं जाते हैं उनको विभिन्न एक्टीविटीज में इन्वॉल्व करने के लिये, डेवलपमेन्ट ऑफ आउट साइड स्कूल एक्टीविटीज के लिये ये केन्द्र खोले गये हैं।

श्री फूलचन्द जैन : मैं विस्तार में जाने की बात नहीं पूछता। मैं तो इतनी सी जानकारी चाहता हूं कि इस तरह के केन्द्र इस समय चल रहे हैं क्या कहीं पर? और कितनी धनराशि अबतक केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को इसके लिये मिली है?

श्री मोहनलाल छंगाणी : किस महीने में किस तारीख को कितनी धनराशि मिली? यह बताने की कृपा करें।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, मुझे सप्लीमन्ट्री करनी है और उसका उत्तर स्पष्टरूप से मन्त्री महोदय से चाहता हूं कि आया केवल जिला मुख्यालयों में ही ये केन्द्र खोलने का आपका ध्येय है या जिला मुख्यालय से हटकर भी किसी अन्य स्थान पर खोलने की आपकी योजना है या जिला मुख्यालय से बाहर अन्य किसी जगह खोला ही नहीं जा सकता?

श्री जुझारसिंह : जी हां। डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से अलहदा इस स्कीम को चलाने की मंशा नहीं है।

श्री मनोहर कोठारी : जगह चुनने का अधिकार राज्य सरकार को है जैसा कि आपने कहा है तो फिर आप क्या जगह चुनेंगे जिला मुख्यालय को ही चुनना है तो फिर वे तो चुने चुनाये हैं? आप फिर किस बात का चयन करते हैं?

श्री जुझार सिंह : जिला मुख्यालयों में भी सभी जगह अभी नहीं खोले जा रहे हैं। अभी भारत सरकार केवल सात जिला मुख्यालयों पर ही खोलने जा रही है। इसलिये सात जिलों का चयन सरकार करती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : भारत सरकार को अभी आपने सिर्फ नाम बताये हैं, पैसा नहीं आया है। क्या यह ठीक है?

श्री मोहनलाल छंगाणी : क्या यह स्कीम कागजों पर ही चल रही है? अगर कागजों पर ही चलनी है तो बाकी जिलों के नाम बता देने में और सभी जिलों में चलाने में आपको क्या ऐतराज है?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : कितने केन्द्र खुल चुके हैं और इन सात स्थानों में से किस–किस जगह काम चल रहा है?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : युवक केन्द्र खोलने का आधार क्या है?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ही करते जाना है, या उत्तर भी लेने हैं?

श्री शंकरसिंह (पाली) : सरकार को ही मालूम नहीं है कि कहां कहां चल रहे हैं? अगर मन्त्री महोदय को पता नहीं है, तो स्पष्ट क्यों नहीं कह देते कि मुझे नहीं मालूम।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। भारत सरकार ने सात जगहों के नाम बताने के लिये कहा, वह हमने बता दिया, योजना बतादी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कहीं चल भी रहे हैं क्या?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पैसा मिला है क्या?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : युवकों को ही ये प्रश्न पूछने चाहिये उनसे ही यह सम्बन्धित है।

श्री जभारसिंह : हमने ओर्गनाइजरों के नाम देने के लिये विज्ञापन किया है। सब जगह से नाम आये हैं। उनमें से सिलेक्शन करके हमने भारत सरकार को नाम भेजे हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : पैसा आया कि नहीं यह तो बतावें मेहरबानी करके?

श्री जुभारसिंह : पैसा अब आवेगा। अभी तो सिलेक्शन करके नाम बताये हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : हां या ना में जवाब दें, पैसा आया कि नहीं?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है।

श्री नत्थासिंह (नदबई) : चलाने का निश्चय कब से किया है?

श्री रोशनलाल शर्मा : रुपया आया कि नहीं इसका हां या ना में जवाब तो दें।

श्री फूलचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट। इन युवा केन्द्रों की जो भी स्थिति है उसे कृपया आप स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राज्य में भिखमंगों की संख्या

229. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़) क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के बाद सबसे अधिक भिखमंगे हैं?

(2) क्या राज्य सरकार की ओर से इसका कोई सर्वेक्षण कराया गया है कि राज्य में भिखमंगों की कुल संख्या क्या है? यदि हां, तो इन भिखमंगों में कितने कोढ़ग्रस्त, कितने अंधे, कितने गूंगे-बहरे, कितने हिंजड़े और कितने पागल हैं? कृपया क्रमवार आंकड़े दें?

(3) भिखमंगों की समस्या हल करने के लिये राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

(4) कोढ़ग्रस्त भिखमंगे जो भयंकर छूत की बीमारी का प्रसार कर रहे हैं, उनके सम्बन्ध में सरकार की ओर से क्या विशेष कदम उठाये गये हैं?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री औंकारलाल चौहान) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। सन् 1961 की जन-गणना के आधार पर भिक्षुकों की संख्या 50,551 है।

(3) कानूनी अधिनियम के अभाव में भी भिक्षावृत्ति उन्मूलन परियोजना के अन्तर्गत अजमेर व जयपुर में भिक्षुक गृह खोले गये हैं जहां आवासियों में पुरुषार्थ भावना जागृत कर स्वावलम्बी बनाया जाता है। उत्पादन केन्द्र द्वारा बुनाई दरी, निवार, काष्ठ कला, लुहारी व साबुन उद्योग का प्रशिक्षण दिया जा कर, उन्हें स्वतन्त्र व्यवसाय हेतु बैंक से ऋण की व्यवस्था भी की जाती है। 61 भिक्षुक आवासियों द्वारा सहकारी समिति के माध्यम से बिस्कुट उत्पादन किया जाकर 10 हजार रुपया का लाभ अर्जित किया गया।

राजस्थान बाल अधिनियम के अन्तर्गत भिक्षुक बालक एवं बालिकाओं हेतु शिक्षा आदि की व्यवस्था की जाती है।

अजमेर और जयपुर के अतिरिक्त भिक्षावृत्ति उन्मूलन परियोजना का कार्य-क्षेत्र उदयपुर में भी विस्तृत किया जाने का विचार है।

(4) इस कार्य हेतु अभी कोई योजना नहीं बनाई है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, भिखमंगे किसको समझते हैं ?

श्री मनोहर कोठारी : अध्यक्ष महोदय, जितने धार्मिक तीर्थस्थान हैं महत्व के, उनमें अधिकांश में भिक्षुकों की संख्या अधिक है। वे दर्शनार्थ आने वाले यात्रियों को परेशान और जलील भी करते रहते हैं। कम से कम इस दृष्टि से आप यह तो बतावें कि ऐसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों से ऐसे भिक्षुक को हटाने और उनको अन्य कामों पर लगाने की कोई योजना है ? अगर है तो उसे कब क्रियान्वित करने का सरकार का विचार है ?

श्री औंकारलाल चौहान : इस पर सरकार विचार करेगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अब तक कितने भिक्षुक बालकों को सरकार ने पढ़ा-लिखाकर तैयार किया है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या आपने सर्वे कराया है कि राजस्थान में कितने हिंजड़े हैं व कितने पागल हैं ? फिर आप बेकार किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा तो बतला दें।

श्री औंकारलाल चौहान : जो काम नहीं करके, काम को जीवन-निर्वाह का आधार नहीं बनाकर, भिक्षा मांग कर जो अपनी वृत्ति चलाना चाहते हैं। अब इस तरह के कौन कौन हैं इस पर से आप स्वयं अन्दाज लगा सकते हैं।

दूसरे, जो आदमी अपंग हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं वे भी इसमें आते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मन्त्रीजी को छोड़ कर।

श्री मनोहर कोठारी : मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है। जरा स्पष्ट करें। सरकार क्या विचार कर रही है इन धार्मिक स्थानों से भिखमंगों को हटाकर उनको अन्य काम पर लगाना आदि के बारे में ?

श्री औंकारलाल चौहान : आगामी पंचवर्षीय योजना बनेगी तब इस प्रश्न को भी लिया जावेगा। फाइनेंशियल स्ट्रिन्जेंसी के कारण इस काम को हाथ में लेना अभी सम्भव नहीं है। सरकार बाल अधिनियम कानून भी लागू करना चाहती है पर धनाभाव में लागू नहीं हो पा रहा है। फिर भी अधिक से अधिक जितना कर सकते थे उतने लोगों को स्वावलम्बी बनाने का प्रयास किया गया है। सेवा सदन, अजमेर इस बारे में सक्रिय है। जयपुर में भी है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अजमेर, जयपुर में कितने भिक्षुकों को आपने सुधारा हैं?

श्री औंकारलाल चौहान : अजमेर में 97 और जयपुर में 27 है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि भिक्षावृत्ति को हटाने के लिये काफी धनराशि चाहिये जिसका अभाव है। यह एक ऐसी समस्या है, राजस्थान के लिये ही नहीं, देशव्यापी समस्या है। इसका निवारण आसान प्रतीत नहीं होता है। धीरे-धीरे प्रयास किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जल्दी ही प्रयत्न किया जायेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप इस सम्बन्ध में कोई कानून लाने के लिये तैयार हैं कि नहीं। जो लोग हट्टे-कट्टे होते हैं उन पर मुकद्दमा चलाया जाय और जेल में डाल दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : वहां भी रोटी मिलेगी।

श्री मनोहर कोठारी : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं। अभी जो व्यवस्था कर रहे हैं क्या मंत्री महोदय, यह बताने की स्थिति में हैं कि इसकी व्यवस्था में क्या खर्च हो रहा है और एक्चुअल भिक्षा पर क्या खर्च हो रहा है?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर-जयपुर) : ये आकड़े कितने पुराने हैं और क्या राज्य सरकार शीघ्र ही सर्वे कराने का विचार रखती है?

श्री औंकारलाल चौहान : अजमेर के लिये 3,90,000, उदयपुर के लिये 16 लाख।

श्री मनोहर कोठारी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि प्रशासन पर कितना खर्च आया है और एक्चुअल भिक्षा पर कितना खर्च आया है?

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (मालपुरा) : क्या राज्य सरकार असहाय और अपंग लोगों की व्यवस्था करके भिक्षावृत्ति को बन्द करने का विचार करती है? इस संबंध में क्या कोई स्टडी की है।

श्री विश्वम्भर दयाल बोहरा (महुआ): मंत्री महोदय यह बतानेकी कृपा करें कि जितना खर्च भिक्षावृत्ति पर होता है और उसको ठीक करके भेजा जाता है, क्या आपके पास ऐसे आंकड़े हैं कि उनका व्यक्तिगत सुधार हुआ है वह बाद में कमा कर खाने लगे हैं या नहीं?

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न यह है कि दर्शनीय स्थल पर बाहर से टूरिस्ट आते हैं। माननीय मंत्री महोदय ने पहले यह कहा था वहां पर प्रतिबन्ध लगाने का सोच रहे हैं। अब सरकार वहां क्या करने जा रही है? जो कोढ़ के बीमार हैं और छूत की बीमारी के मरीज हैं, उनका बुरी तरह प्रदर्शन होता

(**श्री श्रीराम गोटे वाला**)
है और उनसे बीमारी फैलने का भी डर रहता है, क्या सरकार उसकी शीघ्र कार्यवाही करने जा रही है ?

एक माननीय सदस्य : भिखारी की परिभाषा क्या है ?

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो भिक्षा के कारण हमारे देश की दयनीय स्थिति दिखाई जाती है, टेलीविजन के अन्दर या अन्य स्थानों पर इसके अन्दर क्या राज्य सरकार दर्शनीय स्थानों पर ये बाहर के आने वाले जितने लोग हैं, इसका नाजायज फायदा उठाकर उनकी फोटो लेकर भारत के नाम को बदनाम न करें अतः उनके फोटो लेने पर प्रतिबन्ध कर सकती है ?

कई माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : नो क्वेश्चन ।

श्री औंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्षजी, इसमें 3-4 प्रश्न उठाये गये हैं। मैं पूर्णतया सहमत हूं कि भिक्षावृत्ति की समस्या जटिल है। अभी माननीय सदस्य गुमानमलजी ने कहा भारत सरकार से ऐसा प्रतिबन्ध लगाने को कह सकते हैं। वहां से कानून बनता है या नहीं बनता है, अलग बात है, लेकिन भिक्षावृत्ति को हटाना एक अहम प्रश्न है। राजस्थान की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण अगली पंचवर्षीय योजना में इसको लिया जायेगा, इस पर अभी कुछ कहना कठिन होगा। माननीय सदस्य श्री श्रीराम गोटेवाला जी ने जो पूछा क्या कुछ ऐसे काम किये हैं, मैं मूल प्रश्न के उत्तर में याद दिलाना चाहता हूं कि अजमेर में 61·····

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा प्रश्न दूसरा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं छूत की बीमारी व कोढ़ के जो मरीज हैं और जो हमारे यहां फोरेनर्स आते हैं, हवा महल देखने आते हैं। उनको देखकर उनका विचार भारत के प्रति अच्छा नहीं बनता है ।

श्री औंकारलाल चौहान : मैं निवेदन कर रहा था अजमेर में एक फेक्ट्री चालू की है उसमें 10 हजार का लाभ हुआ है। इसी प्रकार दूसरी जगह चलाना चाहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी पंचवर्षीय योजना में इसमें कुछ हो सकता है। गोटेवाला जी ने जो छूत की बीमारी की बात बताई यह स्वास्थ्य विभाग से भी सम्बन्ध रखता है, समाज-कल्याण विभाग से भी सम्बन्ध रखता है। इसमें कुछ न कुछ विचार करके किया जायेगा ।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है वह बहुत जरूरी है ····

श्री अध्यक्ष : बार बार मना करना पड़ता है ··· आप (श्री मोहनलाल) पूछिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : प्रश्न सं० 232.

श्री अध्यक्ष : Question ? No.

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय एक ही प्रश्न का उत्तर तैयार करके लाये हैं ।

श्री अध्यक्ष : नो ।

श्री विशम्भर दयाल बोहरा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट के लिये जरूर निवेदन करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : कहिये ।

श्री विशम्भर दयाल बोहरा : अध्यक्ष महोदय, भिक्षा का जो मामला चल रहा है। यहां-वहां तमाम जगह भिखारी हैं । इसलिये राजस्थान सरकार की कोई बात नहीं है, राजस्थान सरकार को सेन्टर को लिखना चाहिये कि कुछ न कुछ इसकी व्यवस्था करें ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये, कृपया परिशिष्ट नं० 1 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रवेशिका तक मान्यता प्राप्त संस्कृत शिक्षण संस्थाएं

217. **श्री रावतराम** (छापर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या संस्कृत प्रवेशिका का स्तर मैट्रिक के समकक्ष है ? यदि हां, तो क्या प्रवेशिका तक के लिये मान्यताप्राप्त संस्कृत शिक्षण संस्थाएं भी सैकण्डरी के समकक्ष मानी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रवेशिका तक मान्यताप्राप्त संस्कृत शिक्षण शालाओं के लिए एक भी कनिष्ठ लिपिक का स्थान स्वीकृत नहीं है ? यदि नहीं, तो क्या शिक्षा विभाग इस विषय में कोई उचित कदम उठाने जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । यह सही है कि प्रवेशिका तक मान्यता प्राप्त संस्कृत शिक्षण शालाओं के लिये भी एक भी कनिष्ठ लिपिक का स्थान स्वीकृत नहीं है । पंचम पंचवर्षीय योजना काल में काफी हद तक पूर्ति की जा सकेगी ।

श्री डूंगरगढ़ के सीतल नगर आदर्श ग्राम का विद्युतिकरण

220. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ़ में एक सीतल नगर नामक हरिजनों का आदर्श ग्राम आबाद हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि इस ग्राम में 33 हजार के० वी. लाइन को उसी गांव में से टेप कर या दो मील दूर बिग्गावास रामसरा से विद्युत देने की मांग की गई है ?

(3) यदि हां, तो क्या विद्युत विभाग से एस्टीमेट बनवाकर इस गांव को विद्युत देने के लिए राशि एलॉट की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो यह राशि कब तक एलॉट कर दी जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) समाज-कल्याण विभाग में इस प्रकार के कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं ।

(3) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इस वर्ष अनुसूचित जाति व अनूसूचित जन-जाति के मोहल्लों में बिजली लगाने के लिए समाज कल्याण विभाग के बजट में कोई प्रावधान नहीं है ।

समाज–कल्याण विभाग के निलम्बित कर्मचारी एवं अधिकारी

224. **श्री रामचरण** (अटरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के समाज कल्याण विभाग में कितने कर्मचारी एवं अधिकारी निलंबित हैं ? नाम, पद, जाति, निलम्बन की तिथि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उपरोक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कब तक सम्पन्न हो जावेगी ?

उत्तर

(1) दिनांक 24-2-73 को समाज कल्याण विभाग में 25 अधिकारी/कर्मचारी निलम्बित हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) सामान्यतः इन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार 3 माह में कार्यवाही सम्पन्न करने का प्रयास किया जायेगा । किन्तु विशेष मामलों में जहां कि मामले कोर्ट में, भष्टाचार निरोधक विभाग में चल रहे हैं या पुलिस की जांच के अन्तर्गत है, या अन्य विशेष कारणों से, समय लगने की संभावना है ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गांधी शताब्दी वर्ष में विभिन्न कार्यों हेतु दिया गया अनुदान

103. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशन पोल, जयपुर): क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गांधी शताब्दी वर्ष में राज्य सरकार द्वारा किन–किन कार्यों के लिए कितना–कितना अनुदान दिया गया और क्या उस समस्त राशि का अब तक उपयोग हो चुका है?

उत्तर

गांधी शताब्दी वर्ष 1969–70 में समाज-कल्याण विभाग द्वारा विशेष रूप से निम्न कार्यों के लिए अनुदान दिया गया था :

क्र०सं०	कार्य	अनुदान की स्वीकृत राशि	अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर उपयोग की गई राशि
(1)	भंगी कष्ट मुक्ति योजना	45.80	30,57.152
(2)	अनुसूचित जाति व जन-जाति के मोहल्लों में नल की व्यवस्था हेतु	8.65	8.65
(3)	अनुसूचित जाति व जन-जाति के मोहल्लों में बिजली की व्यवस्था हेतु	13.45	13.45

उक्त सूचना से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति व जन-जाति के मोहल्लों में नल व बिजली लगाने के लिये स्वीकृत समस्त राशि का उपयोग हो चुका है तथा भंगी कष्ट मुक्ति योजना में स्वीकृत राशि खर्च करने की अवधि 31-3-73 तक बढ़ा दी गई है ।

समाज-कल्याण विभाग के द्वारा चलाये जा रहे छात्रावास

104. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने छात्रावास विभाग द्वारा व सहायता से चल रहे हैं ?

(2) इनमें कितने रसोइये लगे हुए हैं?

(3) उक्त रसोइयों में कितने रसोइये मेहत्तर जाति के हैं ? उनके नाम व पता बतलायें ?

उत्तर

(1) राजस्थान में समाज-कल्याण विभाग द्वारा 133 राजकीय छात्रावास एवं 131 अनुदानित छात्रावास चल रहे हैं।

(2) इन छात्रावासों में रसोइयों के नाम से कोई पद स्वीकृत नहीं है। छात्रावासों में लगे हुये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अथवा अन्य अंशकालीन कार्यकर्ता ही आवश्यकतानुसार रसोई बनाने का कार्य करते हैं।

(3) राजकीय छात्रावासों में कार्यरत मेहत्तर जाति के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	नाम जिला	नाम महत्तर कर्मचारी मय पूर्ण पते के
1	2	3
1.	भरतपुर	1. श्री मंगल राम पुत्र श्री पूनाराम, मथुरा दरवाजा, भरतपुर ।
2.	जयपुर	1. श्री महेशदास, हरिजन बस्ती, ब्रह्मपुरी, जयपुर।
		2. श्रीमती कैलाशचन्द अमृतपुरी हरिजन बस्ती, जयपुर ।
		3. श्रीमती शान्तीदेवी, आमागढ़, जयपुर।
		4. श्रीमती बुद्धादेवी, अमृतपुरी, जयपुर
		5. श्री पद्मचन्द, आदर्श नगर हरिजन बस्ती, जयपुर ।
3.	नागौर	1. श्री पन्नालाल ।
		2. श्री रामेश्वरलाल ।
4.	जोधपुर	1. श्री बद्रीप्रसाद, उदय-मन्दिर, जोधपुर ।
5.	भीलवाड़ा	1. श्री रामस्वरूप हरिजन, शाहपुरा।
6.	कोटा	1. श्री गबरू मेहत्तर ।
		2. श्री गंगूराम ।
		3. श्री दौलतराम ।
7.	टोंक	1. श्रीमती कलादेवी मेहत्तर, हरिजन बस्ती, केशवराय पाटन, बूंदी ।

पोल्ट्री फार्म

105. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पोल्ट्री फोर्म (कुक्कुट शाला) को इन्डस्ट्री में नियमानुसार माना जाता है या नहीं ? यदि हां, तो जिन आदेशों से इस व्यवसाय को इन्डस्ट्री माना गया है—वे चाहे भारत सरकार के हों या राज्य सरकार के—उनकी सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाय।

उत्तर

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता ।

खनिज विभाग में उपसचिव के पद पर कार्य करने वाले अधिकारी

106. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

इस समय राज्य के खनिज विभाग में उप-सचिव के स्थान पर कार्य करने वाले अधिकारी पहले किन-किन विभागों में किस-किस समय तक व किस-किस पद पर कार्य कर चुके हैं ?

उत्तर

इस समय राज्य के खनिज विभाग में उप-सचिव के स्थान पर कार्य करने वाले अधिकारी श्री प्रहलाद राय शर्मा सन् 1949 से जिन पदों पर कार्य कर चुके हैं, की सूचना संलग्न तालिका में दर्ज है ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

भूतपूर्व राजा, महाराजा एवं नवाबों की चल व अचल सम्पत्ति

107. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य के भूतपूर्व राजा, महाराजा एवं नवाबों के पास कितनी कितनी अचल सम्पत्ति कावेनेन्ट के अन्तर्गत अथवा अन्य प्रकार मिली हुई थी तथा उसकी बाजार भाव से कितनी कीमत थी ?

(2) प्रत्येक भूतपूर्व राजाओं, महाराजाओं, नवाबों के पास सोना, चांदी, जेवरात, जवाहरात, मोटर गाड़ियां, हथियार एवं अन्य चल सम्पत्ति कितनी-कितनी तादाद एवं कीमत की थी ?

उत्तर

(1) चाही गई सूचना भारत सरकार से प्राप्त Inventories of the Properties of Rulers in Rajasthan में उपलब्ध है, जिसकी प्रति संलग्न है। सम्पत्ति का बाजार भाव मालूम करने में अत्यधिक समय लगेगा ।

(2) चाही गई सूचना भारत सरकार से प्राप्त Inventories of the Properties of Rulers in Rajasthan में उपलब्ध है, जिसकी प्रति संलग्न है। सम्पत्ति का बाजार भाव मालूम करने में अत्यधिक समय लगेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हस्तकला उद्योग की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा

108. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार हस्तकला उद्योग की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना चाहती है ?

(2) यदि हां, तो इसे बढ़ावा देने के लिए भविष्य के लिये कौन-कौन से प्रस्ताव हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार ने अनुभव किया है कि बाहर प्रदर्शनियां लगाने का नतीजा लाभदायक होता है ? यदि हां, तो

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

(4) क्या राज्य सरकार इस विषय पर कोई ठोस कदम उठायेगी? यदि हां, तो किस प्रकार?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित राजस्थान लघु उद्योग निगम के माध्यम से निम्न कार्य-क्रम प्रस्तावित हैं:-

(1) ओबेराय शेरटन होटल, बम्बई में राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रदर्शन एवं विक्रय केन्द्र स्थापित कर रहा है।

(2) जयपुर में निगम द्वारा खोले गये डिजाइन विकास केन्द्र का विस्तार।

(3) बंगलोर, कलकत्ता, मद्रास व अन्य बड़े नगरों में राजस्थान हैण्डीक्राफ्ट एम्पोरियम खोलने की योजना।

(3) विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनियों का आयोजन।

(3) जी हां। साधनों की उपलब्धि के अनुसार समय समय पर राजस्थान लघु उद्योग निगम विदेशों में प्रस्तावित प्रदर्शनियों में भाग लेने का निर्णय लेता है।

(4) जी हां। राजस्थान लघु उद्योग निगम के निर्यात कार्यक्रम को समुचित प्रोत्साहन देकर।

जयपुर शहर स्थित राजकीय भवन

109. **श्री राजेन्द्र सिंह** (उनियारा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर शहर स्थित राजकीय भवन कितने हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन भवनों के प्लाटों का कितना कितना क्षेत्रफल है? सूची सदन की मेजपर रखने की कृपा करें।

(3) इन भवनों को किन किन व्यक्तियों को आवंटित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर स्थित राजकीय भवनो की सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) जिन जिन व्यक्तियों को ये भवन आंवटित किये गये हैं उनकी सूची संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पशुमेले

110 **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कितने पशु मेले कब कब लगते हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त मेलों में पशुओं की कितनी बिक्री होती है? गत पांच सालों के आंकड़े सदन की मेज पर रखन की कृपा करें।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(3) उक्त मेलों पर कितना व्यय होता है और उनसे कितना मुनाफा राज्य सरकार को होता है? गत पांच साल के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) पशुपालन विभाग ने उक्त मेलों में गत पांच सालों में जनता की सुविधा के लिये क्या कार्य हाथ में लिये हैं और उन्हें क्या सुविधा पहुंचाई है, और उनमें कितना व्यय हुआ है ? प्रत्येक मेले का अलग से विवरण देने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राज्यस्तरीय पशु-मेलों की सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची (ग) एवं (घ) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) पशुपालन विभाग ने मेलों में जनता की सुविधा के लिए पशु मेला, परबतसर नागौर, गोगामंडी में मन्दिर की मरम्मत, रवन्ना घर की मरम्मत, पशु प्रदर्शनी के मैदान की चार दीवारी, पीने के पानी की प्याऊ, पानी की पाइप लाइन आदि का निर्माण कार्य किया है। प्रत्येक मेले पर हुए व्यय की सूची (ङ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म्स

111. **श्री बृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म्स राजस्थान में कहां-कहां, किस योजना के अन्तर्गत और कब-कब बनाये गये ? इनमें कितनी-कितनी धनराशि, किन-किन निर्माण कार्यों में खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन फॉर्मों के नीचे कितनी कृषि भूमि है? ब्यौरेवार बतलाई जावे ।

(3) आज इनमें से कितने फॉर्म कृषि विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं और कितने फॉर्म अन्य विभागों को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं, और क्यों ?

(4) उक्त फॉर्मों में से कौन कौन से लाभ में और कौन कौन से घाटे में चल रहे हैं ?

(5) उक्त फॉर्म में अनुसंधान कर कौन से नये बीजों की उत्पत्ति की है ?

(स्थगित किया गया)

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशि

112. **श्री बृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य के विभिन्न जिलों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 1 जनवरी, 31 जनवरी और 15 फरवरी, 1973 एवं अब तक कितना-कितना व्यय हुआ ? कितने मजदूर अकाल राहत कार्यों में लगे हुए थे ? प्रत्येक जिले का अलग से विवरण देते हुये आंकड़े सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

(स्थगित किया गया)

जिला झालावाड़ के अकालग्रस्त घोषित ग्राम

113. **श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन)** : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला झालावाड़ की किन–किन तहसीलों के कौन कौन से ग्राम अकालग्रस्त घोषित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) इन अकालग्रस्त ग्रामों में कहां-कहां सहायता कार्य चालू हुए हैं ? अगर कार्य चालू नहीं किये, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ की निम्न तहसीलों के उनके आगे अंकित संख्या में ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं :—

1.	अकलेरा	96
2.	खानपुर	50
3.	झालरापाटन	75

तहसीलवार ग्रामों की सूची संलग्न है ।

(2) अभी इन ग्रामों के लिए सहायता कार्य चालू नहीं किये गये हैं, परन्तु सहायता विभाग से 26 राहत कार्यों की स्वीकृति दिनांक 12-2-73 को दी जा चुकी है । स्वीकृत कार्यों की सूची संलग्न है । इन कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगर विकास न्यासों के अध्यक्ष

114. **श्री मीठालाल मीणा (लाल सोट):** क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में कितने नगर विकास न्यासों में अध्यक्ष के अभाव में प्रशासक कार्य कर रहे हैं, तथा इनमें कब तक अध्यक्ष का चयन कर लिया जावेगा ?

उत्तर

प्रश्न नहीं उठता ।

राहत कार्य की मजदूरी का भुगतान

115. **श्री लूनाराम (श्री डूंगरगढ़)** : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रेल्वे स्टेशन बिग्गा से नेशनल हाई वे नम्बर 11 तक की सड़क अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 1969 में स्वीकृत हुई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 16-6-69 से 30-6-69 तक हफ्ता चुकारा के समय गेंग नम्बर 33 से 40 तक ने जो धीरदेसर, चौटियान, कुन्तासर की थी, ने भुगतान कम पास किया, बोलकर भुगतान नहीं लिया और काम की जांच कर पूरा भुगतान देने की मांग की ?

(3) यदि हां, तो इन गेंगों के मेटों का क्या नाम था व गेंग तथा मेटवार व मस्टररोलों में अलग अलग अंकित राशि क्या थी ?

(4) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत धीरदेसर, चौटियान ने भुगतान न मिलने की शिकायत जिलाधीश, चूरू को की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(श्री लूनाराम)

(5) क्या यह सही है कि इन गेंगों का भुगतान आज तक मजदूरों को नहीं हुआ है ? यदि हां, तो आज तक भुगतान न होने का क्या कारण है ?

(6) यदि भुगतान हो गया है तो कब एवं किस अधिकारी द्वारा व किन–किन मेटों तथा मुखियाओं के समक्ष हुआ ? यदि नहीं, तो अब कब तक कर दिया जायगा ?

(7) क्या सरकार सारे मामले की जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन् 1969 में यह सड़क स्वीकृत हुई थी।

(2) इस हफ्ते में गेंग नं० 33 से 40 तक के समस्त मजदूरों का भुगतान किया हुआ है। विस्तृत विवरण सूची में अंकित है।

(3) भुगतान किया जा चुका है, जहां तक गेंगों के मेटों के नाम का संबन्ध है इनका नाम उल्लेख सूची में कर दिया गया है।

(4) जिलाधीश कार्यालय में शिकायत उपलब्ध नहीं है।

(5) यह सही नहीं है कि इन गेंगों का भुगतान नहीं हुआ, भुगतान किया जा चुका है कुछ राशि अनपेड रही है जिसका उल्लेख संलग्न तालिका में कर दिया गया है।

(6) भुगतान संबन्धित सरपंचों व मेटों के समक्ष किया गया है।

(7) मस्टर रोलों को देखने से ज्ञात हुआ है कि सूची में जो राशि बकाया बताई गई है उसको छोड़कर सभी का भुगतान हो चुका है। ऐसी दशा में इस मामले में जांच करवाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

जयपुर नगर परिषद् को अनुदान की राशि

116. श्री मोहनलाल छंगाणी : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सन् 1971-72 में नगरपरिषद्, जयपुर को राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि अनुदान के रूप में एवं अन्य रूप में किस किस कार्य हेतु दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

नगरपालिका, गंगापुर को भूमि विक्रय से आय

117. श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

गंगापुर सिटी नगरपालिका ने 1 अप्रेल, सन् 1968 से 31 मार्च, सन् 1972 तक भूमि विक्रय से आमदनी बजट में क्या प्रावधान रखा था और उसकी वास्तविक आमदनी 1968-69, 1969-70, 1970-71 व 1971-72 के बजट वर्षों में कितनी हुई ?

उत्तर

सूचनाएें संलग्न हैं।
(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

Page No. 32

बकानी जिला झालावाड़ की जल-प्रदाय योजना

118. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बकानी ग्राम जिला झालावाड़ की जल-प्रदाय योजना (पीने के पानी) की स्वीकृति हो चुकी है? यदि हां, तो यह योजना कितने की है और इसका कार्य कब शुरू कर पूरा किया जायेगा ?

(2) उक्त योजना के लिये पानी कहां से दिया जावेगा तथा इस योजना के लिये कितना रुपया जनता की ओर से अंशदान के रूप में जमा हुआ है और कितना और जमा होना है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, योजना की अनुमानित लागत रु० 4.87 लाख है, कार्य योजना की स्वीकृति के बाद शुरू किया जावेगा।

(2) इस योजना में पानी के लिये काली सिंध नदी के डेह पर कुएं बनाये जाने प्रस्तावित हैं। अंशदान के रुप में अभी तक जनता की ओर से कोई धनराशि इस विभाग के मद में जमा नहीं कराई गई है। अंशदान के रूप में जनता की ओर से रु० 12,175 जमा कराये जाने हैं।

चूरू जिले के गांवों का पीने व सिंचाई के पानी का सर्वे

119. **श्री लुणाराम** (श्रीडूंगरगढ) : क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भू-विज्ञान शास्त्रियों द्वारा चूरू जिले की किन-किन तहसीलों के कितने कितने गांवों का पीने व सिंचाई के पानी का सर्वे किया जा चुका है ? ग्रामों के नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पीने व सिंचाई के पानी का सर्वे करने का क्या आधार है ?

(3) क्या यह सही है कि चूरू जिले में जो सर्वे का कार्य आज तक पीने व सिंचाई से पानी का हुआ है वह कोई आधार मान कर नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) पीने व सिंचाई के पानी की चूरू जिले के समूचे क्षेत्र में कब तक व्यवस्था कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) पेयजल के लिये चूरू जिले के पूरे क्षेत्र में भू-विज्ञान शास्त्रियों द्वारा अप्रैल, 72 से विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। सिंचाई के पानी के लिये पंचायत समिति तारानगर, राजगढ क्षेत्र का अर्द्ध विस्तृत सर्वेक्षण किया जा चुका है और 1972-73 पंचायत समिति डूंगरगढ क्षेत्र में अर्द्ध विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(2) भू-जल सर्वेक्षण के लिये विज्ञान द्वारा उपलब्ध आधुनिक पद्धतियों को मद्देनजर रखते हुए हाईड्रोजियोलाजिकल, जियोफिजिकल एवं एक्सप्लोरेट्री ड्रिलिंग द्वारा किया जा रहा है।

(3) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) पेय जल एवं सिंचाई के पानी के लिये सर्वेक्षण के पूरे हो जाने के पश्चात् जो जानकारी मिलेगी उसके आधार पर कार्यक्रम निर्धारित किया जा सकेगा।

ग्राम धरेरू, जिला चूरू का ट्यूब-वेल

120. श्री लुणाराम (श्री डूंगरगढ़): क्या जनस्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम धरेरू, तहसील श्री डून्गरगढ, जिला चूरू में एक ट्यूब वैल का बोरिंग किया गया ? यदि हां, तो किस योजना के अन्तर्गत तथा इस पर कितनी राशि व्यय की गई?

(2) उक्त ट्यूब-वैल का किस माह तथा सन् में बोरिंग किया गया और इसकी बोरिंग में कितना समय लगा तथा यह कितना गहरा बोरिंग किया गया और इस ट्यूब-वैल से पानी मिला या नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि इस ट्यूब-वैल के पश्चात् दो और ट्यूब-वैल का बोरिंग किया गया ? यदि हां, तो इन ट्यूब-वैल से कितनी-कितनी दूरी व दिशा में इनका बोरिंग किया गया तथा प्रत्येक में कितनी कितनी गहराई पर खारा या मीठा, कैसा कैसा पानी मिला ? तथा इन पर कितना कितना व्यय हुआ तथा किस माह व सन् में इनका बोरिंग किया गया और इसमें कितना समय लगा ?

(4) उक्त ट्यूब वेल्स से ग्राम में जो तीन पुराने कुए हैं और जिनका कि पानी खारा है व एक ही स्थान पर हैं ये ट्यूब वैल्स कितने कितने फुट की दूरी पर हैं ?

(5) उक्त ट्यूब वेल्स का क्या कोई उपयोग होने की सम्भावना है ? क्या बोरिंग से पूर्व भूगर्भ शास्त्री की राय ली गई थी ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम धरेरू, तहसील श्री डून्गरगढ़ में 64-दुर्मिक्ष मद से नलकूप लगाया गया था जिस पर रु० 1,10,027 व्यय हुए ।

(2) उक्त नलकूप का कार्य 1 अक्टूबर, 1969 से 5 नवम्बर, 1969 तक एक माह पांच दिन चला तथा यह 800 फीट तक बोरिंग किया गया। इसमें 4200 लिटर प्रति घण्टा क्षमता का पीने योग्य पानी उपलब्ध हुआ।

(3) जी हां, दूसरा नल कूप जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के आदेश पर पहले नल कूप से लगभग 2800 फीट दूर बनाया गया। इसका बोरिंग 21 मार्च, 1971 से 18 अप्रेल, 1971 तक 27 दिन के समय में लगा। यह 900 फीट तक बोरिंग किया गया किन्तु इसमें पानी प्राप्त नहीं हुआ। इस पर रु. 43,891 व्यय हुआ। जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के आदेश पर ही तीसरा नल कूप दूसरे नल कूप से लगभग एक किलोमीटर दूर ग्राम बजरंगपुर की सीमा में दिनांक 17 मई, 1971 से 28 जून, 1971 तक अर्थात 42 दिन तक 600 फीट की गहराई का बोरिंग किया गया। इसमें 4900 लिटर प्रति घण्टा की क्षमता से पीने योग्य पानी प्राप्त हुआ और इस पर रुपये 52,015 व्यय हुआ।

(4) पहला नलकूप ग्राम के कुओं से लगभग 2000 फीट दूर है। दूसरे व तीसरे नलकूपों की पहले नलकूप से दूरी प्रश्न के अंश 3 में बतादी गई है।

(5) तीनों नलकूप भूगर्भ शास्त्रियों की सलाह से बनाये गये थे व तीनों नलकूप जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को सुपर्द किये गये हैं।

बाड़मेर जिले की समस्त स्कूलों की सूची

121. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बाड़मेर जिले की प्राइमरी, मिडिल, सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी स्कूलों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य

122. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान विश्वविद्यालय की सीनेट में राज्य सरकार द्वारा सन् 1960 से अब तक किन-किन शिक्षा शास्त्रियों को मनोनीत किया गया ? कृपया उनकी योगदान, शिक्षा-क्षत्र की क्षमता, मौलिक योग्यता एवं अनुभव के सन्दर्भ में सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था।

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि:— (1) सर्व श्री गिरधारी लाल भार्गव, केशरीमल और मोहम्मद गफ्फारअली, सदस्य, विधान सभा, ने राज्य में चल रही करीब 1500 बेकरियों में काम करने वाले व्यक्तियों को मैदा न मिलने के कारण बेरोजगार होने के सम्बन्ध में 2 स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है ।

(2) श्री केशरीमल और श्री मोहम्मद गफ्फारअली, सदस्य, विधान सभा, ने जोधपुर मेडीकल कॉलेज के अनुसूचित जाति के एक विद्यार्थी रामावतार को डॉक्टर डी. पी. भारद्वाज द्वारा पीटने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(3) सर्व श्री गुमानमल लोढा और गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा, ने कोटा जिले की तहसील लाडपुरा की भूमि-आवंटन समिति द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के भूमिहीन निवासियों को जमीन आवंटन न करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(4) सर्व श्री गुमानमल लोढा, गिरधारी लाल, निरंजननाथ आचार्य और केदार नाथ, सदस्य, विधान सभा, ने चूरू जिले की सरदारशहर तहसील के माजूसर गांव में दो हरिजन बालकों की भूख से मृत्यु होने के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(5) श्री गुमानमल लोढा और श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा, ने डीडवाना की पंचायत बेगरूर के ग्राम बेडवा में अनाज और चीनी उपलब्ध न होने की स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा, ने जयपुर में स्टेच्यू सर्किल स्थित पोद्दार पार्क को चार लाख रुपये में बेच देने के सम्बन्ध में एक स्थान प्रस्ताव की सूचना दी है। यद्यपि यह विषय सदन में कल उठाया जा चुका है, किन्तु मैं चाहूंगा कि सम्बन्धित माननीय मन्त्री इस विषय में एक वक्तव्य दें।

(7) श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य, विधान सभा, ने जमवा-रामगढ़ बांध से सिचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह विषय अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(8) श्री चतुर्भुज, सदस्य, विधान सभा, ने तहसील टोडारायसिंह व तहसील देवली के कुछ ग्रामों को अकालग्रस्त घोषित न करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(9) श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य, विधान सभा, ने तहसील दांतारामगढ़ के ग्राम बासरोली की जनता को अनाज उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है और मैं इसकी स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(10) श्री केशरीमल, सदस्य, विधान सभा, ने कमानी इन्डस्ट्रीज, झोटवाड़ा के एक मजदूर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा हमला करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न भी अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(11) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा, ने जोधपुर नगरपरिषद द्वारा सुरक्षा कोष के लिए एकत्रित की गई धनराशि के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह प्रश्न भी अविलम्बनीय लोक-महत्व का नहीं है, अतः मैं इसकी स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्षजी, मैंने जो एक स्थगन प्रस्ताव रखा है वह इस बारे में रखा है कि मैदा के भाव आज जयपुर में काफी चढ़े हुए हैं। जो मैदा की बोरी पहले 104 रुपये में मिलती थी वह आज 250 रु० में भी जयपुर में नहीं मिल रही है। जिस समय राज्य सरकार ने राशनिंग की व्यवस्था की थी उस समय मैदा की बोरी के भाव 104 रुपये थे और राशनिंग की व्यवस्था करने के बाद आज उसके भाव 250 रुपये हैं। मैदा जहां पहले 1.12 फी किलो के हिसाब से मिलती थी वहां आज जयपुर में 2.75 है, उस पर भी लोगों को मैदा नहीं मिल रही है। मैदा और सूजी नहीं मिलने के कारण जो राजस्थान में लगभग 1,500 बेकरियां हैं जिनसे लाखों व्यक्ति अपनी आजीविका चलाते थे बिस्कुट वगैरह बनाकर और डबल रोटी बनाकर, आज मैदा और सूजी नहीं मिलने के कारण, उनके भाव बढ़ जाने के कारण, वह लोग बेकार हो रहे हैं। राजस्थान विधान सभा के सामने वह अपनी वाजिब मांगों को सुनाने के लिए बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आपने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी चाही है। ऐसे प्रश्न पर राज्य सरकार से जानकारी चाहने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बाजार में मैदा के भाव बढ़े हैं और मैदा और सूजी आपके कन्ट्रोल की चीज है। कन्ट्रोल के आधार पर लोगों को यदि मैदा जो कि

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कन्ट्रोल का भाव मुकर्रर किया है उन दुकानदारों को वाजिब भावों पर मैदा की बोरियां उनके अनुपात से उनको वितरित हो जायें तो बैकरियां चल पड़ेंगी और राजस्थान में जो आज लोगों को भूखों मारना है, एक ओर तो अकाल की समस्या है, और अकाल जैसी समस्या पर लाखों रुपया सरकार खर्च कर रही है माननीय अध्यक्ष जी, इसमें रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं। केवल माननीय खाद्य मन्त्री जी द्वारा व्यवस्था करने का प्रश्न है, लोगों को कन्ट्रोल रेट पर मैदा मिल जाये तो उनकी बैकरियां चल जायेंगी और इस प्रश्न के बारे में, सरकार जानकारी करेगी, इस आधार पर इसको स्थगित करना उन बैकरीवालों के प्रति न्यायोचित बात नहीं होगी।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : माननीय अध्यक्षजी, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा था वह यह था कि डाक्टर भारद्वाज हैं, उन्होंने एक अनुसूचित जन-जाति के लड़के को, जो कि होस्टल के रुम नम्बर 4 में था, उसके साथ जाकर इसलिये मारपीट की कि उनका कहना है कि तुम्हारे लिए होस्टल में कोई जगह नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है और वहां पर उन्होंने गुण्डे लोगों को बैठा दिया है और वहां के असर वाले लोग कोई कार्यवाही नहीं करने दे रहे हैं। इसके अलावा वह लड़के मेरे पास आना चाहते थे रेल से तो रेल से नहीं आने दिया, बस से आना चाहते थे तो बस से नहीं आने दिया। एक तरह से पूरे सेक्शन में स्ट्राइक चल रही है और बड़ी गम्भीर स्थिति है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसका जवाब दें। अगर यह नहीं हुआ तो वहां सिचुएशन और भी टेन्स हो जायेगी और यह रेसियल लड़ाई की शकल अख्तियार कर लेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको देर तक टालने की कोशिश नहीं की जाये और चूंकि होम डिपार्टमेंट से संबंधित चीफ मिनिस्टर साहब हैं नहीं, इसलिये मैं गुजारिश करूंगा कि इस बारे में कल बयान दे दें तो ज्यादा अच्छा हो। वह लोग मेरे पास आने वाले थे वह नहीं आ सके। उन्होंने टेलीफोन पर बात की है और कहा है कि अगर हम आ सके तो जिन्दा आयेंगे वर्ना यहां गुण्डों को लाठियां लेकर बैठा दिया गया है, कलेक्टर मदद नहीं कर रहा है, पुलिस अधिकारी मदद नहीं कर रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर कल बयान आ जाना चाहिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आपके सामने प्रश्न आया है कि एन० डी० एस० वाले यहां भूखहड़ताल पर बैठे हुए हैं, उसके बारे में राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है....

श्री अध्यक्ष: इसका निर्णय तो कल ही सुना दिया था।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत: आज तक नहीं सुनाया। वह भारत सरकार की सेवा में आज 15 साल से हैं और उनकी सेवायें राजस्थान सरकार ने ले ली हैं। उनका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है.....

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में मैंने जानकारी चाही थी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने तो जानकारी के लिए कहा था। आज कर्मचारी लगातार 5 दिन से राजस्थान विधान सभा के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आपने कहा था कि मैं आज या कल कोई व्यवस्था कर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दूंगा, और, अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि मैं आपको इस संबंध में आपके चैम्बर में भी मिला था और मैं समझता हूं कि 5 दिन से लगातार भूख हड़ताल का क्रम चलता रहे और जन प्रतिनिधि उनकी वाजिब मांगों को नहीं सुनें तो इस पर कुछ होना चाहिये और इस संबंध में भी विचार हो जाये कि बेकरियों के संबंध में और मंहगाई के संबंध में माननीय खाद्य मंत्री जी वक्तव्य देने वाले हैं तो उन लोगों को भी बुलाकर बात कर ली जाये तो अच्छा होगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव ग्राम बर्डवा, पंचायत, फागी डीडवाना के बारे में दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की ओर से सारे जिलों में सस्ते धान की दुकानें खोलने की व्यवस्था की गयी और इस ग्राम के लोगों ने पता नहीं क्या अपराध किया कि उनको आज तक एक दाना सस्ते धान की दुकान से नसीब नहीं हुआ। एस० डी० ओ० के पास प्रार्थना-पत्र पेश किये गये, उनके पास बारबार डेपुटेशन गये और उनके पास गांव के लोग मिलने गये। डीडवाना के दूसरे सामाजिक कार्यकर्त्ता राशन कार्ड को लेकर गये और उन्होंने बारबार मांग की कि हम नहीं चाहते कि इस देश में इस प्रकार से भूखमरी से लोग तड़प-तड़प कर मरें। वहां का दुकानदार था वह राशन कार्ड ले गया और उसने ब्लैक में बेंच दिया लेकिन गांव के लोगों को एक दाना भी नसीब नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बारबार इस संबंध में सरकारी अधिकारियों का ध्यान दिलाने के बाद भी जब उनको धान बिलकुल नहीं मिला तो उन्होंने शिकायत की और मैंने कहा कि मैं नहीं मानता कि आपको राशन नहीं मिल रहा हो, यह सम्भव नहीं है क्योंकि यह सरकार समाजवादी है, राजस्थान के अन्दर गरीबी मिटा रही है। तो आपको ताज्जुब होगा कि 130 व्यक्तियों ने अपने एक प्रतिनिधि द्वारा यह राशन कार्ड भेजे हैं जो कि वहां पर वितरित किये गये तब से लेकर आज तक एक भी व्यक्ति को किसी प्रकार का राशन का एक दाना भी उपलब्ध नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम यहां पर आरोप लगाते हैं तो चुनौती दी जाती है कि भूख से कोई मौत नहीं हुई। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कम से कम जो लोग मौत के किनारे पर हैं उनके लिए अति शीघ्र व्यवस्था की जाये। अकाल राहत मंत्री जी ने कहा था कि जब कभी मुझे सूचना मिलेगी मैं निश्चित रूप से वहां व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। मुझे दुख है कि घोषणा यहां की गयी और उसके बाद भी बाड़मेर में ऐसी स्थिति आई कि वहां पर लोगों ने भूख हड़ताल की अकाल के प्रश्न को लेकर, और उनको जेलों में ठूंस दिया गया। मैं यहां पर 130 व्यक्ति, जो कि गांव के परिवार हैं, उनके राशन कार्ड लेकर आया हूं और मैं यह माननीय मंत्री महोदय को पेश करता हूं क्योंकि गांव के लोग कहते कि हमने राशन कार्ड के पैसे खर्च किये वह भी व्यर्थ गये। हम जब लेने के लिए जाते हैं तो हमारे रोते हुए और बिलखते हुए बच्चों को वापिस लेकर आ जाते हैं, ऐसा वह कह रहे थे और एक अन्न का दाना भी नहीं मिलता है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसकी जानकारी आयेगी और जानकारी आने के पहले न जाने कितनी वहां की जनता परेशान हो जायेगी, इसलिए इस बारे में निश्चित रूप से कोई न कोई व्यवस्था की जाये और मैं प्रार्थना करूंगा कि

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

यदि इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती है और रिप्लाई देने के नाम पर या जानकारी के नाम पर प्रश्न को टाल दिया जाता है तो जो नतीजा सरदारशहर वगैरह में हुआ और दूसरी जगह हुआ, वही यहां भी हो सकता है। मैं यह सारे के सारे राशन कार्ड माननीय मंत्री जी को पहुंचा देता हूं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, उन लोगों को राशन कहां से मिलेगा? क्योंकि राशन कार्ड तो यह ले आये हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उनको राशन नहीं मिल रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि व्यवस्था करें।

श्री दीपंकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जिस गांव की बात कर रहे हैं वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र का गांव है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो आप बता रहे हैं वस्तु स्थिति उससे बिल्कुल विपरीत है। अकाल राहत मंत्री जी को केवल बदनाम करना ही है इनका मकसद। वहां हालत यह है कि यह राशन कार्ड जिस व्यक्ति के जरिये आये हैं वह व्यक्ति यही धंधा करता है कि किस तरह से सरकार को बदनाम किया जाये। मैं यह कहना चाहता हूं, और आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, कि हर गांव की हालत ऐसी है; हर शहर की हालत ऐसी है। जो जनसंख्या 71 की थी उससे दुगनी तिगुनी करके राशन कार्ड हर जगह बने हुए हैं और उसके लिए तहसीली की तरफ से चैकिंग की जा रही है और, जब तक चैकिंग नहीं हो जाती है, जो राशन दिया जा रहा है उससे दुगुनी संख्या के अगर राशन कार्ड होते हैं तो कोई भी राशन की दुकान वाला राशन नहीं दे सकता है। इसलिये इनकी चैकिंग जारी है, इसलिये इसी कारण से इनको राशन नहीं मिला है। इसके अन्दर अकाल राहत मंत्रीजी का कोई दोष नहीं है, ऐसी कोई उनकी मंशा नहीं है कि इनको राशन नहीं मिले। यह महज पार्टीबन्दी के आधार पर सरकार को और पार्टी को बदनाम करने का षडयंत्र मात्र है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री दीपंकर : आज ये राशन कार्ड उठा लाये हैं, कल हो सकता है कि किसी के रजिस्टर उठा कर ले आवें, परन्तु राशन नहीं दिया जा रहा हो, यह बिल्कुल गलत बात है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : उत्तर प्रत्युत्तर में कोई फायदा नहीं है, आप विराजिये।

(व्यवधान-अश्रव्य)

(श्री गुमानमल लोढा एवं श्री भोमाराम साथ साथ बोलते रहे)

(अश्रव्य)

श्री भोमाराम (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, पंचायत में मैं खुद जाकर इन्क्वायरी करके आया हूं। मेरे क्षेत्र के अन्दर डीडवाना में राशन व्यवस्था में, अकाल राहत कार्यों में कोई भी जाकर इन्क्वायरी नहीं की है। यह 130 राशन कार्ड जो लाये हैं, इनकी एक पार्टी वहां पर बनी हुई है। हमने इनको यह कह भी दिया है कि आप अपना मेम्बर मुकर्रर कर दें और अपना राशन वितरण कर दें। ये लोग जो अलग अपना कोटा बनाना चाहते हैं, लेकिन गांव में ऐसा हो नहीं सकता है। अलग कोटा दे नहीं सकते। तहसीलदार ने एस० डी० ओ० ने

(श्री भीमाराम)
जाकर इन्क्वायरी की है बेड़वा ग्राम में। वहां पर एक मेम्बर ने ऐसी गड़बड़ की थी कि चीनी जो दो रुपये 10 पैसे या 15 पैसे प्रति किलो देनी चाहिए थी उसकी जगह 2 रुपये 32 पैसे लिया है। उस मेम्बर को हटा दिया है, दूसरा आदमी आता नहीं है। इस वजह से राशन देने में देरी हुई है। एस० डी० ओ० ने भी इसकी इन्क्वायरी कर ली है। हम इनको राशन दिला सकते हैं लेकिन इसके बावजूद ये राशन कार्ड यहां पर उठा कर ले आये हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

मैं माननीय खाद्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि बेकरीज वालों के बारे में कुछ रोशनी डाल सकें तो फरमा दें।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि राजस्थान के स्वर्णकारों का एक जुलूस विधान सभा के बाहर आया है और वे प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इस ओर राज्य सरकार का ध्यान इसलिये आकर्षित करना चाहता हूं कि गलत कानून की वजह से, गोल्ड कण्ट्रोल ऑर्डर की वजह से स्वर्णकारों का सारे का सारा व्यापार चौपट हो गया है....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बाहर हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वे लोग दूर 2 से, सारे राजस्थान से, गांव गांव से यहां आए हैं। उनसे किस प्रकार से कुर्कियां करके वसूली की जा रही है। वे लोग भी अकाल के कारण अकाल से ग्रसित हैं तो उनके विरुद्ध इस प्रकार कार्यवाही नहीं की जावे। इस प्रश्न पर, माननीय मंत्रीजी विचार करें और उनकी उचित मांगों की तरफ ध्यान दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : फरमाइये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो राशन कार्ड यहां प्रस्तुत किए गए हैं उनके बारे में दोनों तरफ से तो सुन लिया गया लेकिन अगर ये राशनकार्ड यहीं पर रह गए तो लोग भूखे रह जायेंगे। आपने उनको देख लिया है अब उनको लौटाने के आदेश हो जाने चाहिये।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, स्वर्णकारों के सम्बंध में मैं भी निवेदन करना चाहूंगा। यह गम्भीर विषय है और सरकार को इस संबंध में विचार करना चाहिये। गोल्ड कण्ट्रोल ऑर्डर क्या है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसकी बहुत लम्बी चौड़ी कहानी में मैं नहीं पड़ना चाहता, लेकिन एक प्रकृति के सिद्धान्त के विरुद्ध अगर सरकार कोई आचरण करती हैं तो वह कभी रुक नहीं पाता। आज उनकी परिस्थिति ऐसी है कि हजारों स्वर्णकार बेकार होकर एक तरह से शरणार्थी हो गये हैं। मुझे भी रात को दस बजे वे लोग मिलने को आए थे और उनको करुण कहानी सुन कर मुझे भी दुख हुआ। सरकार को आखिर इस तरह से निर्दयता का

(श्री लक्ष्मणसिंह)

व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनको आपकी तरफ से वाजिब आश्वासन मिलना चाहिये, कोई व्यवस्था करनी चाहिये। सरकार इस प्रकार अगर बहरी होकर बैठ जावे और उनकी वाजिब मांगों को सुने भी नहीं तो फिर सरकार नहीं, डेमोक्रेसी के नाम पर टैरनी है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर...

श्री गौरीशंकर: माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

अधिसूचना

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (उपनिवशन) विभाग की अधिसूचना संख्या प० 3 (34) राज। उप। 64, दिनांक 25 जनवरी, 1973, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेश (भाखरा तथा राजस्थान नहर परियोजना उपनिवेशन क्षेत्र में मंडियों में भूमि का विक्रय एवं आवंटन) शर्त 1973 प्रकाशित की गई है, सदन की मेज पर रखता हूं।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में आवश्यक उपयोग की वस्तुओं के भावों में वृद्धि संबंधी

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में कई माननीय सदस्यों ने राज्य में अकाल, मंहगाई तथा बेरोजगारी के संबंध में, स्थगन प्रस्ताव एव इस विषय से सम्बन्धित ध्यान आकर्षण प्रस्तावों के द्वारा चिन्ता व्यक्त की है। राज्य सरकार इन समस्याओं के प्रति पूर्णरूप से जागरूक है और समयानुकूल आवश्यक कार्यवाही पूर्व में की गई है व परिस्थिति के अनुसार अन्य कदम भी उठाये जा रहे हैं। इस सदन के माननीय सदस्य भलीभांति परिचित हैं कि अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि से सूखे की स्थिति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी कमी आई है। हालांकि जन जीवन के उपयोग में आने वाली मुख्य आवश्यक वस्तुओं जैसे मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्यान्न, बनस्पति तेल व मोटे कपड़े का कोटा तथा दरें भारत सरकार द्वारा निश्चित की जाती हैं, फिर भी इस विषम स्थिति पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने निम्नांकित कदम उठाये हैं जिससे कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सके :–

(1) सस्ते गल्ले की दुकानों से मिलने वाले गेहूं की दर 89 से घटा कर 85 पैसे प्रति किलो की गई हैं।

(2) अनुचित जमाखोरी को रोकने हेतु राजस्थान प्रिवेन्शन ऑफ होर्डिंग ऑर्डर 1973 जारी किया गया एवं इस आदेश के अन्तर्गत उत्पादक के साथ व्यापारियों को भी सम्मिलित किया गया जिससे कि किसी भी स्तर पर अनुचित जमाखोरी न हो। इस संबंध में और भी कार्यवाही की जा रही है।

(3) भारत सरकार एवं खाद्य निगम से अधिकतम मात्रा में गेहूं व मोटा अनाज प्राप्त करने हेतु प्रयास किए गए।

(4) विभिन्न जिलों में अब तक 5680 खाद्यान्न एवं चीनी वितरण करने

(श्री परसराम मदेरणा)

हेतु सस्ते मूल्य की दुकानें खोली जा चुकी हैं जिनके माध्यम से चीनी, गेहूं एवं मोटा अनाज निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने जुलाई से दिसम्बर, 1972 तक विभिन्न लाईसेंसिंग आदेशों के अन्तर्गत 1371 मामले पकड़े हैं जिनमें से 312 के चालान प्रस्तुत किए गए, 59 लाइसेन्सों को निलम्बित किया गया, 112 लाइसेन्सों को निरस्त किया गया, 39 मामलों में सजा हुई व 52482 रुपये की अमानत की राशि जब्त की गई। 13219 बोरी खाद्यान्न, 1000 बोरी चीनी, 114 बोरी सीमेंट, 876 टन बनस्पति आइल एवं 8230 लीटर मिट्टी का तेल पकड़ा गया है।

(5) थोक व्यापारियों पर राजस्थान राज्य के सात जिलों में मक्का ज्वार व बाजरे की क्रय पर लेवी लगाई गई है।

(6) खांडसारी एवं गुड़ के व्यापार करने वाले व्यापारियों पर नियंत्रण रखने हेतु राजस्थान खांडसारी एवं गुड डीलर्स लाईसेंसिंग आदेश, 1972 प्रसारित किया गया है।

(7) चीनी की अनुचित जमाखोरी को रोकने हेतु राजस्थान शुगर डीलर्स लाईसेंसिंग आदेश को संशोधित कर 100 क्विंटल के बजाय 10 क्विंटल चीनी के व्यापार करने पर उक्त आदेशों के अन्तर्गत लाईसेंस लेना अनिवार्य किया गया है।

(8) अनुचित जमाखोरों एवं बढती हुई कीमतों को रोकने हेतु विभिन्न आदेशों का पालन करने व सतर्कता बरतने हेतु जिलाधीशों को आदेश दिए गए हैं।

(9) अतिथि नियंत्रण आदेश, 1972 भी जारी किया गया जिसके अनुसार 25 से अधिक व्यक्तियों को साधारण पार्टियों में एवं अन्य सामाजिक अवसरों पर तथा 100 से अधिक व्यक्तियों को शादी व मृत्यु भोज में खाद्यान्न के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(10) साधारण जनता के उपयोग के लिए मोटे कपड़े को निर्धारित दरों पर भारत सरकार की योजना के अनुसार राज्य में वितरण हेतु 32 थोक एवं लगभग 200 खुदरा विक्रेता नियुक्त कर दिए गए हैं जिनके द्वारा प्रति माह 1045 गांठों के वितरण की व्यवस्था की गई है।

(11) यह सत्य है कि पिछले वर्ष के अनुपात में इस वर्ष राज्य में थोक भावों में कुछ वृद्धि हुई है जो कि अखिल भारतीय थोक भावों की वृद्धि के लगभग समान है। अतः कीमतों में वृद्धि केवल राजस्थान में हीं नहीं बल्कि देशव्यापी है।

(12) जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है नगरीय क्षेत्रों में सामान्य स्थिति है परन्तु अकाल से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की क्रय शक्ति में कमी आई है। अतः राज्य के सूखे से प्रभावित 24 जिलों में 5 लाख से अधिक श्रमिकों को अकाल राहत कामों पर रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।

(13) राज्य में चल रही अन्य विकास योजनाओं व सेंट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स के अन्तर्गत 1,70,000 व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में 6,70,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और भविष्य में इस संख्या

(श्री परसराम मदेरणा)
में लगातार वृद्धि की जाने की नीति है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के अकाल से प्रभावित लोगों को अपने जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने की शक्ति उपलब्ध हो सके।

महंगाई एक देशव्यापी समस्या है जिसके लिए केवल राजस्थान सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। खाद्यान्नों की कमी की अवस्था में बिचौलियों व असामाजिक तत्वों द्वारा जमाखोरी व तस्करी के फलस्वरूप स्थिति का नाजायज फायदा उठाया जाता है उसे सदैव के लिए समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार ने आगामी रबी की फसल से गहूं का थोक व्यापार व खरीफ की फसल से चावल का थोक व्यापार सार्वजनिक क्षेत्र में लेने का निर्णय लिया है जिसकी क्रियान्विति करने के लिए सभी प्रकार के कानूनी, प्रशासनिक एवं ओपरेशनल मेजर्स राज्य सरकार अत्यन्त सतर्कता के साथ ले रही है ताकि खाद्यान्नों के मार्केटेड सरप्लस पर सरकार का कारगर नियंत्रण हो सके, साथ ही उत्पादक को उसकी उपज की रेमुनरेटिव कीमत मिल सके व उपभोक्ताओं को उनमें भी खासतौर से आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोगों को उचित मूल्यों पर पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्षजी, आपने माननीय मन्त्री महोदय को मैदा वितरण के बारे में कहा था, उसके बारे में स्टेटमेंट दे दें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार पहले रोलर फ्लोर मिल्स को 9 हजार टन गेहूं अलॉट करती थी जो भारत सरकार हमें उपलब्ध कराती थी और उसके अनुसार हम उनको गेहूं देते थे। हम नवम्बर माह तक उनको यह देते रहे, अक्टूबर तक तो करीब 9 हजार टन दिये और नवम्बर माह में 3 हजार टन दिये। लेकिन पिछले तीन माह से दिसम्बर, 1972 और जनवरी और फरवरी, 1973 के अन्दर, जो कुछ गेहूं की मात्रा उपलब्ध हो रही है वह इतनी कम है कि हम उपभोक्ताओं को भी निर्धारित स्केल के अनुसार नहीं दे पा रहे हैं। भारत सरकार के सामने भी यह समस्या है और जब तक हमें गेहूं उपलब्ध नहीं हो पाता, राज्य सरकार के सामने डिफीकल्टी रहेगी इन फ्लोर मिल्स को गेहूं देने की। हमने भारत सरकार को लिखा है कि इस डिफीकल्टी को ओवरकम करने के लिये हमको जो वह गेहूं साधारण तौर से दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ गेहूं इन रोलर फ्लोर मिल्स को रॉ-मेटीरियल के लिये भी दें, क्योंकि यह फ्लोर मिल्स जो सूजी और मैदा पैदा करती हैं उनका रॉ-मेटीरियल गेहूं है। और वहां का बना हुआ मैदा डबल रोटी और बिस्किट आदि बनाने के काम आता है। जब भारत सरकार गेहूं देने की स्थिति में नहीं हुई तो जो कुछ भी स्टाक फ्लोर मिल्स के पास था उसमें कमी आई। हम भारत सरकार को लिख रहे हैं कि जो कुछ स्टॉक 27 हजार टन उन्होंने दिया है, उसमें बढ़ोत्तरी की जाये ताकि हम इन मिलों को दे सकें जिससे वह मैदा बनाकर इन छोटी छोटी बेकरी वालों को दे सकें। हमारी छोटी छोटी बेकरी वालों से सिम्पेथी है, लेकिन एक ओर तो राज्य में उपभोक्ताओं को शहर में चाहे गांवों में अकाल की स्थिति की वजह से अनाज नहीं मिल रहा है, उस हालत में बेकरी और दूसरे व्यवसायों के लिये रामेटीरियल मिलने की समस्या रहेगी ही। अध्यक्ष महोदय, अनाज के मुकाबले में यह चीजें, डबल रोटी और बिस्कुट,

(श्री परसराम मदेरणा)

लग्जरी आइटम्स हैं। आज की स्थिति में राज्य सरकार लग्जुरी को एफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिये राज्य सरकार ने इसके प्रॉस और कॉन्स को सोचकर यह निर्णय लिया था कि अभी जो गेहूं भारत सरकार से एलॉट हो रहा है वह थोड़ा है और जब तक हम इस डिफीकल्टी को टाइड ओवर नहीं कर सकें और कुछ ज्यादा अनाज उपलब्ध नहीं हो जाय, तब तक हम उनको कोटा देने में असमर्थ हैं। फिर भी मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हम भारत सरकार से फिर निवेदन करेंगे कि कुछ एडीशनल गेंहूं इन फ्लोर मिल्स के रॉ-मेटीरियल के लिये दिया जाय ताकि वह अपना प्रोडक्शन चालू रखें और फिर मैदे और सूजी पर निर्भर जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, वह भी कुछ बन सकें।

वर्तमान में हमने यह आदेश दे रखा है कि जो कुछ गेहूं उनके पास बचा हुआ है उससे वह होल मील का आटा ही बनायें क्योंकि आज लोगों के खाने के लिये आटा उपलब्ध कराना ज्यादा जरूरी है। राज्य सरकार के पास जो कुछ भी गेहूं का कोटा उपलब्ध हुआ है वह कम मात्रा में है। हम दुबारा भारत सरकार को लिख रहे हैं कि ऐडिशनल कोटा दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: भारत सरकार को, मन्त्री महोदय लिख रहे हैं यह तो ठीक है, लेकिन तब तक इनको कुछ तो गेंहूं डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि वह लोग बेकार न हों, वर्ना उनका सारा धन्धा चोपट हो जायेगा तो वर्तमान में आप कम से कम एक बोरी, दो बोरी उनको कोटा के अनुसार तो दिलावें। जब तक भारत सरकार से गेहूं आ जायें तब तक आप उनके लिये कुछ व्यवस्था करेंगे या उनको यह कह दीजिये कि जाकर रिक्शा चलाओ। और अगर देना चाहते हैं तो उनको आश्वासन दे दीजिये कुछ तो।

श्री परसराम मदेरणा: देश के तमाम प्रान्तों को अनाज का कोटा आवंटन करने के लिये प्रधान मन्त्री ने एक कमेटी बनाई हुई है वह ही अलॉट करती है। राज्य के अन्दर भी यह जो निर्णय लिया गया है वह मन्त्रिमंडल का निर्णय है। क्योंकि अब सदन में प्रश्न उठाया गया है इसलिये मैं इसको मन्त्री मंडल के सम्मुख रखूंगा कि जो उपभोक्ताओं का कोटा है उसमें से कुछ मिलों को दे सकेंगे या नहीं। इसमें मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार और मन्त्रिमंडल के निर्णय की बात तो वैधानिक बात है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार से आप बात करें या मन्त्रिमंडल यह तय करे, लेकिन वर्तमान में जो बेकरीज बन्द पड़ी हुई हैं, उनको आप कुछ कोटा दे सकेंगे या नहीं। यह सीधा प्रश्न है। आप इसको भारत सरकार और मंत्रिमण्डल का इश्यु बनाकर उनकी समस्या को उलझाना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा: भारत सरकार को निवेदन कर रहे हैं, यह मैंने पूर्व में कहा। उसके बाद में मैंने यह भी कहा कि इस प्रश्न को मन्त्रिमंडल में भी प्रस्तुत कर रहा हूं। यह बात सही है कि जब तक हम उनको गेहूं नहीं देंगे तब तक वह मैदा सूजी नहीं बना पायेंगे जो कि बैकरी वालों का रॉ-मेटीरियल है। अब रॉलर फ्लोर मिल्स को गेहूं दिया जाये या नहीं, यह मन्त्रिमंडल के तय करने का प्रश्न है, और उनके सामने भी मैं यह समस्या रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री लोढ़ा ।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहता था, मंहगाई के बारे में जिस तरह से आपने कार्यवाही करने का राज्य सरकार ने सूचित किया है । क्योंकि प्रदेश में मंहगाई के कारण त्राहि त्राहि मची हुई है । आपने यह कहा है कि धान के राष्ट्रीयकरण के साथ यह समस्या हल हो जायेगी । लेकिन मैं कुछ बात पूछना चाहता हूं । हमको, 160-65 हजार टन की आवश्यकता है । जिससे कि हम 8 किलो प्रति व्यक्ति के अनुसार धान वितरण कर सकें । परन्तु केन्द्रीय सरकार की तरफ से केवल 35 हजार टन दिया जाता है । मतलब यह है कि जितना चाहिए उसका एक-बटा पांच दिया जाता है । मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि धान की ऐसी अवस्था है, बाकी और चीजों के बारे में कटौती की जा सकती है, यह सोचा जा सकता है लेकिन अगर वह उपलब्ध नहीं होता है तो हमारे प्रदेश की क्या स्थिति हो सकती है और अभी क्या हो रही है. यह आशंका की जा सकती है । इसके बारे में आपने जो कहा है कि राज्य सरकार के लिए बराबर प्रयास करने के बावजूद केन्द्रीय सरकार कोटा देने के लिए तैयार नहीं है । इसका मतलब यह है कि प्रधानमन्त्री चाहे जो घोषणाएं करती रहें कि वह प्रदेशों में धान उपलब्ध करा देगी, लेकिन वस्तुतः स्थिति यह है कि धान नहीं मिल रहा है । केवल दो किलो आप दे सकते हैं । 8 किलो बचने का रेशो है । आपका टार्गेट है । इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ? दूसरा यह है कि खाद्य विभाग की ओर से एक प्रयत्न किया गया है । स्थान स्थान पर इस बात के नोटिस भेजे गये हैं कि तहसील हैडक्वार्टर पर धान में मोटा अनाज वनस्पति तेल, और अन्य चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं । मैं माननीय मन्त्री महोदय से से यह भी जानना चाहता हूं कि मैंने धान वितरण करते हुए कहीं नहीं पाया है । खाद्य विभाग का यह नोटिस वितरण किया जा रहा है । क्या आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे या वास्तव में यह कर दिया है और क्रियान्विति नहीं की जा रही है, 'या केवल बताने के लिए कर दिया है ? एक प्रश्न और है कि मंहगाई का प्रश्न इतना गम्भीर है कि सारा प्रदेश आन्दोलित है । माननीय सदस्य यह चाहेंगे कि इस प्रश्न का कोई क्रियात्मक हल करें । आपके इस वक्तव्य से कोई आशा का संचार नहीं हुआ है । मंहगाई खत्म होगी या रहेगी, या क्या होगा ? जिस समय आजादी मिली थी धान 30 पैसे पर क्विन्टल .....

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्विण्टल नहीं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा: मैं क्षमा चाहता हूं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्षमा चाहते हैं..

श्री गुमानमल लोढ़ा: हो जाता है । कोई बात नहीं ।

चना 23 पैसा पर किलो । चाय 6 पैसे में थी अब 30 पैसे, शक्कर 30 पैसे अब 3.95, दूध 65 पैसे था अब 1.60 में मिलता है, वह भी किस प्रकार का है । गुड़ 25 पैसे पर किलो था अब 2 रु० पर किलो मिलना मुश्किल है ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, राईजिंग प्राइसेज के बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय की जैसी आज्ञा ।

एक माननीय सदस्य : यह तो रामायण सुनाने लगे ।

Page No. 45

श्री गुमानमल लोढ़ा : इतनी बड़ी समस्या को सुलझाने के लिये हमें सक्रिय कदम उठाना चाहिए। मजदूरों के लिए डीयरनेस अलाउन्स की व्यवस्था है। आपके वक्तव्य से किसी भी प्रकार की आशा का संचार नहीं हुआ है। राजस्थान में आप मंहगाई कम नहीं कर सके हैं। यदि कम नहीं कर सकते तो एडहॉक अलाउन्स बढ़ा दिया जाये। इसके बारे में खाद्य मंत्री इन बातों के बारे में स्पष्टीकरण करें। ताकि जनता को पता चले कि राज्य सरकार और मन्त्री महोदय मंहगाई पर काबू पाने के लिए कृत-संकल्प हैं। और जो पीड़ित तबका है: किसान, मजदूर, और कर्मचारी जो कि सेलैरी वाले हैं, उनको किस प्रकार से राहत मिलेगी? उनको राहत देने के लिए उनके दिमाग में क्या कल्पना है?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव थ........

श्री अध्यक्ष : वह समाप्त हो चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं थोड़े में कह देता हूं। मेरे दो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, मंहगाई और अकाल राहत के प्रति थे। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि थोड़ा थोड़ा वितरण वह प्रारम्भ कर देंगे तो उनका समाधान हो जायेगा। दूसरे जो मंहगाई की वितरण व्यवस्था है, मंहगाई को आप रोक नहीं सकते हैं। मैं तीन वर्ष के आंकड़े बाद में प्रस्तुत कर दूंगा। वार्ड वाईज जो कुछ भी भारत सरकार या राज्य सरकार राजस्थान की जनता के लिए सामग्री देना चाहते हैं, वह सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जायेगी। मैं मानता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय को यह सुझाव मानने में कोई आपत्ति नहीं है। चीनी सूजी, मैदा, चना भी देंगे। मोटे कपड़े की दुकान राजस्थान में कहां कहां पर खुली है, यह अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। एक किलो से, दो किलो से पेट नहीं भरता है। दूसरे सप्ताह में देना प्रारम्भ करते हैं। दुकानदार कहते हैं, जब कोई जाता है तो उसको यही कह दिया जाता है कि तुम्हारा राशन तो खत्म हो गया। पहले क्यों नहीं आये। दूसरा किलो देने के लिए 28 तारीख को कहते हैं। पिछले महीने में दुकानदारों को कह दिया कि तुम खोलना मत। जो दो किलो मिलना चाहिए वह भी दो किलो भी नहीं मिला। 8 किलो अनाज मिलना चाहिए दो किलो चीनी मिलनी चाहिए। इस जयपुर में 5 जोन थे। लेकिन अब केवल कलेक्टरी में राशन कार्ड मिलता है। अगर कोई राशन कार्ड बनवाने के लिए जाये तो उसको तीन रुपये का स्टाम्प देना पडेगा। डेढ़ रुपया एफिडेविट के अन्दर खर्च करना पड़ेगा, एक रुपया ओथ कमिशनर को देना पड़ेगा, आठ-दस पैसे शरणार्थी सहायता कोष में देने पड़ेगे। इस प्रकार एक आदमी को आठ रुपया खर्च कर देने के बाद कलेक्टरी के महीने में कई चक्कर लगाने के बाद भी चार महीने मे भी राशनकार्ड नहीं मिलता है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कह दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन है कि सरकार द्वारा मंहगाई को रोकने के लिए सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जायं, जो चीजें आप दे सकते हैं उन चीजों को देने की कोशिश करनी चाहिए, वार्ड के हिसाब से दुकान खोली जाय, एक आदमी को आठ किलो अनाज मिले, एक किलो चीनी मिले और मोटा कपड़ा और दूसरी चीजें आप दे सकते हैं वह देना चाहिए।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव) आपने मैदा सूजी देने की घोषणा करदी, लेकिन छः छः महीने हो गये, मैदा सूजी दुकानों पर नहीं आई है। लोगों के यहां विवाह शादी हुई, उनको मैदा सूजी मिलती नहीं है और ब्लैक के अन्दर से पौने तीन रुपये किलो से उनको खरीदनी पड़ती है। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा, जो सरकारी दफ्तर हैं, वहां पर सरकारी कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता भण्डार और सहकारी समितियां खोली जांय। जैसा कि प्रेसीडेन्ट ने कहा है, वी०वी०गिरी ने कि मंहगाई को रोकना है तो मंहगाई को रोकने के लिए सहकारी समिति और उपभोक्ता भण्डार खोले जाने चाहिए। अब मैं कहता हूं कि अनाज के भावों को बढ़ने से आप किस प्रकार रोक सकते हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार अनाज का राष्ट्रीयकरण न करके खुले रूप में व्यापारी के रूप में बाजार में आती है और खेत पर जो भाव है उसी भाव पर बाजार में बेचती है तो सरकार भावों को बढ़ने से रोक सकती है। मेरा निवेदन है कि सरकार को अनाज के व्यापार का राष्ट्रीयकरण नहीं करके खुले रूप में व्यापारी के रूप में बाजार में आकर अनाज के भावों को मेन्टेन करना चाहिए। मैं आपको इसके लिए इतिहास का उदाहरण देता हूं, अलाउद्दीन खिलजी ने जो व्यवस्था की थी, वह यह की थी कि इन इन चीजों के यह भाव होंगे।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेन्ट पर व्याख्यान नहीं होता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं एक मिनिट में खत्म कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपको रियायत के तौर पर मौका दिया था, आप उसका फायदा उठायें, नाजायज फायदा न उठायें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन करता हूं, सरकार खुले रूप में व्यापारी के रूप में आकर बाजार में खाद्यान्नों के भाव मुकर्रर कर दें तो भाव मुकर्रर हो जायेंगे। महंगाई किस प्रकार बढ़ी है, इसके सम्बन्ध में कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं, 1969-70 में गेहूं 90 पैसे था, 1970-71 में 1 रुपया हो गया, 1971-72 में 1.5 हो गया, 1972-73 में 1.50 हो गया। जौ 1970 में 60 पैसे था, 1971 में 75 पैसे हो गया, 1972 में 80 हो गया और 1973 में 1.25 हो गया है।

श्री अध्यक्ष : लोढा साहब फर्मा चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसी प्रकार से बाजरा, 50 था, फिर 65 हो गया, 80 हो गया और फिर 1.25 हो गया। डालडा, 6.25 था, फिर 7.5 हो गया, फिर 6.88 हो गया और उसके बाद 7.5 हो गया, अब और बढ़ गया है शक्कर पहले 2.20 थी, फिर 2.35 हो गई, फिर 3.95 ....

श्री अध्यक्ष : फिगर सबको मालूम हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसी प्रकार उड़द की दाल। दालें भी महंगी हो गई, एक मिनिट माननीय सदस्य.. (शोरगुल) मुझे निवेदन करना है, माननीय सदस्यों से कि आज मंहगाई बढ़ी है और महंगाई को सरकार रोक पाने में पूर्णतया असफल रही है। महंगाई को रोकने के लिए जो व्यवस्था सरकार कर सकती है, वह कर सकती है. वितरण की व्यवस्था में, वार्ड के हिसाब से दुकानें खोली जांय, लोगों को राशन कार्ड मिलें लेकिन वह व्यवस्था नहीं होने के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
कारण आज कोई भी राशन कार्ड में नाम बढ़वाने के लिए जाय तो आठ रुपये खर्च करने के बाद भी कई महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वह नगर परिषद् का सर्टिफिकट लाये और अगर लड़के की शादी हुई है और लड़की बनारस की है तो वहां से नाम का पट्टा लेकर आये, तब ही नाम बढ़ाया जा सकता है। नाम बढ़ाने के लिए एम० एल० ए० का सर्टिफिकेट लेते हैं, आज कलेक्टोरेट में उसकी कद्र भी नहीं की जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार महंगाई को रोकने में पूर्णतया असफल रही है। माननीय मन्त्री महोदय ने महंगाई रोकने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की भी अपने वक्तव्य में घोषणा नहीं की है (समय-समाप्ति सूचक घंटी) वितरण के बारे में, राशन कार्ड की व्यवस्था के बारे में उपभोक्ता भण्डार खोले जाने के बारे में, वार्ड-वाईज दुकानें खोले जाने के बारे में, उपभोक्ता भण्डार सरकारी विभागों में खोले जायें-इसके बारे में विचार करें.........

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: महंगाई के बारे में निवेदन किया है, उस पर आपका उत्तर मिल जाय तो बड़ी कृपा होगी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री मीठालाल (लालसोट): एक एक दो दो प्रश्न करने की इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष: आप (मीठालाल) बोल लें।

श्री पी० के० चौधरी: मैं तीन दफा खड़ा हुआ हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप बोल लें।

श्री पी० के० चौधरी: मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया है प्राइस सिचुएशन के बारे में, मैं चाहता हूं, वह काम्प्रीहेन्सिव हो, कम से कम खाद्यान्न के भाव, अनाज के भाव पर बयान न देकर जो अदर एशेन्सियल कमोडिटीज हैं उनके संबंध में कुछ क्लेरिफिकेशन और स्टेटमेंट आना चाहिए था। दूसरी बात, माननीय मंत्री के स्टेटमेंट से यह जाहिर होता है कि प्राइस सिचुएशन में जो राइज हुआ है, क्योंकि वह आल इंडिया राइज है इसलिये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कुछ करने का संबंध नहीं है ऐसा आभास होता था उससे। दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि प्राइस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार के पास जो कुछ साधन थे, आया राज्य सरकार ने उनको फुल्ली यूटिलाइज कर लिया है? अगर कर लिया है तो यह होर्डेड अनाज कहां से आता है? कम से कम इस राज्य में लोगों के पास होर्डेड अनाज है, या एसेंशियल कॉमोडिटीज होर्डेड हैं, उसे अनअर्थ करने के, बाहर लाने के सारे प्रयास राज्य सरकार के खत्म हो गये हैं या नहीं? वाकई खत्म हो गये हैं और मानते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, सेन्टर जो करेगी, उससे ही प्राइस सिचुएशन ठीक होगी। जो स्टेटमेंट आया है, मैं यह जानना चाहूंगा कि प्राइसेज को कंट्रोल करने के लिए, होर्डिंग को अनअर्थ करने के लिए क्या किया। आपने कहा कि एक हजार केसेज हुए, इट इज नाट एनफ, एक हजार केसेज नहीं, पांच हजार केसेज भी हों-यह बात नहीं, जो कुछ भी हुआ उसका क्या इम्पेक्ट पड़ा? अगर उसका इम्पेक्ट पड़ा होता तो प्राइस जरूर नीचे आती। हम मानते हैं कि

(श्री पी० के० चौधरी) : अनाज इतना कम नहीं है जितनी प्राइस राइज हुई हैं। इतना कम नहीं अनाज, लेकिन अनाज होर्ड अवश्य हुआ है, बाहर आ नहीं रहा है, बाजार में नहीं आ रहा है। बाजार में लाने के लिए जितने प्रयास सरकार को करने चाहिए वह अल्टीमेटली क्या सरकार ने कर लिये हैं या नहीं–यह हम जानना चाहते हैं ?

श्री मीठालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद सत्य है कि किसी भी चीज की कीमत गिराने के लिए उस चीज का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। अभी माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने एक फूड ग्रेन लाइसेन्स के तहत 1973 के अन्दर एक नया नियम निकाला, जिसके द्वारा फूड ग्रेन लाइसेन्स होल्डर के लिए सौ क्विन्टल और पचास क्विन्टल की मात्रा की सीमा बनाई। वह कीमत रोकने के लिए अच्छा कदम था। मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन यह फूड ग्रेन लाइसेन्स के अन्तर्गत चावल मिल आती है, यह फूड ग्रेन लाइसेन्स का नियम उन पर भी लागू होता है। लेकिन चावल मिलों की जो प्रक्रिया है, चावल लेना, कच्चा माल लेना, उसको सुखाना, उसको छांटना–यह प्रक्रिया इस ढंग की होती है कि एक मिल के लिए हजार, पांच सौ क्विन्टल अनाज तो मशीनों में हेर फेर में ही पूरा हो जाता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा, जो मंत्रिमण्डल की मीटिंग हो रही है, उसमें इसमें संशोधन करके इस फूड ग्रेन लाइसेन्स के नियम से चावल मिलों को निकाला जाय, क्योंकि राजस्थान के अंदर इस नियम के अन्तर्गत प्रायः अधिकांश मिल आती हैं, उन पर यह लागू है। इस कारण उनका उत्पादन बन्द है, कच्चा माल पड़ा हुआ है व्यापारी के पास लेकिन कच्चा माल इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि इस नियम के अन्तर्गत आ जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, कीमत रोकने के लिए अभी राशन व्यवस्था को ठीक करने की बात का भार्गव साहब उल्लेख कर रहे थे। मैं निवेदन करता हूं कि जयपुर जैसे क्षेत्र में जो राजपत्रित अधिकारी हैं, पांच सौ वेतन पाने वाले अधिकारी हैं, और जो आय कर देते हैं उनको किसी प्रकार की राशन व्यवस्था में फेसिलिटी नहीं दी जाय।

मेरा तीसरा सुझाव है कि जो आपने टैक्स लगा रखे हैं, उसके कारण भाव बढ़े हैं। एक महीने में अधिक से अधिक आप इस-व्यापार को हाथ में ले लें, जब नई फसल आ जाय तो व्यापार हाथ में ले लेंगे। इस-लिए मेरा निवेदन है कि जो टैक्स लगा रखे हैं उनको हटा दें। मैं समझता हूं इससे सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरे जो कीमतों को बढ़ाने के लिए दोष देते हैं, लेकिन जो सरकार का उत्पादन शुल्क है उससे भाव भी बढ़ रहे हैं। भार्गव साहब ने और चीजों के भावों का उल्लेख किया कि इतनी कीमत बढ़ी है। मैं चीनी का बताना चाहता हूं, 1967-1968 में उत्पादन शुल्क उस समय 24 थे, फिर 1968-69 में 28 हुए, 1969-70 में 34 रुपये हो गये, 1970-71 में 50 हुए और अब चीनी मिल उत्पादन करती हैं उस पर 65 और 80 है...

श्री श्रीराम गोटेवाला : चीनी का नहीं है।

श्री मीठालाल : 65 और 85 उत्पादन शुल्क चला जाता है। इस तरह केवल व्यापारी ही दोषी नहीं है। चौधरी साहब ने कहा, व्यापारी माल नहीं निकाल रहे हैं। क्योंकि 15 दिन में नई फसल आएगी, सरकार व्यापार अपने हाथ में ले रही है, हर व्यापारी

(श्री मीठालाल)
चाहता हूँ कि चाहे दो रुपये में बिक जाए लेकिन बिक जाए। व्यापारी के पास कोई माल नहीं या किसान के पास है या खुली मंडियों में है। व्यापारी का दोष नहीं है। माल की बिक्री के लिये हमने सुझाव दिए हैं राशन व्यवस्था के बारे में भी, आशा है, सरकार ध्यान देगी।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को कुछ और समय दे सकता हूं, बशर्ते वे थोड़े समय में ही अपना स्पष्टीकरण दे दें।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ अब तक महंगाई रोकने के लिए कदम उठाए हैं उस सम्बन्ध में उन्होंने जो अध्यादेश निकाला है कि डीलर्स व प्रोड्यूसर्स अपना स्टॉक डिक्लेयर करें, उस बारे में अब तक कितने लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है जो कुछ भी स्टॉक्स वगैरह उनके पास हैं। और दूसरी बात मैं अकाल राहत मन्त्री से जानना चाहता हूं कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमें 8 किलो महीने में गेहूं चाहिए और एक किलो चीनी चाहिए जबकि उन क्षेत्रों में जहां 250 ग्राम चीनी एक भी व्यक्ति को प्रति माह व एक किलो गेहूं या दूसरी चीज नियमित रूप से नहीं दे सकते। इस पक्षपात को वरतने के बावजूद भी क्या जयपुर शहर वाले चाहते हैं कि 8 किलो गेहूं व एक किलो चीनी प्रतिमाह उनको मिले।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 8 किलो व एक किलो सम्पूर्ण राजस्थान वालों को मिले, यही मैंने कहा है।

श्री फूलचन्द जैन : 250 ग्राम चीनी व एक किलो गेहूं प्रति व्यक्ति बहुत सारे हिस्सों में मिल रहा है, जबकि आप 8 किलो व एक किलो की बात कर रहे हैं, क्या यह पक्षपात नहीं है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सबको मिले चाहे गांव वाले हों, चाहे शहर वाले।

श्री अध्यक्ष : हर माननीय सदस्य की बात का उत्तर दिया जाए, यह मुनासिब नहीं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : प्राइस स्पायरल के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया, मान्यवर हम मानते हैं कि यह आल इंडिया इश्यू है। लेकिन मन्त्री महोदय विद्वान् हैं इस बात में उनके लिए केवल यह कहना कि फेमिन व ड्राॅट का असर है, काफी नहीं है। इन्फ्लैशन डेफिसिट फाइनेन्सिग व अन्प्रोडक्टिव एक्सपेन्डीचर से हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कोप नहीं करती है। जो गलत आंकड़े बफरस्टाक के नाम पर दिए हैं, जितना होर्डेड स्टॉक है उसके नाम से, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि जो मेजर्स आपने उठाए हैं, जिला स्तर पर प्राइस कन्ट्रोल कमेटियां बनाई हैं, अगर वे विजीलेन्ट हो जायें तो इन मेजर्स का असर होगा। आप सोचें कि आफीशियल्स के भरोसे प्राइस कन्ट्रोल हो जाएगा, वह नहीं होगा। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा हमारे पास है। वहां गेहूं 115-116) क्विन्टल में बिक रहा है जबकि यहां 145-150) में बिक रहा है। जो सेंट्रल खरीफ इमरजेन्सी प्रोडक्शन प्रोग्राम बनाया था, कितना पैसा आप यूटीलाइज कर पाए, असर हुआ उसका ?

तीसरी, बात जब तक परचेजिंग कैपेसिटी

(श्री केदारनाथ)

नहीं बढ़ती जैसे सिर्फ आपने 6 लाख लोगों को रोजगार दिया है अकाल में बाकी जो अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्पलायमेंट है, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी के लिए क्या कर रहे हैं ? केवल 6 लाख आदमियों को रोजगार देकर आप समझते हैं कि 90 पैसे से उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, प्राईस कन्ट्रोल हो जाएगा? यह गलत पिक्चर आप दे रहे हैं। गंग कैनाल भाखरा कैनाल में पानी है, अनाज पैदा होता है, वहां का मजदूर वैसे का वैसा है जैसे फैमिन के इलाके में है। इसलिये गंग कैनाल, भाखरा कैनाल सारे राजस्थान को फैमिन एफेक्टेड एरिया मानकर वैसे ही डीम किया जाए फेयर प्राईसेज शॉप्स के लिए। जब तक नॉन-स्टॉप सप्लाईज सेंटर आपको नहीं देता तब तक प्राईसेज पर कन्ट्रोल आप नहीं कर पायेंगे। इसलिये आपकी एम०पीज० की लॉबी है जो हमारे मन्त्री केन्द्र में हैं, वहां खुद मुख्यमन्त्री जाकर अगर कोटा नहीं बढवाते, जिला कमेटियां विजीलेन्ट नहीं होती तब तक होर्डेड स्टॉक्स को निकाल नहीं पायेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : मन्त्री महोदय ने जो भावों की वृद्धि के बारे में अपना वक्तव्य दिया है उससे मुझको निराशा हुई, केवल वक्तव्यों से भावों पर नियन्त्रण नहीं हो सकता। यह असाधारण खाद्यान्नों के भावों में वृद्धि हुई, वह कई कारणों से हुई है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केन्द्र सरकार हो, आपने आर्थिक मोर्चे पर होने वाली असफलताओं को छिपाकर केवल वक्तव्य दे दिया कि इस प्रकार की सिचूएशन है और ऐसा किया गया, वह मैं नहीं समझता कि भावों पर नियंत्रण हुआ है या खाद्यान्नों के भावों में कोई कमी हुई है। सही माइने में देखा जाए कि उत्पादन में हमारी वृद्धि क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहां पहुंच गया है ? मौजूदा जो हमारा ग्रोथ है वह कम होकर 1.5 पर पहुंच गया है। विकास की दर, कृषि की दर सब आर्थिक मोर्चे पर असफल हैं। कोई ठोस सुझाव यदि हमारे मन्त्री महोदय देते, कि इस प्रकार की व्यवस्था करने से रोक सकते हैं तो रोका जा सकता है। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि उदयपुर जिले में 18 लाख की जनसंख्या के वहां दो ढाई हजार दुकानों पर अनाज मिले, इस प्रकार का धान शहर के अन्दर मिलता है, गांवों को धान नहीं मिलता है, भूख से मरने के समाचार आते हैं। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया तो भुखमरी के और समाचार आयेंगे। मन्त्री महोदय इस प्रकार की व्यवस्था करें कि यहां जितनी पापुलेशन है उसके हिसाब से पशुओं की भी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन उसको छोड़ कर कम से कम हमारे मानव नहीं मरें। तो पापुलेशन के हिसाब से वहां उचित वितरण की व्यवस्था की जाए।

मैं ठीक नहीं समझता कि यदि फुडग्रेन्स को टेकओवर कर लिया, यह एकाधिकार की वृत्ति चाहे पूंजिपति के पास हो चाहे सरकार के पास हो, कभी जनता को राहत नहीं दे सकती। सरकार भी एक कम्पीटीटर के नाते मार्केट में आ जाए तो धान सस्ता हो सकता है। भावों के बारे में सरकार की ओर से ठोस कदम हों, कोई आदेश हों कि इससे ज्यादा भाव पर बेच नहीं सकते, इस प्रकार का कोई कदम हो तो विचार किया जा सकता है। केवल यह कहना कि यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं, वह दिन दूर नहीं कि आज जो धान का भाव 150 है उसके बजाए आने वाले दिनों में अगली फसल से पहले 200) तक यह भाव चला जाए और राज्य सरकार इस विषय में असावधान रह जाए।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंहगाई के बारे में चिंता होना स्वाभाविक है और यह सही है कि इस समय जिस प्रकार मंगाई है, गेहूं का भाव 150) 160) है। लेकिन यह कहना कि हम इस मोर्चे पर विफल हो गए हैं, लोग भूख से मरे हैं और उदयपुर के माननीय सदस्य शायद अखबारों में यही समाचार ढूंढते रहते हैं लेकिन इस बात के लिए सरकार कोशिश करती रही है हर प्रकार से इस महंगाई का मुकाबला करने की।

आज, अध्यक्ष महोदय, जो अन्न की समस्या है, जो मंहगाई की समस्या है उसका एक कारण यह भी है कि जो चीज हमारे पास है उसकी वितरण की व्यवस्था ढंग से होनी चाहिए वह नहीं हो रही है। मैं आपको जयपुर शहर का उदाहरण दूं कि यहां पर राशन की दुकानों पर अनाज वितरण किया जाता है वहां भीड़ की भीड़ खड़ी रहती है। कारण यह है कि कई शॉप्स को बन्द कर दिया गया है। मैं यह नहीं कहता कि जिन लोगों ने अपराध किया है उन्हें माफ कर दे उन्हें वापिस दुकानें राशन की दे दे। लेकिन जो दुकानें पहले योंही बन्द हो गयी थीं उन्हें तो वापिस खोलने की इजाजत मिलनी चाहिए। आज आपके यहां राशन की दुकानों के ऊपर दो किलो ग्राम अनाज के लिये दुकानें थोड़ी होने की वजह से लोगों को घन्टों खड़ा रहना पड़ता है। चूंकि राशन की दुकानों पर जहां अनाज मिलता है वहां पर ही चीनी वितरण की जा रही है। और यह भी एक कारण है भीड़ इक्ट्ठी होने का इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन दुकानों को कैन्सिल किया गया था उन्हें वापिस चलवाने के आदेश दिलवाने की व्यवस्था करावें। इसी प्रकार मैं आपसे कोयले की दुकानों के बारे में कहूंगा कि वहां पर लोगों की एक दुकान पर दो हजार आदमियों की क्यू लगी रहती है तो मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दिलावें। मेरी ऐसी मान्यता है, अध्यक्ष महोदय, कि यह संकटकालीन स्थिति एक महीने तक रहेगी। फिर बाद में मैं समझता हूं कि स्थिति में फर्क आयेगा। अब राज्य सरकार ग्रेन के व्यापार को हाथ में ले रही है। इसलिये इस ग्रेन ट्रेड में हमें देख कर काम करना है। इधर विरोधी पक्ष वाले ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं कि गेहूं का व्यापार अगर राज्य सरकार हाथ में ले लेगी तो जनता परेशान हो जायेगी, और काश्तकार इनकी बातों पर चला गया तो मैं समझता हूं कि आने वाले दो महीने के बाद गेहूं का भाव 150 रुपये से बढ़ कर 200 रुपये क्विन्टल हो जायेगा। इसलिये मेरी यह राज्य सरकार के खाद्य मन्त्री महोदय से प्रार्थना है कि दैनिक उपयोग की चीजों के लिये वितरण व्यवस्था ठीक हो ऐसी व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (पाली) : अध्यक्ष महोदय, अभी इस सदन में अनाज और महंगाई के बारे में चर्चा चल रही है। मैं समझता हूं कि किसी भी चीज की कीमत तब ज्यादा बढ़ेगी जब कि उसकी सप्लाई कम होगी। आज चूंकि अनाज की सप्लाई बाजार में कम है और डिमान्ड ज्यादा है इसलिये महंगाई बढ़ रही है। इसके अलावा यह भी बात है कि आप अनाज को प्रोक्योर कितना कर सकते हैं। अगर आप प्रक्योरमेंट अनाज का चाहे वह कम है ठीक तरह से करके उसका वितरण सही ढंग से करते हैं तो काफी समस्या हल हो सकती है। लेकिन अगर सप्लाई कम हो वह बात दूसरी है। मैं आपको पाली जिले का उदाहरण देना चाहता हूं वहां

(श्री शंकरलाल)

कलेक्टर ने बताया कि गांवों से अनाज प्रोक्योर किया जा सकता है और वहां से अनाज लेकर बाजार में बिकवाया जाय तो ठीक रहता है। अभी कुछ दिनों पहले, अध्यक्ष महोदय पाली जिले में मक्का के भाव 140 रुपये तक चले गये। तब कलेक्टर ने पाली तहसील के गांवों से अनाज प्रोक्योर करके बाजार में बिकवाये। अगर ऐसी व्यवस्था की जाय तो स्थिति का हम मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर ठीक तरह से वितरण नहीं की गयी तो स्थिति बिगड़ जायेगी। इधर, अध्यक्ष महोदय, अकाल पड़ा हुआ है और अनाज की वितरण व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में जहां मजदूर काम कर रहे हैं वहां स्थिति और खराब हो जायेगी। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अनाज की वितरण व्यवस्था में सुधार होना चाहिये। जो वितरण व्यवस्था है वह अच्छी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि जिला स्तर पर कमेटियां बनायी जायेगी और उन जिला स्तर की कमेटियों में एम० एल० एज० सदस्य होंगे। अध्यक्ष महोदय, जिला स्तर पर एम०एल० एज० को उन कमेटियों का मेम्बर भी बनाया गया था, लेकिन आज तक उन कमेटियों का कोई उपयोग नहीं हुआ। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अब इन कमेटियों को यह काम दिया जाय कि जो अनाज एक पर्टीक्यूलर जिले के लिये वितरण होना हो उसका वह एम० एल० ए० मेम्बर होना चाहिये और उस कमेटी के कहे अनुसार वितरण व्यवस्था हो तो काफी समस्या सुधर सकती है। यह मैं मानता हूं कि आप केन्द्रीय सरकार से अनाज ला रहे हैं और राज्य स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन जब तक आपको अनाज ऐवेलेबल नहीं होता है तब तक आपको शहरों और गांवों में अनाज की वितरण व्यवस्था किस प्रकार ठीक हो सके ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये यह ध्यान में रखने की बात हैं।

श्री अध्यक्ष : सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव।

(एक साथ तीन चार सदस्य बोलने खड़े होने पर अश्रव्य)

लेडीज फर्स्ट। सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर): अध्यक्ष, महोदय अभी इस सदन में अनाज और महंगाई की समस्याओं को लेकर विभिन्न प्रकार से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। मेरे यह नहीं समझ में आ रहा है कि सदन के माननीय सदस्य जो कि जनसंघ के हैं वह यह कैसे चाहते हैं कि बेकरी वालो को कोटा दिया जाय मैदा वगैरह का। आज एक तरफ तो सदन में यह कहा जाता है कि लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं है दूसरी तरफ यह स्थिति सदन में माननीय सदस्य पैदा कर रहे हैं कि बेकरी वालों को मैदा दिया जाय। क्या लोगों को खाने के लिए अनाज देना अनिवाय है या बेकरी वालों को मैदा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : तो फिर वे सब लोग बेकार हो जायेंगे।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : वह ठीक है। लेकिन क्या राज्य सरकार उन्हीं मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें तो क्या यह वे आश्वासन देने को तयार हैं कि वे जो कोटा उन्हें मिलेगा उसका ब्लेक नहीं करेंगे?

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)
क्या वे डबल रोटी का ब्लेक नहीं करेंगे ? उनको ब्लेक के भाव में नहीं बेचेंगे ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : नहीं बेचेंगे ।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : जहां आज आप इस सदन में बैठकर शहर में अनाज की कमी और अनाज की वितरण व्यवस्था के बारे में बातचीत कर रहे हैं वहां आपने क्या गांव वाले लोगों की हालत देखी है ? जहां गांवों में अनाज पैदा होता है वहीं अनाज की कमी है। क्या राज्य सरकार उनके लिये उचित व्यवस्था कर रही है ? आज देश में और हमारे राज्य में भी राज्य सरकार इतनी बड़ी बड़ी घोषणायें करती है कि हम कृषि के लिये यह कर रहे हैं और हमने कृषि में काफी प्रगति करली है ....

श्री अध्यक्ष : थोड़े में ही, समय कम है । थोड़े में कहें ।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : आज विरोधी पक्ष वाले सदन में और बाहर जो भी बात हो उसके लिये सरकार के मत्थे मांडना चाहते हैं । आज वर्षा नहीं हुई तो सरकार का दोष, आज बाढ़ आगयी तो सरकार का दोष । तो जो बातें प्रकृति के प्रकोप से होती हैं उसमें सरकार क्या कर सकती है ? मैं विरोधी पक्ष वालों से और इस तरफ वालों से यह निवेदन करना चाहती हूं कि ऐसी समस्याओं के हल के लिये हम मिलकर बैठकर विचार करना चाहिये, और उसमें सरकार को भी सहयोग देना चाहिये। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारियों की स्थिति महंगाई के कारण बहुत खराब हो रही है तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या राजस्थान की जनता में सिर्फ ढाई लाख कर्मचारी ही हैं और दूसरी जनता नहीं है? इनके अलावा भी जनता है जिनके बारे में हमें विचार करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, यह वह जनता है जोकि न तो आन्दोलन कर सकती है और न विधान सभा के दरवाजे के सामने आ सकती है। तो मैं यह कहना चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय, आप के मारफत मंत्री महोदय को कि इसमें विरोधी दलों का भी सहयोग हम लोग लें तो और कुछ ऐसे सुझाव दिये जायें जिससे कि जनता को राहत मिले ।

(कई सदस्य एक साथ बोलने खड़े होने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : जनरल डिबेट नहीं चलेगी। क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण बिल इस सदन में आ रहा है । श्री रोशनलाल ।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत अकाल मंत्री जी का ध्यान उदयपुर जिले के बारे में आकर्षित करना चाहूंगा । आज वहां की स्थिति बहुत खराब है । अकाल ग्रस्त ऐरिया है । और वहां पर कुछ अकाल राहत कार्य भी चल रहे हैं । वहां पर लोगों को जो मजदूरी दी जा रही है वह इस ढंग से दी जा रही है कि जितना काम करो उतने पैसे लेजावो । अध्यक्ष महोदय, उन लोगों को जो मजदूरी मिलती है वह बिलकुल ही नहीं के बराबर है । इसके अलावा आप उन्हें नाज जो देते हैं वह 3 किलो मक्का प्रति व्यक्ति देते हैं। और वह भी वहां पर पूरा नहीं पहुंचता है । अध्यक्ष महोदय, जो मजदूर सड़कों पर काम करते हैं, तालाबों पर काम करते हैं उन्हें अगर अनाज की सप्लाई नहीं करें तो कैसे काम चल सकता है? आज बाजार में

[redacted]

(श्री रोशनलाल शर्मा)

मक्का के भाव 135 रुपये क्विन्टल तक पहुंच गया है ऐसे भाव तो, अध्यक्ष महोदय, पिछले अकाल के समय भी नहीं बढ़े थे। तो मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि जो मजदूरी आप दें वह तो आप पूरी दें ताकि वह अपना पेट तो भर सकें। आज आपने घोषणा तो मजदूरी के लिये आदमी के लिये 3 रुपये प्रति दिन और औरत के लिये ढाई रुपये प्रति औरत रखदी, लेकिन उनको वह मजदूरी मिलती नहीं है। मजदूरी पूरी नहीं मिलेगी तो भूखे पेट के मजदूर क्या काम करेगा? तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके मारफत राज्य के अकाल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप लेबर को मजदूरी तो पूरी दो ताकि वह भर पेट अनाज खा सके। अगर आप मजदूरी कम देंगे तो फिर क्या काम करेंगे? आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वहां पर मजदूरों को 1 रुपया पांच पैसा, 85 पैसा दिया जा रहा है। तो फिर मैं समझता हूं कि जब गर्मी के दिन आयेंगे तो उन दिनों में एक तो पहले ही पानी की कमी, दूसरे पेट में अनाज नहीं तो फिर मैं समझता हूं कि आप उन्हें 8 पैसे मजदूरी देंगे। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बारे में वे अपनी राय स्पष्ट करें।

श्री विजयसिंह (मांडल): अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सिर्फ दो मिनट चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप इस पर अमल करेंगे।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जो निवेदन करूंगा उसमें कोई विशेष बात तो होगी नहीं, लेकिन भाव बढ़ने की बात यहां पर कहीं गयी है उसी सम्बन्ध में कहूंगा कि राज्य सरकार इस बारे में प्रयास कर रही है कि महंगाई नहीं बढ़े। इसके लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जब अनाज खलियान से निकलकर काश्तकार के घर में आवे उसी को मूल भाव मानें जाय। जैसे गेहूं जब खलियान से निकल कर आया था उस वक्त 80 रुपये क्विन्टल या 90 रुपये क्विन्टल था और अब 150-155 रु० तक पहुंच गया है जो करीब दुगना है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि उस वक्त के भावों पर नफे की कुछ पर्सेन्टेज फिक्स कर भाव फिक्स कर दें। ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज, रकम का ब्याज और खुदरा होने वाला खर्चा उस भाव में जोड़ दें जिस पर वाजिब मुनाफा भी दे देवें तो आज जो भाव हैं उतने नहीं बढ़ेंगे और मुनाफाखोरी और जमाखोरी की भावना खत्म हो जायगी। आज बाजारों में रिटेलर्स की दुकान पर तख्तियों पर 150 और 155 तक के भाव गेहूं के अंकित हैं क्योंकि वे खुले आम महंगे बेच सकते हैं जब सरकार यह व्यवस्था कर देगी तो कीमत बढने का सवाल नहीं होगा।

श्री झाबरमल सून्डा (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन और हैबिट ऑफ कन्जम्पशन। प्रोडक्शन पर ध्यान ज्यादा देना है। आदतों में भी परिवर्तन करना चाहिये। प्रधान मंत्री इन्दिरा-जी भी कहती हैं कि हमको अपने खाने की हैबिट को बदलना चाहिये। 29 दिन तो भूखे नहीं रहा जा सकता। इसलिये लोगों को अधिक धान देना चाहिये और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये सब्सिडी देनी चाहिये। मार्च और अप्रेल के दो महीने हैं पन्द्रह दिन में सब्जियां लोगों को पहुंचायी जा सकती हैं। कुछ विटामिन्स की गोलियां वितरण करना चाहिये। चन्द्रमा पर लोग जाकर आ सकते हैं तो क्या इस प्रकार की विटामिन्स से भरपूर ऐसी

(श्री झाबरमल सूंडा)
प्रिपेरेशन्स तैयार करके क्या उन मजदूरों में और लोगों में नहीं बांटा जा सकता ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : कुछ विटामिन्स आपके लिये आ जाने चाहिये ।

श्री झाबरमल सूण्डा : 1/5 तो पहले ही अनाज की कटोती कर दी । 1 लाख 65 हजार टन चाहिये और 35 हजार टन ही मिलता है । तो कैसे काम चल सकता है ? ऊपर कमेटी बनी हुई है । उस पर प्रेशर डाल कर ज्यादा अनाज लाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : 1.30 बजे खाद्य मंत्रीजी अपना जवाब देंगे ।

श्री मोहनराज (वाली): अध्यक्ष महोदय, आज अनाज की जो समस्या है वह सब के लिये एक परेशानी का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में जो एफ० सी० आई० के गोडाउन हैं, जो मक्का और गेहूं दुकानों पर मिलता है उसके लिये खाद्य मंत्रीजी से, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस तरह के हैं कि उनकी अच्छी तरह से रोटी भी पकायी नहीं जा सकती है । जब मुझे मक्का की रोटी बनी हुई दिखायी गयी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी हो सकती है । तवे पर आटे की रोटी डालो तो पानी जैसे ऊलिच 2 कर आता हो रोटी के आटे से वैसी हालत थी । गोडाउन से बोरियां भर कर आयीं तो उनको देखा गया तो वास्तव में काला दाना पड़ा हुआ था । उसमें से बदबू आ रही थी । उस आटे की रोटी बनायी जाकर खायी नहीं जा सकती पाली के जिलाधीश कह रहे थे कि उनके पास भेजे हुए गेहूं का उन्होंने नमूना भेजा । एफ. सी. आई. के गोदामों में माल आया । अच्छी हालत में खरीदा और बाद में बदल दिया गया । इसलिये इसकी अच्छी प्रकार से जांच होनी चाहिये और दोषी लोगों को सख्त दंण्ड देना चाहिये । साथ ही लोगों को सड़ागला अनाज न दिया जाकर अच्छा अनाज दिलाया जाना चाहिये । मजदूर जो दिन भर मजदूरी करते हैं उनको भी अच्छा अनाज देकर उनको दिन भर मजदूरी करने के योग्य तो वे रहें इस प्रकार की व्यवस्था शीघ्र होना चाहिये । जो गेहूं दिया गया है वह भी बिलकुल रद्दी है ।

अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में आधे मिनिट में ही जो मुख्य समस्या है वह निवेदन करूंगा। जिस कीमत पर आज अनाज मिल रहा है उस पर साधारण लोग नहीं खरीद सकते हैं । पांच जगह पर ऐसी दुकानें खुलायीं कि जहां पर आधी रेट में अनाज दिया जाता है। दो महीने तो वे दुकानें चलायी गयी । आज वह अनाज भी मिलना बन्द हो गया है । इसलिये पांच केन्द्रों के लिये अनाज दिलाया जाय, जो गरीब हैं, अपंग हैं, धन्धे पर नहीं जा सकते हैं उनके लिये धान मुहैया करेंगे और भूखे लोगों को देंगे ।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष निवेदन नहीं करना चाहता। मैं यह अनुभव करता हूं कि राजस्थान सरकार की स्थिति खाद्यान्न के सम्बन्ध में ऐसी है जिसके साथ सहानुभूति है । यह बिलकुल थेंकलेस टास्क है । मंत्री महोदय से उत्तर भी नहीं चाहता । अमुक बातें निवेदन करना चाहूंगा शायद सुझाव के रूप में हों या आलोचना के रूप में हों ।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

एक तो हमारा यह सुझाव है कि स्टेट ट्रेडिंग फूडग्रेन्स का खाद्यान्न का व्यापार सरकार लेती है उसका वितरण कम से कम बराबर हो तो भी समस्या का अमली रूप से हल नहीं निकल सकता है। जिस जिस क्वालिटी का अन्न वितरित करते हैं वह खराब है जैसा माननीय सदस्य कांग्रेस की बेंचों पर बैठे हैं और सुमेरपुर से आये माननीय सदस्य ने चर्चा की खास तौर से आदिवासी क्षेत्र की चर्चा की जो बड़ी दयनीय है। अभी हम मार्च महीने में हैं। अगस्त और सितम्बर में क्या होगा? इस संबंध में मेरा निवेदन हैं कि आप गम्भीरता-पूर्वक सोच कर सुचारु रूप से व्यवस्था करें कि जिससे अन्न वितरण हो वह क्वालिटी और स्टेन्डर्ड का हो। ऐसा अन्न जो पशु और कौए भी नहीं खा सकते आप मनुष्यों को वितरित करते हैं। आपकी जो यह फूड ग्रेन योजना है वह तो एक मंडल-हैडेड योजना है जिसका सिर भी नहीं और पैर भी नहीं।

इन्फ्लेशन में यह अनिवार्य है। आपकी योजनाओं में इन्फ्लेशन नीहित है। उसको आप मिटा नहीं सकते। उसके साथ-साथ सुझाव भी आप नहीं मानेंगे। आप खाद्यान्न का व्यापार अवश्य हाथ लें। आप बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन आपको रीतिनीति और स्वस्थ परम्परा को मानना पड़ेगा। व्यापार भी करो और राज्य भी करो और सब चीज आपके हाथ में आजाये तो एक स्थिति आगे तक कर सकेंगे उससे आगे नहीं। इवोल्युशन के रूप में यह कर सकेंगे। ताबड़तोड़ तरीके से यह नहीं कर सकेंगे। होर्डर्स हैं उनको सख्त से सख्त सजा दें। समाज में रहने का उनको हक नहीं। होर्डर्स को केपिटल पनिशमेंट देकर हैंग करना चाहिये, तो करें। उसके लिये मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। अच्छे व्यापारी हैं, साफ सुथरा अनाज बेचते हैं, छोटी 2 पालों और पहाड़ों में जाकर अन्न का व्यापार करते हैं तो उनको रोक देंगे तो आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है।

इस पर मैं विशेष चर्चा नहीं करना चाहता। लम्बी-चोड़ी दूसरी बात नहींकरना चाहता हूं। मैं तो मक्का और बाजरा के बारे में व्यवस्था कराना चाहता हूं।

मैंने इन सब बातों पर निवेदन किया है। आप राजस्थान को 1 लाख 60-65 हजार टन खाद्यान्न की बात कहते हैं। 1 लाख टन भी आवे तो मैं आपको बधाई दूंगा। उससे भी कोई चीज चल सकती है। 35 हजार टन तो नगण्य है। आखिरकार परिणाम क्या होगा? भूख से मरे या न मरे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं एक भी न मरे। लेकिन यह जो मेरे ख्याल से आप प्रोत्साहन फूड ट्रेड को दे रहे हैं, इससे मेरी असहमति नहीं है, आप करें। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप न करें। पर कम से कम तब तक मक्का, बाजरा और उड़द की दाल को सब्सिडाइज्ड करिये। यह मांडल से आने वाले माननीय सदस्य का भी सुझाव था। आप खलिहान पर ही प्राइस फिक्स कर दीजिये। और फिर अगर वह रेट भी ऊंची पड़ती हो तो उसे सब्सिडाइज्ड करिये। पहले भी तो छोटी खरी जैसी स्टेटें थीं वे भी सब्सिडाइज्ड करती रही थीं। वचन अगर उन्होंने दे दिया तो उसे छः महीने के लिये पूरी तरह से निभाते थे। अपने वचन पर कायम रहते थे। नुकसान होता था तो उसे वे भुगतते थे।

अगर जैसा आप कहते हैं आपकी समाजवादी सरकार वास्तव में है तो यह तो आपका आज

(श्री लक्ष्मणसिंह)

कर्तव्य हो जाता है कि मोटे अनाज और उड़द की दालों की व्यवस्था आप करें और सब्सिडाइज्ड रेट पर व्यवस्था करें। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : खाद्य मंत्रीजी।

एक माननीय सदस्य : लेवी के बारे में भी स्पष्टीकरण दें मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार सदन में रखे। आवश्यक वस्तुओं के भाव बढ़ गये हैं इस पर उन्होंने अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की और कुछ सुझाव भी इस बारे में दिये।

यह भी कहा गया कि स्टेट की पैदावार का रेशो सात पर्सेन्ट से एक पर्सेन्ट रह गया है। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि प्राइसेज के इन्फलेन्शन को कन्ट्रोल करने के लिये राज्य सरकार नियन्त्रण लगावे इसका भी उन्होंने संकेत किया। यह भी कहा गया कि मार्केट में फूडग्रेन्स की प्राइस तेजी से बढ़ती जा रही है। इसको ठीक लेवल पर लाने के लिये राज्य सरकार क्या कर रही है, क्या सोच रही है? इस पर भी चिन्ता व्यक्त की गई कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के अन्दर काफी खामी है। इसे परफेक्ट बनाने के लिये भी स्टेप्स लिये जाने की बात कही है।

फूडग्रेन्स प्रिवेन्शन और होर्डिंग पर सख्ती से अमल करने की बात कही गई।। पाली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उसके बाद में उचित भाव से अन्न बिकवाने की कार्यवाही भी राज्य सरकार करने जा रही है या नहीं?

गेहूं और चावल का थोक व्यापार राज्य सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है, पर इसे सेबोटेज करने के लिये जो फोर्सेज लगी हुई हैं उसके लिये सरकार क्या सोच रही है? जैसे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयपुर से हम दो आते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : किशनपोल बाजार से।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश का 48 पर्सेन्ट केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है। जैसा प्रधान मन्त्री ने लोक सभा में कहा था कि दिसम्बर, 71 की भारत पाक युद्ध के बाद में और उसके दौरान देश की सरकार को भारी खर्चा करना पड़ा और इसके बाद ही जो सारे देश में सूखे का दौर आया उसका भी अन्दाज न भारत सरकार लगा सकी, न हम लोग लगा सके, न कोई लगा सका कि इस लड़ाई के भारी खर्चा करने के बाद सारे देश का दो तिहाई भाग सूखे की चपेट में आ जावेगा और उसका क्या परिणाम होगा, इसका अन्दाज नहीं लगा सकते थे। आप स्वयं जानते हैं कि आज सारे देश का दो तिहाई भाग सूखे से ग्रस्त है। इसमें से राजस्थान में भी जहां हम उत्पादन का सूचकांक सौ मानते थे वहां अधिक से अधिक 55 पर्सेन्ट फूड का है। तो मैं यह सब बात खाद्यान्नों के बारे में कह रहा था। अन्य सदस्य यह भी कह रहे थे कि यह बात तो खाद्यान्नों के बारे में कह रहे हैं, दूसरी कॉमोडिटीज के भावों पर अधिक

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रकाश नहीं डाला गया। देश में टोटल जो स्थिति है उससे यह साफ जाहिर है कि भावों में सभी चीजों में बढ़ोत्तरी होने की सम्भावना है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। भारत सरकार ने लोक सभा और राज्य सभा में जो वक्तव्य दिये हैं उनमें भी इसका उल्लेख किया गया है। 22 तारीख को ये स्टेटमेन्ट दिये गये हैं। इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट रखी गई है।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)
(1.33 म०प०)

इसलिये मेरा निवेदन करना यह है कि जहां तक इनफेल्शनरी टेन्डेन्सी देश में है उसको देखते हुए ब्लेक मनी पर नियन्त्रण करने की बात भी कही गई। यह भी कहा गया कि सौ के नोट और हजार के नोटों को डिमोनिटाईजेशन किया जावे। तो मेरा निवेदन है कि यह मेरे जूरिस्डिक्शन की बात नहीं है। भारत सरकार के जूरिस्डिक्शन की बात है। भारत सरकार के वित्त मंत्रीजी ने जो बजट लोक सभा में कल रखा है उसे आप लोगों ने समाचार पत्रों में और रेडियो पर सुना होगा। मैं भी इसे देख रहा था। मैं यह भी जान रहा था कि राजस्थान में हमारे पास खाद्यान्नों का स्टाक अधिक नहीं है और खाद्यान्नों का स्टाक नहीं होने से सूखे की स्थिति के सन्दर्भ में अगर हम राशन प्रति व्यक्ति आठ किलो देते हैं तो 1॥ लाख टन की हमें आवश्यकता होगी। पर हम यह जानते हैं कि भारत सरकार को यद्यपि हमने अपने यहां की स्थिति के बारे में सभी स्तरों पर बराबर पूरी पूरी जानकारी दी है और हमारी कितनी जरूरत है यह भी अच्छी तरह से समझाया है, पर फिर भी सारे देश की हालत के सन्दर्भ में हमारी मांग रिकग्नाइज्ड करते हुए भी भारत सरकार पूरी नहीं कर सकती। इसलिये हमने 95 हजार टन की मांग की। इसमें भी जैसा आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा थोड़े दिनों पहले भारत सरकार के कृषि मंत्री का वक्तव्य निकला था जिसमें उन्होंने कहा था कि रबी के उत्पादन में भी कुछ कमी है तो इसकी पूर्ति के लिये बाहर से अनाज इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इम्पोर्ट करना शुरू भी हो गया और शुरू होने के बाद माइलो राजस्थान को मिलना शुरू हो गया है और राजस्थान में आ गया है।

मैं निवेदन कर रहा था कि मक्का की जो क्वालिटी आई है वह ठीक नहीं है और ऑर्डिनरी समय होता तो हम यह सोच सकते थे कि इसे लेना या नहीं लेना। उधर पंजाब से जो प्रोक्योर हो रहा था उसमें भी मॉइश्चर था। एवरेज मॉइश्चर 14/15 पर्सेन्ट होना चाहिये, पर इसमें 22 पर्सेन्ट था। खेत से काटने के बाद उसे सुखाने की जरूरत होती है। पर हमारी मांग पर मांग जा रही थी और इसलिये जल्दी में काटने के बाद उसे सुखाने का पूरा समय नहीं मिला और कटने के साथ ही एक के बाद एक थप्पी लगती चली गई और इस तरह से कुछ बदबू भी आने लग गई उसमें। तो उसे भी मजबूरन वक्त को देखते हुए हमें लेना पड़ा। अब मक्का देश में है ही नहीं। हम चाहते तो इसे रिजेक्ट भी कर सकते थे। पर दूसरे राज्य के पास यह था नहीं इसलिये राजस्थान सरकार के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा आल्टरनेटिव नहीं था।

श्री मीठालाल : गेहूं राजस्थान का चला गया वह आपने समय पर रोका क्यों नहीं? भरतपुर से काफी मात्रा में गेहूं

(श्री मीठालाल)
महाराष्ट्र को गया। आपने उसे रोका क्यों नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : फिर खाद्यान्नों के बारे में हमने अभी तक जो स्टेप लिये हैं वह निवेदन कर देना चाहता हूं यह पूछ रहे थे फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य कि लोअर मिडिल क्लास की फूड ग्रेन की आवश्यकता उनकी आमदनी का 55.4 भाग है। उनकी कमाई का इतना बड़ा भाग केवल खाद्यान्नों को जुटाने में खर्च हो जाता है। इस मंहगाई के मारे। तो सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है ? मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि अगले टाइम में राज्य सरकार इस दिशा में ड्रास्टिक स्टेप उठा रही है। यह तै कर लिया है सरकार ने कि तमाम होल सेलर्स जो हैं खाद्यान्नों में राजस्थान में उनको 15/20 दिनों में डिलाइसेन्स करना है ताकि फूड का काम सरकार अपने हाथ में ले सके थोक में। फूड कन्ट्रोल की बात ही नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर पर्टीक्यूलर टाइम देकर 22 तारीख से दस दिन का समय दिया है उन को। अब एक दो दिन बाकी रह गये हैं। एक दो दिन के बाद उपभोक्ताओं को और कन्जूमर्स को स्टाक नहीं बेचते हैं तो राज्य सरकार कदम उठाने जा रही है...

श्री रोशनलाल शर्मा : आप क्या बात कह रहे हो, सलूम्बर में पकड़ा है ?

श्री परसराम मदेरणा : यहां पर जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही प्राइसेज के संबंध में। 1947 के होल सेलर और कन्जूमरों की बात कही 30 पैसे प्रति किलो अनाज मिलता था। माननीय सदस्य इतिहास के पन्ने उलटे हुये थे। सन् 1938 में एक रुपया का 12 सेर अनाज मिलता था। लेकिन मेरा निवेद है है उस समय गेहूं स्टॉक में होते हुये भी लोग भूखों मर गये। अनाज सन् 1938 में और छपने के दूसरे अकाल पड़े एक रुपये का 5-6 सेर अनाज मिलता था, यह रेकार्ड है इसलिये यह कहना कि उस वक्त भाव सस्ते थे लेकिन भाव सस्ते होने बाद भी एक्सप्लॉयटेशन बेहद था।

इसलिये भारत सरकार जो कुछ अनाज दे रही है उसकी बढ़ोत्तरी के लिये हम कर रहे हैं लेकिन एश्योर नहीं कर सकते। 8 किलो राशन हर व्यक्ति को मिल जाय, यह कहना मुश्किल है। गंगानगर जिले को सैकड़ों टन गेहूं दे रहे हैं। मैं जानता हूं तीन जिलों को अच्छी तरह से जानता हूं। 200-250 की इरिगेशन की फेसिलिटीज के भी हैं, इस चीज को भी देखना है। इसलिये मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने सिंगल डिपो खोल रखे हैं। हरियाणा और पंजाब में चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में भी गया था। उन्होंने कुछ कार्यवाही करने की बात कही है। राज्य सरकार और स्टेप्स ले रही है। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि यह पर वितरण के संबंध में एक बात कही गई क्योंकि होल सेल ट्रेड हाथ में लेना है और होलसेल ट्रेड हाथ में लेने के बाद यह जो चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में डिसीजन लिये थे कि यूनिफार्म प्राइस रहेगी थ्रूआऊट ऐरिया, प्रोक्योरमेन्ट की।

अभी तो गेहूं के संबंध में फैसला लेना है। राजस्थान की परिस्थिति भिन्न है। अगर गेहूं चावल का थोक व्यापार हाथ में लिया तो मैं यह भी कहना चाहता हूं राजस्थान का बहुत बड़ा जन समुदाय मोटा अनाज खाता है और यह भी राज्य सरकार के

(श्री परसराम मदेरणा)

विचाराधीन है। यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि होलसेल को एक्टिव नहीं करते हैं जो होलसेलर और रिटेलर की नियुक्ति की है जिसका उल्लेख मैंने वक्तव्य में किया है इसके अलावा होलसेल कन्जूमर कोआपरेटिव स्टोर राजस्थान में 15 हैं। इस साल के आंकड़े मेरे पास नहीं है जिनकी बिक्री 71-72 में एक करोड़ 82 लाख 658 थी।

इसके अलावा भी यहां पर चीनी की कीमत के संबंध में चावल मिलों के संबंध में लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि चावल मिलें है और ये प्रोसेसिंग का काम करती हैं। माननीय सदस्य कल मिले हैं और एक आवेदन-पत्र भी दिया, लेकिन अभी तक मिलों के संबंध में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। केवल प्रोसेसिंग का कहा है वह स्टाक नहीं खरीद रही है और प्रोसेसिंग का काम कर रही है। इस संबंध में राज्य सरकार कोई सख्ती का बर्ताव नहीं करना चाहती है। मिलों का प्रोसेसिंग जारी रहेगा। मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं। इस मामले को मंत्री-मण्डल में ले जा रहा हूं।

यहां पर वितरण की कमी के संबंध में ध्यान आकर्षित किया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वितरण व्यवस्था परफेक्ट है। वितरण व्यवस्था में कमी है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसको कैसे परफेक्ट बनाया और आने वाले समय में राशन कार्ड फिक्टिशस न हो, इसको कैसे कम किया जा सके और सूखे इलाके में पापुलेशन को सरकारी मशीनरी द्वारा आइडेन्टिफाई किया जा सके उसका मिलान किया जा सके। इसके भी मैं वरबल आर्डर तो दे आया हूं। अब राज्य सरकार के आदेश जा रहे हैं। वितरण व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। टेक ओवर करने के बाद कोई सेबोटेज होता है तो राजस्थान सरकार फेल हो जाती है और फेल होती है तो जनता का विश्वास उठ जाता है हम इस संबंध में सभी स्टेप्स ले रहे हैं। आप जानते हैं ये सेबोटेज कर देंगे, राज्य सरकार को ठन्डा करने का इरादा कर रहे हैं......

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपने ठन्डा करने की बात तो कही लेकिन जो अव्यवस्था है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य बीच में नहीं बोलें।

श्री रोशनलाल शर्मा: आपके यहां जो इन्कम टक्स देने वाली जनता ज्यादा है और हमारे यहां की जनता भूखों मर रही है.....

श्री गिरधारी लाल भार्गव :.... आप कह रहे हैं उसको ठन्डा कर देंगे, गरम कर देंगी लेकिन मंहगाई के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(माननीय सदस्य के बराबर बोलते रहने पर अश्रव्य)

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था गिरवा से आने वाले माननीय सदस्य से कटौती की बात की वह कटौती हुई। वह एक

(श्री परसराम मदेरणा)
फरवरी से 15 फरवरी तक टेन परसेंट हुई। इसके बाद 15 फरवरी से रिडक्शन 30 पर्सेन्ट कर दिया गया है। उसका मेजरमेंट आज हुआ होगा।

श्री रोशनलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन किलो अनाज देते है, महिने में तीन किलो अनाज से कहीं मजदूर का पेट भरता है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा: मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को समझता हूं। उदयपुर जिले में आदीवासी भाई हैं और उदयपुर की आबादी देखते हुय तीन या चार टन दे रहा हूं। जैसा उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे एक या दो टन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने एक परिस्थिति रखी है। आप कह रहे हैं 8 किलो दे दीजिये। आप भी जानते हैं राज्य सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है और उस चीज को मैं छिपा भी नहीं रहा हूं। बराबर सदन के सामने स्पष्ट और सत्य बात रख रहा हूं। यह केवल राजनीतिक फायदा उठाने का स्टन्ट है।

इन शब्दों के साथ मैं निवदन करना चाहता हूं राज्य सरकार के मंहगाई के संबंध में अभी तक के लिये गये स्टेप्स है उनमें जो कमी है-वितरण की व्यवस्था की और जो दूसरे मेजर्स है, होल सेल की टेक ओवर करने की, एडमिनिस्ट्रेशन की उसके बाद आपरेशनल की, फाईनेन्स की या अन्य सभी प्रकार की कमियों के लिये कदम उठा रहे हैं। अगले 30 दिन में ऐसी स्थिति में होऊंगा कि जो कदम उठायेंगे उससे सदन को सूचित कर दूंगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले की 8 लाख की पापुलेशन है और उदयपुर जिले की 18 लाख की पापुलेशन है। मेरा यह कहना है कि प्रदेश की पापुलेशन को देखते हुये जो उचित वितरण व्यवस्था है, वह करें।

श्री परसराम मदेरणा: प्रदेश भर में अगर पापुलेशन का रेशो निकालें तो आपको ज्यादा ही मिल रहा होगा, कम नहीं मिल रहा है।

श्री रोशनलाल शर्मा: आप गलत कह रहे हैं। उदयपुर में अनाज दिया उसमें कम ही मिला है।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): माननीय मंत्री महोदय आपके वक्तव्य में आपने कहा था कि हमने 8 किलो के हिसाब से केन्द्रीय सरकार से मांग की थी लेकिन केन्द्रीय सरकार ने 1 लाख 50 हजार टन के स्थान पर 35 हजार टन ही दिया है। मैं केवल यह चाहूंगा कि आप 8 किलो दे सकें, 5 किलो दे सकें, मैं यह नहीं कहता कि कितना दे सकें लेकिन क्या आप आज सदन के अंदर इस बात की घोषणा करेंगे कि मिनिमम 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो जितना भी आप उचित समझें आपके जितने साधन उपलब्ध हैं और केन्द्रीय सरकार से जो आपको प्राप्त होने की आशा है उसके अनुसार राजस्थान की जनता यह जानना चाहती है कि मिनिमम कितना किलो धान उनको प्रतिमाह दे सकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष: (श्री गिरधारीलाल भार्गव के खड़े होने पर) आप तशरीफ रखिये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान को पिछले महीने में

(श्री परसराम मदेरणा)

52 हजार टन अनाज मिला था और इस महीने भारत सरकार द्वारा 47 हजार टन अनाज का फरवरी के महीने में आवटंन हुआ है। यह हम पापुलशन के अनुपात से, प्रायोरिटी और स्केयरसिटी की कन्डीशन्स जैसा कि मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं कुछ क्षेत्रों के अन्दर इसकी इन्टेन्सिटी ज्यादा है और प्रोडक्शन बिलकुल नहीं हुआ है और जिन्सवार गिरदावरी की रिपोर्ट सरकार के सामने है इन सब को देखकर अनाज का आवंटन जिलों को किया जाता है इसलिये आगे 4 किलो, 3 किलो, 2 किलो का सवाल नहीं है। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि जो विधायक जोधपुर जिले के हैं वह रात दिन मुझे तंग कर रहे हैं कि जोधपुर शहर को वितरण ज्यादा किया जा रहा है। वस्तु-स्थिति यह है कि जोधपुर शहर के वितरण की कीमत पर गांव के लोगों को महरूम रखा जा रहा है। जोधपुर को 4 किलो दे रहे हैं लेकिन गांवों में वितरण कम हो रहा है और बराबर इस बात की मांग लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं राजस्थान के संबंध में इतना निवेदन कर सकता हूं कि किसी भी जगह हम बराबर नहीं दे सकते, क्योंकि यहां की कन्डीशंस ही ऐसी हैं। आज अनुपात के हिसाब से लें तो जैसलमेर जिला है वहां की पापुलेशन तो कम है लेकिन ईयर आफटर ईयर फेमिन है इसलिए न वहां कोई रिटेलर है, न मण्डी है और न दूसरी बातें हैं और टोटली वह सप्लाई के ऊपर डिपेण्ड करते हैं इसलिए अनुपात से ज्यादा कोटा पहले भी दिया जाता रहा है और आज भी दिया जा रहा है। उसका एतराज फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य को है, लेकिन क्योंकि जैसलमेर और फलोदी में फर्क है इसलिए ऐसा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जोधपुर जिले की दूसरी तहसीलें हैं उनके मुकाबले में फलोदी को ज्यादा अनाज दिया गया है, इसलिए कि वहां भी ईयर आॅफटर ईयर अकाल है। यह सब डिस्क्रिशन मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर छोड़ दिया है।

पाली से आने वाले माननीय कह रहे थे कि समिति को सक्रिय करने की बात है। उसके आदेश शाम को दे रहा हूं वायरलैस से कि दोनों डिस्ट्रिक्ट कमेटीज एक की जायें। रिलीफ एडवाइजरी कमेटी और फूड के वितरण के संबंध में सलाह देने वाली और सुपरवीजन रखने वाली कमेटी है। इसके लिए कहा कि इस कमेटी को बराबर सक्रिय बनाया जाये इसके संबंध में मैं आदेश दे रहा हूं और मैं समझता हूं कि अगले 15 दिनों में माननीय सदस्य स्वयं महसूस करेंगे कि उनकी रेगुलर मीटिंग मीट हो रही है। हम अनाज उपलब्ध करा रहे हैं। यह राष्ट्रीय संकट भी है और हमारे राजस्थान राज्य के सामने भी एक विषम परिस्थिति है और मैं सदन के माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि आप मेहरबानी कर के वितरण के मामले में क्योंकि अगले दो महीने काफी क्रिटिकल है जब तक कि रबी का अनाज हाथ में नहीं आ जाता है उस समय तक जो भी अनडिजायरेबल एलीमेन्ट्स हैं इनकी कार्यवाहियों को कम करने के लिए आप अपना पूरा सहयोग प्रदान करें।

विधायी कार्य:

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अध्यादेश, 1973 पर परिनियत संकल्प पर वाद-विवाद।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आप तशरीफ रखिये,

(श्री उपाध्यक्ष)

ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज ।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त विधेयक, 1973

सर्व श्री निरंजनाथ आचार्य, केदारनाथ व गिरधारीलाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत परिनियत संकल्पः—

"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 1973 को प्रख्यापित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अध्यादेश, 1973 (अध्यादेश सं० 3 सन् 1973) को अस्वीकार करता है।"

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को मैं एक प्रयास की दिशा में एक कदम मानता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत पहले एक घोषणा की थी कि राजस्थान से भ्रष्टाचार मिटेगा या मैं मिट जाऊंगा, इस दिशा में एक सक्रिय प्रयास है। अब इसका फल क्या निकलेगा इस संबंध में मैं कुछ कहूंगा, चूंकि उस दिशा में यह एक प्रयत्न है — मैं इस बिल का स्वागत भी करता हूं और मुख्य मंत्री जी को इस संबंध में धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने एक कदम उठाया। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के प्रांगण पर कई राजनेता, कई मुख्य मंत्री, मंत्री वर्चस्व और व्यक्तित्व वाले आये और गये। पद के साथ जब तक पद रहता है तब तक गुणों का विवेचन हुआ करता है और पदहीन होने के बाद वही व्यक्तित्व जिसका पहले वर्चस्व समझा जाता था पर्सनलिटी थी वह आदमी तो कायम रहता है अन्यथा राजनीति के साथ जो गुण आते हैं वह उसी तरह से चले जाते हैं उस सम्बन्ध में म निवेदन करना चाहता था। तो मुख्य मंत्रीजी का यह कदम यदि सक्रियता ले सके, जनता की आकांक्षाओं और आशाओं के अनुरूप यदि कदम लिया जा सके साहस के साथ तो सम्भवतः इस सदन में इनकी स्मृतियां अमिट रह सकती हैं। किन्तु मुझे शक है और उस शंका को ही मैं मुख्य मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। यदि उसका निराकरण हो सके तो सम्भवत: यह कदम उनका साहस का कदम हो सके तब तो स्तुत्य हो सकता है लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और मैं एक आपत्ति भी करना चाहता था कि मुख्य मंत्री जी आप इसको पाइलेट नहीं करते तो अच्छा था। हमारी मान्यतायें हैं यहां की और नियमों के अन्तर्गत भी कि जिनकी कोई दिलचस्पी हो प्रश्न के ऊपर वह प्रश्न उनसे नहीं पूछा जाता है। उसी मान्यता के आधार पर मुख्य मंत्री जी आपको नहीं करना चाहिए। इसमें मुख्य मंत्री पद का एग्जम्पशन है आप इसमें दुविधा में पड़ेंगे और आगे चल कर कोई अमेंडमेंट आएगा तो उस वक्त ऐसा लगेगा कि आप अपने को ही बचा रहे हैं। इस संदर्भ में मैं निवेदन कर रहा था कि जो मंत्रीगण हैं, जिनके विरूद्ध यह आरोप कभी सक्रिय हो सकते हैं, उन मंत्रियों में से कोई इसको पायलेट करता तो ज्यादा अच्छा था।

दूसरा प्राईवेट मेम्बर बिल की तरह से ट्रेजरी बैंचेज से आता तो भी बड़ी निष्पक्षता से आता। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं कोई आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि वैसे तो आपके दीदार कई अर्से के बाद यहां होते हैं, और यदि इसी बहाने से दीदार हो जाय....

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री): मैं तो आपके दीदार के लिए आया था ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी कोई मुश्किल हो गई हो, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन जो....

श्री बरकतुल्ला खां : आपके साथ तो वही रिश्ते रहेंगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इसमें जाना नहीं चाहता लेकिन इससे इंस्पिरेशन मिलता है इसलिए मैं कहता हूं कि आप दुविधा में पड़ेंगे इससे.....

श्री दिनेश डांगी : आप भी कभी स्पीकर थे और आज एम०एल०ए०, के पद पर काम करने लगे हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य: कई आए और कई गए और अपना वर्चस्व कायम रखते हुए बाहर सड़कों पर चल रहे हैं इत्मीनान से।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनमें और मुझमें बड़ा फर्क है। मेरे पास कलम है, जबान है, मस्तिष्क है, व्यक्तित्व है, मजबूती है, इसको यहीं छोड़ दीजिए ।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसलिये यह स्तुत्य है । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप जैसा मैंने आपका अभिनंदन इस प्रश्न पर किया । अभिनंदन का तात्पर्य धन्यवाद दिया इस कदम पर तो एक कदम अगर आप और आगे बढ़ जायं तो मुझ को विश्वास है राजस्थान में आप एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे । और यह उदाहरण आपके पहले इस सदन की परम्पराओं में है, इस सदन में उदाहरण प्रस्तुत हुआ है । आपके पहले के मुख्य मंत्री ने भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया जब नाथद्वारा का प्रश्न बहुत ही गम्भीरता से यहां चला तो उन्होंने स्वयं खड़े होकर, शायद मैं गलती पर न होऊं तो यहां खड़े होकर के कहा कि मैं इसकी जांच स्वीकार करता हूं और कमीशन द्वारा वह जांच हुई । उसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि आपके साहस, आपका व्यक्तित्व और आपकी नेकनियति और ईमानदारी में इससे निखार आएगा अगर आप अपने उस प्रोविजो को, एग्जेम्पशन को, मुख्य मंत्री का एग्जेम्पशन, इसमें से निकाल दें । इसे आप अपने प्रश्न पर न लें । आपके खुद के प्रश्न पर शंका न हो, मैं इस प्रश्न पर नहीं जाता, लेकिन यह मुख्य मंत्री का एग्जेम्पशन रख कर भविष्य के लिए आप मुख्य मंत्री को, मुख्य मंत्री के पद को अधिक स्वच्छन्द कर देंगे । आप चादर को साफ़ करना चाहते हैं, लेकिन अगर यह प्रोविजन रह गया तो चादर पर धब्बे रह जायेंगे । इसलिए भविष्य के नाम पर आप इस प्रोविजो को निकाल दें तो अच्छा है ।

यह तो मैंने प्राक्कथन कहा आपको इस बिल का, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका यह यह बिल बहुत अर्से पहले, मेरे खयाल से, तैयार हुआ । उसके बाद तमिलनाडु का एक दृष्टांत सामने आया है । वहां के मुख्य मंत्री करूणानिधि ने यह उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कमीशन के द्वारा जांच करने का बिल इन्ट्रोड्यूस करके । यह उदाहरण प्रस्तुत दिया कि मैं और मेरे मंत्रियों की इस कमीशन के द्वारा जांच हो । मेरा विश्वास है अगर

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

यह कमीशन का उदाहरण जो विरोधी दल की सरकार ने प्रस्तुत किया है कि यदि आपके सम्मुख यह बिल जिस वक्त यह आपका बिल ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था उसके पहले अगर यह आता तो आपसे यह उम्मीद थी कि जो यह एग्जेम्प्शन आपने लिया है मुख्य मंत्री का, वह आप नहीं लेने देते। कॉन्ट्राडिक्ट होगा अगर हम इस बिल में मुख्य मंत्री के पद को विमुक्त करते हैं और इसी राष्ट्र में एक प्रान्त ऐसा भी है कि जो अपने आपको उस जांच के संदर्भ म एक्सपोज करता है, समपण करता है। मैंने यह अपना सुझाव आपके सामने इस तरह से रखा है। मेरा विश्वास है कि आप प्रशासन को शुद्ध करने के संदर्भ में और शंकाओं का समाधान करने के सम्बन्ध में इस प्रश्न पर अपने पद से परे रह कर विचार करेंगे।

दूसरा, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब आप भी उदयपुर में थे बार एसोसियेशन की कांफ्रेंस में प्रेसीडेंट ऑफ इण्डिया ने एक बहुत ही उत्तम सुझाव भी दिया और व्यंग भी किया। उन्होंने यह कहा कि हमारे कानूनों, हमारे बिल्स जो बनते हैं उनके ड्राफ्ट वह गलत बनते हैं। और अंग्रेजों के जमाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेज लोग इसमें बड़े सतर्क थे, सजग थे और उनका ड्राफट बहुत अच्छा बना करता था। इसलिए उन्होंने वकीलों को सुझाव दिया था कि इन बिल्स के सम्बन्ध में जब कभी कोई चीज निकले तो आप लोग इस सम्बन्ध में सुझाव दिया करें, विचार किया करें एक कमेटी के माध्यम से। मैं राष्ट्रपति के उस संकेत के संदर्भ में इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैंने बिल का जहां अभिनन्दन किया वहां मैंने इसे निरस्त करने के लिए क्यों कहा? निरस्त करने के आधार मैं आपके सामने देना चाहता हूं। यह बिल किस पर आधारित है? यह बिल आधारित है आपके लोकपाल और लोकआयुक्त बिल, 1971 और Administrative Reforms Commission on the Problems and Redress of the Citizens' Grievances and Maharashtra Lokayukt Bill. और महाराष्ट्र के लोकपाल और लोक आयक्त एक्ट, 1971 पर मेरा खयाल है इस बिल के प्रारूप को लिखने वाले विभाग ने इन सब को नहीं देखा है। अगर देखा होता तो मेरा विश्वास है कि मैं जो सुझाव दूंगा उसको आप मंजूर करेंगे। कई सुझाव एसे मेटिरियल हैं। उन्होंने इस बारे में जो कुछ किया है उसका प्रारूप हूबहू वैसा ही है। जैसा महाराष्ट्र का बिल है क्लाजेज 13 तक तो हूबहू फुलिस्टॉप, कामा तक की नकल है। फिर आगे एडजस्ट किया है अपनी सुविधा के अनुसार। मुख्य मंत्री की, जनता की आकांक्षाओं के अनुसार नहीं। यह एडजस्टमेंट किया गया है नोकरशाही की आवक्षांओं के अनुसार और यह मैं क्यों कहना चाहता हूं? यह मान लिया गया कि आज राज्य में जनता की शिकायतों के निराकरण करने के लिए कई माध्यम हैं। ग्रीवांसेज का निराकरण किया जाता है किसी अधिकारी, आई० ए० एस० के द्वारा, एन्टी करप्शन का भी एक माध्यम है। एंक्वायरी कमीशन का या जांच कमीशन का भी एक माध्यम है। यह सब माध्यम हैं ग्रीवांसेज को निराकरण करने के। इसके लिए दो शब्द काम में आते हैं सभी में 'Problems and Redress of Citizens' Grievances.'

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

मैं आपका ध्यान उसमें दोनों लोकपाल और लोक आयुक्त का जहां समावेश किया गया इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। यह लोकपाल और लोक आयुक्त का एक्ट, 1971 जो सेंट्रल एक्ट भी बनने जा रहा है उसमें भी, इस पर ज्यादा जोर दिया है रिड्रेस ऑफ सिटिजन्स ग्रीवांसेज पर और महाराष्ट्र ने भी इसी प्रश्न को सामने रखा है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रश्न के दो पहलू हैं एक तो एलीगेशन, दूसरा ग्रीवांसेज।

एलिगेशन का सम्बन्ध है सर्कम्सटान्सेज लीडिंग टू पोलिटिकल करप्शन, उससे एलिगेशन का है। तो आपका यह बिल यहां आप लोक कल्याण की स्थिति रखना चाहते हैं ग्रीवान्सेज का जहां प्रश्न हमने छोड़ दिया है, यों जैसा कि मैंने निवेदन किया कि "ग्रीवान्सेज" कमीशन या पिटीशन कमेटी के माध्यम में भी रिड्रेस होता है। ग्रीवान्सेज दरख्वास्तों के माध्यम से भी रिड्रेस होते हैं और ग्रीवान्सेज के रिड्रेस के लिए पार्लियामेंट्री आधार पर कई तरीके हैं। यहां माननीय सदस्य अपनी शिकायतें एडजर्नमेंट मोशन, कटमोशन्स, शॉर्ट नोटिस क्वेशचन्स, इनके माध्यम से रखकर ग्रीवान्सेज रिड्रेस कराते हैं। तो यह पार्लियामेंट्री माध्यम जो है, यद्यपि रिड्रेस यहां होते हैं यह ग्रीवान्सेज लेकिन यह माध्यम सशक्त नहीं है, यदाकदा कभी कारगर होता है। राज्य का माध्यम राज्य कर्मचारियों से रिड्रेस करने की स्थिति रखता है और जहां राज्य कर्मचारी किसी ग्रीवान्स को रिड्रेस करने के लिए चलता है और उसमें राज्य कर्मचारी इन्वाल्व्ड है तो वहां भाईचारा और फ्रेटरनिटी बहुत व्यापक होती है इस फ्रेटरनिटी से निकल कर निष्पक्षता से काम कर सकें तो मैं शक नहीं करता, लेकिन यह डिपार्टमेन्टेलिज्म है। इसलिये इस प्रावधान में जो मैंने कहा और तीन जो रेफरेन्स का इसमें मने उल्लेख किया इस आधार पर इन ग्रीवान्सेज की परिभाषा बिल में रखें और अलग इसलिये रखें कि इन्डिपेन्डेन्ट जुडिशियरी की एक एजेन्सी होगी जिसके माध्यम से जनता को न्याय मिल सके। परिभाषा इसकी ग्रीवान्सेज की और माल-एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा के साथ महाराष्ट्र के बिल में दी गई है:—

"Means a claim by a person that he sustained injustice, undue hardship in consequence of mal-administration. That means action taken is unreasonable, unjust or indiscriminatory...."

मैं यह अर्ज कर रहा था कि राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने का प्रश्न है कानून के अन्तर्गत नियम बनाने की अवधि 9 साल तक ही है इतना समय बीतने पर भी राज्य सरकार के द्वारा नियम नहीं बने। कई मामलों में 8 साल की अवधि हो गई और नियम नहीं बने।

अब मैं अर्ज कर रहा था ग्रीवान्सेज की डेफिनिशन। इसकी दिक्कत जनता को दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। ये ग्रीवान्सेज मेल-एडमिनिस्ट्रेशन के कारण बढ़ रही है। उनका निराकरण हो सकता है। लेकिन इसकी परिभाषा को नहीं रखने की मन्शा यह है कि या तो अध्ययन नहीं हुआ या अध्ययन हुआ तो ओमीशन इसलिये हुआ कि कहीं एक और एजेन्सी नौकरशाही के माथे पर आकर न बैठ जाय। यह एजेन्सी लोकायुक्त की

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

एजेन्सी है। यह एजेन्सी सशक्त होने वाली है। इस सशक्त एजेन्सी के सामने जनता के प्रश्न जिनको जस्टिस नहीं मिलता है, कोई ज्यादती हुई है, ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो उनको न्याय मिलने लगता है, और न्याय मिलने से नौकरशाही को संताप होता है। इसलिए मेरे यह समझ में नहीं आया कि आपके बिल में सेन्टर और दूसरा महाराष्ट्र का जो एक्ट बन गया है उनके अनुसार इसमें उस प्रावधान का यहां मिस्टीरियसली, मिस्चीवियसली, ओमिशन किया है एलिगेशन की व्याख्या है–

"allegation of corruption against an officer or Minister."

इसलिये मैं आपसे आग्रह करता हूं। इस बिल में अगर आपका ग्रिवान्सेज का प्रश्न नहीं रखा जाता है तो आपके इम बिल, का फोर्स एक बटा चार होगा। जिसका अर्थ यह होगा कि बिल की परिधि में आपके सेक्रेटरीज को ले लीजिये, कर्मचारियों को ले लीजिये अथवा पोलिटिशियन्स को ले लीजिये, लेकिन आम जनता का इससे कोई संबंध नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि आप इस प्रश्न पर जो मैंने आपके सामने रखा है इस पर ध्यान देंगे।

दूसरा मैं यह अर्ज कर रहा था कि अगर महाराष्ट्र के एक्ट को देखा जाय तो उसमें ग्रीवान्सेज के सम्बन्ध में जो प्रावधान है वह बड़ी कान्स्पीकुअसली किया गया है। लोकायुक्त और लोकपाल को यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी शिकायत ग्रीवान्सेज के रूप में इन्जस्टिस, इन्टरफियरेन्स के रूप में आती है और उसका वह जांच करता है तो अपने निर्णय के आधार पर वह राज्य सरकार को रिकमन्डेशन करता है इसके रिड्रेस के लिए मैंने यह निर्णय लिया है। इसका इतने महीने में या इतने दिन में निराकरण करना चाहिए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपके प्रशासन में कोई ऐसी एजेन्सी नहीं है कि वह इस तरह की राहत दे सके। आपके यहां कोई एजेन्सी नहीं है कि वह इतना विश्वास पैदा कर सके। लेकिन जब आप लोकायुक्त की नियुक्ति करने जा रहे हैं, उसके लिए विधेयक पास करने जा रहे हैं तो आम जनता में यह विश्वास पैदा करें इस प्रावधान के द्वारा कि जो हम एजेन्सी क्रियेट कर रहे हैं वह तुम्हारी शिकायतों के संबंध में एन्टरटेन करेगी एप्लीकेशन्स और न्याय देगी, निराकरण करेगी तुम्हारी शिकायतों का।

अब मैं जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि मुझे कोई शिकायत नहीं है कि एग्जेम्पशन चीफ मिनिस्टर का हो, लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब प्रान्त में भू० पू० मुख्य मंत्री श्री कैरों के खिलाफ जो कमीशन मुकर्रर हुआ था और उस कमीशन की, दास कमीशन की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी। उसका एक फिकरा, एक पंक्ति मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उसमें लिखा है "Shadow of the Chief Minister was hovering over the heads of Ministers." इसके ऊपर आप ध्यान दें। दूसरा मैं कहता हूं कि मंत्रियों की ज्वाइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी है। अगर किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही होती है, और वह कार्यवाही भी गवर्नमेंट डिसीजन्स और गवर्नमेंट फाइन्डिग्स के संदर्भ में होती है तो यह बहुत मुश्किल हो जायगा इस ज्वाइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी को इन्डिविजुअल रेस्पान्सिबिलिटी से सेपरेट करना। हमारी मान्यता, पार्लियामेंट्री मान्यताएं हैं, उनकी ज्वाइन्ट

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

रेस्पान्सिबिलिटी के जो सिद्धान्त है उसके विरुद्ध हम यह मुख्य मंत्री के एक्जेम्पशन का प्रावधान रख रहे हैं। और मुख्यतः जैसा कि मैंने आपसे कहा दास कमीशन की रिपोर्ट की मान्यता के अनुसार कोई भी मुख्य मंत्री हो, सशक्त हो तो उसके अधीन दूसरे मंत्री को उसकी बात कहना मुश्किल होता है। इस प्रावधान से आपने मुख्य मंत्रीजी ने अपने को जितना सशक्त किया है उसके लिए तो मैं आपको बधाई देता हूं। और आप सशक्त क्यों हुए हैं? मंत्री के विरुद्ध जब कभी भी कोई आक्षेप लगे तो आप विरक्त हैं, आप अनासक्त हैं, लेकिन जिन पर आरोप लगेगा वह यह नहीं समझेंगे कि आप विरक्त हैं, अनासक्त हैं, इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह समझलें। आपके पास जो बैठे हुए हैं मंत्री महोदय, इस विधेयक के पारित होने के बाद उनकी मानसिक स्थिति, मैं सभी मंत्रियों की नहीं कहता, विकृत होगी। कुछ मिनिस्टर्स और कुछ विवादस्पद व्यक्तियों के संबंध में आप स्क्रीनिंग कर सकेंगे जो विवादस्पद हैं उनके लिए आपके पास में प्रावधान है। यह बहुत अच्छा प्रावधान है, और आप पर प्रेशर लाते हैं कि हमें मंत्री मण्डल में लो तो उसको भी आप स्क्रीनिंग कर सकेंगे। अब कोई यह कहे तो इतनी बड़ी फौज एम० एल० एज० की है अब मंत्री न बनाए इनमें तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कह रहा हूं। आपके लिए नहीं कह रहा हूं। आप तो स्वयं सशक्त हैं मजबूत हैं, लेकिन यह पद जो है यह पद मुख्य मंत्री का इतना सशक्त और ऊंचा हो जायगा कि कहीं हमें यह शंका न होने लगे कि यह कहीं तानाशाही के आसपास तो जुड़ न जाय। इस शक्ति के आधार पर जाने वाले को कह सकेंगे कि थम जाओ, और बैठे हुए को कहा जाय कि चले जाओ या सम्भलकर चलो तो यह सारी लगाम आपके हाथ में आती है। उस दिशा में मैं सोचता हूं कि आपने अपने तरीके का स्क्रीनिंग कर लिया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी इससे सशक्त हुए हैं स्क्रीनिंग के तौर पर इसी दिशा में चलें तो बहुत अच्छा हो। लेकिन इसके साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहता था कि आपने खुले मन से मेरा ख्याल है इसके मजमून को नहीं देखा।

श्री दिनेश डांगी: भूतपूर्व मंत्रियों का भी किया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: मैं भविष्य तो जानता नहीं, वर्तमान का मैं आदमी हूं और मैं भूत हूं और न प्रेत हूं।

यह पांच साल के भ्रष्टाचार को इस विधेयक की सीमा में आपने जो रखा है किन्तु मैंने आपसे कहा कि ग्रिवान्स को अगर इसमें एड किया जाता है तो जनता को राहत मिलती है और एक साल के पहले के ग्रीवान्स को एन्टेरटेन करें ऐसा प्रावधान जोड़ें।

इसी तरह से एलिगशन का 5 साल का प्रावधान सेन्ट्रल के बिल में है। आपने ही पांच साल का रखा है। मुझे एक शंका है। शायद इसमें स्पष्ट हो जायगा कि आपने मिनिस्टर की डेफिनिशन दी है "Includes a member of the Cabinet" आगे चलकर फिर जनरल क्लाजज एक्ट के मुताबिक "Present includes past also" तो मुझको पूर्णतः विश्वास नहीं है कि पांच साल के पहले के जो कुछ भी करपशन के चार्जेज हैं उनकी जांच इसमें हो सकती या नहीं ऐसा मेरा भ्रम है।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

लेकिन उसको स्पष्ट कर देने के लिए मैं चाहता था कि आप मिनिस्टर की व्याख्या ठीक तरह से कर लेते ताकि 5 साल के करपशन इसमें आ जाते। लेकिन मैं इससे एक कदम और आगे जाना चाहता हूं। क्योंकि आप इस विधान सभा में कई रुपों में देखें गये हैं। मैंने भी कई रूप देखे हैं। हम को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, भीखा भाई का डिप्टी मिनिस्टर होने का और आपको भी भीखा भाई का डिप्टी मिनिस्टर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहां की दिवारें बोलने लगे, तो ऐसे भ्रष्टाचार के मामले इस सदन के प्रांगण पर कई उठे हैं। यहां सब इधर बैठने वाले माननीय सदस्य और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि चित्र को साफ रखना चाहते हैं तो पूरा रखो। इसके लिए आप कम से कम 10 साल की अवधि बढ़ा दें तो राजस्थान में जो सक्रियता की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, उसकी प्रशंसा होगी। इसलिए मैं इस सम्बंध में ज्यादा न कह कर यही कहना चाहता हूं कि Tamil Nadu Criminal Misconduct Bill, 1973, यह बिल उससे ज्यादा प्रोग्रेसिव है। इसमें enquiry against C. M., M. L. As. and M. L. Cs.' and imprisonment upto 7 years and fine.

लेकिन इससे एक और बड़ा संकट हो जाता है। लोक आयुक्त और उप-लोक आयुक्त की क्वालिफिकेशन भी है ऐसा लगता है कि यहां शायद छूट गया है। जो काम करेगा वह आदमी लीगली क्वालीफाइड है या नहीं। इसलिये जैसा कि आपने भी अपने वक्तव्य में कहा है चीफ जस्टिस के केडर का या रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो, ऐसा ही कम से कम क्वालिफिकेशन प्रेसक्राईब्ड की जाय। अन्यथा नतीजा क्या होगा,? आप परेशानी में पड़ जायेंगे। लोकायुक्त बनेगा तो लोग समझेंगे कि इसकी नियुक्ति में इम्पार्शियेलिटी आसान है। इसके पद का महत्व जनता में बढ़ेगा इसलिए मैं इन स्थितियों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो संशोधन रखा है, अगर आप ग्रिवनसेज को एड नहीं करते हैं तो इसकी सारी इम्पार्टेन्स चली जाती है। इसलिये मैंने सुझाव दिया था कि इसको फिर से लाया जाय और अभी निरस्त कर दिया जाय। मैंने बुक्स आप के सामने रखी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रो० केदार।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : मान्यवर मैंने जो प्रस्ताव रखा है, उसके पीछे मेरा मतलब यह नहीं है कि इस बिल को डिले किया जाये। डिले करने का नहीं है। न इसके पीछे ऐसा इन्टेंशन है। अगर माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, 15 जनवरी, 1973 को सैशन बुलाकर, हाउस में इस बिल को पेश करते। इस बिल के जरिये से जो आवश्यकता व्यक्त की है कि राजस्थान में ऐसा पद होगा जो 20 साल में पद नहीं हुआ है तो मकसद पूरा हो जाता। डिबेट होती। आपका अभिनन्दन करते। आपको बधाई देते। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल को अध्यादेश के जरिये से नहीं लाना चाहिये था।

मैं यह मानता हूं कि राजस्थान में पिछले 20 साल में करप्शन के मामले हाउस में उठते रहे हैं। हम लोग पब्लिक लाइफ के हाइयेस्ट लेविल के प्रतिनिधि हैं। हमने यहां पर एम०एल०एज० बिकते हुये देखे हैं। रुल आफ लॉ का इस्तेमाल हुआ है। फण्डामेंटल

(श्री केदारनाथ शर्मा)

राइट्स कुचले गये हैं। लोगों को बढ़ने नहीं दिया गया है। ये एलीगेशन्स की तारीफ में नहीं आते हैं। इस प्रकार की बातें यहां पर आती नहीं हैं। राजस्थान सरकार ने 62 में एक कमीशन नियुक्त किया जिसके अध्यक्ष भूत-पूर्व एम०पी० श्री माथुर थे। उस समय यह कहा गया था कि जांच देहात में की जाय जिससे कि लोगों में विश्वास पैदा हो। डेमोक्रेसी क्या शेप लेती है। क्या स्लोगन देते हैं। अगर राजस्थान में ऐसी कोई जांच कायम हो जाती, दो चार मंत्री जिनके खिलाफ आरोप लगे, अन्दर और बाहर काफी चार्ज लगाये गये उनके खिलाफ कुछ होता तो इसका असर कितना पड़ता ? आज 20 साल में लोगों को ऐसा विश्वास होना चाहिये था कि करप्शन समाप्त हो गया है। अगर नया सोशल क्लाइमेट पोलिटिकल लाईफ में देना चाहते हैं तो आप अपने चीफ मिनिस्टर के सवाल पर साईट आफ हो जायं, तो कुछ नहीं, प्राइम मिनिस्टर यह कह दे कि प्राइमाफेसी केस नहीं बनता है, फिर तो कुछ नहीं। मौजूदा कॉन्स्टीटयूशन लिमिट् को बेन करता है। मैं यहां पर हाउस में, जो हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं। मैं उस बारे में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता, लेकिन उनके खिलाफ 120 एम०पीज० लिखकर दे दें और प्राइम मिनिस्टर जो कि बहुत ईमानदार हैं, लेकिन उनका यह कहना कि मैंने मान लिया है, ऐसा नहीं है, वह कहां तक ठीक है? अब हम चाहते हैं कि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम यहां पर मजबूत हो, डेमाक्रेटिक स्प्रिट पैदा हो कामन आदमी के अन्दर डेमोक्रेसी के प्रति विश्वास पैदा हो, चीफ मिनिस्टर के बारे में प्राइम मिनिस्टर को जो फेक्ट दिये हैं वह गलत हों और गलत हुए हैं। इसलिये चीफ मिनिस्टर को इसके एम्बिट और ऑबिट में आना चाहिए। मान्यवर, आपने कुछ कदम उठाये, मैं मानता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन को स्टीम अप करने के लिए, टोन अप करने के लिए कुछ कदम उठाये, मैं मानता हूं कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन को क्लीन करने के लिए कुछ कदम उठाये, मैं मानता हूं और मैं उनकी तारीफ करता हूं। लेकिन फिर वह कदम आगे नहीं चले। कौनसी मजबूरी आगई, कौनसी इनरवाइस आ गई, कौनसा बाहर का प्रेशर आ गया ? मैं नहीं कह सकता। कदम कुछ आगे बढ़े, कुछ ऑफिसर्स को कम्पलसरी रिटायर करके क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए। मैं आपकी तारीफ करता हूं।

इसके बाद, आप इस हाउस में मेम्बर काफी समय से रहे हैं। आप जानते हैं, किन किन मंत्रियों के खिलाफ क्या क्या चार्ज इस असेम्बली में लगाये गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कई लोगों को पार्टी लेवल पर टिकट नहीं दिया गया, कांग्रेस के हाई कमाण्ड ने कहा, यह मिनिस्टर हैं इनकी इन्टेग्रिटी और ऑनेस्टी अब व डाउट नहीं है, यह टिकट पाने के हकदार नहीं हैं, पब्लिक लाईफ में रहने के यह अधिकारी नहीं हैं। आप उन मिनिस्टरों के खिलाफ कोई कमीशन बैठाते और उनके मामलों की एन्क्वायरी कराते, तो मैं मानता कि चीफ मिनिस्टर क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहते हैं, पब्लिक में पोलिटिकल वर्कर के कन्डक्ट को अच्छा करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनकी इन्टेग्रिटी ठीक हो, वह ऑनेस्ट हों। लेकिन आपने वह कदम उठाया नहीं। फिर भी आप यह बिल लाये हैं, तो मैं चाहता हूं कि पिछले पांच दस साल में इस हाउस में जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं एलीगेशन के रूप में, वह सब मामले इस लोकायुक्त के सामने आने चाहिए। नये मामले ही नहीं, वह भी आने चाहिएं। और

(श्री केदारनाथ शर्मा)
इसमें किसी कम्प्लेनेन्ट की ज़रूरत नहीं है। मौजूदा चीफ मिनिस्टर बतौर कम्प्लेनेन्ट कमीशन के सामने पेश हों और असेम्बली की प्रोसीडिंग्स हैं, आपके वक्त की प्रोसीडिंग्स हैं वह उसका आधार बने। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर हम चाहते हैं इस दिशा में आगे बढ़ें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें एम० एल० ए० और एम०पी० को शामिल नहीं किया गया है। आपने कहा है कि एम० एल० ए०, एम०पी० न लोकल बॉडी से सम्बन्ध रखता है, न पंचायत से सम्बन्ध रखता है, न ट्रस्ट से सम्बन्ध रखता है और न कमीशन से सम्बन्ध रखता है। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने एम०एल०ए० और एम०पी० बनने के बाद अगर जमीन को एक्वायर किया है, प्रॉपर्टी एक्युमुलेट की है, बैंक बैलेंस बनाया है तो वह शक पैदा करता है लोगों में, और पब्लिक में बिलीफ पैदा हो गया है, विश्वास पैदा हो गया है कि यह करप्ट आदमी हैं। उनको आप बाहर रख कर यह कदम उठायें तो कैसे आप सोशल क्लाईमेट पैदा कर देंगे, कैसे आप कॉन्फीडेंस पैदा कर देंगे? एम०एल०ए० और एम०पी०, बनने के बाद जिन्होंने जमीन बनायी, प्रॉपर्टी बनायी, तबादले करा लिये, वह क्या थे पहले और अब क्या बन गये-ऐसे लोगों के खिलाफ जो चार्ज और एलीगेशन हैं उन सबके लिए यह हो, नहीं तो राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान में ही नहीं रहेगा पब्लिक कॉन्फीडेन्स। एम० एल० ए० और एम०पी० को इसके बाहर रखें-यह गलत होगा। मैं कहना चाहता हूं कि कोई आदमी किसी ऑफिस में हो, चाहे सरपंच हो, प्रधान हो, प्रमुख हो– उनको शामिल किया जाय। चेयरमैन हो या मेम्बर हो यह सारे के सारे इसके ऑर्बिट में आने चाहिए ताकि इसका असर पब्लिक लाइफ पर अच्छा पड़े।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आज तक आप राजस्थान में ऑनेस्ट प्रेस को एन्करेज करते रहे हैं, रेस्पान्सिबल प्रेस को दाद देते हैं क्योंकि वह पब्लिक लाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, अच्छा कन्डक्ट बनाते हैं, तो मेरे ख्याल में जो करप्शन की बात और ब्राइबरी की बात कोई प्रेस करता है तो आप जब क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं उसमें आप काफी हद तक सफल होंगे यदि जो भी खबर आये, प्रेस में, रेस्पान्सिबल प्रेस में तो उसको आपको कम्प्लेन्ट के रूप में मानना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी के अन्दर प्रेस एक इम्पॉर्टेन्ट काम करता है। कमीशन के सामने किसी के अगेंस्ट केस बनने के बाद प्रेस का काम भी वही होना चाहिए, जैसे कोई कॉमन मैन कमीशन के सामने पेश होता है। उसकी भी वही हैसियत होनी चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारे सिस्टम, कन्ट्रीब्यूट्री फोर्सेज, कन्ट्रीब्यूट्री फेक्टर्स पब्लिक लाइफ में कन्डक्ट को ठीक करने के लिए एक साथ चलते हैं तो इससे सोशल लाइफ में ज्यादा असर होगा और इस बिल के हित में होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो पब्लिकमैन हैं, जो कभी भी मन्त्री रहा है, भूत हो या वर्तमान, जब से राजस्थान में मंत्रिमण्डल हैं, मैं पांच दस साल की बात नहीं करता, जब से अपने यहां कॉन्स्टीटयूशन के तहत इलेक्शन हुए हैं तब से मंत्रिमण्डल में जिन्होने ऑफिस अख्तियार किये हैं तब से यह बिल उन पर लागू होना चाहिए। उनको क्यों छोड़ें? पब्लिक लाईफ में अगर गड़बड़ी

(श्री केदारनाथ शर्मा)
है, चाहे आज की गड़बड़ी हो, चाहे पुरानी गड़बड़ी हो इसको रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से लागू होना चाहिए। मेरा मतलब यह है, यदि आप चाहते हैं कि प्योरिटी बढ़े, इन्टेग्रिटी बढ़े तो एक कॉमन आदमी किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई कम्प्लेन्ट पेश करता है, मान्यवर, उसके बाद भी मिनिस्टर ऑफिस होल्ड करता रहे तो उसकी पोजीशन में बहुत फर्क आता है। वह बहुत एडवान्टेजियस पोजीशन में है, मंत्री है, सरपंच है, प्रमुख है, प्रधान है, यह बहुत ही एडवान्टेजियस पोजीशन में हैं। सरकार उनको असिस्ट करेगी इसमें कोई शक नहीं है, यह इम्प्लाइड है। लेकिन किसी के खिलाफ प्राइमाफेसी केस बन जाय तो उसको इस्तीफा देना चाहिए, ऑफिस उसके पास में नहीं रहे।

मान्यवर, आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से एन्क्वायरी कमीशन कर पाये तो मैं चाहता हूं, मान्यवर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के पद पर भूतपूर्व जजेज की नियुक्त नहीं होनी चाहिए मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ दुःख के साथ कह रहा हूं कि जब जजेज के दिमाग में यह बात आती हैं, कि रिटायरमेंट के बाद लाइफ मिलने वाली है, कमीशन बोर्ड का चेयरमैन बनने वाला हूं तो यह बहुत बड़ा टेम्प्टेशन है। यह बन्द होना चाहिए, उनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। आप हाई कोर्ट, का लीजिये, दिल्ली के हाई कोर्ट का लीजिये, बाहर का लीजिये, जो भी मौजूदा जजेज हों, उनमें से ही किसी को नियुक्त किया जाय। आपने कहा....

श्री बरकतुल्ला खां: मैं समझ नहीं पाया। आप जो फर्मा रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया।

श्री उपाध्यक्ष: यह पाइन्ट है, इसको स्पष्ट कर दें।

श्री केदारनाथ शर्मा: जो रिटायर्ड जजेज हैं इनमें से नियुक्त नहीं किया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य: सिटिंग जजज में से हो।

श्री केदारनाथ शर्मा: सिटिंग जजेज में से होना चाहिए, हाई कोर्ट जजेज में से ....

श्री खेतसिंह: राजस्थान के रिटायर्ड जजेज हों या कहीं के भी ?

श्री केदारनाथ शर्मा: कहीं के भी हों, ताकि उनके दिमाग में यह न रहे कि सरकारी पक्ष में चलने से रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ मिल जायगा। अगर जुडिशियरी के दिमाग में यह चीज आ जायगी तो, मान्यवर, राजस्थान क्या हिन्दुस्तान की डमोक्रेसी और जस्टिस का क्या होगा ? यह चीज शुरू हो गई है।

मैं उप-लोकायुक्त के लिए जो विजिलेंस कमीशन चेयरमैन हैं, उनकी इन्टेग्रिटी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता। वह स्टेप इन कर जायेंगे, यह गलत चीज है। वह सर्विस के मेम्बर हैं। सारे का सारा स्टाफ मौजूदा सर्विस में से न लेकर नया एपाइन्ट कर लें। अगर पुराना ले लिया तो वह इन्टरएक्ट कर जायगा, वह फेवरेबल वातावरण पैदा नहीं होने देगा। मैं शक नहीं करता हूं, लेकिन मेरा निवेदन है कि आने वाले खतरों से प्रिकाशन लेना चाहिए।

मैं अन्त में कहता हूं, इसकी जो रिकमन्डेशन और फाइंडिंग्स हो कमीशन की वह सरकार पर बाइंडिंग होनी चाहिए। एक भेज दे और एक्शन दूसरी एजेंसी ले, एतराज हो तो वापिस

(श्री केदारनाथ शर्मा)

आ जाय, राज्य सरकार के पास भेज दें। इसलिए जो उसकी अपनी फाइनल फांडिंग्स हों, रिकमन्डेशन हों, उन पर एक्शन लेकर उस पर फैसला उसे ही कर देना चाहिए और वह सरकार पर बाइंडिंग हो और उसमें कोई अमेन्डमेन्ट करने की, बैक रेफरेन्स करने की या वापिस भेजने की बात नहीं आये। कोई कामन मैन कम्पलेनेन्ट के रूप में आये तो उसको लीगल एडवाईस, लीगल मदद देने का आपका काम है यदि करप्शन को ऑफेन्स मानते हैं, अगेन्स्ट स्टेट ऑफेन्स मानते हैं, अगेन्स्ट ह्यूमेनिटी मानते हैं तो मैं समझता हूं कि कॉमन मैन कम्प्लेनेन्ट के रूप में आये तो आप उसे लीगल असिस्टेन्स दें ताकि उसके पैर मजबूत हों, उसमें विश्वास पैदा हो और एलीगेशन को सब्सटेंशियेट कर सके। वरना इससे कुछ नहीं होने वाला है।

मैं इसका स्वागत करता हूं। इसकी जो इन्टेन्शन है, भले ही यह देरी से आया, कोई बात नहीं, लेकिन इससे पब्लिक लाईफ में गुड कन्डक्ट बढ़ेगा और इन्टेग्रिटी बढे इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूं आपने ऐसे काम की शुरूआत की है उसके लिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी जो बिल लाये हैं और जो उसमें प्रावधान रखे हैं मैं उनका स्वागत करता हूं और स्वागत इसलिए करता हूं कि राजस्थान विधान सभा में और विधान सभा के बाहर जनसंघ दल इस प्रकार की मांग करता आया है। पिछली बार भी विधान सभा में मांग की थी। लेकिन राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया इस प्रकार का कोई विधेयक नहीं लाये। आमेर में कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं का सम्मेलन हुआ था और वहां पर मुख्य मन्त्री ने जब यह कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार मिटा है तो कांग्रेस के सभी लोग खड़े हो गये और कहा, मुख्य मन्त्री जी, आपके राज्य में भी भ्रष्टाचार नहीं मिटा है उस वक्त मुख्यमन्त्री जी ने वहां पर कहा था, मैं लोकपाल की नियुक्ति करूंगा इस प्रकार की बात कही और उसके बाद उन्होंने राज्यपाल के मारफत एक अध्यादेश निकाला है। 1947 में प्रिवेन्शन आफ करप्शन एक्ट बना, उससे भ्रष्टाचार नहीं रुका वह बढ़ता चला गया। 1952 में कानून में संशोधन किया गया और कहा गया कि इस कानून का सख्ती से पालन किया जाए, लेकिन उसके बाद भी मन्त्री और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। उसके बाद 1955 में फिर संशोधन किया गया लेकिन यह भ्रष्टाचार की बीमारी घुसती हुई चली गई बड़े बड़े मन्त्रियों व अधिकारियों में। अन्त में जुलाई, 1962 में इस राज्य सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन रिफार्म्स कमीशन की नियुक्ति की जिसके अध्यक्ष थे श्री हरिश्चन्द्र माथुर, सदस्य थे सर्व श्री आर०डी० माथुर, अर्थशास्त्री, राजा मान सिंह, प्रोफसर केदार, पी०के० चौधरी, विष्णु दत्त शर्मा, जी०के० भांनोत, आनन्द मोहनलालजी। इस कमेटी ने 5 सितम्बर 1963 को अपनी रिपोर्ट दी। उसमें पेज 28 पर कहा गया है कि "ओम्बड्समैन नियुक्त किया जाए और उसको मंत्रियों और बड़े अधिकारियों के खिलाफ जांच के अधिकार हों। ओम्बडसमैन ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके प्रति जनता में विश्वास हो।" इस केमेटी के रिपोर्ट के पेज नं. 30 व पेज 31 पर है कि वह ओम्बडसमैन कौन होगा, कैसा व्यक्ति होगा जिसके लिए जनता में श्रद्धा होगी, इस प्रकार का विवरण दिया गया है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

1963 से आज तक सरकार ने 5 सितम्बर, 1963 से लेकर 1972 भी समाप्त हो गया कोई कार्यवाही नहीं की और भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ चला गया। 1962 में भ्रष्टाचार राजस्थान में भी बढ़ा और राजस्थान के बाहर संपूर्ण भारत में बढ़ा तो भारत सरकार ने 1962 में सन्थानम् कमेटी नियुक्त की जिसकी रिपोर्ट 1965 में आ गई। सन्थानम् कमेटी ने यह कहा था कि अगर कहीं पर 10 विधायक या 10 संसद सदस्य यदि किसी मन्त्री के खिलाफ शिकायत करते हैं तो एक कमीशन नियुक्त किया जाएगा, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, जिनका पैनल बना हुआ था, लेकिन आज 184 सदस्य भी कहें कि अमुक मन्त्री बेईमान है, हमारी शिकायत है तो वह भावना कहां गई? अब कमीशन नियुक्त नहीं होता अब वोट के आधार पर हाथ खड़ा कर लों, उसके आधार पर फैसला होता है कि कौन आदमी बेईमान है, कौन ईमानदार है। तो संथानम् कमेटी नहीं, अब वोट के आधार पर बेईमानी और ईमानदारी का सर्टीफिकेट प्रजातन्त्र में दिया जाता है।

1963 में स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने जयपुर में आल इंडिया कांग्रेस सम्मेलन हुआ उसमें कहा था कि भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। 1963 में गजेन्द्रगड़कर ने कहा था कि ओम्बड्समैन की व्यवस्था होनी चाहिए। 22 अप्रेल 1964 में संसद म जब फिर से भ्रष्टाचार का मामला उठा तो सीतलवाड ने इसकी मांग की थी। 5 जनवरी, 1966 को प्रशासन सुधार आयोग स्थापित हुआ, जिसके अध्यक्ष थे श्री मोरारजी देसाई। उन्होंने अन्तरिम रिपोर्ट 22 अक्टूबर, 1966 को दी। उसमें कहा गया कि लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए। ये सारी बातें हुई और उसके बाद आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है लोकायुक्त राज्य के मंत्रियों और बड़े अधिकारियों की जांच करेगा, लोकपाल केन्द्र में मुख्यमन्त्रियों की और केन्द्रीय मन्त्रियों की और केन्द्र के अधिकारियों की जांच करगा। इस पर मोटी किताब हैं, मैं 4-5 किताबें लाया हूं जिनके उद्धरण भी मैंने निकाले हैं। यह ओम्बड्समैन कोई यहां नया नहीं है। यह स्वीडन, नार्वे, डेनमार्क, न्यूजीलैंड में वहां पहले से ही है और इंगलैंड व अमेरिका ने भी इसकी व्यवस्था की है। 22 अप्रेल, 1962 को संसद में भी चर्चा हुई और सरकार ने कहा:—

"Care in selection of the person occupying the position of Ombudsman should be taken that he should be outside the Government influence and should also command the respect of the general public."

और प्रशासन सुधार आयोग ने भी पेज 11 पर कहा कि जो लोकपाल व लोकायुक्त होंगे दे शुड बी इण्डिपेन्डेन्ट एण्ड इम्पारशियल। सन्थानम कमेटी ने पेज 111 पर इस प्रकार की बात कही है।

मेरी मोटी बुद्धि है। राज्यपाल महोदय ने अध्यादेश निकाला है, उसमें कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आई हैं। मैं यहां नया चुनकर आया हूं, अब तक कमेटी की मैम्बरशिप करता

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

रहा। इस अध्यादेश में बहुत सारी खामियां हैं विधायकों की जांच, मुख्य मन्त्री के विरुद्ध जांच कौन करेगा ? केन्द्रीय सरकार मुख्य मन्त्री की जांच नहीं करेगी तो जैसे तामिल नाडू में व्यवस्था है, मुख्य मंत्री की जांच भी यही व्यक्ति करता है। यहां भी ऐसा हो। यहां कहा गया कि मंत्रियों के मामले मुख्य मंत्री को दे दें तो मुख्य मन्त्री एक प्रकार से सुपर लोकायुक्त हो गया। पुराने जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनका क्या होगा ? कबसे 5 वर्ष गिनेंगे ? 5 वर्ष की परिधि है। अध्यादेश की तारीख से मानेंगे या जब राज्यपाल की स्वीकृति मिल जाए तबसे या राष्ट्रपति की स्वीकृति की तारीख से ? 5 वर्ष कहां से प्रारम्भ होते हैं। मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की जांच में सीमा नहीं होनी चाहिए। जिसने बेईमानी की है चाहे वर्तमान में या भविष्य में करने की योजना है, तो बेईमानी तो बेईमानी है, झूठ तो झूठ है। आप जांच करने जा रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार आगे न बढ़, इतनी कमेटियों को रिपोर्टें आ गईं, संथानम कमेटी की रिपोर्ट आई, राजस्थान की प्रशासन सुधार कमेटी की रिपोर्ट आई, भारत के प्रधान मन्त्री जवाहरलालजी नेहरू ने जो कहा था कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसको समाप्त करना चाहिए उसकी बात नहीं मानते। इसलिए मेरा संशोधन स्वीकार करना चाहिए कि सन् 1952 से लेकर 1972 तक इन 20 वर्षों में यदि किसी ने बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया है तो उसको भी यही आयोग जांच करेगा। सुखाड़ियाजी के शासन में खुलकर भ्रष्टाचार हुआ, विरोधी दलों के सदस्यों ने जांच आयोग बिठाने की बातें की थीं। जो लोग बेईमान हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए यदि आप वर्तमान कानून को इस प्रकार से पास करेंगे तो विधान सभा की मुहर लगायेंगे कि उन्होंने बेईमानी नहीं की। पिछली विधान सभा में बृज सुन्दर शर्मा की चर्चा हुई अमृतलाल यादव, रामप्रसाद लड्ढा, मनफूलसिंह चौधरी, नाथूराम मिर्धा, मथुरादास माथुर, दामोदरलाल व्यास और राजस्थान के वर्तमान मन्त्रि-मण्डल के एक सदस्य और हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब जो मन्त्री नहीं है, पहले मन्त्री थे, जो पहले थे अब मन्त्री नहीं हैं, वे किस परिधि में आयेंगे ? क्योंकि वे मन्त्री नहीं हैं और आपने 5 साल की परिधि मुकर्रर की है, उसमें नहीं आते। मैं छोटा सा उदाहरण देकर पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में हरिदेवजी जोशी मन्त्री हैं, 1972 में चुनकर आए, उन्होंने सांसी कन्जरों की जमीन अजमेर रोड पर हजम कर ली, उसकी जांच होगी या वर्तमान कानून के आधार पर उनको ईमानदार का प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए ? केवल यही नहीं जिसने पद का दुरुपयोग किया इस प्रकार की शिकायत मुख्य-मन्त्री की हुई, जयपुर उद्योग सवाई माधोपुर को रियायत किसने दी, डी.सी.एम. को बिजली की रियायत किसने की, कुछ कांग्रेसी नेताओं को खानों का ठेका देने में रियायत किसने दी। राक फॉस्फेट में अनियमिततायें किसने कीं ? जमीन लेने के बारे में हरिदेव जोशी पर आरोप लगाया गया है। श्री हरिदेव जोशी ने रॉक-फॉस्फेट की खान का ठेका दिया अपने आदमियों को। इधर इन्होंने डी.सी.एम. को 3 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी उसके लिए कोई जांच होगी या नहीं ? क्या ये सभी कारनामें इनके दब जायेंगे। तो इसमें मैं यह समझता हूं कि यह बिल को लाकर मुख्य मन्त्री महोदय इन मिनिस्टरों को इमानदारी का सर्टिफिकेट दिलाना चाहते हैं।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इसी प्रकार मैं कुछ चन्दनमल जी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा वह 1962–67 तक मिनिस्टर रहे। उसके बाद में यह एग्रो-इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रहे। इन्होंने ट्रेक्टर्स के मामलों में काफी अनियमितताये की हैं काफी बेईमानी की है। तो क्या आप जो बेईमानी श्री चन्दनमल जी ने सन् 67 से लेकर 72 तक की उन बेईमानियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते? इसी तरह आपने यह कह दिया कि मुख्य मन्त्री के खिलाफ कोई पांच लोक आयुक्त या उपलोक आयुक्त नहीं कर सकेगा। इसलिए यह तो तय होगया कि सुखाड़िया साहब जो कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री थे उनके खिलाफ कोई एक्शन लोकआयुक्त नहीं ले सकेगा। उनके खिलाफ प्रशासन में भ्रष्टाचार की और रिश्वत खाने की काफी शिकायतें थीं। आज आप इस बिल को लाकर उन सभी भ्रष्ट मन्त्रियों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं?

इसी प्रकार मेरे सामने श्री रामचन्द्रजी चौधरी बैठे हुए हैं ये पहले पी.एस.सी. के चैयरमैन थे इन्होंने वहां पर काफी अनियमितताये की इसके पहले यह राजस्थान सरकार में मिनिस्टर थे उस वक्त इन्होंने खूब बईमानियां कीं तो क्या मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मारफत मुख्य मन्त्री जी को पूछना चाहता हूं कि इनकी बईमानियों का क्या होगा? क्या सभी बईमानियां अब छिप जायेंगी?

तो आज आप इस बिल को पास करके इनको छूट दना चाहते ह। पिछले पांच सालों में जिन एम.एल.एज. ने, चाहे सरपंचों ने चाहे धानों के हों चाहे पुराने मन्त्रियों में से कोई हों उन्होंने बईमानियां की हैं तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इन पिछले पांच सालों में इस सदन में राजस्थान के मुख्य मन्त्री से लेकर कई मन्त्रियों के खिलाफ समय समय पर भ्रष्टाचार के आरोप इस सदन में लगते आ रहे हैं। आज आप इस ऑर्डिनेन्स पर बिल लाकर इसे पास करके उन सभी दोषी अधिकारियों को छूट देना चाहते हैं? इसलिये मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि चाहे कोई एम.एल.ए. अभी का हो चाहे भूतकाल का हो, चाहे प्रधान हो, चाहे मुख्य मन्त्री हो चाहे कोई मिनिस्टर हो या जिलापरिषद् के प्रमुख हों उनके खिलाफ जिनके खिलाफ इस सदन में चार्जेज लगाये गये हैं उनके खिलाफ आप जांच कराइये। और वह जांच इन्हीं लोकायुक्त और उपलोकायुक्त के द्वारा की जानी चाहिए। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। वैसे अगर सही माने में ही मुख्य मन्त्री जी इस बिल को लाना चाहते हैं तो मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन जिन भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ सत्ता का दुरुपयोग करने का, जमीन हड़पने, सांसी कन्जरों की जमीन अजमेर रोड पर हड़पने, बेईमानी से पैसा कमाने के आरोप हों उनके खिलाफ एक्शन अगर नहीं लिया जाता है तो मैं इस बिल का विरोध करता हूं, और जो मैंने संशोधन पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मन्त्री जी।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्यमन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और कुछ मुद्दे यहां पर उठाये हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह साफ साफ कह दना चाहता हूं कि मैंने इस सदन के अन्दर और बाहर दोनों जगहों पर यह कहा था कि या तो मैं मिट जाऊंगा या

(श्री बरकतुल्ला खां)

भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा। तो मैं समझता हूं कि यह विधेयक उसकी ओर कदम है। हम उसी को मिटाने के रास्ते पर चल रहे हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने जो आरोप लगाये, जो चर्चायें की वह आरोप इस बार के मिनिस्टर्स पर नहीं लगाये। ये पहले के शासन के मन्त्रियों के खिलाफ आरोप लगाये गये हैं मैं उसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसमें यहां पर इस सदन में कहा गया है कि कि मुख्य मन्त्री के खिलाफ लोकआयुक्त या उप-लोकआयुक्त कोई कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं कर सकता है, और मुख्य मन्त्री ने अपने आपको बचाया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह बात गलत है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी ने जिसने यह सुझाव दिया था कि लोकपाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए उसमें यह है कि मुख्य मन्त्री के खिलाफ लोकआयुक्त जांच नहीं कर सकता। मुख्य मन्त्री के खिलाफ और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट केबीनेट के मिनिस्टर्स और चीफ सेक्रेटेरीज के खिलाफ लोकपाल ही जांच कर सकते हैं।

दूसरी बात लोक आयुक्त और उप-लोक आयुक्त की नियुक्ति के बारे में कही गई है कि इसमें डिफिकल्टी यह है कि किसको एपॉइन्ट किया जाय। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि वह शख्स कौन होगा जो मुख्य मन्त्रियों के खिलाफ जांच करेगा? अगर हम लोकआयुक्त को ही या उप-लोक आयुक्त को ही मुख्य मन्त्रियों के खिलाफ जांच करने की पावर दे देते हैं तो गलत है क्योंकि इसकी नियुक्ति मुख्य मन्त्री और चीफ जस्टिस की राय से राज्यपाल द्वारा होगी। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे तो उसके नीचे आ जायेगा। चाहे डाइरेक्टली आये या इनडाइरेक्टली, तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये लीडर आफ अपोजीशन और अगर लीडर आफ अपोजीशन नहीं हो तो अपोजीशन के ग्रुप के लोगों में से किसी माननीय सदस्य को वह अधिकार दें और हम लोग आपस में बैठकर बातचीत करने के बाद गवर्नर साहब और चीफ जस्टिस साहब से बात करके निर्णय करें। आज जो लोग यह कहते हैं कि राजस्थान में लोग चोर हैं या मुख्य मन्त्री अपने ही किसी व्यक्ति को लाकर इस पद पर बैठा देगें; मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि राजस्थान में ईमानदारों की कमी है, परन्तु कोई ऐसी बात बाद में पैदा नहीं हो जाय इसलिये मेरे ख्याल से बाहर से लोक आयुवत के पद के लिये किसी व्यक्ति की ख्वाहिश है।

आमतौर पर मैं इस पक्ष में हूं कि किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को इस पद पर नियुक्त किया जाय। लेकिन जहां तक सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में कहूं तो वह ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज होगा वह एट दी वर्ज आफ रिटायरमेंट होगा। जैसा कि प्रोफेसर केदार ने कहा कि कोई जुडिशियरी का होना चाहिए मैं इससे सहमत हूं। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का जज जो कि सर्विंग होगा वह आने को तैयार भी नहीं होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया कि वह वर्ज आफ रिटायरमेन्ट होगा और शायद आना भी नहीं चाहे, और अगर हम जुडिशियरी का कोई जज नहीं लेते हैं तो फिर हमारे पास दो ही प्रकार के आदमी रह जाते हैं एक तो वकील और दूसरे रह जाते हैं और कोई एक्सपर्ट जो कि नियुक्त किये जा सकते हैं। लेकिन वकीलों को इस पद के लिये मैं ठीक नहीं समझता। इसलिये मेरे ख्याल में किसी बाहर

(श्री बरकतुल्ला खां)

से रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को एप्वॉइन्ट किया जाये तो ठीक होगा।

इसके अलावा मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी माननीय सदस्य को मेरे बारे में कोई शिकायत हो तो वो मेरे खिलाफ में गवर्नर साहब को ब्रीफ करदें और चूंकि अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है इसलिये गवर्नर साहब प्रेसीडेन्ट को मेरे खिलाफ में जांच कराने के बारे में लिख सकते हैं। और मैं तो खुद गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखूंगा और उन्हें कहूंगा कि इस बारे में जांच की जाय। मैं इस बिल को पास कराकर कोई तानाशाह नहीं बनना चाहता हूं, न मैं किसी की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता हूं, लेकिन मैं वास्तविक रूप से यह चाहता हूं कि लोक आयुक्त की नियुक्ति हो उप-लोकआयुक्त नियुक्त हो, और दोषी मिनिस्टर्स के खिलाफ जांच हो तो हमें पता सब लग जायेगा कि पूरी बात क्या है ? सारा क्लियर हो जायेगा; दूध का दूध और पानी का पानी और अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो इसमें सजा का प्रावधान भी रखा गया है। अगर हम वह नहीं रखते हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी के भी खिलाफ शिकायत कर सकता है झूठी-सच्ची। और फिर इस प्रकार से चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे आपोजीशन के हों कोई भी काम नहीं कर सकते। कोई भी मिनिस्टर अगर शिकायत आते ही कुर्सी छोड़ दे तो मैं समझता हूं कि किसी भी पार्टी का मिनिस्टर काम नहीं कर सकेगा। और न ही किसी पार्टी की मिनिस्ट्री ज्यादा दिन तक चल सकती है। लेकिन असल में जो चीज है वह यह है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं और जिस दिशा के लिये हमने कहा था उस दिशा के लिये कदम उठ रहे हैं या नहीं। वायदे किये थे उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं ईमानदारी से इस बात की कोशिश कर रहे हैं या नहीं।

दूसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहता था इस सम्बन्ध में वह थी कि कुछ दोस्तों के, कुछ मन्त्रियों के मन में और माननीय सदस्यों के मन में यह शंका है कि हम पुराना कॉग्निजेंस लेना नहीं चाहते। इसकी भाषा अगर देखी है और थोड़ा बहुत मैं समझा हूं और जो मेरी मंशा है तो पांच साल पहले के काम निकल सकते हैं, और आज काज ऑफ एक्शन होता है उसका पांच साल का लिमिटेशन पीरियड होना चाहिए। जिन्दगी के अन्दर मिनिस्ट्री करने के बाद जो छान-बीन करनी हो, जागरूक रह कर जो भी मुद्दे आते हैं अगर पांच साल में पता नहीं लगा, माननीय सदस्य खुद बड़े बड़े वकील बैठे हैं जो इस बात को जानते हैं कि उसके बाद एवीडेन्स कोल्ड हो जाती है। किसी को हैरान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अनडयू प्रोटेक्शन भी नहीं देना चाहते। इस पॉइन्ट पर खास तौर से क्लियर किया है। मेरी मंशा यह थी कि पांच साल तक मामला पहले मिनिस्टर रहे या न रहे और आज हैं और पांच साल बाद चले जावेंगे जो काज ऑफ एक्शन हुए हैं पांच साल में तो कम्पलेन्ट हो सकती है और हमारे खिलाफ कार्यवाही की जाय।

एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जहां तक इसका स्कोप बढ़ाने का सम्बन्ध था बढ़ाया गया है। कुछ मित्रों ने कहा कि एम.एल.एज. को क्यों नहीं लिया गया उसमें कानूनी अड़चन थी। एक मोरल अड़चन भी है। दूसरी कानूनी अड़चन। मोरल अड़चन यह है कि मैं पहले मैम्बर हूं इस सदन का। क्या सदन के मेम्बर को मैं यह मानकर

(श्री बरकतुल्ला खां)

चलता हूं कि वह ईमानदार नहीं है ? यह मोरल बाइन्डिग है । लीगली तो माननीय सदस्य की कोई एक्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं है । पब्लिक सर्वेन्ट की परिभाषा में नहीं आते हैं और नहीं आते हैं तो उनको जबरदस्ती खींच कर एक तरीके से गलत कानून बनाने के अन्दर कोई फायदा नहीं निकल सकता । इसलिए मैं यह मानता हूं कि हमारे जो मिनिस्टर साहबान हैं, हम मिनिस्ट्री में बैठे हैं, हमें एक्जीक्यूटिव पॉवर्स हैं उनको हम मिसयूज भी कर सकते हैं, गलत तरीके से हैंडल कर सकते हैं और करप्शन हो सकता है उनके लिए यह हो ।

तीसरा सवाल जो बार बार आया कि ग्रीवान्स को क्यों नहीं इन्क्ल्यूड किया । ग्रीवान्स को इन्क्ल्यूड नहीं करने का कारण यही है कि जिस मकसद से लोक आयुक्त का पद बनाया है उसके बनाने में इतनी कमी हो जायगी कि कम्पलेंट सुबह से शाम तक आयेंगी जब कि बिल में यह है कि किसी को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिये कोई काज बना है तो उस प्रकार की शिकायत को इसके दायरे में लाया गया है । वरना तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जिस मकसद से लाना चाह रहे हैं वह पूरा नहीं होगा । एक इम्पार्शियल आदमी को नियुक्त करना चाहते हैं । मेरे दिमाग में नहीं है कि इसके लिये जिसको बनाना है । कोई भी बने इतना समय दे सके और मंत्रियों के खिलाफ शिकायतें आयें तो उनकी छानबीन कर सके, जो मिनिस्टर के फेवर में भी न हों और खिलाफ भी न हों किन्तु फेयर डील मिले । मिनिस्टर बनने के बाद हर कोई आशा करता है कि फेयर डीलिंग मिलेगा ।

रेस्पोन्सिबल प्रेस का सम्बन्ध है मैं सारे प्रेस को रेस्पोन्सिबल समझता हूं । प्रेस वाले कॉग्नीजेन्स लें । आर्टिकल अखबारों में लिखेंगे । प्रेस के अपने कोड ऑफ कन्डक्ट हैं और इसके लिये बड़े से बड़े अखबारों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन उन्होंने सोर्स नहीं बताया । लोग जेल गये, बड़े बड़े मशहूर केसेज हुए हैं । हिन्दुस्तान आजाद नहीं हुआ था तब हिन्दुस्तान टाइम्स का केस हुआ था और वह पार्लियामेंट के सामने गया था । ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेज के केस हुए हैं । अखबारों का सुओ मोटो कॉग्नीजेंस लिया जाय तो इसका मतलब यह होगा कि अखबारों के नुमाइन्दे आर्टिकल लिखें या एडीटोरियल लिखें तो उनको बुलाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा किस आधार पर लिखते हैं ? आधार पूछा जायगा तो अन्दाज नहीं होगा कि गलत है या सही है । जो चाहें वह लिखें उससे तो फ्रीडम ऑफ प्रेस पर पाबन्दी आवेगी आज प्रेस लिखता है वह आजादी के साथ लिखते हैं, और इस आजादी को मैं कायम रखना चाहता हूं, और आजादी कायम रखेंगे तब तक ही यह मुल्क कायम रहने वाला है । अगर हमने यह कर दिया इसमें और लोक आयुक्त ने सुओ मोटो काग्नीजेंस ले लिया और उसको बुलाया इन्डाइरेक्टली पूछेगा तो हम उसकी आजादी को कम करेंगे इसलिये यह हमारी यह मंशा नहीं है । मंशा यही है कि जो हम कर सकते हैं वही चीज करें ।

कई जगह गड़बड़ी हो सकती है । पोलिटिकल लाईफ में शुद्धता आनी चाहिए और वह शुद्धता आने के लिये हम यहां तक गये हैं कि कार्पोरेट बॉडीज हैं जहां पर पचास पर्सेन्ट हमारे शेयर्स हैं वहां पर भी लगाया है । जहां राजस्थान के शेयर्स दिये गये हैं वहां पर भी इसको लगाया है । चेयरमैन म्युनिसिपैलिटीज के पास भी गये क्योंकि उनके भी एक्जीक्यूटिव पॉवर्स हैं ?

(श्री बरकतुल्ला खां)

यह कोशिश की है, सही दिशा में एक कदम बढ़ाया है और बढ़ाते बढ़ाते आगे चल कर जो सही रास्ता निकलेगा इस एक्सपीरियेन्स से समझ में आवेगा, सदन की राय होगी उस पर चलना चाहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बचना चाहते हैं।

एक दफा फिर यह अर्ज करना चाहूंगा कि जैसी मेरी मंशा थी, जैसा मैंने अर्ज किया मेलिशियस और फेब्रुलस कम्पलेट्न्स का सिलसिला शुरू हो गया तो कोई मिनिस्टर काम नहीं कर सकता। हम ही जिम्मेदार बन जावेंगे लोकतन्त्र को खतम करने के लिए। उसके रिपरकशन्स दूर दूर तक पहुंचेंगे। आज परेशानियां आ रही हैं वह यही तो आ रही हैं कि इम्पलीमेन्टेशन डिसीजन क्विक होना चाहिए वह नहीं होता है। मिनिस्टर की डिले पर भी यह आजायेगा तो गवर्नमेन्ट परेलाइज हो जावेगी और कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। देखिये चोरी करके नाजायज फायदा उठावें रिश्तेदार को फायदा दिलवाएं तब तो यकीनी तौर पर उनकी जांच होनी चाहिए। एक मरतबा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर आपके द्वारा सदन को अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने अपने आपको डेलीब्रेटली नहीं बचाया है। इसके लिये रीजन्स दिये हैं। मुझे मालूम है कि लोकपाल की बात आने वाली है और इसमें चीफ मिनिस्टर कवर्ड है। फिर दुबारा कहता हूं कि मैं गवर्नर को लिखूंगा कि मेरी कोई शिकायत आवे तो उस शिकायत को वें स्वयं जांचलें या प्रेसीडेन्ट के पास भेज दें और जांच करवा लें। इसलिये मैं सदन का अधिक समय नहीं लेते हुए मैंने सभी बातों का स्पष्टीकरण किया है और भी कोई शंका हो तो और भी इसका निराकरण करने की कोशिश करूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : लोकायुक्त की आपने क्वालिफिकेशन इसमें क्या लिखी ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह एम०ए० हो या एल एल. बी. हो या क्या हो एज्यूकेशनल क्वालीफिकेशन तो यही हो सकती है। दूसरी हो सकती है कि कोई लायर हो, पी एच.डी. हो या डॉक्टर ऑफ लॉ हो, या यह कि बहुत सीनियर सिविल सर्वेन्ट हो, जिसको स्वीकार करने का मूड सदन का नहीं है, यह मैं जानता हूं। या यह हो कि कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज हो या क्या हो ? तो इसको मैंने डेलीब्रेटली वेग रखा है क्योंकि यह एडवाइस तो मैं विरोधी दल से चाहता हूं। मैं क्वालिफिकशन प्रेस्काइब कर दूं तो यह कहा जावेगा कि मैंने इसे सरकम्वेन्ट कर दिया। फोर कार्नर में लाकर दबा दिया। इसलिए मैं इसे खुला रखना चाहता हूं। आज हमारे देश में अगर इस तरह की किसी क्वालिफिकेशन के भी उपयुक्त लोग मिल सकते हैं जिनकी फॉर्मल एज्यूकेशन भले ही थोड़ी हो या ज्यादा हो, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियन्स भले ही न हो, पर जिनकी ईमानदारी और दयानतदारी में किसी को रत्ती भर भी शुबाह नहीं हो सकता। तो यह तो बहुत कुछ इस बात पर निर्भर होगा कि विरोधी दल अपनी तरफ से क्या ब्रीफ देते हैं; किस तरह से गवर्नर को अपनी राय देना चाहते हैं। मेरी तरफ से जितना मुमकिन हो सकेगा, पूरा पूरा सहयोग दूंगा। फिर मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इम्पार्शल डिग्निफाइड और इम्पॉर्टेन्ट किस्म का पहला लोकायुक्त यहां आये जो शानदार और सही परम्परा डाल जाय।

जहां तक विजिलेन्स कमीशन का सवाल है मैं अर्ज करूं कि इससे पहले उससे एक कॉन्ट्रेक्ट हो चुका था। बहुत पहले और जहां तक

(**श्री बरकतुल्ला खां**)

मुझे मालूम है उनके उस कॉन्ट्रेक्ट में अभी दो साल का समय बाकी है। मैं समझता हूं कि विजिलेन्स कमीशन ने, जब से मैं उसे देख रहा हूं, अच्छा काम किया है। सही तरह से लोगों की मदद की है। बदमाश और चोर अफसरों को उन्होंने पकड़वाने में मदद दी है, और ईमानदारों को राहत दी है। और इसके अन्दर उन्होंने आज तक बड़ी ईमानदारी से और बगैर किसी के इन्फ्लुएन्स में आये काम किया है। मेरे घर पर भी शायद कभी होली दीवाली आये हों तो आये हों, नहीं तो नहीं आये होंगे। जब से मैं चीफ मिनिस्टर बना हूं एक–दो बार दफ्तर में आये थे शिकायतें लेकर जिन पर एक्शन नहीं हो रहा था या शायद एक-दो दफा मेरे यहां घर पर मुश्किल से आये हों तो आये हों। तो इस तरह से कुल मिलाकर इस दो साल के पीरियड में ज्यादा से ज्यादा चार दिन से ज्यादा नहीं मिले हैं। जो बातें वे सीक्रेट रखना चाहते हैं वे वैसी ही रहती हैं। पर फिर भी ऐसे कामों में जो दिक्कतें आती हैं वे आई हैं। पर वे कब क्या करते हैं इसकी हमें भी इन्फर्मेशन नहीं होती। एंटी करप्शन विभाग को हमने उनके नीचे रखा है और यह भी इसलिए रखा है कि जो भी हमारे नये लोकायुक्त आवें उनके हाथ को बान्ध कर हम नहीं रखें। अपना स्टाफ जो वे पसन्द करें, रक्खें, जहां जिसको चाहें लगावें। जो आदमी उनको जिस तरह से पसन्द हो उस तरह से वे लें ताकि कभी भी उनको यह खयाल न हो कि गवर्नमेन्ट उन पर कुछ अपना हाथ रखना चाहती है या सरकार कुछ उन पर इम्पोजीशन करना चाहती है।

फिर पॉजिटिवली जूडीशियरी अपना स्टेटस अलग रखती है। जूडीशियरी पर हाई कोर्ट है ? उनसे छोटी जुडीशियरी है वह अपना डिसिप्लिन रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे को किसी को इसमें दखलन्दाजी करने का अधिकार हमारे संविधान में भी नहीं है। या फिर इसमें हस्तक्षेप प्रेसीडेण्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने जान बूझकर जुडीशियरी को भी इसके बाहर रखा है और यह रखना चाहते भी हैं कि जुडीशियरी को कहीं यह फीलिंग न हो कि इस मामले में हम जुडीशियरी पर इन्फ्लुएन्स डालना चाहते हैं या नाजायज दबाव डालना चाहते हैं या उनसे कोई फायदा उठाना चाहते हैं।

इसी तरह से पी० एस० सी० को भी हमने इसके परव्यू से बाहर रखा है। डाइरेक्टली वह हमारे अण्डर में नहीं है। उनकी कम्पलेन्ट अगर हो तो वह सीधी गवर्नर के पास जा सकती है या प्रेसीडेन्ट के पास जा सकती है। उनको कॉन्स्टीटयूशनल अधिकार है जिसके मातहत गवर्नर या प्रेसीडेण्ट एन्क्वायरी करके निर्णय ले सकते हैं।

तो इन दो को हमने जान बूझकर डेलीब्रेटली बाहर रखा है। इसलिए मैं समझता हूं कि अपनी ओर से मैंने पूरी कोशिश की है कि इस में ठीक तरह से काम हो और जरूरत पड़ने पर यह विश्वास दिलाता हूं कि साल, दो साल के बाद और जरूरत पड़ी तो इसके अन्दर अमेन्ड-मेन्ट लाया जा सकता है, तरमीम की जा सकती है और अनुभव के आधार पर इसको और भी अच्छा और सही रूप दिया जा सकता है।

श्री केदारनाथ : मुख्यमन्त्री महोदय ने जो स्पष्टीकरण दिया है उसके पीछे जस्टिफिकेशन है और कुछ एश्योरेन्स पहले दिये व कुछ नये दिये हैं इसको देखते हुए मैं अपने संकल्प को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं भी अपना संकल्प वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य गिरधारीलालजी भार्गव। आप भी वापस लेना चाहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं भी वापिस लेने की अनमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह राय है कि इनको अपने संकल्प वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री केदारनाथ : मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं भी अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं भी अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त विधेयक, 1973 विचारार्थ प्रस्तुत।

श्री बरकतुल्ला खां : उपाध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाये—इसका मैं प्रस्ताव करता हूं।

राजस्थान लोकायुतव तथा उप-लोकायुक्त विधेयक, 1973 को जनमतजानने हेतु परिचालित करने के प्रस्ताव पर वाद विवाद।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधयक लोकमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय इसके बारे में मैंने अपना संकल्प दिया था और इसलिये दिया था कि क्योंकि लोकायुक्त की नियुक्ति का विधान इसमें विरोधी दल के नेता से मिलकर करने का या फिर जैसा अध्यक्ष कहेंगे उस आधार पर करने का है।

पर मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि लोकायुक्त के पद पर राजस्थान के किसी व्यक्ति को नहीं करके राजस्थान से बाहर के किसी न्यायाधीश को या सुप्रीम कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को किया जावेगा तो इसमें काफी निष्पक्षता वरती जावेगी। चाहे आप या विरोधी दल के नेता भी मिलकर किसी भी प्रकार की बात कर लें फिर भी यदि यहां के रहने वाले किसी व्यक्ति को चुनेंगे इस पद के लिये तो राजस्थान का जैसा राजनैतिक वातावरण है या यहां की जैसी सामाजिक या प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें उस व्यक्ति के प्रभावित होने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकेगा।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं आपकी बात को मानता हूं।

श्री खेतसिंह : आप अब तो मान जावेंगे। आपने तो अपना संकल्प विथड्रा कर लिया है। अब क्या है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप विरोधी दल के लोग मिलकर पहले अपना कोई नेता चुनलें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रहा था....

श्री खेत सिंह : आपकी वात को मान रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब। हम तो आपकी बात माने नहीं कभी, पर मुख्य मन्त्रीजी मान रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी बात मान ली, इसके लिये धन्यवाद देता हूं।

दूसरी बात यह है कि आपने इस अध्यादेश के अन्तर्गत सतर्कता आयोग और भ्रष्टाचार विरोधी विभाग को नहीं लेने की बात कही है। यदि ये दोनों विभाग राज्य सरकार के ही अधीन रहे तो इनमें जो कर्मचारी हैं वे राज्य सरकार द्वारा ही प्रभावित होते रहेंगे। फिर लोकायुक्त निष्पक्ष रूप से जांच नहीं कर सकेगा। इसलिये इन दोनों विभागों को इसके अन्तर्गत कर देना चाहिए। इससे यह होगा कि कोई व्यक्ति यदि किसी के खिलाफ चला गया तो उसके ट्रान्सफर कर दिये जाने अथवा प्रोमोशन में उसके साथ भेदभाव वरते जाने या वेतन श्रृंखला आदि में उसे परेशान करने की सम्भावना नहीं रहेगी और वह ईमानदारी और निष्पक्षता से काम कर सकेगा।

तीसरी मांग मेरी यह है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये राजस्थान में कई प्रकार के नियम वने हुए हैं। डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी भी इसका हिस्सा है। तो इस तरह के भिन्न भिन्न तरीकों को और नियमों को समाप्त करके एक ही नियम बन जाय और उसका नियमन् भी एक ही जगह से हो तो भ्रष्टाचार उन्मूलन में इससे तेजी लाई जा सकेगी।

चौथी बात निवेदन करना चाहूंगा कि लोकायुक्त अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की जांच के दौरान ट्रान्सफर करने की या सस्पेन्ड करने की सिफारिश करता है तो सरकार ईमानदारी से उसका पालन करेगी यह स्पष्ट होना चाहिए। तब तो भ्रष्टाचार मिटेगा वरना नहीं मिटेगा। इस बारे में अबतक की सरकार की परम्परा और कार्यप्रणाली दूषित रही है। मैं निवेदन करूंगा इस बारे में कि मुख्य न्यायाधीश बेरी साहब जयपुर में हुए गोलीकाण्ड की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये। इसमें लाखों करोड़ों रुपया सरकार ने पानी की तरह बहाया। मुकुटविहारीलाल जी का इससे भले ही घर भरा होगा, या नाथूलालजी जैन का या चटर्जी का घर भी भरा होगा। पर इसमें से थोड़ा सा रुपया भी गोलीकाण्ड में शहीद हुए लोगों में आप बांट देते तो जनता को थोड़ी सी राहत की सांस लेने का अवसर मिलता। पर एक सीने में से आर पार गोली के शिकार होने वाले को आपने 150 रुपया दिया केवल मात्र, और लाखों रुपये भार्गव साहब का घर भरने के लिए खर्च कर दिये, और राज्य सरकार ने दोषी ठहराया पुलिस अधिकारियों को। राज्य सरकार ने कहा सिरेह ड्योढ़ी बाजार में गोलियां नहीं चलीं और पुलिस वालों ने कहा कि गोलियां चलीं। हॉस्पिटल के रेकार्ड बदल दिये गये। पुलिसवालों को सजा देने का बेरी साहब ने प्रावधान रखा था। अभी राज्यपाल महोदय के यहां ओथ सेरेमनी हुई उसमें केवल दो मन्त्री गये, आप भी नहीं गये तो क्या बेरी साहब ने अपने मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली तो क्या उनसे प्रतिशोध रखने की भावना से यह सब कुछ किया गया, क्योंकि बेरी साहब ने सरकार के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। राजस्थान में एक ही व्यक्ति ऐसा निकला है जिसने सरकार के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दी...

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री यशवन्त सिंह नाहर: माननीय उपाउपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां के न्यायाधीशों के बारे में बहुत बड़ी चर्चा न हो तो सौभाग्य का विषय समझूंगा। आप यह बताना चाहते हैं कि जस्टिस बेरी का गुणगान करके कि इधर के लोग विरोधी हैं, यह गलत है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं कोई बेरी के गुणगान करने वाला नहीं हूं। मेरा तो निवेदन है कि न्याय के प्रति सरकार को सम्मान करना चाहिए। मैं न्याय के प्रति सम्मान प्रकट कर रहा हूं। बेरी साहब से मेरा कोई लेन-देन नहीं है। विभागीय जांच के जो मामले हैं, भ्रष्टाचार के जो मामले हैं आप राजस्थान में लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त की नियुक्ति करने जा रहे हैं तो उन सारी कार्यवाहियों को, उन सारे कामों को, उन सारी जांच को ट्रान्सफर कर दें तो मैं समझता हूं राजस्थान से भ्रष्टाचार मिटेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं लोकायुक्त को जो मामला दे दें और मामला सरकार ने दे दिया तो मामला सुपुर्द कर देने के बाद राज्य सरकार को वापिस लेने का हक नहीं होना चाहिए।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं लोकायुक्त कानून निर्धारित समय में बिना हेर-फेर के लागू किया जाना चाहिए.........

श्री उपाध्यक्ष: यह आप खण्डश: विचार विचार करें तब.........

श्री गिरधारी लाल भार्गव: दो मिनिट में समाप्त करता हूं। मैंने खण्डश: कोई संशोधन नहीं दिये हैं और न ही मैं कोई अधिक बोलना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यदि लोकायुक्त कोई सुझाव राज्य सरकार को दे तो उसे बिना किसी टालमटोल के मानना चाहिए, आपको यह भी घोषणा इस सदन में करनी चाहिए। दूसरा लोकायुक्त जो कुछ अपना वार्षिक प्रतिवेदन देगा उस वार्षिक प्रतिवेदन को राजस्थान की विधान सभा के सदस्यों के सामने प्रतिवर्ष लाना चाहिए, और किन-किन अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त ने सिफारिश की कार्यवाही की यह भी जानकारी मिलनी चाहिए।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक आरोप के पश्चात् उसकी व्यवस्था होनी चाहिए.........

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

और अन्त में निवेदन है कि जब लोकायुक्त अपने पद से हट जाये तो उनको केन्द्रीय सरकार में कोई नौकरी देने का प्रावधान नहीं होना चाहिए और न ही राज्य सरकार में कोई नौकरी देने का प्रावधान होना चाहिए।

और अन्त में एक बात वापिस दोहराना चाहता हूं कि लोकायुकत का जो परव्यू है आपने कहीं कहीं पांच साल की बात कही तो मेरा फिर से निवेदन है...........

श्री बरकतुल्ला खां: यह तो गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया में और राजस्थान में दोनों में ही नहीं है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : लोकायुक्त के पद को व्यापक किया जाय. उसमें वर्तमान और भूतपूर्व प्रतिनिधि....

(दीर्घ घंटी के साथ-साथ बोलने के कारण, अश्रव्य)

....चाहे अधिकारी हो या मन्त्री वह भी आना चाहिए। इसलिये मैंने निवेदन किया है यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है, महत्वपूर्ण विषय है और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब साहस के साथ बिल को लाये हैं जो काम सुखाड़िया साहब नहीं कर सके वह वर्तमान चीफ मिनिस्टर साहब करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
था या तो भ्रष्टाचार मिट जायगा या मैं मिट जाऊंगा पर आज के दिन दोनों मौजूद हैं.....

(दीर्घ घंटी)

इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मण सिंह।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं राज्यपाल महोदाय के अभिभाषण पर बहस के दौरान में कि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि यह विधेयक एक ठीक दिशा में सरकार ने साहस के साथ कदम उठा करके सदन के समक्ष रखा है। किन्तु मैं इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को ऑर्डिनेन्स के रूप में 24 जनवरी को पारित किया गया, खासकर जब 16 फरवरी को विधान सभा बुलाई जा रही थी। कुछ सप्ताहों के लिये अगर इसमें देरी भी की जाती तो वह वास्तविक देरी नहीं थी। यह एक बुरी बात है, बार-बार विरोधी पक्ष से और उधर से सदन में सरकारी बन्चों का ध्यान इस ओर आकर्षित करत रहे हैं। यह परम्परा ऐसी है जिसका समर्थन मैं सिद्धान्ततः नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं यह महत्वपूर्ण विधेयक एक ठीक दिशा में कदम सरकार द्वारा उठाया जा रहा है, किन्तु उसके साथ साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा विधेयक चाहे जितना अच्छा हो, अगर उसकी क्रियान्विति ठीक प्रकार नहीं की जाती है, ईमानदारी से क्रियान्वयन नहीं किया जाता तो फिर वह विधेयक नाम का ही विधेयक रह जाता है, और केवल कागजों में ही रह जाता है और वह विधयक रद्दी की टोकरी में अन्ततोगत्वा जाता है।

मेरा, देश का यह अनुभव है कि आज हमारी चुनाव की पवित्र पद्धति के अन्दर क्या नहीं किया गया है? आज जनतन्त्र को खासकर एक मखौल सा बनाया गया है। साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना आवश्यक समझता हूं कि शासनरूढ़ दल की स्वार्थमय नीति, अवसरवादिता की नीति इस चुनाव पद्धति को इतना भ्रष्ट कर चुकी है कि मूल लक्ष्य से हटकर येनकेन प्रकारेण हुकुमत की कुर्सी हाथ में रखना और बुरी तरह अनियमितता से विरोधी दल को कुचलना ही रह गया है। अगर जनतन्त्र की शुद्ध प्रणाली का हमारे देश मे परिपालन हो, अगर विरोधी दल को भी वैधानिक औचित्य का मौका दिया जाय तो मेरे ख्याल से वह सही जनतन्त्र होगा। किन्तु साथ ही यह कहे बिना नहीं रह सकता कि हमारे देश में सारे विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है पापुलेशन के आधार पर। पांच चुनाव किये लेकिन यह नहीं है कि उन चुनावों में अनियमिततायें नहीं हुईं। जहां तक शासनारूढ़ दल का सवाल है घोर अनियमिततायें करके कृत्रिम रूप से बहुमत बनाया गया है। उसके साथ साथ बहुमत हो वहां राष्ट्रपति शासन लागू करके उसको अल्प मत में भी घटाया गया है।

यह सब प्रक्रिया देखते हुये, यह पृष्ठभूमि देखते हुय, इस अनुभव को प्राप्त करने के पश्चात मैं यह नहीं कह सकता कि इस विधेयक

(श्री लक्ष्मणसिंह)

का अन्ततोगत्वा क्या परिणाम होने जा रहा है खास करके जब दिन ब दिन भ्रष्टाचार की मात्रा हम देखते हैं कि बढ़ती जा रही है, और अब तो वह इस हद तक बढ़ चुकी है कि मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन यह आम तौर पर अफवाह है और छोट से बड़े तक लोग यह कहते हैं कि "जेब गरम करो, जयहिन्द का जमाना है"। बार-बार, उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार के द्वारा दलबदल के संबंध में कानून बनाने की घोषणा की गयी है, लेकिन यह घोषणा घोषणा ही रह जाती है उसकी क्रियान्विति नहीं की जाती। तो ऐसी घोषणा और ऐसे कानून से कोई देश का और जनता की सेवा या हित नहीं हो सकता। आज शासनारूढ़ दल एक हॉचपॉच है, "कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा", अवसरवादियों की एक जमात सी हो गयी है। कहां तो महात्मा गांधी के पवित्र सिद्धान्त अहिंसा और सत्य, लेकिन आज तो सत्य की हिंसा हो रही है। इसलिये ऐसी परिस्थिति में मुझे यह आशंका है कि इस विधेयक का अन्ततोगत्वा परिणाम क्या होगा ?

कांग्रेस में आज कम्युनिस्ट कार्ड होल्डर हैं, मुस्लिम लीगी हैं, हिन्दू महासभाई हैं, नेक्सलाइट्स भी हैं, पूंजीपति भी हैं, अवसरवादी भी हैं, और राजा लोग भी हैं जिनसे आप घृणा करते हैं और शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स के ऐसे लोग भी हैं कि जो खुशामद के द्वारा वहां पर भी बिराजमान हैं। ऐसे बेई-मान और अवसरवादी दलबदलू भी हैं कि जिनको मंत्री बना दिया जाता है, और जो चुनाव हारते हैं उनको गवर्नर बना दिया जाता है। इन सब बातों को देखते हुए इस विधयक का अन्ततोगत्वा क्या परिणाम निकलेगा यह भी एक संदिग्ध विषय है ?।

मैं इस संबंध में सदन का विशेष समय नहीं लूंगा और कुछ सुझाव के रूप में मैं निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक मुख्य मंत्री जी का उत्तर था उनके व्यक्तिगत आचरण के संबंध में मैं समझता हूं कि वह एक हद तक उचित है। राजस्थान के अन्दर मुख्य मंत्री का व्यक्तित्व पर्सन ऑफ दी चीफ मिनिस्टर विवादस्पद नहीं होना चाहिये। वह लोकपाल के अन्तर्गत अगर इस संबंध में प्रावधान है कि जिसका जिक्र उन्होंने किया है और जहां तक मुझे मालूम है ऐसा होने जा रहा है उस संबंध में मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं है। मैं यह भी कहने जा रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि एम०एल०एज० का आचरण भी लोकायुक्त के अन्तर्गत रखा जाये और इस संबंध में लोकायुक्त को अधिकार दिये जायें, किन्तु मैं इस संबंध में भी सन्तुष्ट हूं कि एम०एल०ए० कोई पब्लिक सर्वेन्ट की परिभाषा में नहीं आता है अतएव जो व्यवस्था विधेयक में इस संबंध में कही गयी है वह सन्तोषजनक है।

मेरे पूर्व वक्ता ने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के संबंध में और बैरी कमीशन के संबंध में भी दो बातें कहीं। कोई चीफ मिनिस्टर कितना भी ऊंचा आदमी हो अगर उसके आचरण के संबंध में 100 माननीय सदस्य और वह भी लोकसभा के या राज्यसभा के संसद में अगर शकी होते हैं और उसके ऊपर लीपापोती हो और उसको नजरअन्दाज किया जाय ऐसी वजनदार चीज की तो मुझे आशंका है कि इस विधेयक का आन्ततोगत्व परिणाम क्या निकलेगा यह भी एक संदिग्ध विषय है, ऐसा मैं अनुभव करता हूं।

Page No. 87

(श्री लक्ष्मणसिंह)

मैं एक तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि लोकायुक्त का रिक्त स्थान है वह 6 महीने से अधिक रिक्त नहीं रहना चाहिए। और कार्यवाहक रूपसे आप किसी लोकायुक्त को एक वर्ष, दो वर्ष, चार वर्ष तक निभायें और इस सरकार की आदत तो है ही कि हर एक मामले को खटास में डाला जाय और फिर उसका हल नहीं निकालना और विचाराधीन, विचाराधीन कहे जाना--तो ऐसी समस्या जो विचाराधीन है वह एक फ्रस्ट्रेशन लाने वाली है। वह सरकार को लिये बड़ी बुरी बदतर परम्परा है और इस अनुभव के संबंध में भी मैं सरकार से कहूंगा कि इस संबंध में प्रावधान रखा जाये।

(3.36 म० प०)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, जो लोकायुक्त की सिफारिशें हों उसके लिये भी मैं यह परमावश्यक मानता हूं, वैसे मैं यह नहीं कहता कि सरकार इस संबंध में बाध्य की जाय। ऐसा हो भी नहीं सकता, किन्तु कम से कम लोकायुक्त की प्रेस्टिज को मद्देनजर रखते हुए एक स्वस्थ परम्परा को कायम रखते हुए लोकायुक्त के निर्णय 10 में से 8 तो सरकार को मान्य होने ही चाहिये। अगर यह नहीं होता है तो यह लोकायुक्त की मखौल होगी और इसके ऊपर जो भी खर्चा किया जायेगा यह भी गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग होगा। इस संबंध में भी सरकार ध्यान दे।

मैं प्रथम चरण की स्टेज पर इस मेनडॉड़ी ऑफ दी बिल के संबंध में एक दो सुझाव अवश्य निवेदन करना चाहूंगा। डेफिनेशन के अन्दर खण्ड 2 का क्लाज (सी) है उसके अन्दर कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी कौन हो, इसके अन्दर प्रावधान है कि चीफ मिनिस्टर। उनके कुलीग्स के साथ उनका संबंध जो होगा वह स्वाभाविक होगा, नेचुरल उनका कनेक्शन होगा उसको देखते हुए भी यह प्रावधान संतोषजनक नहीं है। यह प्रावधान ऐसा है कि सामान्य बुद्धि के आदमी के लिये भी संतोष देने वाला नहीं है इसलिये इस प्रावधान में मैं चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर की जगह कॉम्पीटेन्ट ऑथोरेटी गवर्नर होना चाहिये। इसी क्लाज 2 के (सी) (ii) में 'सच ऑथारिटी एज में वी प्रेस्क्राईब्ड'--तो इसी बॉडी ऑफ दी एक्ट के अन्दर इसको आप अनिश्चित छोड़ते हैं। वह कौनसी ऑथोरिटी होगी जो कि आप प्रेस्क्राइब्ड करेंगे ? रूल मेकिंग ऑथोरिटी के अन्दर भी मेरा अनुभव है कि अर्थ का अनर्थ किया जा सकता है। सारा ऑब्जेक्ट जो एक्ट का है वह रूल मेकिंग के द्वारा बिलकुल नष्ट भ्रष्ट किया जा सकता है, तो मेरा यह निवेदन है कि इस सेक्शन 2 के सब-क्लाज (सी) (ii) में 'सच ऑथोरिटी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड'--में इसकी डेफीनेशन भी प्रेस्क्राइब्ड होनी चाहिये। यह वेगनेस नहीं रहनी चाहिये।

सेक्शन 3 के अन्दर अपाइन्टमेंट ऑफ लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त है। उसमें मुख्य मंत्रीजी ने जो कुछ भी सुझाव माननीय गिरधारीलालजी, जो कि हवामहल से आये हैं उनका जो सुझाव माना है उस संबंध में भी मेरा यह निवेदन करना है कि उप-लोकायुक्त के एपाइन्टमेंट की व्यवस्था वही होनी चाहिये और उसी प्रकार की होनी चाहिये कि जो लोकायुक्त के संबंध में है।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

सेक्शन 8 के अन्दर, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि पांच वर्ष की अवधि, यह माननीय मुख्य मन्त्री ने जो जवाब दिया उसके साथ एक हद तक मेरी सहानुभुति है, लेकिन अगर आप इंसाफ करते हैं तो इंसाफ ऐसा होना चाहिए कि जो दर्से, जो दिखे कि इंसाफ हो रहा है। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है सरकार की चादर भी बिल्कुल शुद्ध और साफ होनी चाहिए। अगर उस चादर पर धब्बे हैं, अगर चादर पर कारियां लगी हुई हैं तो मेरा ख्याल है कि जैसे कहते हैं कि "थोथा चणा और बाजे घणा' ऐसी एक बात हो जाती है। तो क्रिमिनल चार्जेज जहां पर हों, फौजदारी मामले, संगीन मामले हों, मुजरिमाना आदि मामलों में अगर कोई मन्त्री का आचरण विवादास्पद होता है तो वह यह कम्पलेन्ट कभी खत्म नहीं होती। उसकी कोई मियाद ही नहीं है। अगर मुख्य मन्त्रीजी के कथन को भी एक हद तक माना जाय तो जैसा पूर्व वक्ता ने जो मावली से पधारे हुए हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि यह अवधि दस वर्ष होनी चाहिए तो उससे भी मैं सहमत नहीं हूं। क्यों यह एग्जेम्प्शन माना गया है ? अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो वह क्रिमिनल ऑफेंस ही माना जाना चाहिए। तदुपरान्त अगर प्रशासनिक व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए, अगर मुख्य मन्त्री के विचारों के प्रति सहानुभूति रखते हुए दस वर्ष की भी अवधि रखी जाय तो मेरे ख्याल में उचित होगा। यह पांच वर्ष की अवधि है यह सर्वथा अनुचित है। इसका मैं विरोध किए बिना, कड़ा विरोध किए बिना नहीं रह सकता।

सेक्शन 9 के अन्दर "अदर दैन पब्लिक सर्वेन्ट" शिकायत करने के सम्बन्ध में पब्लिक सर्वेंट को क्यों वंचित रखा जाय यह मेरी समझ के बाहर है ? बल्कि पब्लिक सर्वेन्ट तो आपके छिद्रों को अधिक जानता होगा और अगर पब्लिक सर्वेन्ट कम्प्लेंट करता है तो यह भी ऐसा प्रावधान है कि जिसमें लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। "अदर दैन पब्लिक सर्वेन्ट" शब्द जो रख रहे हैं वह नहीं रखे जाने चाहिए पब्लिक सर्वेन्ट को भी अवसर दिया जाय कि वह जाकर के कम्प्लेंट करे।

सेक्शन 10 के सम्बन्ध में, सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना है कि पहले से ही कापी अगर शिकायत की जो दोषी है उसको दे दी जाएगी तो यह तो एक तरह से भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं, और उस व्यक्ति को बचाने की आप चेष्टा करते हैं। इसमें तो जैसे पुलिस इंवेस्टीगेशन होता है, नॉरमल पुलिस इन्वेस्टीगेशन, उसी तरह से पुलिस इन्वेस्टीगेशन होना चाहिए। हां, उसको कापी बराबर दी जाय लेकिन इन्वेस्टीगेशन कम्पलीट होने के पश्चात प्राईमाफेसी एवीडेंस जांचे की कर लें और प्राईमाफेसी एवीडेंस के बाद अगर आप प्रोसीक्यूशन को प्रोसीड करते हैं, या प्रोसीक्यूशन लांच करते हैं तो उसके साथ साथ आप कापी ऑफ दी कम्प्लेंट, जो कुछ भी लिखित है, उसकी प्रति उसको दे सकते हैं।

सेक्शन 10 के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है, सभापति महोदय,

(विराम)

यह कम्प्लेंट के सम्बन्ध में तो हो चुका। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अगर कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है किसी का, मान लीजिए कि खेत में जाता है तो तीन तरह के जुर्म वहां पर करता है। एक तो क्रिमिनल, एक सिविल लायबिलिटी और एक रेवेन्यू। तो ऐसी परिस्थिति में कॉग्नीजेन्स लोकायुक्त को भी

(श्री लक्ष्मणसिंह)

लेना चाहिए। लोकायुक्त को बाहर नहीं निकाला जाय। यह सेक्शन 10, 8 और 9 के सम्बन्ध में जो व्यवस्था एक्ट के अन्तर्गत की गई है, उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन करना है।

सेक्शन 12 की सब क्लॉज (2) के सम्बन्ध में मैं नहीं जानता कि तीन महीने की अवधि के बाद क्या होगा? यह भी प्रावधान होना चाहिए कि लोकायुक्त को यह अधिकार हो इस सम्बन्ध में कि तीन महीने की मियाद निकल जाने के बाद वह भी इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करे।

सेक्शन 13 के अन्दर जो, सभापति महोदय, तीन वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है वह भी सर्वथा मैं समझता हूं कि अनुचित है। किसी की आजादी, किसी की लिबर्टी को इस तरह से समाप्त कर देना ठीक नहीं है। चाहे फिक्टिशियस कम्पलेंट ही हों, वह कर सकता है। जैसा कि मुख्य मन्त्री ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि फिक्टिशियस कम्पलेंट की तादाद बढ़े तो अगर तादाद बढ़ती भी है तो मेरे ख्याल में इस विधेयक का जो लक्ष्य है वह पूरा हो पाता है। आप रेस्ट्रिक्शन, रुकावट डाल सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जो सजा का प्रावधान है वह भी अनुचित है।

और रूल्स के सम्बन्ध में जो कुछ भी इसमें व्यवस्था दी गई है उस बारे में भी मेरा यह निवेदन करना है कि वह संतोषजनक नहीं है। कम से कम रूल्स बनाते समय, रूल्सकी प्रति लागू करने के पहले इस सदन के पटल पर रखी जाय और उस पर पूरी बहस हो जाने के पश्चात सरकार इन रूल्स फ्रेम करे। रूल्स फ्रेम करने के सम्बन्ध में एक कमेटी कायम की जाय जिसमें विरोधी पक्ष के भी माननीय सदस्यों को लिया जाय तो यह व्यवस्था उचित होगी।

सभापति महोदय, मैं विशेष नहीं कहना चाहता। मैं अपने दो शब्द यही मत व्यक्त करके समाप्त करूंगा कि आज जो पौधा हम इस विधान सभा के अन्दर लगाने जा रहे हैं वह फले और फूले। उसकी जड़ें गहरी उतरें और जनतंत्र की यह संस्था उसको बल दे ताकि जनता का अधिक से अधिक हित हो, भ्रष्टाचार कम हो और इस सदन को भी संतोष का यह विधेयक विषय बने।

श्री सभापति : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक जो आज प्रस्तावित किया गया है नार्वे और स्वीडन के अन्दर 18 वीं सदी से इस प्रकार की व्यवस्था थी। हमारे देश में आजादी प्राप्त होने के बाद में बारबार इस बात की मांग की गई कि जिस गति से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाया जाये जसा कि आप को पता है संथानम् कमेटी ने रिपोर्ट दी। उसके पश्चात् मोरारजी देसाई की अध्यक्षता के अन्दर एक और कमेटी बनी। राजस्थान में एक कमीशन की नियुक्ति की गई और इसके ऊपर पिछले कई वर्षों से चिंतन और मंथन होता रहा। दुर्भाग्य से राजस्थान भ्रष्टाचार के अन्दर यद्यपि प्रदेश के अन्य आय के प्रश्न के ऊपर, लिट्रेसी के प्रश्न के ऊपर, विद्युतिकरण के प्रश्न के ऊपर हम कुछ कई प्रान्तों से पीछे हैं, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि राजस्थान भ्रष्टाचार के अन्दर इस देश के अन्दर अपना नम्बर कई प्रदेशों से अधिक आगे रखता रहा है। हमारे यहां पर सादड़ी काण्ड हुआ जो कि सादड़ी सोना काण्ड के नाम से

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

प्रसिद्ध है। पानरवा जंगल का काण्ड हुआ जिनकी जांच के लिये बराबर सदन के अन्दर माननीय सदस्यों ने आरोप लगाये, विश्लेषण किया। सदन के पटल के ऊपर वे प्रश्न लाए गए लेकिन बहुमत के आधार पर हमेशा सबको टाला गया। आज मुख्य मन्त्री व अन्य मन्त्री यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार मन्त्रिमण्डल के स्तर पर नहीं है या अन्य स्तर पर नहीं है तो वे भी उस समय यहां विद्यमान थे जब कि दूसरा मन्त्रि-मण्डल यहां पर था।

प्रश्न यह है कि हमारे सामने, माननीय सभापति महोदय, यह जो विधेयक है इसका सैद्धान्तिक रूप से मैं स्वागत करता हूं, उसको उपयोगी समझता हूं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उस विधेयक की जो मूल भावना है उस भावना को वाटर डाउन करते करते जो उसमें प्रावधान बनाये हैं वह इस प्रकार के बनाये हैं कि विधेयक का नाम और उद्देश्य पवित्र होते हुए भी, स्वागत योग्य होते हुए भी, उसमें जो प्रावधान हैं वह इस प्रकार के हैं कि उससे राजस्थान की जनता को भ्रष्टाचार को मिटाने के अन्दर किसी भी प्रकार की इमदाद होना चाहिए थी, वह सफलता नहीं मिलने वाली है। मैं इसलिये कहता हूं, माननीय सभापति महोदय कि सबसे प्रथम यदि हम इसमें देखें तो सबसे बड़ी कमी जो है वह यह है कि जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अभी कहा कि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, जिनके पास में डिग्री नहीं है, जिनके पास में अनुभव नहीं है, जुडिशियल एक्सपीरियन्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपनी कामन सेन्स के कारण या अन्य कारण से समाज में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। तो माननीय मुख्य मन्त्री जी किस ओर संकेत कर रहे थे मैं नहीं समझ सका, लेकिन उनका यह संकेत है कि इस लोकायुक्त के पद पर भी किसी राजनेता को बैठाया जा सकता है जो कि चुनाव में नहीं आ सके जैसा कि कमीशन्स के अन्दर, कमेटीज के अन्दर, हाउसिंग बोर्ड के अन्दर, यू.आई.टी. के अन्दर शरणार्थी के नाते उनको पुरः स्थापित किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि विधेयक की भावना को ही नहीं विधेयक के पूरे के पूरे अभिप्राय को समाप्त कर दिया गया है। मैं नहीं समझ सका कि क्या उनका अभिप्राय था? और इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उनका अभिप्राय यह था कि केवल ऐसा लेकुना रख दिया जाय, क्वालिफिकेशन का इसमें प्रावधान नहीं है, यह भी आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति पढ़ा-लिखा हो या नहीं, यह भी आवश्यक नहीं है कि उस व्यक्ति का जुडिशियल एक्सपीरियन्स है कि नहीं, यह भी आवश्यक नहीं है कि उस व्यक्ति के खिलाफ चार्ज लगा हुआ नहीं, उसके पीछे की हिस्ट्री में कोई कालिख लगी हुई न हो, तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक से जो लोकायुक्त बनाने का मन्तव्य है वह समाप्त हो जाता है।

इस सम्बन्ध में, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी जो राजस्थान में बनी थी, और राज्य सरकार ने उस कमेटी को इसलिए बनाया था कि वह अपने सुझाव दे कि किस प्रकार से इस संस्था को बनाया जाय। उस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी ने जो राज्य सरकार की थी जिसके श्री हरिशचन्द्र माथुर अध्यक्ष थे व अन्य व्यक्ति भी सदस्य थे उस कमेटी ने पृष्ठ 29 पर लिखा है:—

"Qualifications:-A person appointed as Ombudsman should be one who is eligible to hold the post equivalent in status to that of a judge of the High Court or a Member of the Union Public Service Commission and is of out

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

standing integrity. In order to enable him to discharge him functions efficiently he should have a good background of administration, preferably also of basic legal procedures. He should not be affiliated to any of the political parties."

माननीय सभापति महोदय, यदि हम सरपंच के लिए यह आवश्यक समझें कि उसको हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए, फ्रिक्वेन्टली उसको पढ़ने के लिये उसमें प्रावधान रखा है और लोकायुक्त जैसे ऊंचे स्तर के पद के लिए हम किसी प्रकार का प्रावधान न रखें, मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर कोई इसमें लेकुना नहीं हो सकता। यदि यह लेकुना इन्टेन्शनल नहीं है तो आज भी माननीय मुख्यमन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध के अन्दर इसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि लोकायुक्त वही व्यक्ति बन सकेगा जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो या वर्तमान जज हो। इससे जनता में विश्वास बढ़ेगा। जनता के अन्दर इस प्रकार का विश्वास पैदा होगा कि वास्तव में हम ऐसा पद बनाने वाले हैं और उससे भ्रष्टाचार समाप्त करने का हमारा इरादा है। यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी यह नहीं करते हैं क्योंकि कानून किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बनता है, कानून वह स्थायी होता है जो हम समाज को देते हैं, जो प्रोजेनी को देते हैं, जो हमेशा के लिए देते हैं, इस कारण माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस बात पर विचार करें कि कोई भी व्यक्ति आज बनाया जा सकता है और पांच वर्ष के बाद में दूसरा व्यक्ति बनाया जा सकता है, लेकिन कम से कम इस सदन में जब हम बैठे हुए हैं तो यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इस प्रकार का प्रावधान करें कि आने वाली पीढ़ी यह कहे कि इस विधान सभा के जो विधायक थे जिन्होंने इस कानून को बनाया है उन्होंने कोई लेकुना नहीं छोड़ा है। इस कारण से यह इसके अन्दर एक बहुत बड़ा लेकुना है।

इसके साथ ही जो पब्लिक ग्रीवान्स का इसमें से हटा दिया गया है, मैं समझता हूं कि वह इतना बड़ा लेकुना है कि महाराष्ट्र के अन्दर जो कानून बना, और सैन्ट्रल का ड्राफ्ट आया सब के अन्दर पब्लिक ग्रीवान्स का रखा है, वह प्रावधान बनाया गया है तो मैं नहीं सोच सकता कि राजस्थान में ऐसा कोई विशेष कारण है कि जिसकी वजह से पब्लिक ग्रीवान्स को हटा दिया गया है। यहां तक ही नहीं यदि देखा जाय तो वैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन सैन्ट्रल का बना है और जुलाई, 1970 के अन्दर जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें उन्होंने लोकायुक्त और लोकपाल का प्रावधान इस हैडिंग के साथ में प्रारम्भ किया "प्राब्लम्स एण्ड रिड्रेस ऑफ सिटीजन्स ग्रीवान्सेज" इसमें स्पेशली कहा है —

"Special circumstances relating to our country can be fully met by providing for redress of citizens' grievances. There should be one authority dealing with complaints against administrative heads, Ministers, Secretaries of the Government in the Centre and the States. There should be another authority in each State, as at the Centre, for dealing with complaints against administrative heads and other officers. All these authorities should be inde-

(श्री गुमानमल लोढा)

pendent of the executive as well as the legislature and the judiciary. The authority dealing with complaints against Ministers and Secretaries to Government should be designated as Lokpal while the Authority at the Centre and in the States empowered to deal with complaints against other officers should be designated as Lok Ayukt."

इसमें जिस प्रकार से सारा प्रावधान रखने का सुझाव दिया उसमें स्पष्ट तौर से यह था कि लोकायुक्त का ज्युरिस्डिक्शन, लोकायुक्त का क्षेत्र सीमित नहीं होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, यह हम जानते हैं कि हमारे यहां प्रिवेन्शन आफ करपशन एक्ट और इन्डियन पिनल कोड हैं और सिविल सर्विसेज के बारे में उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स हैं, पंच, सरपंच और प्रधान के लिए राजस्थान पंचायत एण्ड पंचायत समिति एक्ट के अन्दर प्रावधान है कि यदि किसी प्रकार का दुरुपयोग करें तो उसके लिए कार्यवाही की जाय। यह सब होने के बाद में लोकायुक्त का फोरम बनाने की क्या आवश्यकता थी? उसका अर्थ यह था कि सब प्रकार की पब्लिक वान्सेज को कोडील करके लोकायुक्त अपना निर्णय उसके बारे में दे सकें। और, माननीय सभापति महोदय, मैं यदि यह कहूं कि सबसे अधिक खतरे जिसको मैं कहूं कि जो आत्मा थी उस आत्मा को निकाल कर एक जर्जरित व्यक्ति के रूप में खड़ा कर दिया गया इस विधेयक को यह कहकर कि इसके दिये हुए निर्णय, इसको भेजी हुई रिपोर्ट राज्य सरकार को मान्य हो यह आवश्यक नहीं है। मैं समझता हूं यह सबसे अधिक घातक इसमें प्रावधान है जिसके कारण से लोकायुक्त की वही दशा हो सकती है जो दूसरे कमीशन्स की और एन्क्वायरी कमेटीज की होती है। माननीय सभापति महोदय, यदि मैं यह कहूं कि लोकायुक्त आपने बनाया और वह मन्त्री के खिलाफ कोई शिकायत करे और उस पर वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि अमुक मन्त्री महोदय ने या अमुक सेक्रेटरी महोदय ने इस प्रकार से अपने पद का दुरुपयोग किया है और वह अगर राज्य सरकार द्वारा रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाय जैसा कि बेरी कमीशन के निर्णय को डाला या अन्य कमीशन के निर्णय को डाला जाता है या अन्य कमीशन का निर्णय टाला जाता है तो यह आश्वासन क्या होगा और लोकायुक्त बनाने के समय यह नहीं होगा उनकी रिपोर्ट की कदर सरकार करे या न करे यह राज्य सरकार के अधीन है। माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक की आत्मा को निकाल दिया गया है। वास्तव में इससे हम यह तो कह सकते हैं कि हमने एक ऐसे विधेयक को पारित किया है जिससे भ्रष्टाचार की जांच तो हो सकती है लेकिन उसका निर्णय क्या होगा, यह राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर होगा। माननीय सभापति महोदय निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वास्तव में राज्य सरकार ईमानदारी से कृत संकल्प है तो कम से कम यह किया जाये कि लोकायुक्त के निर्णय से राज्य सरकार बाध्य हो। माननीय सभापति महोदय, लोकायुक्त के निर्णय से सजा नहीं होगी। फांसी नहीं होगी। लोकायुक्त से राज्य सरकार बाध्य होगी तो यही कि जो कार्यवाही करने की होगी तो वह आई.पी.सी. के जरिये से ही होगी या राज्य सरकार डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए बाध्य हो। उस समय राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि अमुक व्यक्ति हमारे लिये

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

लाभप्रद हैं। तो माननीय सभापति महोदय, इससे बाद में रिजल्ट निकलता है, यह तो बाद की बात होगी, लेकिन मानना और न मानना यह भी राज्य सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि इसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। एक और घातक बात है, वह गम्भीर बात है जो अभी महसूस नहीं हो रही है। इसमें मिनिस्टर की डेफिनेशन में एक्स मिनिस्टर नहीं आता है। केवल वही आते हैं जो अभी हैं या जो रहेंगे। शायद यह गलती से रह गया हो। इन्नोसेंटली रह गया हो, या गलती से रह गया हो, तो मैं चाहूंगा माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, इसको ठीक करें। अन्यथा यह होगा कि इस विधेयक के द्वारा, जो भ्रष्टाचार समाप्त करने का कानून बना रहे हैं, लेकिन जो अब तक मिनिस्टर रह चुके हैं, सदन पटल पर जिनके ऊपर आरोप लगाये जा चुके हैं, उनको आप कवर कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ताकि आज तक उनके जो पाप हैं, वह पूण्य में परिणित हो जायेंगे। मिनिस्टरों की अवधि में प्रजेन्ट और पास्ट नहीं रखा जाता है तो यह 5 साल की अवधि बेकार है। 5 साल के बाद जब वह मिनिस्टर नहीं होगा तो उसके खिलाफ जांच नहीं हो सकेगी। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार और मन्त्रिमण्डल के सदस्य इस ओर ध्यान दें। यदि उनकी मन्शा अपने पापों को छुपाने की नहीं है तो वह स्पष्ट रूप से कहे कि वर्तमान और भूतपूर्व मिनिस्टर होगा। माननीय सभापति महोदय, इसमें 5 साल की अवधि है। मुख्यमन्त्री महोदय कहते हैं कि अगर मेरे खिलाफ शिकायत है तो गवर्नर के पास करें। या राष्ट्रपति के पास करें। मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन यह भी स्पष्ट है कि मुख्य मन्त्री आज कौन है और 5 साल के बाद कौन रहेगा हम कानून व्यक्ति को देखकर नहीं बनाते है, कानून हमेशा स्थायी होता है। हमेशा के लिए होता है। एक प्रदेश के लिए होता है। मुख्य मन्त्री को इसमें से क्यों निकाला गया है। लोकपाल को प्रतिवेदन होगा या नहीं होगा या कब होगा, पता नहीं। पर क्या मुख्यमन्त्री को इस जूरिस्डिक्शन से निकालना उचित है? आज मुख्यमन्त्री बरकतउल्ला खां हैं, पहले मोहनलाल सुखाड़िया थे, कभी कोई और व्यक्ति विशेष हो सकता है। मुख्यमन्त्री किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करे और लोकायुक्त उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकता है। मैं माननीय मुख्यमन्त्रीसे निवेदन करूंगा, यदि वह कहते हैं कि उनके खिलाफ गवर्नर को शिकायत की जा सकती है, फिर लोकायुक्त तो ऐसा व्यक्ति है, जो सदन के द्वारा होगा तो उससे कतराने का क्या कारण है? कौन सा ऐसा राज है जिससे मुख्यमन्त्री अपने को बचाना चाहते हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम न्याय करें लेकिन न्याय हो रहा है, ऐसा दिखाई भी देना चाहिए। Justice must not only be done, it should also appear to be done.

कम से कम राजस्थान की जनता को ऐसा विश्वास होना चाहिये कि मुख्यमंत्री ने अपना सिर लोकायुक्त के हाथ में दे दिया है। उसका चोला बेदाग है। किसी प्रकार का आरोप है तो लोकायुक्त के पास जाओ। बजाय इसके कि गवर्नर, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को लिखो। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि इसमें यह चोर दरवाजा है, लूपहोल्स हैं। यह इस विधेयक की गम्भीरता को, उसकी पवित्रता को समाप्त कर देते हैं। और मैं यह कहूं कि मुख्य मंत्री महोदय,

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

राजस्थान में भ्रष्टाचार के ववण्डर से उठे हैं। आज भी राजस्थान भ्रष्टाचार के कगार पर खड़ा है। इसमें यह विधेयक लाकर यह कहना कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे तो उनको चाहिए कि इस प्रकार के चोर दरवाजे न रखें और जो रिकमन्डेशन्स हों, उन रिकमन्डेशन्स को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें।

लोकायुक्त के एपाईन्टमेंट के लिये कोई क्वालिफिकेशन न रखने का मतलब है, अपने मनचाहे व्यक्ति को, किसी प्रकार के व्यक्ति को भी रख सकेंगे। वह व्यक्ति पढा-लिखा हो या नहीं, उसे जुडिशियल एक्सपीरीयेंस हो या नहीं इस प्रकार का प्रावधान न रखना घातक है। माननीय मुख्य मंत्री ने वक्तव्य दिया कि पढ़ा लिखा हो या नहीं, एक्सपीरीयेंस हो या नहीं—किसी भी व्यक्ति को रखा जाता है। तो यह सबसे ज्यादा घातक होगा।

मैं कहना चाहूंगा कि इस विधेयक पर सैद्धान्तिक रूप से विचार आये हैं, लेकिन दूसरे वाचन के अन्दर जो अमेंडमेंट रखें, उनको स्वीकार करने का साहस दिखा कर माननीय मुख्य मंत्री जो इस विधेयक को प्रेक्टिकल रूप से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये सम्पन्न रूप से, शक्तिशाली रूप से संशोधित करके पारित करायें। इस भावना से जो विचार मैं आपके सामने रखना चाहता था वह मैंने रख दिये हैं इसके बाद जब खण्डश: विचार होगा उस समय अलग से विचार रखूंगा।

श्री सभापति: श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : सभापति महोदय, राजस्थान लोकायुक्त, उप-लोकायुक्त विधेयक, 1973, जो आज सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है—मैं उसका समर्थन करती हूं और राज्य सरकार को एसा क्रांतिकारी और प्रगतिशील विधेयक इस सदन में प्रस्तुत करने के लिये बधाई देती हूं। सभापति महोदय, सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत करके इस बात का प्रमाण तो दिया है कि मौजूदा मंत्रिमंडल के सदस्यों का आचरण शुद्ध है, बेदाग है लेकिन इसके साथ ही साथ इस विधेयक से ऐसे व्यक्तियों के लिये जो शासन में अपने पद का दुरुपयोग करने के लिये दोषी हैं, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये दोषी हैं उनके लिए भी कठिन परिस्थितियां पैदा करदी हैं। मेरा विश्वास है, कि कानून के प्रभाव में आने के बाद हमारे प्रशासन पर इसका अच्छा असर पडेगा। इस विधेयक में धारा तीन के अन्तर्गत जो प्रावधान है उसमें लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की सलाह पर नियुक्त करने का प्रावधान है। उनसे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार का विश्वास लोकतंत्र में अटूट है और सदन के सामने और राजस्थान की जनता के सामने यह साबित कर कर दिया है कि वह लोकतंत्र की व्यवस्था में पूर्ण रूप से विश्वास रखती है। इस विधेयक की धारा के अनुसार राज्य सरकार ने विपक्ष के दलों को भी एक कसौटी पर चढाया है। उससे यह अपेक्षा की है, प्रशासन को स्वच्छ रखने में उन्हें सरकार का सहयोग करना चाहिए। मैं समझती हूं कि इस लोकायुक्त की नियुक्ति के सबंध में यदि राज्य सरकार पहले लोकायुक्त को बहुत सोच, विचार और समझ से नियुक्ति करे तो मेरा ख्याल है कि इस संस्था की भविष्य में बहुत

(श्रीमती मदनकौर)

अच्छी उपयोगिता सिद्ध होगी, क्योंकि जो पहला लोकायुक्त नियुक्त किया जायगा वह इस संस्था को एक ढांचे में ढालेगा, वह ढांचा और परम्परायें भविष्य में भी इस संस्था की बनी रहेगी। ऐसा विश्वास मैं कर सकती हूं और उसके लिए पर्याप्त आधार है कि विधेयक के अनुसार पहला लोकायुक्त विपक्ष के नेता और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुभव से ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जायगा, जिसके संबंध में किसी को शिकायत नहीं हो और उसका आचरण सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत अच्छा रहा हो। इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगी, लोकायुक्त पद पर जिसे नियुक्त किया जाय, उस व्यक्ति को प्रशासन में जो भ्रष्टाचार होते हैं, उसके संबंध में बारीकी से जानकारी होनी चाहिए अन्यथा ईमानदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी और जो बहुत भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं वह तब भी इस कानून के शिकंजे से बाहर रहेंगे।

सभापति महोदय, शिकायतें अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ होती रहती हैं लेकिन शिकायतों और शिकायतों पर होने वाली जांच का तरीका बहुत पुराना है और पुराना ही नहीं है, यह तरीका तो खुद भी एक भ्रष्टाचार का साधन बन गया है। आखिर शिकायत करता कौन है? शिकायत वही व्यक्ति करता है जिसको अमुक लोक सेवक या उच्च अधिकारी से कोई राजनैतिक या व्यावसायिक प्रतिद्वन्द्विता हो, इस प्रकार के लोग शिकायत करें और शिकायतों पर लोकायुक्त अपनी कार्यवाही सीमित कर दें तो मैं समझती हूं कि इस विधेयक का कोई बहुत लाभ जनता को होगा—ऐसा मैं विश्वास करके नहीं चलती।

इस विधेयक में धारा 7 की उपधारा 3 के अन्तर्गत बिना शिकायत के भी जांच करने का अधिकार इस लोकायुक्त को दिया गया है। इस संबंध में मैं निवेदन करूंगी आम तौर से ऐसा प्रचार किया जाता है कि राज्य के अधिकारी और मंत्री, सभी के सभी, सारे के सारे भ्रष्ट हैं लेकिन मेरी, सभापति जी, निश्चित मान्यता है, ज्यादातर अधिकारी भ्रष्ट नहीं हैं, ईमानदार हैं, अपने काम के प्रति निष्ठा रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरी यह भी मान्यता है कि हर एक विभाग में कुछ अधिकारी इतने भ्रष्ट और भ्रष्टाचार को फैलाने में इतने कुशल और निपुण हैं, कि उनके इर्द गिर्द भ्रष्टाचार फैला रहता है और ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत नहीं होगी क्योंकि वे सभी लोगों को किसी न किसी प्रकार से खुश रखते हैं और इस कारण उनकी कोई शिकायत किसी संस्था के सामने नहीं की जाती है। मेरा निवेदन है कि लोकायुक्त को जो अधिकार दिये गये हैं धारा 7 के अन्तर्गत, राज्य सरकार उसको बहुत ही समझ और सूझ बूझ से काम में लेगी और ऐसे महारथी, ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी अलग अलग विभागों में हैं, उनके संबंध में अपनी तरफ से इनीशियेटिव लेकर लोकायुक्त अपनी निजी इन्टेलीजेंस एजेन्सी की मार्फत उसकी जांच करायें कि किस प्रकार प्रशासन में भ्रष्टाचार फैलता है। मैं समझती हूं, इस कानून के शिकंजे में ऐसे महारथियों को लिया जाय तो प्रशासन के प्रति लोकायुक्त बहुत ही न्याय करेंगे। इस संबंध में मैं यह निवेदन भी करना चाहूंगी, बिना शिकायत के जांच की जाय, उस समय ऐसी चीजों को सम्मिलित किया जाय कि जो अमुक अधिकारी हैं, जो अमुक लोक सेवक हैं, उसकी अपनी क्या आय है,

(श्रीमती मदनकौर)

उस आय से वह कितना अधिक खर्चा रखता है, कितनी चल-अचल संपत्ति का संग्रह किया है, उसके बच्चे कहां किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस हॉस्टल में रहते हैं। इस की सारी जानकारी लोकायुक्त को करनी चाहिए। मैं यह भी चाहूंगी कि राज्य सरकार इस विधेयक की मार्फत लोकायुक्त को यह अधिकार दे और राज्य सरकार अपने लोक सेवक और उच्च अधिकारियों को बाध्य करे, सालाना अपनी स्थिति और ज्ञात आय का ब्यौरा लोकायुक्त को दे, जिससे जानकारी हो सके कि कितने लोगों ने साल भर में चल-अचल सम्पत्ति और कीमती सामग्री एकत्रित की है और फिर जो उनकी ज्ञात आय है, उससे उसका मुकाबला करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, इस प्रकार की जानकारी करने की आज भी हमारे प्रशासन में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है।

इस सारे कानून की सफलता और उपयोगिता, सभापति महोदय, इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी राज्य सरकार इस लोकायुक्त के साथ कितना सहयोग करती है। लोकायुक्त का जुरिस्डिक्शन और कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक बनाया गया है और व्यापकता को देखते हुए स्टाफ इस संस्था को केवल नाम मात्र को दिया गया है। मैं नहीं समझती कि लोकायुक्त की संस्था का हमारे राज्य के प्रशासन पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। मैं आशा करती हूं, राज्य सरकार ने ऐसे प्रगतिशील और क्रांतिकारी कानून को लाने का साहस किया है, वह सरकार सारा सहयोग और सामर्थ्य इस लोकायुक्त की संस्था को उपयोगी बनाने के लिये देगी। मैं एक बार फिर राज्य सरकार को ऐसा क्रांतिकारी और प्रगतिशील कानून इस सदन में लाने के लिए बधाई देती हूं क्योंकि यह स्वागत योग्य है और हमारे प्रशासन के नक्शे को बदलने वाला एक कदम है।

श्री सभापति : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : सभापति महोदय, सदन के अंदर लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त विधेयक सामने है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि यह बहुत बड़ा जन उपयोगी है और मैं इसका स्वागत करता हूं। इससे जन प्रतिनिधियों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको कसौटी पर कसा जा सकेगा और जो खरा सोना है वह निकल जायगा और जो भ्रष्ट है वह पकड़ा जायगा और जनता की सारे चोर कहने वाली प्रवृति बढ़ गई है, उससे काफी राहत मिलेगी। लेकिन साथ ही, सभापति महोदय, मुझे दुःख है इस बात का कि इस तरह का बिल हाउस के सामने आया है तो क्या जन प्रतिनिधियों के अन्दर इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है कि आज यह बिल लाना पड़ा। बड़े दुःख की बात है कि इस युग के अन्दर जब हम राम राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं जन प्रतिनिधि चुन कर आते हैं, उनके अन्दर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह इतने ईमानदार नहीं हो सकते कि आज यह बिल हमारे सामने आये और उनकी जांच करने की आवश्यकता पड़े। सभापति महोदय, इसका लक्ष्य जो है वह ठीक है लेकिन जो मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सब के लिए छूट कर दी जाएगी जनता के लिए कि संबंधित अधिकारी को सस्पेंड किया जाए जांच के समय तो काम नहीं चलेगा। यह मेरी समझ में नहीं आता। साल भर से मैं देख रहा हूं। अगर किसी अधिकारी पर लांछन लगता है, अगर उंगली उठती है तो निश्चित रूप से सस्पेंड करन

Page No. 97

(श्री अजीतसिंह)

चाहिए, वगैर सस्पैन्शन के जांच पूरी होना मुश्किल सी लगती है। एक शासन पर बैठा हुआ आदमी और दूसरी तरफ मामली आदमी यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि आरोप सिद्ध हो सकेंगे और शिकायत करने वाले को कोई राहत मिल पाएगी। ऐसी आशा नहीं की जा सकती।

दूसरी बात यह है जिन पर कोई लांछन नहीं लगता उनका क्या करें? लगता है तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और सम्बन्धित अधिकारी को सस्पेंड किया जाए। उनकी जांच हो और सस्पेंशन न हो तो अटपटी सी बात है।

दूसरी बात लोकायुक्त के अन्दर जनता के हरेक आदमी को, जिसको कोई शिकायत है, उनको सुनने का अधिकारी हो। सभी लोकायुक्त के सामने जाकर अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करें, जांच हो, इसके अन्दर ऐसी व्यवस्था हो, तो यह उपयोगी सिद्ध होगा।

इसके अतिरिक्त जो विधायक और दूसरे जन प्रतिनिधियों को आप छोड़ते हैं, उस बारे में निवेदन है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए तो पता लगे कि जनता का इस पर क्या मत है, इसकी जानकारी हो जाएगी और फिर यह कानून लोकप्रिय हो जाएगा और जितने भी जनता के विचार हैं वे भी शामिल हो जायेंगे।

श्री सभापति: श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल (ब्यावर): सभापति महोदय, आज हमारे सामने लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त विधेयक, 1973 पर बहस चल रही है और इस पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वैसे तो यह बिल स्वागत योग्य है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस बिल के आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज हमारे देश म बहुत भ्रष्टाचार और बहुत सी ऐसी अनियमितताये होती हैं जिनको ठीक करने के लिए यह बिल लाया गया। दरअसल बात यह है कि ये अनियमिततायें, यह भ्रष्टाचार पूंजी को संग्रह करने के लिए होते हैं, यह पूंजीवाद समाज की देन है। ऐसे समाज में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास किसी प्रकार से भी आए लेकिन पूंजी आए फिर वह नहीं देखता कि पूंजी स्मगल करने से आती है तो वह उसका भी प्रयास करेगा, चोरी करने से आती है तो वह भी करेगा, देश की गुप्त से गुप्त बातें भी विदेशों में पहुंचाएगा, हर प्रकार का अपराध वह पूंजी प्राप्त करने के लिए करेगा। तो यह इस व्यवस्था का दोष है। पूंजीवादी व्यवस्था में हर व्यक्ति पूंजी इकट्ठी करने के लिए लालायित रहता है।

यह बिल जो हमारे सामने आया है, उसको रोकने के लिए एक रास्ता है। खैर, मुझे लगता है इसमें कुछ खामियां हैं जिनको शायद दूर किया जाए तो और ज्यादा अच्छा होगा। इसमें जहां नियुक्ति का प्रश्न है, उसमें मेरा निवेदन है कि इसमें हाई कोर्ट के जज और ऐसे जजेज की बात कही गई है। अच्छा यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज जो रिटायर्ड न हों, ऐसे लोगों को इसमें नियुक्त किया जाए तो अच्छा होगा। इससे एक तो यह नहीं होगा कि किसी की जान पहचान या रिश्तेदारी से उनको प्रभावित कर सकेंगे, न यह होगा कि जो व्यक्ति यहां पर किसी को सिफारिश के आधार पर रखा गया है, उसकी सुन सकेगा। तो इसलिए अच्छा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज

(श्री केशरीमल)

जो काम करता हो, इसमें उसको नियुक्त किया जाए।

इस बिल में जहां मन्त्री और दूसरे अधिकारियों के लिए कहा गया है कि उनकी जांच हो सकेगी और इसमें मुख्य मन्त्री को अलग रखा गया है। वैसे तो इस पर बहुत बहस हो चुकी है और यह भी कहा गया कि केंद्रीय सरकार लोकपाल की नियुक्ति करने जा रही है और वह मुख्य मंत्रियों के खिलाफ आरोपों की जांच करेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि वह बात यहां भी आ जाए तो क्या गलत होगा ? ज्यादा अच्छा होगा कि हम भी अपनी बात को यहां रखें। हमारे मुख्य मन्त्री खिलाफ चाहें तो जांच करा सकते हैं, यह बात शामिल करना बहुत आवश्यक है। इससे इनको अवसर मिलेगा उन लोगों को जवाब देने का

श्री शंकरलाल (जैतारण): दोनों अलग से थोड़े ही कानून हो सकते हैं ?

श्री केशरीमल: यहां हो जाए तो और भी अच्छा है। तो मुख्यमन्त्री के लिए इस विधेयक में प्रावधान होना चाहिए।

विधायकों के बारे में कहा गया कि कोई हस्ती नहीं रखते कि उनके खिलाफ जांच हो। मेरा कहना यह है कि बहुत से विधायक अब भूतपूर्व बनकर बैठे हों या और किसी तरह हों भी जिनकी हस्ती को ऐसे कम करते हो जिनके लिए लोगों को आशंका हो, जिनको चैम्बर प्रेक्टिस करने का अभ्यास हो, वह रास्ता बना लेते हैं ऐसे लोगों की जांच होती है तो अच्छा है। मैं नहीं कहता कि सदन में ऐसे सदस्य होंगे लेकिन कभी भी हो सकते हैं और उनकी जांच हो जाए तो बुरा नहीं। इसलिए विधायकों को शामिल करना अच्छा होगा।

इसमें ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए कि यूं ही समझकर उनके खिलाफ चला जाए जिस आदमी ने कोई पद ग्रहण किया हो, उसकी आमदनी और खर्च और रहन-सहन, उनके बच्चों की शिक्षा देखें और दूसरे सब मामलों का पता लगता है कि इस आदमी की आमदनी इतनी कम है और खर्चा इतना ज्यादा है तो वह खर्चा कहां से आ रहा है ? तो पद ग्रहण के बाद उसकी आमदनी को देखें, सम्पत्ति इकट्ठी की हो तो उसको भ्रष्टाचार मानना ही चाहिए, ऐसा प्रावधान इसमें होना चाहिए।

इसमें यह कहा गया है कि लोकायुक्त राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और वह उस पर अपना फैसला देंगे। यह रास्ता घुमाई फिराई का हो जाएगा जिसमें लोग कहेंगे कि फैसला बदल लिया या जो वाकई अच्छे ईमानदार अधिकारी हैं उनके लिए कहा जाएगा कि दरअसल में सरकार ने इनको बचाने की कोशिश की है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि लोकायुक्त की रिपोर्ट को ही फाईनल मानलें। उसके फैसले को ही फाईनल मान लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें जो आपने तीन साल की सजा का प्रावधान रखा है उसे उसमें से हटा दिया जाय। तीन साल की सजा का जो प्रावधान आपने रखा है वह वाजिब बात नहीं है। इस प्रावधान को अगर आप नहीं हटाते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि शायद ही कोई शिकायत करने आयेगा। क्योंकि अगर कोई इन्सान उस शिकायत साबित नहीं कर सकता है तो उस हमेशा यह भय बना रहेगा कि उसे साबित नहीं कर सकने पर तीन साल की सजा हो सकती है। इस प्रकार आप लोगों की हिम्मत को तोड़ देंगे और

(श्री केशरीमल)

मैं समझता हूं कि कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। अगर आप असलियत में इस कानून को लागू करना चाहते हैं तो आप इस प्रावधान को हटा दीजिये। मैं समझता हूं कि लोग शिकायत करना बन्द हो जायेंगे और आप फिर वाद में कहेंगे कि कोई शिकायतकर्ता ही नहीं आया। इसलिये सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो मैंने संशोधन प्रस्ताव इसमें प्रस्तुत किया है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रस्तुत किया जाय वह स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति: श्री रामनारायण चौधरी।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त विधेयक. 1973 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : सभापति महोदय, आज सदन में राजस्थान में लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त विधेयक, 1973 पर विचार विमर्श हो रहा है। सभापति महोदय, इस कानून को देख कर व इस सदन में जो वहस हुई उसको सुनने के वाद वहुत दुख हुआ है कि हम जनतन्त्र को कहां लेजाना चाहते हैं। क्या हमें जनतन्त्र में, डेमोक्रेसी में विश्वास भी है या नहीं। आज की बहस सुनने के वाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा प्रजातन्त्र में विश्वास उठता जा रहा है। जहां तक यह बिल आया है यह प्रशंसनीय है, काविले तारीफ है और समर्थन करने के योग्य है। जिस तरह की बात यहां पर कहीं गयी कि इस बिल के दायरे में मुख्यमन्त्री आना चाहिए और लोकापाल के दायरे में प्राइमिनिस्टर आना चाहिए मुझे इस वात को सोच कर दुःख होता है कि आखिर हम लोग क्या सोच रहे हैं? जो व्यक्ति एक राष्ट्र का लीडर है जो व्यक्ति पूरे भारतवर्ष के 55 करोड़ लोगों का लीडर है उस व्यक्ति के ऊपर लोकपाल की नियुक्ति की जाय? और एक व्यक्ति जो कि एक प्रान्त का मुख्य मन्त्री है और डेमोक्रेसी में जनता जिनको चुनकर भेजते हैं वो लोग उसको चुनते हैं उसके ऊपर लोकआयुक्त वैठाना चाहते हैं? तो फिर आपकी डेमोक्रेसी में राज्यपाल का, राष्ट्रपति, मुख्य मन्त्री, प्राइमिनिस्टर का क्या महत्व रह जायेगा? सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इससे डेमोक्रेसी की जो वसिक वैल्यू ऑफ लाईफ ऑफ डेमोक्रेसी है वह नहीं पनप सकेगी देश में। आज जो भी व्यक्ति लोकपाल या लोक आयुक्त या उप-लोकायुक्त नियुक्त होता है वह मेरे खयाल से यहां पर उन लोगों के ऊपर हो जायेगा। मेरे खयाल में वह भी तो एक नौकर ही होगा जैसे कि आज हमारे आई० ए० एस० और आई० पी० एस० ऑफिसर्स हैं। तो इसी प्रकार सभापति महोदय, लोकपाल और लोक आयुक्त और उप-लोकायुक्त भी एक तरह से ब्यूरोक्रेट्स होंगे। तो आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम करना क्या चाहते हैं? यह मैं मानता हूं, सभापति महोदय, कि देश में एक वातावरण बनाया जा रहा है विरोधी दलों द्वारा कि मुख्यमन्त्री और प्राइम मिनिस्टर इस बिल की परव्यू में आजावें, ताकि उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं हो। यह वुरी वात हो। हमारे यहां लोकपाल और लोकायुक्त की परम्परा डालने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मस कमेटी के चैयरमैन श्री मुरारजी देसाई ने यह सिफारिश की थी कि यहां पर मिनिस्टर्स और मुख्य मन्त्रियों तथा प्राइममिनिस्टर के ऊपर लोकपाल होना चाहिए जो कि इनके खिलाफ कार्यवाही हो उसकी सुनवाई करे। मैं कहता हूं, सभापति

(श्री रामनारायण चौधरी)

महोदय, विश्व के अन्दर कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर कि यह प्रथा हो सिवाय स्कैन्डीनेविया के। न अमरिका में है न इंगलैण्ड में है। हमने जो संविधान बनाया उसमें इंगलैण्ड की तरह प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट रखी और अमेरिका में जिस तरह प्रेसीडेन्ट है उसी तरह यहां पर प्रेसीडेन्शियल फार्म ऑफ गवर्नमेन्ट रखा। मैं बिल का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जब दुनिया की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज के अन्दर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप एक देश की जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ एक करोड़ की है एक छोटा सा देश है उसकी नकल कर रहे हैं। यह तो ठीक है प्रसंगवश मैंने कहा है, लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, डेमोक्रसी को मजबूत करना चाहते हैं तो चाहे वह व्यक्ति सिलेक्टेड जुडिशियरी का ही क्यों न हो अगर आप उसे एपॉइन्ट करते हैं तो वह चुने हुए लोगों के तो ऊपर ही होगा। एक लोकायुक्त जांच करेगा मिनिस्टर की, सेक्रेट्रीज की, प्रधानों की तथा नगरपालिका के सदस्यों और उनके अध्यक्षों की। तो क्या आप एक स्टेट के मिनिस्टर को प्रधानों और सरपंचों के बराबर तुलना कर रहे हैं तो फिर बाद में मिनिस्टर का महत्व ही क्या रहा डेमोक्रेसी में ? तो सभापति महोदय, इसमें लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त का कार्यक्षेत्र इतना नीचे स्तर तक चला गया है कि लोकायुक्त का जो ऑफिस है वह एक प्रकार से पब्लिक ग्रिवान्सेज के कमिश्नर का ऑफिस है, उस प्रकार का हो गया है। आज जिस प्रकार विजीलेन्स कमीशन का ऑफिस है उसी तरह हो गया है उस प्रकार वहां हरेक के खिलाफ अर्जी दे सकते हैं तो फिर इस लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त का एक और ऑफिस बनाने से क्या फायदा ? मेरी मान्यता है कि अगर आपको इस बिल को लाना है तो लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त के परव्यू में सिर्फ मिनिस्टर्स और बड़े बड़े सेक्रेट्रीज ही आने चाहिए न कि इनके साथ सरपंच, प्रधान, नगरपालिका के अध्यक्ष, व मेम्बर, और कोऑपरेटिव सोसाईटीज के चैयरमैन। तो, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि इसमें ऐसा प्रावधान किया है कि मुख्य मन्त्री मन्त्रियों के लिए लोकायुक्त को सिफारिश करे तो मैं इसमें यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मुख्य मन्त्री अपने मन्त्रियों को खुद चुनता है और वही अपने कैबीनेट के मन्त्रियों की जांच लोकयुक्त से कराये तो उसे क्या जरूरत है वह खुद ही उसे हटा सकता है। इसका मतलब है उसमें कान्फीडेन्स नहीं है। उसे उन पर विश्वास नहीं है। मैं इस बात को बहुत कम मानता हूं, क्योंकि मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर के बीच में जो रिलेशन होने चाहिए और होते भी हैं वह होमोजीनस रिलेशन होते हैं। एक मुख्य मन्त्री मन्त्रियों के साथ अपना फादरली ट्रीट मैन्ट रखता है वह अपने सबोर्डीनेट्स की इन्टीग्रीटी पर डाउट करता है या वह अपने मन्त्रियों को इस बिल का सहारा लेकर उनको डराना चाहता है या वह किसी मिनिस्टर को कनवीन्स नहीं कर सकता है अपने डिसीजन्स से तो मैं समझता हूं कि अगर वह एसे प्रावधान बिल में लाकर उन्हें अपने कॉन्फीडेन्स में लेना चाहता है तो मैं समझता हूं कि यह प्रशासन की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि अगर मुख्य मन्त्री अपने मिनिस्टर के लिये, डेमोक्रेसी में ओम्बड्समैन की नियुक्ति कराता है तो मैं इसे नौकरशाही ही मानता हूं।

मैं मुख्यमन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि यह बिल पास हो हम इसका समर्थन करेंगे, लेकिन यह महसूस करते हैं कि

(श्री राजनारायण चौधरी)

कि मन्त्रियों से हार्ट टू हार्ट कहें आने वाले समय में आपकी शिकायतें ओम्बड्समैन के पास न जाने पायें। कोई मंत्रियों में कमजोरी हो तो मुख्य मन्त्री बैठ कर तय कर लें और उनको अपना फैसला सुनायें। ऐसी फिर कोई बात पैदा नहीं होगी कि लोकायुक्त से जांच करायी जाय।

आज जो हो रही है वही बात पं० नेहरू के जमाने में उठी थी। उन्होंने यह कहा कि यह चीज स्केन्डेवियन कंट्रीज के लिये उचित हो सकती है लेकिन हिन्दुस्तान का जिस प्रकार का रहन सहन है, जिस प्रकार का जीवन है उसमें यह फिट नहीं होता है। लेकिन एक हवा के कारण इस प्रकार की स्थिति बनी है। क्या आज का मिनिस्टर इतना नीचे गिरा हुआ है कि उसके लिये यह जरूरी है? उस मांग को पूरा करने के लिये रूलिंग पार्टी दूसरों को मौका न दें मिनिस्टर को शील्ड करना चाहते हैं, उसके विरुद्ध एन्क्वायरी नहीं बिठायी जाय।

आज हम भ्रष्टाचार और मेल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं क्या आज जुडिशियरी इससे बची हुई है? मुन्सिफ कोर्ट्स हैं, सेशन्स कोर्ट्स हैं और दूसरी लोअर कोर्ट्स हैं क्या यहां पर माननीय सदस्य खड़े हो कर कह सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर कि वहां पर करप्शन नहीं है? यदि कहीं करप्शन है तो हाइयेस्ट करप्शन आपको इन लोअर कोर्ट्स में मिलेगा, सेशन्स कोर्ट्स मुन्सिफ कोर्ट्स में मिलेगा। उन पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स बैठी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलता है यह बिल एक तरफा है। यह केवल सेक्रेट्री और मिनिस्टर के इन्वेस्टिगेशन के लिये है, लेकिन आज जुडिशियरी में जितना करप्शन है उतना करप्शन और कहीं नहीं है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का यदि कोई अड्डा है तो वह आज जुडिशियरी है। इन लोअर कोर्ट्स में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है।

मेरा निवेदन करना यह है कि मिनिस्टर्स जो जनता के द्वारा इलेक्टेड हैं वे अपने कार्यों के द्वारा जनता में विश्वास उत्पन्न करें। यह बिल स्वागत योग्य है और मैं प्रशंसा करता हूं और आशा करता हूं कि यह डैमोक्रसी के लिये सहायक सिद्ध हो।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

4.41 म० प०

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो वास्तव में यह जो विधेयक हमारे मुख्य मन्त्रीजी सदन के समक्ष लाये हैं, मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में उन्होंने जो प्रण लिया है कि मैं भ्रष्टाचार मिटा कर रहूंगा उसके ओर सक्रिय कदम हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक कहा गया था कि डी. आई. जी. के यहां रेड के अलावा कुछ नहीं हुआ। उनका इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि कितने ऑफिसर्स को कम्पलसरी रिटायरमेंट देकर मुख्य मन्त्री जी ने उदाहरण पेश किया करप्शन मिटाने की तरफ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है। मैं चाहता था कि यह जल्दी से जल्दी पास होता और यदि मुख्य मन्त्री जी चाहेंगे तो आज ही पास होगा। किन्तु इसमें ऐसी बातें हैं कि जिनकी ओर मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(श्री शंकरलाल)

गलत: यह सोचना है कि इस बिल में जहां मिनिस्टर्स और दूसरे जो चुने हुए लोग हैं उनकी जिनकी परिभाषा दी गई है उसके अलावा भी लोक सेवकों के लिये भी प्रावधान रखा गया है, पब्लिक सर्वेंट के लिये भी जांच होगी उपाध्यक्ष महोदय, पहले से ही पब्लिक सर्वेन्ट्स के लिये कानून बना हुआ है प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट, इन्डियन पीनल कोड में भी इसके लिये अलग से धारा है जिसमें ब्यौरा दिया हुआ है। इसके अन्तर्गत लोक सेवकों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है उसके लिये भी लोक आयुक्त को मामला भेजने में करप्शन मिटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। आई०पी०सी०की धारा के अन्तर्गत और प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट के अन्तर्गत जिनके विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है उनको भी आपने लोक आयुक्त के पास भेजा है। वह कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी को रिपोर्ट भेजेगा। वह नहीं भेजेगा तो सजा मिलने में देरी होगी जो कि जल्दी मिल सकती थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इसको 3 फरवरी से लागू किया गया है। पता नहीं इसको इस तारीख से लागू करने का क्या मकसद है ? साथ में परिभाषायें भी ऐसी हैं जिनका स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है वहां पर यह कहा गया है कि कार्य करने में असफल होंगे उनको भी करप्शन में माना जायगा। कार्य करने में देरी किस प्रकार से हो, कोई ऑर्डर पास न करे इसमें कार्य करने में उसकी ओर से देरी कहां हुई, किसी कारण से कार्य नहीं किया गया तो किस दृष्टि से नहीं किया गया, इन्टेन्शन के बारे में नहीं कहा गया है।

शुद्ध चरित्र की कमी होगी तो वह भी भ्रष्टाचार माना जावेगा शुद्ध चरित्र का मतलब करेक्टर से है किसी इन्डीविजुअल के तो मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, मैं तो यह चाहता हूं और यदि आपकी यही मंशा हो कि मिनिस्टर और दूसरे लोग मोरल करक्टर से अच्छे हों और उनकी इन्टेग्रिटी अच्छी हो तो मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसमें डिफाइन नहीं किया है। इसलिये इसको प्रवर समिति में भेजना आवश्यक है।

(समय-समाप्त-सूचक घंटी)

इसके अलावा और भी जरूरी बातें हैं। इसमें कुछ कन्ट्रेडिक्शन्स भी हैं। धारा 10(4) में जो बात कही गई है, वह मैं सदन के सम्मुख पेश करना चाहूंगा। उस धारा को आगे जाकर दूसरी धारा से कन्ट्राडिक्ट कर दिया इसमें यह कहा है-"लोक आयुक्त या कोई उपलोकायुक्त, कोई अभिकथन अन्तर्ग्रस्त करने वाली किसी शिकायत के सम्बन्ध में अन्वेषण करने से अपने विवेकानुसार इन्कार कर सकेगा या अन्वेषण करना बन्द कर सकेगा, यदि उसकी राय में शिकायत तुच्छ है"। और आगे जाकर कहा कि शिकायतकर्ता के लिए अन्य उपचार उपलभ्य हैं, कि दूसरी रेमेडीज हैं तो लोक आयुक्त इन्कार कर सकेगा।

धारा 23 में यह बताया गया है-"इस अधिनियम के उपबन्ध किसी भी अन्य अधिनियमिति के ऐसे उपबन्धों या विधि के किसी ऐसे नियम के अतिरिक्त होंगे जिनके अधीन इस अधिनियम के अधीन शिकायत करने वाले किसी व्यक्ति को किसी भी अन्य रीति में उपचार उपलब्ध है और इस अधिनियम के अधीन की कोई भी बात ऐसे उपचार का लाभ उठाने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार को सीमित या प्रभावित नहीं करेगी।"

(श्री शंकरलाल)

दूसरी रेमेडी उपलब्ध भी है तो इसमें आ सकती है। जब कि एक तरफ यह कहा गया है कि दूसरी रेमेडी उपलब्ध है तो इन्कार कर सकेगा।

इसलिये कोई कानून बनायें तो उसको जल्दी में न करके पहले उसको प्रवर समिति में विचार करें और एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनायें तो अच्छा रहेगा।

धारा 19 के अन्तर्गत राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि चाहे जब किसी पब्लिक सर्वेन्ट या पदाधिकारी को इसके लागू होने से एक्सक्ल्यूड कर सकती है। जिस चीज को लागू करते हैं तो एक्सक्ल्यूजन के अधिकार से कोई फायदा नहीं होगा। किसी अधिकारी को किन्हीं रीजन्स से एक्सक्ल्यूड किया जा सकता है यह उचित नहीं होगा।

मिनिस्टर और अधिकारियों की जांच कोई लोक आयुक्त करे लेकिन धारा 20 के अन्तर्गत आपने जो अधिकार लोक आयुक्त को दिये हैं कि वह चाहे तो अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को अपने अधिकार दे सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मिनिस्टर के खिलाफ इन्क्वायरी लोक आयुक्त न करके दूसरे से करा सकता है। धारा 20 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

"लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त लिखित में किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेंगे कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उसको प्रदत्त किन्हीं भी शक्तियों अथवा उस पर अधिरोपित किन्हीं भी कर्त्तव्यों (धारा 12 के अधीन सरकार को दिये जाने वाले प्रतिवेदनों के सिवाय) का प्रयोग या पालन धारा 14 में निर्दिष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों अथवा एजेन्सियों द्वारा भी किया जा सकेगा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें।"

इसका तात्पर्य तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह हुआ कि लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त मिनिस्टर के खिलाफ जांच को अपने अधीन कर्मचारियों को भी दे सकेगा। धारा 20 में उनको पांवर दिया है कि वे अपने अधिकार किसी कर्मचारी को भी प्रयोग करने के लिये दे सकें यह उचित नहीं है। फिर तो लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त नाम मात्र के होंगे। यदि सबोर्डिनेट से ही जांच करवाई जावेगी तो फिर उनकी क्या आवश्यकता रहेगी? तो यह उचित नहीं होगा।

श्री बरकतुल्लाखां: तो क्या ये थानेदार की तरह काम करेंगे कि घर घर जाकर लोगों की गवाहियां लेते फिरेंगे।

श्री शंकरलाल: प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी से जब आपने साबित कर दिया तो फिर घर घर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। गवाहियां वह अपने कोर्ट में बुला सकेगा और अपने सामने सारी जांच और गवहियां ले सकेगा।

दूसरा निवेदन करूंगा कि मुख्य मन्त्रीजी ने यह बताया कि पांच साल की अवधि में यह चीज होगी। जहां डेफिनेशन दी हुई है वहां मिनिस्टर की डेफिनेशन के लिये लिखा है कि उसकी डेफिनेशन वही होगी जो आज है? मान लीजिये वह मिनिस्टर नहीं रहा, तो फिर वह एक्स मिनिस्टर हो जावेगा। तब क्या जांच समाप्त हो जावेगी या नहीं होगी? वह कहेगा मिनिस्टर के खिलाफ जांच है,

Page No. 104

(श्री शंकरलाल)

उसके खिलाफ नहीं है बिकाज ही इज नाट मिनिस्टर नाऊ। तो मिनिस्टर के साथ साथ 'एक्स मिनिस्टर' शब्द नहीं जुड़ेगा तो गड़बड़ी होगी। यह मेरा डाउट हो सकता है। इसे आप और देख लें।

श्री बरकतुल्लाखां: It covers action.

श्री शंकरलाल: किलियर बात हो जानी चाहिये।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इसका एक कम्प्रीहेन्सिव लॉ बनना चाहिये ताकि इसमें जो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं, अपना काम निकालने के लिये व्यापारी या ठेकेदार जो बड़ी बड़ी रिश्वतें सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को देते हैं वे भी इसके परव्यू में आ जावें। इसमें कमेटी ऑफ प्रीवेन्शन ऑफ करप्शन ने भी इस बारे में कुछ बातें कही हैं जो हरेक प्रदेश में लागू होती हैं। हमारे यहां भी लागू होती हैं क्योंकि इससे कामन आदमी प्रभावित होता है। उन्होंने कहा है इसमें कि:

"Corruption can exist only if there is some one willing to corrupt and capable of corrupting. We regret to say that both this willingness and capacity to corrupt is found in a large measure in the industrial and commercial classes. Who ranks all these classes have been swelled by the speculators and adventurers of the war period. To these corruption is not only an easy method to secure large unearned profits but also the necessary means to enable them to be in a position to persue their vocations or retain their position among their own competitors. It is these persons who indulge in exation and avoidance of taxes, accumulate large amounts of unaccounted money by various methods, such as obtaining licenses in the names of bogus firms and individuals, trafficking in licenses, supposing profits by manupulation of accounts to avoid taxes and other legitimate claims on profits accepting money for transactions put through without accounting for it in bills and accounts (on money) and under-valuation of transactions in immovable property. It is they who have control over large funds and are in a position to spend considerable sums of money in entertainment. It is they who maintain an army of liason men and contact men, some of whom live, spend and entertain ostantaneously. It is said that as a large majority of the high officials are incorrutible and are likely to react strongly against any direct attempt to subvert their integrity, the liason and contact man, make a careful study of the character, tastes and weaknesses of officials with whom they may have to deal with and these weaknesses are then explained. Contractors and

(श्री शंकरलाल)

suppliers who have perfected the art of getting business by under cutting of making good the loss by passing off sub-standard works and goods generally spare no pains or expenditure in creating a favourable atmosphere. Possession of large amounts of unaccounted money by various persons including those belonging to the industrial and commercial classes is a major impediment in the purification of public life. If anti-corruption activities are to be successful it must be recognised that it is as important to fight those unscruplous agencies of corruption as to eliminate in the public services. In fact they go together."

उपाध्यक्ष महोदय, इसका तात्पर्य यह है है कि जो........

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जबतक यह विधेयक पारित न हो जाय तबतक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह राय है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय जबतक यह विधेयक पारित न हो तबतक के लिये बढ़ा दिया गया।

श्री शंकरलाल : तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये जो बड़े-बड़े कन्ट्रेक्टर हुए, लीडर हुए, व्यापारी हुए कई विभागों में पी० डब्ल्यू० डी० में ट्रांसपोर्ट में, बिजली में, जगह-जगह इनकी वजह से बड़े-बड़े करप्शन होते हैं जिसका असर जनता पर बहुत बुरा पड़ता है इसको मिटाने के लिये इन लोगों को भी इस कानून के दायरे में लाना चाहिये। कई चीजें एसी हैं जिनमें जानबूझकर डिले की जाती है। वहां भी करप्शन बढ़ता है इसके लिये भी कुछ ध्यान देना होगा और इस तरह से डिले करने वालों को भी इस विधेयक के अधीन लाना होगा। जिसने एक सीमित समय से अधिक किसी कागज के डिस्पोजल में लगाया हो उसे भी इसमें लाया जाय। इसके लिये एक व्यवस्था आप और कर सकते हैं किसी अधिकारी को इन कामों के लिये नियुक्त कर दें ताकि उसे अगर किसी गांव का अनपढ़ आदमी भी पहुंच जाय और पूछे कि उसके कागज का कहां, किस विभाग में क्या हो रहा है तो उसे तुरन्त पता लग जाय। उसे पैसा देकर अपना काम निकालने की नौबत नहीं आवे।

तो लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त के इस बिल को केवल निर्वाचित लोगों तक ही समिति नहीं रखा जाय। इन लोगों को 4,500 मासिक तनख्वाह देने का इसमें प्रावधान है। पांच लाख रुपया सालाना आप इस पर खर्च करने जा रहे हैं, एक एक आदमी पर तो जो इलेक्टेड नहीं हैं, पर भ्रष्टाचार फैलाने में इलेक्टेड से किसी कदर पीछे नहीं हैं उन लोगों को भी इसके अन्तर्गत लाया जाय और इसके लिये एक कम्प्रीहेन्सिव लॉ बनावें ताकि आपका मूल मकसद भ्रष्टाचार का सभी स्तरों पर मिटाने का पूरा हो सके। इसलिये यह जो बिल आप यहां लाये हैं उसका स्वागत करते हुए, मैं अपने सुझाव सदन में प्रस्तुत करते हुए, अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मोहनराज (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता कि वह यह बिल लेकर आई है। एक भावना सर्वत्र व्याप्त है कि उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार है और जबतक वह नहीं मिटेगा तब तक भ्रष्टाचार की जड़ नहीं जावेगी। इस भावना को ध्यान में रखकर इस विधेयक को सदन में पेश किया गया है।

यह सही है कि भ्रष्टाचार का जहन हमारी पूंजीवादी व्यवस्था में है। और जबतक यह व्यवस्था समाज में लागू रहेगी तब तक यह भ्रष्टाचार समूल नष्ट नहीं किया जा सकता लेकिन यह बात भी सही है कि अगर ऊपर के स्तर पर इसकी समाप्ति का आदर्श लोगों के सामने उपस्थित किया जा सके तो सचमुच में इसे बहुत सीमा तक नष्ट किया जा सकता है। आमतौर पर पुरानी कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा और इसी लिये लोग कहते हैं कि ऊपर के स्तर पर जब गड़बड़ होती है तो नीचे के स्तर पर लोग निडर होकर वे कुकृत्य करते हैं और पूरे समाज में भ्रष्टाचार फैलता है। मैं सोचता हूं यह हमारा विधेयक और जो व्यवस्था करने जा रहे हैं वह ऊंचे स्तर के भ्रष्टाचार को मिटाने में कितनी सफल और कारगर होगी, यह तो अनुभव के आधार पर और समय पर ही कहा जा सकता हैं, आज नहीं कहा जा सकता है लेकिन यह सही है सत्ता के साथ भ्रष्टाचार फैलता है तो उसका जहर समाज के नीचे के तबकों पर फैलता है और वह भी अनुभव करता है यह ला-इलाज बीमारी हो गई हैं। अंग्रेजी में पुरानी कहावत है–Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. लेकिन उसके बाद लेटेस्ट जो एडीशन हैं वह यह है कि–Corruption sustains on powers. आज हम जिस बात का इलाज करना चाहते हैं वह यह है कि एक बार सेवा के नाम कुछ लोग ऊंचे ओहदे पर आ जाते हैं और ऊंचे ओहदे पर आकर अपने पावर के नशे में सब कुछ भूल जाते हैं, और सब प्रकार के आचरण में अपना आचरण डूबो देते हैं, और वह देखते हैं ज्यों ही पावर से निकल जायेंगे उनके ऊपर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आक्रमण होगा इसलिये जब तक जिन्दा रहें तबतक उस पावर में कायम रहूं ताकि हमारा जो भ्रष्टाचार है, हमारा जो दुराचरण का व्यवहार है वह छिपा रह सके और लोगों की जबान बन्द रह सके। यह बिल वास्तव में उस बीमारी का इलाज है और उस बीमारी को खतम करने के लिये कितने सफल हो सकते हैं, यह देखना है।

मैं मानता हूं कि यह विधेयक उम्मीदों से और बढ़िया से बढ़िया आशाएं लेकर लाया जा रहा है। हम आखिर तक यह देखेंगे पावर के साथ में रहने वाला व्यक्ति अपने आपको पावर में रखने के लिये इस भ्रष्टाचारी आचरण को रखकर पावर में नहीं रह सके। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मारफत मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में भ्रष्टाचार का रूप बदलता है जिस प्रकार समाज का व्यापार और व्यहार बदलता है उसी प्रकार भ्रष्टाचार का रूप बदलता है।

किसी जमाने में रुपया ही आदान-प्रदान की वस्तु थी और रुपया लेना ही भ्रष्टाचार कहलाता था लेकिन आज वह नहीं है। इस विधेयक के बनाने में जो नई प्रवृत्तियां आज भ्रष्टाचार के अन्दर मुख्य तौर से सुरा और सुन्दरी का प्रयोग किया जाता है और बड़े बड़े तबकों में इस तरह की बात खुलकर आई है कि समाज को सुसंस्कृत बनाने वाले

(श्री मोहनराज)

लोग भौचक्के रह गये हैं। अभी अभी कुछ दिनों पहले हिन्दुस्तान के एक प्रमुख अधिकारी के बारे में अखबारों में लिखा हुआ था, मेरे ख्याल से धर्मयुग में पढ़ा होगा बड़े-बड़े नगरों में बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे महानगरों का उदाहरण दिया था। आज भ्रष्टाचार का कितना विकराल रूप हो गया है और किस तरह हमारा समाज उधर जा रहा है।

मैं समझता हूं नये भ्रष्टाचार की जो हालत है वह हमारे सामने आ रही है। उसको जल्दी से जल्दी दूर कर पाये तो हमारे समाज को बचाया जा सकेगा अन्यथा नहीं। आज शराब भ्रष्टाचार के संचालन में और कायम रखने में जितना सहयोग दे रही है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है......

श्री उपाध्यक्ष : यह तो डिमान्ड के वक्त बोल लेना।

श्री मोहनराज : हमारे मुख्य मंत्रीजी भी जानते हैं, आज सरकार के हजारों रुपये नुकसान में जाते हैं लेकिन आज शराब बन्दी का नारा लगाने वाले जेलों में बैठे हुये हैं। मुझे बहुत दुख है कि वे लोग जेलों में बैठे हुये हैं। बड़ी-बड़ी उम्र के वयोवृद्ध नेता हैं जिन्होंने स्वतन्त्रता में अपना काफी योगदान दिया है और हमारे समाज का सुचरित्र बनाने के लिये अपना अभियान कर रहे हैं। मैं समझता हूं जिस प्रकार भ्रष्टाचार नये रूप में आ रहा है उसमें भी बहुत जोर लगाना पड़ेगा तभी हम भ्रष्टाचार को मिटा सकेंगे। हम ऊंचे से ऊंचे जो नेता हैं उनको सजा देने का काम सौंप रहे हैं। मैं बड़े आदर के साथ कह रहा हूं कि वे हाएस्ट पोस्ट, ज्युडिशियल पोस्ट पर रहे हुये हो सकते हैं, समाज में प्रतिष्ठा हो सकती है लेकिन ज्युडिशियरी के प्रति एक अत्यन्त आदर भाव रखते हुए कई मर्तबा वे लोग जो लॉ ऑफ लेटर हैं उसी के कनसेप्ट के अंदर अपने आपको इतने डूबे हुये रखते हैं, और समाज में चल रही प्रवृत्तियां की ओर आंखें बन्द रखते हैं। इसलिये मौजूदा समाज की जो हलचलें हैं उनका दिमाग में कनविक्शन नहीं है जो हमारे नये कानून को ठीक अमल में ला सकें और दोषी व्यक्ति को दण्ड दे सकें, यह मुश्किल है। वास्तव में ऊंचे दर्जे के व्यक्ति केवल शब्दों के लकीर के फकीर बन कर रह रहे हैं। आज हम देखते हैं बड़े-बड़े भ्रष्टाचारी लोग, जिन अफसरों को जानते हैं कि वास्तव में भ्रष्ट हैं, लोगों ने रिश्वत दी है लेकिन वे ऊपर आकर बच जाते हैं।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, यह ख्याल रखना पड़ेगा कि नये कनवेन्शन के आधार पर उनका एपाइन्टमेंट किया जाय। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आधा मिनिट में निवेदन कर दूं।

जो भ्रष्टाचार मिटाने का सुझाव देते हैं, भ्रष्ट अफसरों को, नालायक अफसरों को रिटायर किया जाता है तो आज उनके कुकृत्यों का प्रचार नहीं किया जाता है। आज हमारे पब्लिक रिलेशन्स वाले क्या कर रहे हैं। लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिये कि यह भ्रष्टाचारी अफसर है और इसके ये ये कुकृत्य हैं। जब इस तरह किया जायगा तो लोगों के दिल में डर रहेगा और कि हम भी कहीं काला मुंह करके समाज में नहीं लाये जायं। और जो ईमानदार अफसर हैं, जनता के हित में मेहनत करके काम करते हैं, उनका आदर किया जाय, उनको सम्मानित किया जाय और उनको समय-समय पर पुरस्कृत किया जाकर समाज में आदर का स्थान प्रदान किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है यह बड़ा ही सराहनीय कदम है। हकीकत यह है कि 25 साल के इस इतिहास में यही एक ऐसा बिल आया है कि जिसका सब दलों ने स्वागत किया है और काफी आदमी इसको लाने की तारीफ करते हैं। मेरी यह मान्यता है कि यह एक बहुत बेहतर कदम है जो कि अच्छी दिशा में उठाया गया है इसलिए मैं मुख्य मन्त्रीजी को और उनकी केबिनेट को और राज्य सरकार को इस बिल को यहां प्रस्तुत करने के लिए दिली मुबाकरबाद पेश करता हूं। पर मझे कुछ कहना है, कुछ गुजारिश करनी है और यह खयालात मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा।

मेरी मान्यता यह है कि इस बिल में जो चीफ मिनिस्टर साहब को एक्सक्लूयड किया गया है उसका कोई जवाब या प्रोप्राइटी नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो भी मुद्दे सामने रखे उनमें फोर्स जरूर है लेकिन रास्ते भी हैं। मेरी और मेरे दल की यह मान्यता है कि चीफ मिनिस्टर साहब बहुत ईमानदार, दयानतदार, हिम्मत वाले एक इन्सान हैं और हम लोगों को उनकी नेकनीयति पर, उनकी ईमानदारी पर कोई शुबाह या सन्देह नहीं है, और जब हम यह कहते हैं कि इस बिल में से चीफ मिनिस्टर साहब को जो हटाया गया है वह गलत है तो यह नहीं समझा जाये राज्य सरकार की तरफ से कि यह किसी एक चीफ मिनिस्टर या दूसरे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इल्जाम है। आपने यह देखा कि यहां तो इल्जाम ही चीफ मिनिस्टर पर आये और उसकी इन्क्वायरी बाकायदा सरजूप्रसाद द्वारा की गई और कोई मिनिस्टर तो गिनती में आता ही नहीं। आज कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, कानून जो बनता है वह उसको देखकर नहीं बनता बल्कि कानून इसलिए बनता है कि जो आगे आने वाले चीफ मिनिस्टर्स हैं या मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर इसका क्या असर होगा? हमारी मान्यता यह है कि अगर यह दिक्कत है कि यह चीफ मिनिस्टर साहब को इसमें इस तरह से शामिल नहीं किया जाये तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि चीफ मिनिस्टर इसमें शामिल किया जाये और वह इस तरह से किया जाये कि जो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लोकायुक्त के पास शिकायतें हों वह गवर्नर के मार्फत प्रेसीडेन्ट को भेज दी जायें क्योंकि अगर लोकायुक्त बना भी तो भी कोई न कोई मीडियम इस किस्म का रखना पड़ेगा जिसकी मार्फत चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत वहां तक पहुंचे क्योंकि अभी लोकायुक्त की तजवीज नहीं हुई है इसलिये उस समय तक के लिए जब तक लोकायुक्त नहीं हो यहां आवश्यक है कि कोई भी शिकायत अगर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ है तो वह गवर्नर के मार्फत प्रेसीडेन्ट को भेज दी जाये और जब लोकायुक्त वहां पर आ जाये और उसमें शामिल हो जाये तो भी वह शिकायत का एक मीडियम रह सकता है। तो एक रास्ता मैंने यह सजेस्ट किया। इसका मतलब यह है कि जो आज शंका लोगों के दिलों में है वह हट जायेगी।

इसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए कोई आपने क्वालीफिकेशन मुकर्रर नहीं की। लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त कौन लोग हो सकते हैं उसका सुझाव आया है। मेरी मान्यता यह है कि क्योंकि हम चीफ मिनिस्टर को इस एक्ट की परव्यू में लाना चाहते हैं इसलिए हमको इस लोकायुक्त की पोस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को या वर्तमान में काम करने वाले

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

जज को मुकर्रर करना चाहिए और उप-लोकायुक्त की पोस्ट के ऊपर हमको किसी बाहर के हाई कोर्ट के जज को मुकर्रर करना चाहिए यह मेरी मान्यता है कि राजस्थान के हाई कोर्ट के किसी जज को इसके लिए मुकर्रर किया गया तो वह निष्पक्ष नहीं रह सकता । अंग्रेजों के जमाने में परम्परा थी कि रिटायर्ड जजेज को कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं दी जाती थी । हृदयनाथ कुंजरू ने भी पार्लियामेन्ट में सवाल उठाया था कि रिटायर्ड जज को एक्जीक्यूटिव पोस्ट अगर दी जाती है तो उससे करप्शन बढ़ रहा है और ज्युडीशियरी की जो इन्डिपेन्डेन्स है वह समाप्त होती जा रही है। तो मैं आज इस तरफ ध्यान दिलाऊंगा कि आप यह भी सोचें कि आपने जो परम्परा कायम कर रखी है वह परम्परा गलत है। हमने अंग्रेजों से हासिल किया वह भी दे बैठे, बुराइयां अपना बैठे और अच्छाइयां छोड़ बैठे । मरा कहना यह है कि इसमें क्वालीफिकेशन होनी चाहिए ।

अभी मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा कि अपोजीशन का जो लीडर होगा हम उससे मशविरा करके करेंगे । मैं एक बात बताना चाहता हूं और स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि हम लोग बैठ कर कुछ भी तय करें लेकिन वह गवर्नमेन्ट पर बाध्य नहीं हो सकता । आप मशविरा लेंगे लेकिन उसको वीटो किया तो फिर क्या मतलब क्या हुआ इसका ?आप सिर्फ मशविरा ही ले सकते हैं लेकिन उसको मानेंगे ही नहीं तो फिर क्या ? इसलिए इस एक्ट के अन्दर आपको इस मामले का समाधान करना चाहिए। यह तय कर देना चाहिए कि लोकायुक्त सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज और उप-लोकायुक्त किसी बाहर के हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज ही हो ।

इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो इसमें वेग रह गई हैं । यह लिखा है कि कोई एलीगेशन हो तो अब प्राइमा फेसी एलीगशन का क्या सबूत ? तो हमारा कहना यह है कि अगर कोई आदमी किसी पद पर है और यह देखा जाता है कि उसकी 2,000 रुपये की आमदनी है और 4,000 का खर्च है और उसके बाद भी बड़े-बड़े बंगले 10-12 और 15 तो यह उस प्राइमा फेसी भ्रष्टाचार का एक सबूत होना चाहिए और वह काफी ग्राउन्ड होना चाहिए इन्क्वायरी का कि जो इन्क्वायरी लोकायुक्त, उप-लोकायुक्त को अपने इनीशियेटिव पर शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी मान्यता यह है कि कि इस बिल को लाने का जो मकसद है वही फौत हो जायेगा ।

इसके अलावा मेरी यह मान्यता जरूर है जैसा प्रेस के लिए भी कहा गया कि जो लोग ऐसा करते हैं जरनेलिस्ट उनको भी इसके परव्यू में लाया जाये । मैं कहता हूं कि यह गलत है, कानून नहीं लाया जा सकता और उसूलन भी प्रेस के ऊपर किसी किस्म की पाबन्दी लगाना हमारी डेमोक्रेसी में फिट नहीं होती । यह तो तानाशाही या याहयाशाही हुकूमत है वही कर सकती है । इस किस्म की कोई चीज़ इसमें इन्ट्रोड्यूस करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ।

एक चीज जिसको मैं सबसे ज्यादा खतरनाक मानता हूं और जिसको मैं और मेरा दल प्रेस करेगा वह यह है कि आपने इसमें झूठा साबित होने पर 3 साल की सजा मुकर्रर की है । असल में क्या है कि जरायम पेशा लोग जो लोगों की सम्पत्ति को चुराते हैं उनकी सजा मनसूख कर सकते हैं, वह बिल जो कल आपके सामने पेश हुआ उसका हश्र देखा कि

Page No. 110

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

किस तरह से सजा मुकर्रर की गई थी । फाल्स डिक्लेरेशन देगा उसको 6 महीने की सजा दी जायेगी और जो रिटर्न्स नहीं देगा उसको 6 महीने की सजा दी जायेगी और वह सब सजायें एक कलम से आपने ग्रुप मेजोरिटी के आधार पर बिल में ही हटा दीं। और यहां इस तरह का डेटरेन्ट क्लाज लाते हैं कि कोई आदमी हिम्मत ही नहीं कर सकता सामने आने की। इसलिए मेरी 30 साल की प्रेक्टिस के बाद यह मान्यता है कि हर एलीगेशन चाहे जितना ही सही हो यह जरूरी नहीं है कि साबित किया जा सके और यह भी जरूरी नहीं है कि जो सच बात है वह साबित हो । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा 30 साल की वकालात का यह तजुर्बा है कि यह तो कानून है और इसमें जो भी शहादत आती है, लोग गवाहों को तोड़ते हैं और फिर यह लोग कि जो एग्जीक्यूटिव हैड हैं वह जिस दिन किसी भी गवाह को कहेंगे कि तुमको यहां रहना है या नहीं तो फिर उसका क्या अन्जाम होगा ? वह तमाम गवाह टूट जायेंगे और वह 3 साल के लिए जेल चला जायेगा। मैं इस बात पर बहुत सख्ती के साथ गुजारिश करता हूं कि चीफ मिनिस्टर को देखना चाहिये जब कि जरायम पेशा लोगों को, जो डाकू जमीन हथियाये बैठे हैं, वह राजा महाराजा जो कि लाखों और करोड़ों की जमीन बेच चुके उनको आप सजा नहीं देना चाहते हैं तो जो आदमी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर के खिलाफ आवाज बुलन्द करे तो उसको आप सजा देना चाहते हैं? यह खुदा के बच्चे नहीं हैं और इनके साथ वही ट्रीटमेन्ट होना चाहिए जो कि इन्सानों के साथ होता है। यह एक बदनुमा दाग अगर यह रहेगा तो इसका मकसद फोत हो जायेगा । यहां अभी चीफ मिनिस्टर मौजूद नहीं हैं इसलिए स्टेट मिनिस्टर होम से गुजारिश करूंगा कि यह चीज आपको बड़ी तवज्जह से सुननी चाहिए और इसके ऊपर सोच विचार करके आपको फैसला लेना चाहिए । आप अगर सजा देना चाहते हैं तो फिर मैं चाहूंगा

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसमें ऐसा है कि कुछ खास मुद्दे हैं उनको बताना तो जरूरी है....

श्री उपाध्यक्ष : क्लाजवाइज भी आपके अमेन्डमन्ट्स हैं ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं मिनट में खतम करता हूं

देखिये ऐसा है, मेरा अर्ज करना यह है कि इसके अन्दर बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए । अगर आप रखें तो ज्यादा से ज्यादा एक हजार का जुर्माना रख सकते हैं और इस किस्म की पैनल्टी रख दें। लेकिन यह इतना डेटरेंट न हो जाय कि आपके खिलाफ कभी कोई शिकायत ही पैदा नहीं हो । मैं दावा करता हूं कि इस प्रजेन्ट फार्म में इन्हीं क्लाजेज के साथ में अगर बिल पास हो गया तो कोई हिम्मत नहीं करेगा कि आपके खिलाफ शिकायत कर सके। आप भले ही पांच हजार या पचास हजार रुपया माहवार खर्च करें लेकिन यह आपका खर्चा बेकार जाएगा । भले ही आप इस बिल को पास कीजिए इसकी कोई वैल्यू नहीं.........

श्री यशवन्तसिंह नाहर : माननीय सदस्य स्वयं वकील हैं, धारा 142 और 211 क्या हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसके अन्दर सजा हो सकती है, मैं मानता हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मानते हैं तो फिर क्या है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली। मैंने अर्ज किया था कि इसमें सजा का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए, यह सजा जुर्माने में भी तब्दील की जा सकती है। आपने अभी ऐसा किया भी है। आपने सीलिंग का कानून बनाया। हालांकि कानून मौजद है जिसके मायने में सही डिक्लेरेशन देना चाहिए और अगर डिक्लेरेशन गलत दिया जाय तो फिर उसको सजा दी जा सकती है; लेकिन आपने अपने सीलिंग कानून में इसको हटा दिया। जब एक और कानून मौजूद है तो फिर यहां यह सजा रखने की क्या जरूरत है? ज्यादा से ज्यादा बौंड भरवा लें, एक हजार का जुर्माना कर दें, कुछ भी कर दें मगर यह तरीका मेरे नजदीक बिल्कुल गलत है।

इसके अलावा यह चीज एक्ट में है कि फाईडिंग देगा। क्या वह फाईडिंग दे और और क्या लिख कर भेज दे कि दोषी है या दोषी नहीं है। या तो आप यह करते कि राजस्थान सर्विस रूल्स में जो सजाएं मुकर्रर हैं उनको आप एन्यूमरेट कर दें, एड कर दें। आप यह कह सकते हैं कि इन सजाओं में से कोई एक या इससे ज्यादा सजाएं फाईडिंग में दे सकता है। जिस वक्त पंचायत एक्ट लागू किया गया तो उसमें सजा का स्कोप डिफाइन नहीं किया गया। हुआ क्या कि उसके सामने एक बलात्कार का केस आया। उन्होंने तमाम गांव को जमा करके फैसला कर दिया कि इसके पैर बांधकर दरख्त पर लटका दो 18 घंटे तक और वह लटका दिया गया। मेरा यह मतलब नहीं है जो जजेज आयेंगे वे भी लोगों को लटका देंगे। मेरा मतलब यह है कि जहां आप एक्ट बनाते हैं तो उसमें इस किस्म के लेकूनाज रह जाते हैं कि वह क्या फाईडिंग दे। मेरी एक मान्यता और है कि अगर आप एक लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त को रिपोर्टिंग मशीनरी मानते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि इस एक्ट की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट तो कोई अधिकारी भी दे सकता है और उसको मानें न मानें, आप उसको रेफर करें न करें, यह चीज तो बिल्कुल बेकार है। दरअसल आप इतने बड़ी पोस्ट के आदमी को, इतनी बड़ी पोजीशन के आदमी को रखते हैं तो उसके आर्डर्स को आपको फाइनेलिटी देनी होगी। उसको आपको अख्तियार देने होंगे कि उसकी रिपोर्ट गवर्नमेन्ट को बाध्य होगी, और अगर गवर्नमेन्ट उससे सहमत नहीं हो तो ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते हैं कि गवर्नमेन्ट वापस रेफर कर ले कि हमारे नजदीक आपने इसमें बहुत ज्यादा सख्त सजा रखी है या सजा एक तरह से कम दी गई है, हम यह चाहते हैं आप इस फैसले पर नजरसानी करें। इतनी पॉवर गवर्नमेन्ट को दे दें तो ही काफी है, वरना तो आपने बना दिया एक कानून कि साहब तुम भेजोगे रिपोर्ट, वह रिपोर्ट जायेगी और वापस आ जायेगी और फिर जांच फाइनल हो जायेगी तो न तो लोकायुक्त कुछ कर सकता है, न उप-लोकायुक्त कुछ कर सकता है। मेरा कहना है कि जितने भी कानून आपने बनाये हैं इसमें जो कुछ भी लेकूनाज हैं वह निकालने चाहिएं।

जहां तक चीफ मिनिस्टर की ईमानदारी और दयानतदारी का सवाल है मैं अर्ज कर चुका हूं कि जब गिरि साहब का चुनाव हुआ और जिस हौसले और जिस ईमानदारी और जिस हिम्मत के साथ चीफ मिनिस्टर साहब और उनके साथियों ने काम अन्जाम दिया वह अगर नहीं दिया होता तो आज नक्शा ही बदला हुआ होता। यहां जनसंघ का राज्य होता या क्या होता इसका हम अन्दाजा भी नहीं लगा सकते। इनकी हिम्मत और हौसले से उम्मीद है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो लेकूनाज रह गए हैं वे पूरे होने चाहिएं और इन कमियों को दूर किया जाय।

Page No. 112

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

इन्हीं सजेशन्स के साथ, इन्हीं सुझावों के साथ मैं इसका स्वागत करता हुआ उनको धन्यवाद देते हुए यह गुजारिश करूंगा कि जो सुझाव मैंने रखे हैं उनकी तरफ तवज्जोह करें और हो सके और सही समझें तो उनको मंजूर फरमावें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलचन्द जैन।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अध्यादेश पर सदन के अन्दर जो विचार प्रगट किए गए हैं माननीय सदस्यों के द्वारा, सभी ओर से इसका स्वागत किया गया है और इस बिल की अहमियतता को बतलाया गया है। मैं सोचता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस बिल को क्यों लाया गया और उसके बाद में लाने का उद्देश्य और कारणों के बारे में जो कुछ भी बतलाया गया है क्या उससे इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी जैसा कि यहां बिल लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे मुख्य कारण भ्रष्टाचार का बतलाया गया है और इसके साथ ही साथ प्रशासन में और खामियां हैं और दूसरे जो लोगों को तकलीफें होती हैं उन कारणों को दूर करने की दृष्टि से इसकी आवश्यकता और अहमियत को बतलाया गया है। इससे पूर्व भी, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए इस सदन में और अन्यत्र भी हमें बताया कि उन्होंने काफी कदम इस दिशा के अन्दर उठाये हैं और जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं, उनका कहना यह है कि भ्रष्टाचार हम निश्चित् रूप से दूर करेंगे।

मैं सोचता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां तक प्रजातन्त्र के अन्दर जो पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव हैं उनके करेक्टर के बारे में आम लोगों के अन्दर पूरा कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है लोकतंत्र के लिए। वहां दूसरी तरफ मैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति एक, अच्छी और सही भावना और धारणा आम लोगों में पैदा हो यह भी बहुत आवश्यक है। इसको हम दुर्भाग्य से डेमोक्रेसी के पनपते हुए इस वातावरण के अन्दर भी दूर नहीं कर सके और आज इस बिल के द्वारा इसको दूर करने की बात सोचते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भ्रष्टाचार के बारे में जब भी सोचता हूं तो परेशानी होती है कि क्या हम भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सक्षम हैं? सही बात तो यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आम लोग आम लोअर लेवल पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का जो केडर है और जिनका दैनिक वास्ता आम लोगों से पड़ता है, उनका दैनिक कामों के अन्दर जितना हैरेसमेंट और जितनी परेशानी होती है और चाहे वह छोटा सा अमाउन्ट हो वहां पर जो भ्रष्टाचार चलता है उससे हमारा दिमाग दुखी है और उसका जो भी एक्शन है वह बढ़ते बढ़ते ऊपर तक आता है और उसका रिफ्लेक्शन फिर जो हम पब्लिक रिप्रजेण्टटिव यहां बैठते हैं उन पर पड़ता है। मैं सोचता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज एक मायने में हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का जो ढांचा है वह ऐसा हो गया है कि जब तक आमूल परिवर्तन हमने नहीं किया तो सिर्फ कानूनों से हम भ्रष्टाचार को या हमारी प्रशासनिक एफिशियेंसी को, लोवर लेवल की एफिशियेंसी को हम बना सकें, यह मुझे बहुत कठिन लगता है। कुछ ऑफिसर्स को हटा देने से या कुछ के ऊपर एक्शन ले लेने से हम यह महसूस करने लगें कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियेंसी आ सकती है तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज जिस तरह का भ्रष्टाचार बढ़ रहा

Page No. 113

(श्री फूलचन्द जैन)

और जो अलग अलग रूप इसके सामने आ रहे हैं उसमें आप क्या भ्रष्टाचार को रोकेंगे, यह तो कहना चाहिए कि इसका तो एक तरह से राष्ट्रीयकरण हो चुका है और हम अगर मनोवैज्ञानिक ढंग से समाजिक और आर्थिक जो रिवोल्यूशन देश में लाना चाहते हैं उसके लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे नये तरीके से गियर अप जब तक नहीं करेंगे और एक लोअर लेवल तक जाकर हमारे एक्शन के बारे में हम डेफिनिट होकर नहीं चलेंगे कि किस तरह से हम लोगों को इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉन्फीडेन्स दिला सकते हैं कि यह एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों की भलाई के लिए है, आपलोगों के लिए है, तब तक हम जो हैं इस प्रकार के कानूनों से या इस प्रकार के बिलों से लोगों में पूरा सेटिस्फेक्शन ला सकें यह मुश्किल लगीता ह । फिर भी जैसा कि मैंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पब्लिक सर्विसेज के बारे में लोगों के अन्दर शंका बनी रहे और कॉन्फीडेन्स उनका हट जाय इस दृष्टि से यह जो बिल हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, मैं सोचता हूं कि इसके लिए जहां एक ओर माननीय मुख्य मन्त्रीजी को मैं बधाई देता हूं वहां साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन गम्भीर परिस्थितियों के अन्दर और एक्स्ट्रीम पर जा करके जिन परिस्थितियों से विवश होकर हमने इस बिल को यहां पर इन्ट्रोड्यूस किया है उसके अन्दर वह खामियां नहीं रहनी चाहिए, वह रेड टेपिज्म का प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, और एसी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए जिससे कि आम लोगों को इसके अन्दर आकर भी, इसके द्वार के ऊपर आकर भी न्याय सही, शीघ्र और सस्ते ढंग का नहीं मिल पाय तो उनके अन्दर हम कॉन्फीडेन्स पदा नहीं कर सकेंगे, और यह और भी बुरी बात होगी। मैं इस दृष्टि से यह भी सोचता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि इस बिल के अन्दर जहां एक ओर पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिवज, मन्त्रियों से लेकर पंच और सरपंच तक को शामिल किया गया है वहां पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर जो काम करने वाले हैं उनको भी शामिल किया गया है ..

श्रीमती सुमित्रा : पंच, सरपंच को नहीं किया गया है ।

श्री फूलचन्द जैन : आज एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं उनके लिए कई अलग अलग डिपार्टमेन्ट्स कायम किये हुए हैं पहले से, तो उनके साथ में इस संस्था का कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, किस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर फन्क्शन करेगी, यह सारे प्रश्न हैं कि जिनको बहुत ही गम्भीरता से सोचे जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं अधिक समय न लेता हुआ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिन भावनाओं और जिन उद्देश्यों को लेकर के हम पब्लिक को कॉन्फीडेन्स दिलाना चाहते हैं कि हम जो जनता के चुने हुए लोग हैं, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में किसी भी प्रकार कोई खराबी है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या उनके द्वारा किये गये किसी भी गलत कार्य के बारे में यह चाहते हैं कि आम लोग अपनी आवाज को उठायें, तो इसके लिए हमें समुचित व्यवस्था इस ढंग से करनी चाहिए कि जिससे हम उनको वास्तव में यह तसल्ली दिला सकें ।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में 2-3 बातें और कहना चाहता हूं कि जहां तक इस लोकायुक्त के गठन के बाद में इसके द्वारा

(श्री फूलचन्द जैन)

जांच किये जाने के बाद में सरकार के सामने सिफारिश करने के लिए या सक्षम अधिकारियो के सामने सिफारिश के तौर पर उनकी जो कुछ भी फाइंडिंग्स हैं वह भेजे जाने का, उसका, प्रावधान ह, वह उससे इत्तफाक नहीं करता हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा या बिल के अन्दर बताये गये कारणों और उद्देश्यों के आधार पर इस महत्वपूर्ण बिल को इन्ट्रोड्यूस किया गया है तो इसकी जो कुछ भी फाइंडिंग्स हों वह राज्य सरकार के लिए मान्य होनी चाहिए, और इसके अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। इसके अन्दर जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि दो तरह की डिफरेन्ट क्लासेज को शामिल किया गया है इसलिए किस तरह से इन प्रोविजन्स को ठीक किया जाय, इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो कि एक सप्ताह में इस सत्र में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

इसी तरह से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के द्वारा इसके पास हो जाने के बाद में किसी को यह शंका नहीं होनी चाहिए कि इसमें किसी को बचाने की कोशिश की है। आम तौर पर यह राय प्रकट की गई कि इसकी अवधि 5 साल के वजाय 10 साल की रखी जानी चाहिए, और इसके अन्दर जो मिनिस्टर की परिभाषा है उसके अन्दर भूतपूर्व शब्द का समावेश इसके अन्दर कर दिया जाना चाहिए।

मैं एक बात, उपाध्यक्ष महोदय, और कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर जो शिकायत करने वाला होगा, जिनकी ग्रीवान्सेज होगी वह आयें तो पब्लिक ग्रीवान्सेज के बारे में किस प्रकार से दूसरे डिपार्टमेन्ट फंक्शन करते हैं कि उनकी वहां पर शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती है इसलिए कि उनका प्रोसीजर और फार्मेलिटीज और उसके साथ साथ दूसरी ऐसी इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं होती हैं कि आम आदमी वहां तक जाने की बात सोचते हुए भी डरता है, तो इस लोकायुक्त के बिल में हमें इस प्रकार से लोगों को कान्फीडेन्स दिलाने की कोशिश करना चाहिए कि जिससे वह शिकायत करे और प्रिलिमिनेरी स्टज पर अगर यह प्राइमा फेसी लगे लोकायुक्त या उपलोकायुक्त को कि बुनियादी तौर पर यह जो शिकायत है वह गम्भीर है या प्राइमा फेसी ठीक लगती है तो उस सूरत में जो भी कम्प्लेनेन्ट हो उनको बिना हेरेसमेन्ट के जल्दी और कॉन्फीडेन्स के साथ में न्याय मिल सके। इस तरह का वातावरण बनाये जाने की आवश्यकता है, ताकि कम्प्लेन्ट करने वाला जैसा कि आम तौर पर कम्प्लेन्ट करने से डरता है, उस तरह की भावना उसमें पैदा न हो।

और इसके साथ ही मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां एक ओर हम किसी की शिकायत करते हैं तो यह हमारी रेस्पान्सबिलिटी सब के अन्दर होना चाहिए कि शिकायत गलत न हो। तो उसके बारे में जिम्मेदारी का अहसास उनको होना चाहिए। दूसरी तरफ तीन वर्ष की सजा के लिए जो प्रावधान किया गया है उसके ऊपर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि उसमें हम किस प्रकार से कमी कर सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने यह जो साहसिक कदम उठाया है तो उनको इस बिल के लिए खुले दिल से और हिम्मत के साथ लोगों में कॉन्फीडेन्स पैदा करने की दृष्टि से जो कुछ भी बुनियादी परिवर्तन करना है वह

(श्री फूलचन्द जैन)

करके यह स्पष्ट तौर पर आम लोगों को बता देना चाहिए कि हम जहां तक हमारे बस और काबू की बात है भ्रष्टाचार और दूसरी प्रशासनिक गड़बडियां हैं उनको मिटाने के लिए जिम्मेदार हैं, और इसी भावना से हम इसके अन्दर सारे परिवर्तन करके इसको यहां पर ला रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री जसवन्तसिंह नाहर (बनेडा) :उपाध्यक्ष मुख्य महोदय, मैं इस बिल के लिए माननीय मन्त्री महोदय को धन्यवाद दूं उसके साथ मेरे एक साथी को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता जिनकी यह धारणा है, यह विश्वास है कि यह बिल अगर रहा तो वातावरण भले ही बनता चला जाय लेकिन वह जनतन्त्र के लिए घातक है। वह भी बधाई के पात्र हैं। जो विरोधी दलों के सदस्य हैं उन्होंने भी इसका स्वागत किया है। मैं भी इस बिल का स्वागत करता हूं।

मुझे याद है वह जमाना बचपन का जब कि मैं महाराणा के राज्य में रहता था, और भूले भटके कभी महाराणा वहां पहुंच जाते तो पब्लि वहां पर खडी हो जाती शिकायत के लिए तो वहां पर खडे हुए आदमी जिनको 5-10 रुपया देते थे वह कहते थे कि वह हजूर की तारीफ करते हैं। उससे हमें एक ही बात मिलती थी कि उनको हुकूमत पर जोम आता था और हुकूमत के जोम से जिन्दगी को वहुत बड़ा खतरा है।

1957 म हमारे प्रधान मन्त्री के पति महोदय ने मूंदड़ा काण्ड खोला था। तो उनकी एक ही वाणी थी, उन्होंने कहा था कि आज हमें यह मौका मिला है कि हम भ्रष्टाचार पर डिस्कशन कर सकते हैं।

Discussion in Parliament is a measure of strength of democracy. We don't kill the corrupt men, we don't chock their heads but we make their living difficult. यह 1957 के अवसर की वात है। मुझे अपने बचपन की बात याद आती है। उस समय महाराणा की हुकूमत थी। उस समय आदमी को पेश कर दिया जाता था। उससे कारण पूछा जाता था। लेकिन आज तो यह कहा जाता है कि वह कानून में आता है या नहीं। आज तो मन्त्री सबसे बड़ा है। किसी पब्लिक सर्वेण्ट के खिलाफ जाने में सेंक्शन लेनी पड़ती है। सचाई यह है कि इतनी बडी स्टेट के खिलाफ कौन जा सकेगा। इसलिये ऐसा कानून आने की बहुत आवश्यकता है। फारसी में एक कहावत है, कि राजा अगर एक चिमटी भर नमक भी बिना पूछे ले लेता है तो वह राज्य डूब गया। वह राज लुट जायेगा। इसलिये मैं कहता हूं....

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : You Can't, equate them with crowns or kings.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : डेमोक्रेसी है, वहां क्राउन और किंग की बात नहीं कर सकते हैं। यह ग्लैमर पैदा कर रखा है।

श्री रामनारायण चौधरी : ग्लेमर तो धोखा ही है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मुझे एक मन्त्री ने कहा था, एक चपरासी के बारे में एक आई. ए. एस. का नोट था। उसने कहा था कि क्या करूं ? जिस डेमोक्रसी में चपरासी और

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

आई.ए.एस. की वाणी की समानता नहीं है तो वहां डेमोक्रेसी नहीं है। मैं कह रहा हूं लेकिन एक बात और है जो मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाई है। 6,6 महीने तक डिस्पोजल नहीं करना चाहते हैं। कागजात को घुमाते रहते हैं। मेरे से कहते हैं, साहब आपका पता दुरुस्त नहीं है। जब मैं वकील था। वार्ड नं. 17 में रहता था। रूम नम्बर भी था। फिर भी रजिस्ट्री लौट कर गई। कहते हैं, साहब आपका पता दुरुस्त नहीं था। दुर्भाग्य से यह लौटकर आ गई तो पता चला। एक और बात कहना चाहता हूं कि यह हमारी गवर्नमेन्ट और डेमोक्रेसी बुद्धिमान मन्त्रियों के हाथों में और बुद्धिमान अधिकारियों के हाथों में रूल आफ लॉ है। लेकिन कोई भी रूल आफ लॉ का पालन नहीं हुआ। कोई रूल आफ लॉ लागू नहीं हुआ। हां, अपने किसी सम्बन्धी को लाभ देने के लिए तो वह हो जाता है। चाहे वह सदन की मेज पर नहीं लाये। हाईकोर्ट में नम्बर आफ केसेज पड़े हुए हैं कितने जिम्मेदार हमारे अधिकारी हैं। कितने सक्षम हमारे अधिकारी हैं। आपने रिश्तेदार के लिए तो रूल के पालन में वह देर नहीं लगाते हैं। उनके इन्ट्रेस्ट का क्वेश्चन है। रूल आफ लॉ नहीं बदल सकते हैं। मेरे बचपन में मैंने महाराणा का राजा देखा। 1957 में प्राइममिनिस्टर का दमाद वह बात कहता है। तो 1973 में ऐसा कानून आया है। हम रातदिन मन्त्रियों से क्वेश्चन करते हैं। आखिर लोकायुक्त और लोकपाल हैं। यह क्वेश्चन ऑफ पब्लिक ग्रीवन्सेज को दूर करने का साधन है। आखिर कोई सजा काटता है। वहां सजा देने वाले अधिकारी बैठे हैं। कागज कहां पड़े हैं। जिम्मेदारी किसकी है ? कोई पूछनेवाला नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, यह विधेयक बहुत अच्छा है। कम से कम उनके पापों पर प्रकाश तो पड़ता है जो सेल्फ इन्ट्रैस्ट में काम करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं Time may come दो वर्ष बाद, तीन वर्ष बाद, चार वर्ष बाद, यह समय आ सकता है। यह सौभाग्य है कि उड़ीसा और महाराष्ट्र ने जो कानून लगाया है, इसमें इसको लिया है। मेडिकल कागजों को एक क्लर्क ने 6 महीने तक एक अलमारी के पीछे पड़ा रखा। यह तो हालत है! होम डिपार्टमेन्ट ने ढून्ढा तो वह मिले। इसीलिए हम हमेशा यह प्रयत्न करते रहे हैं कि किसी को सजा दो जिससे कि यह एडमिनिस्ट्रेशन दुरुस्त हो।

मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने दो अमेण्डमेन्ट मूव किये हैं। लेकिन जब मैंने जल्दी जल्दी में पूरी स्टडी की है। तो पता चला कि आर्टिकल 131 ऑफ इण्डिया कान्स्टीट्यूशन के तहत ट्रिब्यूनल हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में चला जाता है। कई जगह मिनिस्टरों के साथ कुछ नहीं होता है। अब वह प्रापर ऑथोरिटी के सामने आयेंगे। इससे मैं सन्तुष्ट हूं। एक मैं और निवेदन करूंगा, मेरे से पहले वाले माननीय सदस्य जैन साहब ने कहा है। आज आम जनता दुःखी है। लेकिन मिनिस्टरों के भ्रष्टाचार से नहीं। जनता दुःखी है, डिले से, इन्टर-प्रिटेशन ऑफ रूल्स से, इण्टरप्रिटेशन ऑफ लॉ से। लेकिन इस कानून से उनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा।

एक निवेदन कर देता हूं एक बहुत बड़े आदमी ने यह कहा था, गुण जहां सत्ता से बराबर नहीं है, गुण सत्ता की समानता नहीं करेगा, वहां सत्ता आपको ले डूबेगी। गुणों की कीमत

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

शास्त्रों में बहुत की गई है, इसलिए गुणों की कीमत करते हुए एक बात कही गई है, इन पापों से दूर हटो। हमने यह यहां वहां सुना है। मैं किसी साधू का नाम नहीं लूंगा। मैं अपने नाम को लेकर ही कह दू ऊपर के पापों को धोलो और अन्दर से पाप कर लो तो क्वालिटी मात्र कहने में होगी, क्वालिटी कर्मों में नहीं होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे राजस्थान की ही नहीं पूरे राजस्थान की जनता प्रताड़ित है, उसको दूर करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के अन्दर से दूर करने के लिए कदम उठायें, और दो चार अधिकारियों और क्लर्कों को इस तरह की सजा दे दीजिये जिससे आगे ठीक हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू): माननीय उपाध्यक्ष जी, यह तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस प्रशासन के अन्दर अधिक कुशलता लाने के लिए और इसे अधिक स्वच्छ बनाने के लिए हमारी राजस्थान की सरकार ने लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त का यह विधेयक प्रस्तुत किया है। वास्तव में इस बिल के अपने उद्देश्य और कारणों में मुख्य मन्त्रीजी ने बहुत स्पष्ट किया है कि यह बिल उनके प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, ब्यूरोक्रेसी की जनता के प्रति संवेदनशून्यता की वजह से उन्हें यह बिल लाना पड़ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस नीयत, जिस मन्शा से मुख्य मन्त्रीजी इस बिल को पास करवा कर लागू करना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि उनकी जिस प्रकार की इमेज है, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों की, उनके मन्त्रिमण्डल के हर मन्त्री महोदय की उसी प्रकार की इमेज जनता में हो, उनके किसी दाग के बारे में या उनके बारे में किसी प्रकार की जनता के अन्दर जो भ्रान्तियां हैं, तो इस बिल के द्वारा उनका निवारण हो सकेगा। मुझे ऐसा लगता है इस मौके पर मुझे याद आ रहा है एक शेर एक शायर का जिसने लिखा है,

श्री शिवचरण माथुर : शायर का शेर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जी हां शायर का शेर।

बहुत शोर सुनते थे पहलू में उसका
जो चीरा तो कतरा ए खून निकला।

श्री बरकतुल्ला खां : बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दिल का भी है और उसका भी है। किसी ने 'दिल का' और किसी ने 'उसका' इस्तेमाल किया है।

मैं निवेदन कर रही थी कि क्लाज 13 इसमें डाला है, इससे इस विधयक की जो मन्शा है वह सारी ही, सम्पूर्ण तरीके से खत्म कर दी गई है। जो माननीय सदस्य मेरे पीछे बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगी, उपाध्यक्ष महोदय, कि वह मुझे बाधा न पहुंचायें, मुझे अपनी बात कहने दें। मैं निवेदन कर रही थी कि खण्ड 13 से शिकायत कर्त्ता को इतना भयाक्रांत कर दिया गया है, उसका साहस ही खतम कर दिया है, अब शिकायत करेगा कौन? शायद माननीय मुख्य मंत्रीजी को डर है और साथ ही इस बात को चैक करने के लिये उन्होंने कोशिश की है कि हर किसी के खिलाफ गलत सलत शिकायतों, हर तरह की शिकायतों का लोकायुक्त के यहां अम्बार न लग जाय जिन्हें निपटाने में भी उन्हें बहुत मुश्किल हो जाये। उन्होंने इससे बचाव और इस मन्शा से इस खण्ड 13 को रखा है। मैं समझती हूं इस बिल को पढ़ते समय ऐसा

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

लगता है कि शिकाय कर्त्ता को इतना भयाक्रांत कर दिया गया है, इतना डरा दिया गया है कि शिकायत करने की अब कोई हिम्मत नहीं करेगा। प्रशासन को स्वच्छ बनाने के लिए खण्ड 13 में शिकायतकर्त्ता को जहां इतना डराया है वहां पर जिसके खिलाफ शिकायत है उसको थोड़ा प्रोटेक्शन भी दिया गया है, उसमें यह भी कह दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री, जो वर्तमान मुख्य मंत्री हैं, उनकी इन्टेग्रिटी में किसी को ऐतराज नहीं है, उनकी नेक-नीयति पर किसी को डाउट नहीं है मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि इस विधेयक के अंदर लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की नियुक्ति हो जाने के बाद भी वह अपने पद का किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करेंगे इस बारे में न मेरे मन में सशंय है, न मैं समझती हूं, कि सदन के किसी माननीय सदस्य के मन में इस प्रकार का संशय है, लेकिन यह विधेयक हम पास करने जा रहे हैं, केवल उनके कार्यकाल के लिए नहीं, यह हम आने वाले समय के लिए हर सरकार के लिए विधेयक बना रहे हैं। इसलिये हमें बहुत सावधानी के साथ इस पर विचार करना चाहिये ताकि इसमें किसी प्रकार का लेकूना नहीं रहे। इस प्रकार की सारी हमारी तरफ से सावधानी और हिफाजत बरती जानी चाहिये। जिन लोगों ने अपनी ओर से यह प्रस्ताव रखा है कि इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो सात और पन्द्रह दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दे, मैं इसलिये अपनी ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहती हूं क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार की चीजें हैं कि आज इतनी जल्दी के अंदर इसे पास न करें। हो सकता है, कानून के बहुत जानकार लोगों के द्वारा यह ड्राफट किया गया हो, अपनी ओर से किसी प्रकार का लेकूना छोड़ने का भरसक प्रयत्न किया हो।

श्री शिवचरण माथुर : लेकूना न छोड़ने का।

श्रीमती सुमित्रा सिंह: लेकूना न छोड़ने का सब प्रयत्न किया गया है लेकिन फिर भी सारे प्रयत्नों के बाद, बावजूद हो सकता है, कई प्रकार के लेकूना रह जायं जिससे आने वाले समय के अंदर उनका दुरुपयोग भी किया जा सके। मैं निवेदन कर रही थी, इसमें जहां मुख्य मंत्री को इस बात के लिये सक्षम माना गया, चाहे अपने मंत्री के खिलाफ, चाहे अपने सचिव के खिलाफ या पब्लिक सर्वेन्टस के खिलाफ यदि वह आवश्यक समझता है तो वह अपने परव्यू से अपनी सिफारिश से दे सकता है। मैं समझता हूं, इसके जरिये लेकूना छोड़ना उचित नहीं है क्योंकि कोई भी मुख्य मंत्री इसका दुरुपयोग भी कर सकता है। सदन के सदस्यों ने यह सुझाव रखा है कि भूतपूर्व मंत्री भी इसमें शामिल किये जाने चाहिये। मेरी खुद की मान्यता है, भूतपूर्व मंत्री को इसमें सम्मिलित किया जाय, क्योंकि कई सालों तक राजस्थान के मंत्रियों की एक प्रकार से चर्चा सदन में भी, जनता में भी, होटल में भी, रेस्ट्रां में भी, चाय की दुकान पर भी ऐसी चलती रही है और जितना भ्रष्टाचार नहीं हुआ था उससे ज्यादा भ्रष्टाचार का प्रचार किया गया है, जिस सीमा तक भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन जैसा मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि एम० एल० ए० पब्लिक सर्वेन्ट्स की परिभाषा में आते नहीं हैं, जब भूतपूर्व मंत्री ने अपने मंत्रित्व काल में भ्रष्टाचार किया है या अपने मंत्रित्व काल में पद का दुरुपयोग किया है, वह आज मंत्री नहीं है वह एम० एल० ए० है, तो वह पब्लिक सर्वेन्ट्स की परिभाषा में नहीं आयगा, तो

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

उसकी कैसे जांच होगी और कैसे उसके कारनामें लोकायुक्त के परव्यू में कैसे आयेंगे? यह समझ में नहीं आता। तो जो प्रेस कर रहे हैं कि भूतपूर्व मंत्री को भी शामिल किया जाय तो वह कैसे शामिल किया जा सकेगा यह विचारणीय प्रश्न है। मैं निवेदन करना चाहती हूं मुख्य मंत्रीजी को कि वे शीघ्रता के अंदर इसको पास करवाने में उतनी दिलचस्पी न रखें, शांति के साथ इसको वह प्रवर समिति के सुपुर्द करे जो ठण्डे दिल और दिमाग से सभी बातों के ऊपर विचार करें और सोच कर कांम्प्रीहेन्सिव अर्थात इस प्रकार का बिल बनायें जिसमें किसी प्रकार की कोई दुरुपयोग करने की गुंजाइश न रहे। मैं मुख्य मंत्रीजी से फिर निवेदन करना चाहूंगी कि खण्ड 13 के बारे में पुन: विचार करें जैसा कि मुझसे पहले बोलने वाले बनेडा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 182 की शिकायतें झूठी होती हैं। 182 के तहत जब शिकायकर्त्ता किसी के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर] करता है; और वह प्रूव नहीं होता है तब 182 चलता है लकिन जिन केसेज में प्रूव नहीं होगा, तो उनको आप जेल भेजेंगे। बड़ा मुश्किल है प्रूव करना। सब जानते हैं 302 के मुकदमे में भी जिसमें सब जानते हैं कि सरे आम किसी को मारा गया है, फिर भी जहां विटनेस के अभाव का मुल्जिम को फायदा दिया जाता है और उसको सजा नहीं मिलती है। भ्रष्टाचार व पद का दुरुपयोग का प्रूव करना बडा मुश्किल है इसलिये चाहे बिलफुली मेलीशसली न करें, ईमानदारी से कोई किसी की शिकायत करने जाता है, लेकिन शिकायत सिद्ध करना बड़ा मुश्किल होता है और शिकायत सिद्ध जब नहीं होगी तो यह डिटरेन्ट इसना पैदा किया जा रहा है कि कोई सहज में शिकायत की हिम्मत नहीं करेगा। धारा 13 लगाने से तो लोकायुक्त के पास इतना काम ही नहीं होगा फिर उपलोकायुक्त की नियुक्ति की आवश्यकता ही क्या है? अगर खंड 13 का प्रावधान ज्यों का त्यों रखते हैं तो उपलोकायुक्त को न रखा जाए, क्योंकि हम साल का 5.40 लाख खर्च करने जा रहे हैं वह बेकार में बिना किसी उपयोग के पद का सृजन करने की आवश्यकता क्या है? इस संबंध में मुख्य मंत्रीजी विचार करें और खंड 13 पर पुन: विचार करें और इम्प्रिजनमेंट के बजाय केवल फाइन का प्रावधान इसमें रहने दें।

खंड 20 में पॉवर्स डेलीगट करने का प्रावधान है। इसमें यदि हर कोई जांच करने लग जाएगा तो मंत्री के पद की गरिमा चली जाएगी। इस बारे में भी पुन: विचार करें कि किसी को लोकायुक्त या उपलोकायुक्त पॉवर्स डेलीगेट नहीं कर सके। मुख्य मंत्रीजी ने प्रारंभ में उद्देश्यों और कारणों को बताते समय स्पष्ट किया था कि इन्वेस्टीगशन की सहायता के लिए इन्वेस्टीगेशन का काम विजीलेन्स कमिश्नर ऑफिस और एन्टी-करप्शन विभाग को भी सौंपा जा सकता है। म नम्र निवदन करना चाहती हूं कि एन्टी-करप्शन विभाग को इसमें शामिल न किया जाए। विजीलेन्स कमीशन का जहां तक सवाल है, वह ठीक है लेकिन कहना नहीं चाहिए कि आज जिस बात की चर्चा होती है और जनतंत्र का सबसे बड़ा फोरम हमारा सदन है। यहां बैठकर चाहे अफसरशाही के खिलाफ हम कहें चाहे न्यायपालिका के खिलाफ कहें यदि कोई भी सदस्य इस बात को कहता है कि अमुक विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है तो मैं समझती हूं यह उचित नहीं है क्योंकि यह कैसी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

बेबसी की बात है कि दोष लगा लें और उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। फिर भी एन्टीकरप्शन विभाग में आज तक क्या हुआ है यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। मैं नहीं कहना चाहती कि उन लोगों को और छूट दी जाए कि आज जिस तरह से वे कर रहे हैं वे और उच्छृंखलता से काम कर सकें। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इस विभाग को इन्वेस्टीगेशन्स में शामिल न करें क्योंकि एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट सच पूछिए तो प्रो-करप्शन डिपार्टमट है क्योंकि राजस्थान में इस विभाग ने कितने केसेज में किस हद तक करप्शन को रोका है, यह मुख्य मंत्री सोचें यदि वह नहीं रोक पायेंगे तो फिर लोकायुक्त व उपलोकायुक्त जैसे पवित्र कार्यालयों को इनवेस्टीगेशन के लिए एन्टी करप्शन विभाग का सहयोग लेना पड़ा तो फिर न्याय की आशा नहीं और मंत्री के पद की जो गरिमा है और उस पर झूठा लांछन लगाकर जनता के अंदर उसकी इमेज न गिरे, इस प्रकार का उद्देश्य है तब तो उनको इन्वेस्टीगेशन से दूर रखना चाहिये, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहती हूं कि खंड 13 पर पुनः विचार करें क्योंकि इस विधेयक को पास करने की सारी मन्शा ही इस खंड से खतम हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सज्जन सिंह (अनुपस्थित)

श्री हीरालाल देवपुरा। (अनुपस्थित)।

मुख्य मंत्री।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, काफी डेमोक्रेसीज में या तो पार्लियामेंट की परम्परायें ऐसी पड़ी हैं कि किसी मंत्री पर लांछन लगता है तो वह चैलेंज करता है कि सदन के बाहर आकर कहिए और मैं आप पर डिफेमेशन का केस चलाऊंगा। काफी डेमोक्रेसीज में खास तौर से स्केन्डेनेवियन दशों में न्यूजीलेंड में ओम्बड्समैन की इन्सटीटयूशन जमी है और उस इन्स्टीटयूशन के जमने के अंदर वहां के लोगों को राहत भी मिली है, और एक तरीके का जो एलीगेशन्स का सिलसिला है वह भी रुका है हमारे यहां भी हम एन्फोर्समेंट की तरफ अपना कदम ले जा रहे हैं, हमने नाम बदला है लेकिन कोशिश इस बात की की है कि जहां पर जैसा कि कुछ दोस्तों ने कहा कि अपनी मेजोरिटी का फायदा उठाकर सदन में चर्चा करके इस को यहां समाप्त कर दिया है। यह सरकार, पार्टी और सदन चाहता है कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर सही तरीके से जांच होकर जो बड़े लोग हैं, पब्लिक सर्वेन्ट्स हैं खास तौर से मंत्री, उनके बारे में शिकायत हो उस पर निर्णय लेकर यह बताया जाए कि यह मंत्री करप्ट हैं या नहीं, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया या नहीं।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय चर्चा शुरू हुई, उस समय खास तौर से मेरे माननीय सदस्य जो जयपुर से आ रहे हैं कम्यूनिस्ट पार्टी के, उनसे निवेदन करूंगा कि बड़े अदब के साथ निवेदन करूंगा कि आज जहां पूंजीवाद की बात आप करते हैं तो कोई मंत्री समाजवाद की तरफ जाता है तो उसके साथ उनकी दुश्मनी होगी। आप हजारों रुपए का फाइन रखें तो वह 10 लाख रुपए भी रखकर मंत्री की जिंदगी खराब कर सकता है, लेकिन जहां इस चीज को रखा है वहां धारा 13 में कहा गया है कि जो मेलीशस या

(श्री बरकतुल्ला खां)

फिवोलस हो जिसका मतलब जानबूझकर झूठी शिकायत या किसी को गलत डेपिक्ट करने की कोशिश की हो तो उसके लिए लिखा है मुकदमा चलाने से पहले लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त की आज्ञा लेना जरूरी है। तो यह भी बलेंकैट चेक नहीं दिया है कि इप्सो फैक्टो उन्होंने शिकायत रद्द की और रद्द हो गई। उसके बाद वह सीधा मुकदमा चला सकता है। इसलिये शिकायत करने वालों के लिए सेफगार्ड रखा कि जो आदमी मुकदमा चलाएगा कि मुझ पर झूठी शिकायत की उसके लिए भी उसको इजाजत लेनी पड़ेगी लोका-युक्त से या उपलोकायुक्त से ताकि सेफगार्ड रहे कि जो शिकायत करने वाला है उसकी शिकायत के अंदर जेनियुननेस है या उस बात के अंदर मिस्टेकिन आइडेन्टिटी में किया या अंडर रांग नोशन किया लेकिन डेलीबरेटली मेलीशस नहीं था, डेलीबरेटली फाल्स नहीं था, उसको मैं समझता हूं लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त प्रोटेक्शन देंगे।

तो इसमें ऐसी चीज नहीं है, जिसको कि क्लियर नहीं किया जा सके। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से इस विषय में निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट ने इसमें एग्जम्पशन दिया है उसको दिया है जो कि गजेटेड अधिकारी नहीं है। गजेटेड अधिकारी के अलावा एग्जम्पशन दिये गये हैं। इस बिल में ऐसा प्रावधान है कि जिससे छोटे वर्ग के लोगों को छोटे अधिकारियों को जो कि नॉन गजेटड हैं उन्हें प्रोटेक्शन दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, जो किसी से भी की जाती है एक छोटा अधिकारी दूसरे अधिकारी के खिलाफ में शिकायत कर सकता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं एक छोटे अधिकारी ने एक फोर्थ क्लास सर्वेन्ट के खिलाफ में शिकायत की तो मिनिस्टर ने यह लिखा कि फोर्थ क्लास सर्वेन्ट को प्रोटेक्ट किया जाय तो इसमें एग्जम्पशन रखा गया है इस तरह से जब एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के खिलाफ, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के खिलाफ शिकायत करता है तो हमारे यहां पर पब्लिक ग्रिवेन्सेज का ऑफिस है, मैं आपसे निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो भी शिकायत आती है हमारे यहां से बाकायदा उसकी रसीद दी जाती है, नम्बर डेट तक देते हैं। मैं खुद रिपोर्ट मांगता हूं फाइलों को देखता हूं और पता लगाता हूं कि क्या एक्शन लिया गया। आंकड़े देखता हूं और देखता हूं किस किस-में क्या लिखा। अगर कोई इसको झूठा बतादे तो मैं चेलेन्ज देने को तैयार हूं। मैंने कोई कमिश्नर ग्रिवेन्सेज का ऑफिस सेरेमोनीयल ऑफिस थोड़े ही बनाया है। मैंने जनता के हित के लिये बनाया है।

इसके अलावा यहां पर इस सदन में यह भी कहा गया कि इसमें भूतपूर्व मन्त्रियों के खिलाफ एक्शन लेने की कोई योजना इसमें नहीं है तो मैं आपको बतादूं कि अगर पिछले 5 साल के कोई भूतपूर्व मिनिस्टर के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उस पर एक्शन लिया जायेगा। अगर किसी के करेप्शन की शिकायत आई तो उसकी जांच लोका-युक्त कर सकता है। वह एक्शन ले सकता है। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के प्रोवीजन्स इसमें रखे हैं।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मैं सही बात से बिल्कुल इत्तफाक रखता हूं। आज का युग परिवर्तन लाने का है। वह परिवर्तन समाज में कानून के जरिये ही ला सकते हैं। इसके लिये जनता को हमें मोबीलाइज करने की जरूरत है इसलिये

(श्री बरकतुल्ला खां)

आज समाज के कानूनों में फेर बदल करना आवश्यक है। इससे हमने इस बात का ध्यान रखा है कि शहरों के लिये कानून अलग हो गांवों के लिये अलग रखें। उपाध्यक्ष महोदय, हमने अभी सीलींग बिल में भी ऐसी व्यवस्था की।

इसके अलावा इस सदन में एक बात सुरा और सुन्दरी के बारे में कही गयी। इसके लिये मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि मेरी केबीनेट में एसा कोई मिनिस्टर नहीं मिलेगा जिसमें सुरा और सुन्दरी का दोष हो जो शराब पीता हो अथवा कोई आवारगी करता हो। अगर कोई मुझे भी शिकायत प्राप्त हुई और मैं सेटिस्फाइड हो गया कि इस प्रकार के आरोप अमुक परर्टीक्यलर मंत्री के खिलाफ है तो मैं उस मंत्री से इस्तिफा मांग लूंगा या फिर मैं उसको ड्रप कर दूंगा। मैं इसमें बिल्कुल ही किसी बात की रियायत नहीं बरतूंगा। इसलिये मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करूंगा कि अगर किसी ने झूठी शिकायत की हो तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिये इसलिये सजा का प्रावधान इसमें रखा है। आज अदालतों में जावोगे तो इसके अन्दर 3 साल की सजा का प्रावधान है पर अदालत में केस देने के पहले लोकायुक्त यह निर्णय करेगा कि इस केस को कोर्ट में भेजा जाय या नहीं। और अगर भेज भी दिया जायेगा तो वे केसेज फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जायेगा इसमें तो डबल स्क्रुटनी होगी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: इसमें सजा कम करदी जाए तीन साल के बजाय 3 माह या 6 माह ही काफी है।

एक माननीय सदस्य: सजा को हटाकर फाईन रखना ही काफी है।

श्री बरकतुल्ला खां: मैंने तो सदन के सामने जो माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं उनके बारे में कहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और फिर दोहराता हूं कि जिस प्रकार सीलिंग के अंदर हमने शहर और गांव वालों के लिये अलग अलग प्रोवीजन्स बनाये हैं—शहर वालों के लिये उसमें पाबन्दी है लेकिन गांव वालों के अंदर कोई पाबन्दी नहीं हैं। गांव वालों के लिये एग्जम्पशन है। उपाध्यक्ष महोदय, गांव वाले लोग शहर वालों से कम पढ़े लिखे होते हैं इसलिये एक दो जनेरेशन्स जब तक वे पढ़ लिख कर एजूकेटेड नहीं हो जायें तब तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। इसके अलावा भी मैंने इस बिल को जिस प्रान्त के पेटर्न के ऊपर बनाया है उसको मैंने थोरो स्टडी की है। जैसा अपने यहां लोकायुक्त है वैसे महाराष्ट्र में भी है। मैंने वहां भी इसको डिस्कस किया है और भी कई जगहों पर डिस्कस किया है उसके बाद में मैंने यह प्रोवीजन्स रखे हैं। मैं इसमें एक भी चीज गलत नहीं रखूंगा इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल को एक बार पारित कर दिया जाय तो अच्छा है, और इसके बाद में अगर जरूरत पड़ी तो और भी इसमें संशोधन बाद में किये जा सकते हैं। चूंकि कुछ माननीय सदस्यों ने इसे जनमत जानने हेतु और सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिये कहा है लेकिन मैं इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजने में असमर्थ हूं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा इस बिल के बारे में मैंने कई जगह पर डिस्कस किया है। और मैं आपसे ठीक निवेदन कर देना चाहता हूं कि और भी जो बड़ी स्टेटस है वहां भी ऐसी व्यवस्था है, और इसका टेस्ट हो चुका है। हमारे यहां भी इस संबंध में कदम उठाये जा रहे हैं।

(ी बरकतुल्ला खां)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बार बार सदन से निवेदन कर रहा हूं कि अगर किसी को मेरी इन्टीग्रिटी पर डाउट हो, मेरे ऊपर शक हो तो वह मेरी शिकायत गवर्नर साहब को लिख कर भेजे, और वे फिर सीधी प्रेसीडेन्ट साहब को भेजे मेरे खिलाफ में प्रेसीडेन्ट इन्क्वायरी करे मैं अपने आपको बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं तो चाहूंगा कि अगर मेरे खिलाफ शिकायत हो तो की जाय अगर हमारा दामन बेदाग हैं, दामन साफ है तो डरने की जरूरत क्या है? लेकिन जो इसमें प्रोवीजन रखा है एग्जम्पशन का जो प्रोटेक्शन नान-गजेटेड को दिया है वह ठीक है और गजेटेड को प्रोटेक्शन इसमें नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि लोकायुक्त के लिये किस व्यक्ति की नियुक्ति हो इसके लिये राजस्थान के चीफ जस्टिस अपोजीशन के लीडर व गवर्नर साहब और मैं मिलकर बात करके तय करें तो उचित रहेगा। इससे हमारे यहां लोकतन्त्र मजबूत होगा। हमनें इस बिल में लोकायुक्त को मन्त्रियों, चीफ सेक्रेट्री, और सेक्रेट्रीज के खिलाफ जांच तक ही लिमिटेड रखा है और एम० एल० एज० को लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उनके पास कोई कार्यपालिका शक्ति निहित नहीं है। इसके अलावा यहां पर बार बार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ में चार्जेज लगाये जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि राजस्थान में कोई ईमानदार अफसर है ही नहीं तो इसका मतलब यह है कि सारे ऑफिसर बाहर से ही बुलाये जायें-यह भी पासीबल नहीं है। मैं यह नहीं मान सकता कि सभी अफसर भ्रष्ट हैं। लेकिन यह मैं फिर निवदन कर देना चाहता हूं कि अगर किसी के खिलाफ शिकायत आई तो लोकायुक्त उसकी जांच करेगा, और दोषी पाये जाने पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा। मुझे दूसरे प्रान्तों का भी अनुभव है, इनमें कुछ मशहूर प्रान्त भी हैं जहां पर राजस्थान के मुकाबले ज्यादा सरकारी अधिकारियों के खिलाफ चर्चा है। इसके अलावा हमारे यहां ऑफिसर्स की सी० आर० भी भरी जाती है-मैं भी भरता हूं अगर कोई गलत होता है तो एन्ट्री होती है, एक्शन होता है। इसी प्रकार हमारे यहां भारतीय संविधान के आर्टिकल 311 के अंदर सभी को फेअर अपोरच्युनिटी दी जायेगी। अगर उसमें उन्हें कोई जरूरत पड़े तो वे वकील भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इस बिल के अन्तर्गत उन्हें वकील की इजाजत भी नहीं दी है क्य.कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स व बड़े बड़े अधिकारी, हम लोग जो हैं वे बड़े से बड़े वकील कर सकते हैं।तो इसलिये दोनों को बराबर का एडवान्टेज और बराबर का डिसएडवान्टेज होना चाहिये। फायदा एक को न मिलना चाहिये और न दूसरे को मिलना चाहिये।

आर्टिकल 311 के नीचे फेयर अपोरच्युनिटी दी जावेगी कि अधिकारी खुद कन्डक्ट कर सकता है या रिटायर्ड ऑफिसर्स को अपने बिहाफ पर वकील की तरह लेकर किसी केस को एग्जामिन करवा सकता है वह सारा प्रोसीजर दिया हुआ है। वही सारा प्रोसीजर शुरू कर दिया गया तो लोकायुक्त का मतलब खत्म हो जावेगा। लेकिन कॉस्टीट्यूशनल प्रोविजन है वह रखना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी रहेगी वह हट नहीं पायेगी। पब्लिक ग्रिवान्स का क्या इसलिये किया कि किसी को पेन्शन नहीं मिली है, किसी को ड्यूटी पर नहीं लिया है इसलिये वह कहां जाय दो जगह है

(श्री बरकतुल्ला खां)

दोनों जगह उसकी नहीं है। ये सब चीजें देख कर कि ग्रिवान्स का डिपार्टमेंट होना चाहिये कि जहां ये अपनी ग्रिवान्सेज को रख सकें। हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ला रहे हैं वह इसलिये ला रहे हैं कि सर्विस मेटर्स वहां जायं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको विचारार्थ लें।

श्री मनोहर कोठारी : चीफ सेक्रटरी गवर्न नहीं होता है इससें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त विधेयक, 1973 को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त विधेयक, 1973 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

(विराम)

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त विधेयक, 1973 पर खण्डशः विचार एवं उसका पारण

प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय?

खण्डशः विचार एवं उसका पारण

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

(खण्ड 2)

श्री गुमानमल लोढ़ा कुछ कहना चाहेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 में जो मेरा संशोधन है वह भाग 'क' के अंदर है, वह यह है "मुख्य मंत्री के मामले में राज्यपाल"।

श्री उपाध्यक्ष : नया भाग (खख) जोड़ने के लिये भी है जन अभियोग के संबंध में। वह भी मूव अप कर दीजिये। तीन हैं आपके।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मूव हुए समझें जायं।

(खण्ड 2 में श्री गुमानमल लोढ़ा द्वारा प्रस्तावित संशोधन)

(1) भाग (ख) के बाद व भाग (ग) के पूर्व निम्न भाग (खख) अन्तः स्थापित किया जावे:

"(खख) "जन अभियोग" से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति का आरोप कि उसे अन्याय या अनावश्यक परेशानी का शिकार कुप्रशासन के फलस्वरूप होना पड़ा हो।"

(ii) भाग (ग) के पश्चात् व भाग (घ) के पहले निम्न भाग (गग) अन्तः स्थापित किया जावे:-

"(गग) "कुप्रशासन" से अर्थ है कि

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

प्रशासन के संबंध में कोई कार्य किया हो अथवा किया गया प्रतीत होता हो जिससे—

(I) ऐसा कार्य अथवा प्रशासनिक प्रणाली अन्यायपूर्ण, दमनकारी भेदभावपूर्ण अथवा अयुक्तिसंगत हो;

(II) जहां ऐसी कार्यवाही अथवा कार्य प्रणाली में अनावश्यक विलम्ब अथवा लापरवाही की गई हो;

(III) भाग (च) में प्रयुक्त शब्द "कोई सदस्य" व शब्द "अभिप्रेत" के बीच "में प्रयुक्त अभिव्यक्ति"(मुख्य मंत्री के अतिरिक्त)" विलोपित किया जावे तथा इसी में शब्द "मंत्री" के स्थान पर शब्द "भूतपूर्व व वर्तमान मंत्री" प्रतिस्थापित किये जायें।

जनभियोग के संबंध में यही निवेदन करना है कि महाराष्ट्र के अन्दर इसी प्रकार का एक्ट बना हुआ है उसमें पब्लिक ग्रीवान्सेज को लिया गया है और जैसा मैंने बताया कि जो मामले साधारणतया कानून में न आ सकें, इण्डियन पीनल कोड या पब्लिक ग्रीवान्सेज एक्ट के अन्तर्गत नहीं आते हैं उनको इस राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त विधेयक में कवर किये जाने चाहिये जिसका मुख्य उद्देश्य ही यही है। एलीगेशन की डेफिनिशन में पब्लिक ग्रीवान्सेज का न होने से मैंने यह संशोधन रखा है इसलिये इसको इसमें लिया जाय।

भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण अनड्यू डिले होती है जहां कोई रेमेडी नहीं है उसको इसमें लिया जाय। मैं नहीं समझ सका कि हमारे राजस्थान के कानून में महाराष्ट्र के कानून से क्यों डिवार किया गया है? जब केन्द्र से यह कानून डीगाइड लाइन्स के अनुसार आया है तो फिर इसमें पब्लिक ग्रीवान्सेज को क्यों एक्सक्लयूड कर दिया गया माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नहीं फरमाया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मुख्य मंत्री जी ने फरमा दिया और आश्वासन भी दिया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : महाराष्ट्र में जिस प्रकार पब्लिक ग्रीवान्सेज के लिये है उसी प्रकार इसमें भी इन्क्ल्यूड किया जायं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के द्वारा यह कहा गया :

(खण्ड 2)

(1) भाग (ख) के उप-भाग (III) के बाद निम्नांकित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय:—

"**स्पष्टीकरण** : यदि किसी लोक सेवक ने अपना पद संभालने के बाद अपनी ज्ञात आमदनी से अधिक सम्पत्ति अर्जित की है तो वह लोक सेवक भ्रष्टाचार का दोषी माना जावेगा।

यह इसलिये जोड़ने की बात कही है, उपाध्यक्ष महोदय, कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो यों ही साफ जाहिर हो जाती हैं लेकिन कागजों पर नहीं मिलती। कई तरह की सम्पत्ति हो सकती है। लड़के के नाम, पुत्री के नाम, पत्नी के नाम। ऐसे व्यक्ति की

Page No. 126

[redacted]

(श्री केशरीमल)

सम्पत्ति ज्ञात हो जाय तो दोषी माना जावेगा। और उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। इसलिये इसमें यह स्पष्टीकरण जोड़ने की बात कही है।

इससे आगे खण्ड 2 के भाग 'ग' में भाग (i) व भाग (ii) को भाग (ii) व भाग (iii) संख्यांकित किया जाय तथा नवीन भाग (i) निम्नांकित निविष्ट किया जाय :–

"(1) मुख्य मंत्री के मामले में राज्यपाल",

(iii) भाग (च) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "(मुख्य मंत्री के अतिरिक्ति)" को विलोपित किया जाय;

(iv) भाग (छ) में भाग (iii) व (iv) को भाग (iv) व (v) संख्यांकित किया जाये तथा नवीन भाग (iii) निम्न प्रकार निविष्ट किया जावे :–

"(iii) राजस्थान विधान सभा का प्रत्येक सदस्य"।

(v) भाग (अ) में, शब्द "इसमें" के "बाद और शब्द "विशेष सचिव" से पहले शब्द "मुख्य सचिव" निविष्ट किया जाय।

इस तरह से मेरा यह संशोधन प्रस्तुत है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते है कि एलीगशन का शब्द बहुत वेग है इसलिये इसका एक्सप्लेनेशन यह जोड़ा जावे कि अगर किसी भी आदमी की आमदनी से उसकी दौलत ज्यादा है तो उसके खिलाफ प्राइमा फेसी यह समझा जावेगा कि एलीगेशन वहां मौजूद है और उसके खिलाफ सुओ मोटो भी प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती है।

इसके बाद दूसरा अमेन्डमेंट है जिसका संबंध चीफ मिनिस्टर से है। इनको भी इसमें इन्क्ल्यूड किया जावे। सदन का यह ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर इसमें रहने चाहियें सेन्टर में नहीं आया तो इसमें यह अमेण्डमेंट चलेगा, नहीं तो रिडन्डेण्ड हो जावेगा।

तीसरा एम०एल०एज० के बारे में है। मेरी अर्ज यह है कि यह पब्लिक सर्वेन्ट एज सच पब्लिक सर्वेन्ट की डेफीनेशन और है यह सही नहीं है। इसमें जो चुन कर आते हैं। उनको भी लिया जा सकता है। हम भी भ्रष्टाचारी नीति न अपनावें और अपने पद का दुरुपयोग न करें इस दृष्टि से मेरी मान्यता है कि अपने पद का अगर दुरुपयोग करते हैं। और सही उसका इस्तेमाल नहीं करते है तो मैं मानता हूं कि हम भी लाखों रुपया बगैर एग्जीक्यूटिव पॉवर के कमाने की स्थिति में हैं। इसलिये हमारा यह कहना है कि जब हमें तनख्वाह मिलती है और अलाउन्स भी मिलते हैं तो हमें भी पब्लिक सर्वेंट मानकर इसमें इन्क्लूड किया जाना चाहिये। चूंकि हमारे खिलाफ भी शिकायतें आती हैं कि फलां ने बंगला बना लिया, फलां ने अपने पद का फायदा उठाते हुए फेक्ट्री बना ली, फेक्ट्री के माल का कोटा ले लिया, फेक्ट्री कायम कर ली, इस तरह की बीसों मिसालें एम०एल०ए० और एम०पी० के खिलाफ में पेश कर दूंगा। जयपुर में मौजूद है कई। इसलिये मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार के मिटाने में इन एम० एल० ए० को भी शामिल कर लिया जावेगा तो यह कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं होगी। अफसरों को एक सीमा तक माफ किया जा सकता है पर जो जनता के द्वारा चुन कर आते हैं वे भ्रष्टाचारी हो जाते हैं और अपने पद का दुरुपयोग करने लग जाते हैं तो इससे ज्यादा बुरी बात

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

और क्या हो सकती है ? इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि फॉर दी परपज ऑफ दिस एक्ट एम०एल०ए० को भी इसमें इन्क्लयूड किया जावे ताकि हम भ्रष्टाचार से बच सकें और अपने पद का दुरुपयोग न कर सकें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के स्पष्टीकरण के बाद मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझती ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य।

(अनुपस्थित)

श्री केदार नाथ ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : बेमन से आप आज चल रहे हैं ।

श्री केदारनाथ : राज्य सरकार की मंशा तो है नहीं । फिर भी मैं रख देता हूं :-

"(i) भाग (ख) के बाद व भाग (ग) के पूर्व निम्न भाग (खख) अन्तः स्थापित किया जावे:-

"(खख) 'जन अभियोग' से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति का आरोप कि उसे अन्याय या अनावश्यक परेशानी का शिकार कुप्रशासन के फलस्वरूप होना पड़ा हो ।"

(ii) भाग '(ग)' में भाग (i) व भाग (ii) को भाग (ii) व भाग (iii) संख्यांकित खण्डशः विचार एवं उसका पारण किया जाय तथा नवीन भाग (i) निम्नांकित निविष्ट किया जाय:—

"(i) मुख्य मन्त्री के मामले में राज्यपाल;";

(iii) भाग (ग) के पश्चात् व भाग (घ) के पहले निम्न भाग (गग) अन्तः स्थापित किया जावे:-

"(ग ग) "कुप्रशासन" से अर्थ है कि प्रशासन के सम्बन्ध में कोई कार्य किया हो अथवा किया गया प्रतीत होता हो जिससे-

(i) ऐसा कार्य अथवा प्रशासनिक प्रणाली अन्यायपूर्ण, दमनकारी भेद भावपूर्ण अथवा आयुक्तिसंगत हो;

(ii) जहां ऐसी कार्यवाही अथवा कार्य प्रणाली में अनावश्यक विलम्ब अथवा लापरवाही की गई हो ।"

(iv) भाग (ङ) विलोपित किया जाये ।

(v) भाग (च) में प्रयुक्त शब्द "कोई सदस्य" व शब्द "अभिप्रेत" के बीच में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "(मुख्य मन्त्री के अतिरिक्त)" विलोपित किया जावे तथा इसी में शब्द "मन्त्री' के स्थान पर शब्द "भूतपूर्व व वर्तमान मन्त्री" प्रतिस्थापित किये जायें ।"

श्री रामनारायण चौधरी : बेमन से बातें कर रहे हैं ।

श्री केदारनाथ : इसलिये इतनी बातें कह देता हूं । उत्साह तो नहीं है वाकई में ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : धारा 144 आपने लगा दी है न—।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : आपने स्वागत किया है इस बिल का ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : बिल का स्वागत किया है इसलिये थोड़ा सा निवेदन कर देता हूं । यह खण्ड दो के अन्तर्गत अलग से सर्कुलेट हुआ है । इसमें सुझाव दिया था कि मुख्य मंत्री के मामले में राज्यपाल रखा जावे ।

खण्ड 2

भाग (ग) में भाग (।) व भाग (।।) को भाग (।।) व भाग (।।।) संख्यांकित किया जाय तथा नवीन भाग (।) निम्नांकित निविष्ट किया जायः—

"(।) मुख्य मन्त्री के मामले में राज्यपाल;"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां मन्त्री अथवा सचिव के मामले में मुख्य मन्त्री और मुख्य मन्त्री के मामले में राज्यपाल रखा जावे । यह सुझाव मैंने इस लिये दिया हैं कि मैंने अपने मूल संशोधन के यह कहा है कि मुख्य मन्त्री का इस विधेयक का जो खण्ड संख्या (2) हैं इसमें रखा जावे और मुख्य मन्त्री के मामले में राज्यपाल के पास में प्रतिवेदन आवे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त महत्वंपूर्ण मसला हैं । जैसा मैंने पहले बताया कि मुख्य मन्त्री अपने आपको इस विधेयक से अलग रखें यह उनको शोभा नहीं देता । जब वह बार बार सदन में कहते हैं कि मेरे बारे में शिकायत हो तो राज्यपाल महोदय के पास भेजो । वे

राष्ट्रपति के पास भेज दें और वे फिर जांच करा लें । तो इसमें प्रावधान नहीं रखकर उनको अलग रखा जावे यह उचित नहीं है । यह कानून हमेशा के लिए बन रहा हैं । किसी व्यक्ति विशेष के लिये तो बन नहीं रहा है । फिर मुख्य मन्त्री को इसमें क्या आपत्ति है ।

मुख्य मन्त्री ने चूंकि स्वीकार कर लिया है कि मन्त्री से मतलब भूतपूर्व मन्त्री से भी है तो मैं समझता हूं कि इस को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होगी कि यह स्पष्ट कर दिया जावे कि मन्त्री या भूतपूर्व मन्त्री शब्द का अर्थ क्या है । मन्त्री की परिभाषा में भूतपूर्व मन्त्री भी आ जाना चाहिए । खण्ड 2 में मुख्य मन्त्री को शामिल होने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए । पब्लिक ग्रीवान्सेज और डिले इत्यादि के बारे में महाराष्ट्र का जो पैटर्न है उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए । ताकि यह इफेक्टिव हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड (2) ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्षजी, जो संशोधन इस पर पेश किये गये हैं उनके बारे में मुख्य मन्त्रीजी द्वारा काफी स्पष्टीकरण दिया जा चुका है और बहुत से मुद्दों पर माननीय सदस्यों को विश्वास भी हुआ है । इसके बावजूद भी इन संशोधनों के प्रस्तुत किये जाने पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जनाभियोग का तात्पर्य जो ये जोड़ना चाहते हैं और अलग से प्रोवाइड करना चाहते हैं उसकी भाषा को पूर्व में बताया जा चुका है इसलिये अब आवश्यक नहीं है कि जिन विशेष मुद्दों को लेकर चाहे वह भ्रष्टाचार का हो, चाहे पद के दुरूपयोग का हो चाहे किसी हित या निहित स्वार्थ से कार्य किया जाने के बारे में हो, उनको फिर यहां लाया जाय । इन्हीं

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

मुद्दों को लेकर तो यह लोकायुक्त संस्था कायम ही की गई है।

आम तौर पर जो दूसरी शिकायतें होती हैं उनके लिये दूसरी संस्थाएं, साधन और जरिये उपलब्ध हैं इसलिये उनके लिये उन जनाभियोग के लिए इसमें भी प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं है। इसीलिए इसमें उनको रखा नहीं है।

इसी प्रकार से उप-प्रशासन का प्रयोग किया गया है। इससे उत्पन्न कोई भी ग्रीवीन्सेज हो सकती है उनके निराकरण के भी अन्य साधन उपलब्ध हैं जिस प्रकार से मुख्य-मन्त्रीजी ने भी कहा। विभिन्न प्रकार की एजेन्सियां राज्य सरकार में आज भी मौजूद हैं उनके कार्यों के बारे में उल्लेख किया है। इस लिये प्रशासन से उत्पन्न स्थितियों के निराकरण के लिए अलग से व्यवस्था है इसमें उनको शामिल करना ठीक नहीं।

भूतपूर्व मन्त्रियों के बारे में कहा गया। इसके लिए इसमें पहले से ही प्रोवीजन है। यहां मन्त्रियों के एक्शन से ताल्लुक रखा गया है। उन तमाम एलीगेशन्स के बारे में जांच की जावेगी कार्यवाही की जावेगी। इसलिये पांच साल में जो भी मन्त्री रहे हैं उनके एक्शन से उत्पन्न जो भी स्थिति पैदा हुई हैं उनके बारे में कदम उठाये जावेंगे इसलिए भूतपूर्व मन्त्री भी उस अवधि में शामिल हैं इसलिए अलग से जरूरत नहीं है।

इसके साथ में जो मुख्यमन्त्रीजी को रखने की बात कही गई। स्वयं मुख्य मन्त्रीजी कनविंस कर गये हैं इसके बाद भी यह प्रश्न उठाया है तो मैं पुनः निवेदन करती हूं कि वे स्वयं कहते हैं कि उनके बारे में राज्यपाल महोदय को लिखा जाय वे तुरन्त राष्ट्रपति के पास जांच हेतु भेजेंगे। भारत सरकार के स्तर पर ऐसा ही एक अधिनियम आ रहा है इसलिए उसमें ये कवर हो जावेंगे इसलिए इस विधेयक में इसका प्रोवीजन करने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक विधायकों को इसमें शामिल करने का प्रावधान किया गया है वह स्थिति साफ है। पब्लिक सर्वेन्ट्स की परिभाषा में वे नहीं आते हैं, एक्जीक्यूटिव पॉवर नहीं रखते हैं इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया है। मुख्य सचिव को जहां तक शामिल करने का प्रश्न है वह सेक्रेटरी टू गवर्नमेन्ट की परिभाषा में आते हैं। सचिव राज्य सरकार के जो भी हैं उनमें मुख्य सचिव भी आते हैं, अतिरिक्त सचिव भी आते हैं और विशिष्ट सचिव भी आते हैं। उसमें विशेष स्पष्टीकरण दिया गया है- डिप्टी सेक्रेटरी और असिसटेन्ट सेक्रेटरी इसमें नहीं आते हैं बाकी समस्त सचिव आते हैं इसलिए मैं निवेदन करूंगी ये संशोधन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड (2) में जो संशोधन माननीय गुमान मल जी ने रखा है उसको पारित किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया

प्रश्न यह है कि खण्ड (2) में जो संशोधन माननीय केशरीमल जी ने रखा है, उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (2) में जो संशोधन माननीय केदार नाथ जी ने रखा है, उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (2) को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड दो पारित किया गया।

खण्ड 3

श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा: उपाध्यक्ष महोदय,

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: उपाध्यक्ष महोदय दो एक मुद्दो पर अगर हम कम्प्रोमाइज हो जायें और एक फाइनेलिटी के बारे में और एक सजा के बारे में हो जाय तो कोई समझौता हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष: मैं तो इसीलिए एक एक मुद्दे को ले रहा हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: यह हमारी अपील है जो चीज उम्दा आई है उसमें इसके जो अच्छे सजेशन है..........

श्री केदारनाथ : वरना हमने जो तारीफ की है वह वापिस ले लेते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा: खण्ड (3) में मेरा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संशोधन है मैं समझता हूं राज्य सरकार को भी और माननीय मन्त्री जी को भी इसको स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। संशोधन इस प्रकार है

खण्ड (3) तीन में कहीं पर भी यह डिफाइन नहीं किया गया है कि लोकआयुक्त कौन व्यक्ति हो सकेगा, उसकी योग्यता क्या होगी? इसके अभाव के अन्दर हम सारे के सारे विधेयक को एक ऐसे अन्धकार में ले जा रहे हैं जिससे इसका मन्तव्य खतम हो जायगा। हम एक छोटे से कार्य के लिये यह कहें कि पढ़ा-लिखा होना चाहिए। लेकिन ऐसा लोकआयुक्त जो मन्त्रियों के भाग्य का निर्णय करेगा, जो राजस्थान के बडे बडे सेक्रेट्रीज है, उनके भाग्य का निर्णय करेगा और जिसके कारण आप एक इमेज बढ़ाना चाहते हैं और हम यह चाहते हैं यह मन्त्री मण्डल करप्ट नहीं हो और स्टाफ करप्ट नहीं हो तो मैं समझता हूं इससे बढ़कर कोई अभाव नहीं हो सकता है।

एक साधारण एल० डी० सी० यू० डी० सी० के लिये भी आप क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब करते हैं लेकिन लोकआयुक्त के लिये किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन प्रस्क्राइब न करें इसलिये मैंने सुझाव दिया है। लोक आयक्त वही नियुक्त हो सकेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हों। यदि इसका विरोध किया जाता है तो निश्चित रूप से यह अर्थ लगायेंगे कि राज्य सरकार और हमारे मुख्य मंत्री महोदय केवल इस बात का ढोल पीटना चाहते हैं कि लोकआयुक्त का कानून ला रहे हैं लेकिन किसी समय ऐसे व्यक्ति.....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: फेट तो वही होगा जल्दी करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा: फेट का मालूम है तो फिर विवाद के लिये खड़ा ही नहीं होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं गुंड आफिसेज प्रिवेल करे। इसको क्यो नहीं रखा गया? मुख्य मंत्री जी ने कहा ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हों। मैं समझता हूं यह कनविंसिंग उत्तर नहीं है और इसमें क्वालिफिकेशन प्रेस्का-

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

इब्ड करनी चाहिये हरिश्चन्द्र माथुर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें भी क्वालिफिकेशन प्रेस्काइब्ड है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि इसको स्वीकार कर लिया जाय। खण्ड

(खण्ड 2 में श्री गुमानमल लोढा द्वारा प्रस्तावित संशोधन)

तीन के (1) उपखण्ड (1) के अन्त में और परन्तुक से पूर्व निम्न शब्द जोड़े जावें:-

"लोकायुक्त केवल वही व्यक्ति नियुक्त हो सकेगा जो हाईकोर्ट या सुप्रीमकोर्ट का न्यायाधीपति हो या रह चुका हो"।

(II) उप-खण्ड (I) के परन्तुक (क) में "उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति" के स्थान पर "सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति" प्रतिस्थापित किये जावें।

(III) उप-खण्ड (1) के भाग (क) के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जावे:--

"परन्तु प्रथम लोकायुक्त राजस्थान हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त किये जावेंगे।"

यह संशोधन इस मंशा से किया गया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने आर्डिनेन्स पास कर दिया और इसका प्रचार हो गया-लोक आयुक्त नियुक्त हो रहा है। आर्टिकल 213 जो राज्यपाल महोदय की होती है उसको इनवोक किया गया है। आर्डिनेन्स आ गया और आर्डिनेन्स कागज पर ही रहा और आर्डिनेन्स वेस्ट पेपर बास्केट में चला गया। लोक आयुक्त का आर्डिनेन्स केवल कागज पर ही रखकर कि लोक आयुक्त का बड़ा ारी कानून बन गया है और वह भी गवर्नर से करवाया तो केवल यह प्रचारात्मक ही हुआ। इसलिये मैंने लिखा है शीघ्रातिशीघ्र शुरू करके वास्तव में आप चाहते हैं लोक-आयुक्त को लावें तो इमीजियेटली जो प्रथम न्यायाधिपति हैं उनको पांच साल के लिये कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिये और कागज पर केवल मात्र प्रचार नहीं रहे। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में मैंने जो संशोधन रखे हैं उसको स्वीकार कर लिये जांय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री केशरी मल।

श्री केशरी मल (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड तीन के उप-खण्ड (1) की दूसरी पंक्ति में शब्द "अन्वेषण करने" के बाद और शब्द "के प्रयोजन" से पहले शब्द "और निर्णय देने" निर्विष्ट किये जाय।

इतनी शक्ति होनी चाहिये, कार्य का अन्वेषण और निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिये इसलिये यह अमेन्डमेंट रखा गया है।

इससे आग उप-खण्ड (1) के भाग (क) के बाद निम्नांकित परन्तु जोड़ा जाय। "परन्तु लोकायुक्त सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जायेगा" तो ज्यादा अच्छा होगा और उससे अगले उप-खण्ड (1) के भाग (ख) के मौजूदा परन्तुक को विलोपित कर निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाय–

"परन्तु उपलोकायुक्त हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को ही नियुक्त किया जा सकेगा

Page No. 132

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अभी हमने गुजारिश की थी वह यह है कि अगर वह हमारा संशोधन पास हो जाता है जिसमें उनको यह पावर दिये जाय कि उनका ही अन्तिम फैसला हो सिवाय इसके कि रिपोर्ट हो तो यह लागू रहेगा वरना यह रिडन्डेनट हो जायगा । मिनिमम क्वालिफिकेशन जो बड़ा औहदा मुकर्रर करें,– not below the rank of a High Court Judge or a Supreme Court Judge belonging to another province. यह तो एप्रीसियेट किया है कि हम बाहर से लायें । अपोजीशन से पूछकर लाये, इससे कोई फरक नहीं पड़ता है । मेरा तो निवेदन है कि यह आगे के लिये गाइड लाइन हो जायगी । बड़ी रेन्क का हो सकता है, शीतलवाड सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदमी हैं और कोई बड़ा आदमी आता है तो उसका कोई एतराज नहीं है लेकिन रेन्क मेन्शन कर दें इसलिये यह संशोधन रखा गया है । आगे के लिये कोई वेग बात न रहे कि अनडिजायरेबिल आदमी हमारे ऊपर आ जाय और फिर पांच साल के लिये रख दिया जाय। मेरी राय है मिनिमम क्वालिफिकेशन यह कर दें लोका–युक्त के लिये सुप्रीम कोर्ट के रिटायरिंग जज को और उपलोकायुक्त के लिये हमारे हाई कोर्ट के रिटायर जज को नियुक्त करें । इसलिये हमने यह आपके सामने संशोधन रखा है ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री निरंजननाथ आचार्य

(अनुपस्थित)

श्री केदार नाथ ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष

खण्डश: विचार एवं उसका पारण

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उप-खण्ड (1) के भाग (क) के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जावे:—

> "परन्तु प्रथम लोकायुक्त राजस्थान हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त किये जायेंगे ।"

ओम्बडसमैन का एक पैटर्न माना है वरना कल आप भारतीयजी को लोकायुक्त बना देंगे । कल लड्ढा साहब को लोकायुक्त बना देंगे क्योंकि वे एम० ए०, एलएल० बी० हैं जिस व्यक्ति के साथ एम्बीग्यटी लर्क करती हो, ऐसे आदमी को कम से कम लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त बनने से रोका जा सके ।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदया ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, लोकायुक्त किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाये इसके बारे में इस विधेयक में लिखा हुआ है नहीं, इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई, स्पष्टीकरण भी हुआ । मैं पुनः माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी कि इसमें जहां एक ओर यह प्रावधान रखा गया है कि लोक आयुक्त की नियुक्ति विरोधी दल के प्रतिनिधि के, राज्यपाल के सलाह मशविरे से की जायेगी और जवानी तौर पर मुख्य मन्त्री जी ने जो घोषणा की है कि वह राजस्थान से बाहर का और सुप्रीम कोर्ट के अथवा कोई ऐसे योग्य आदमी और इन्टेग्रिटी वाले आदमी, जिस भावना से विधेयक को लाया गया है इसकी भावना को रख सके और इस विधेयक के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके ऐसे व्यक्ति को ही नियुक्त किया जायेगा । इसलिए इसमें यह संशय रखना कि न मालूम किस प्रकार के व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जायेगा और वह इसके उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हो सकेगा या नहीं – मैं

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
समझती हूं कि यह संशय माननीय सदस्यों को अपने दिल से निकाल देना चाहिए।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : रैंक का मतलब यही है कि कोई भी रैंक का आदमी जैसे दफ्तरी है या और ऐसी ही रैंक वाला सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट रैंक वाला हो यह लिख दें तो फर्क नहीं पड़ता है ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : सारा लिखा है। इसलिए संशय की गुन्जाइश नहीं है और जो आल्टरनेटिव प्रपोजल संशोधन के रूप में रखे गये हैं उनका भी इस सन्दर्भ में विशेष महत्व नहीं रहता है इसलिए मैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, निवेदन करूंगी कि इस खण्ड को भी यथावत पारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 पर जो संशोधन प्रस्ताव श्री गुमानमल जी लोढ़ा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

(संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया)

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 पर जो संशोधन प्रस्ताव श्री केशरीमल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 पर जो संशोधन प्रस्ताव श्री केदारनाथ ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

खण्डशः विचार एवं उसका पारण

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 पारित किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4, 5 और 6 पारित किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4, 5 व 6 स्वीकार किये गये ।

खण्ड 7

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष जी, खण्ड 7 के अन्दर मैंने 'एक विधान सभा के सदस्य' और 'जन अभियोग' के जोड़ने के लिए निवेदन किया है ।

(खण्ड 7 में श्री गुमानमल लोढ़ा द्वारा प्रस्तावित संशोधन)

(I) उपखण्ड (I) में भाग (III) के पश्चात् नवीन भाग (IV) जोड़ा जावे:-

(IV) विधान सभा के सदस्य"

(II) उपखण्ड (1) के भाग (3) के पश्चात् पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द "कोई अभिकथन" व "अन्तग्रस्त" के बीच में शब्द "जन अभियोग" को प्रतिस्थापित किया जावे ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश और देश में यह भावना जनता के मस्तिष्क में घर करती जा रही है कि जो कानून बनाने वाले विधायक हैं वह सबसे ज्यादा कानून के अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। अक्सर जनता में यह चर्चा होती है कि स्वयं के मामलों को लेकर एलॉटमेन्ट आफ हाउस के मामले को लेकर, वेतन वगैरह के मामले को लेकर इन सब बातों के अन्दर जहां सब लोगों के ऊपर बन्धन है और जो

(श्री गुमान मल लोढ़ा)
लोग कानून बनाते हैं वह अपने हित के अन्दर इस प्रकार से कानून बनाते हैं कि कभी चपेट में नहीं आते........

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह अपने आप रिडन्डेन्ट हो जाता है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जहां हमारा कर्त्तव्य है कि एडमिनिस्ट्रेशन की हम इमेज बनायें, मिनिस्ट्री की इमेज बनायें—मैं समझता हूं कि सदन के सारे सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि हमारे विधायक भी जो यहां पर हैं और जो कानून बनाते हैं और जिनके हाथ में इतने बड़े अधिकार हैं उनको इसकी चपेट में नहीं रखा जाये और इससे मुक्त रखा जाये तो जनता में यही प्रतिक्रिया होगी कि जैसे कहते हैं 'ननिहाल में जीमनों और मां परोसने वाली' स्वयं कानून बनाने वाले थे इसलिए स्वयं को बचा लिया। मैं मुख्य मन्त्री जी के तर्क से सहमत नहीं हूं कि विधायक पब्लिक सर्वेन्ट्स की डेफीनेशन में नहीं आते इसलिए उनके लिए कानून नहीं बना सकते । यदि पब्लिक सर्वेन्ट्स की डेफिनेशन में नहीं आते तो उसमें अमेन्डमेंट किया जा सकता है । हम कानून बना सकते हैं तो तरमीम भी कर सकते हैं । इसलिए यह कहना युक्तिसंगत नहीं है ।

एक माननीय सदस्य ने तो यह कहा कि हम कहां जा रहे हैं, जनतन्त्र को कहां ले जा रहे हैं, विधायकों और मन्त्रियों के ऊपर लोकायुक्त को बैठाना कहां तक उपयुक्त होगा यह डेमोक्रेसी की भावना के विरुद्ध होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें जनता के सामने रखना पड़ेगा कि हमारा दामन पाक है और उस पर किसी प्रकार का दाग नहीं है और यदि हम यह नहीं कर सकते और अपने आपको बचाने का प्रयास करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ी आत्मप्रवंचना है और जनता समझेगी कि विधायकों ने अपने आपको बचाया और दूसरों के लिए कानून बनाया ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार और अपील करूंगा कि यदि आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी अच्छी इमेज बनेगी यदि नहीं तो हमारी ईमानदारी के ऊपर शक किया जायेगा। मैं समझता हूं कि हमें विधायकों को भी इसमें शामिल करना चाहिए । अतः मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि राज्य सरकार और मुख्य मन्त्री इसके ऊपर विचार करें और जब हम मंत्रियों को और सेक्रेट्रीज को, कर्मचारियों को, एल० डी० सी० को और अन्य लोगों को ला रहे हैं तो मैं समझता हूं कि कोई कारण नहीं कि आप विधायकों को नहीं रखें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य !
(अनुपस्थित)
प्रोफेसर केदारनाथ ।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, मूल ही नहीं माना तो कान्सीक्वेन्शल कैसे मानेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य (श्री गुमानमल लोढ़ा) अपने प्रस्ताव को प्रेस करेंगे ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : हां, साहब !

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, 'विधान सभा के सदस्यों' को शामिल किये जाने के सम्बन्ध में और 'जन अभियोग' को जोड़े जाने के बाद में यह पुनरावृत्ति है और वह पूर्व में अस्वीकृत किया जा चुका है इसलिए मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकती ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 7 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री गुमानमल लोढ़ा जी ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 पारित किया गया ।

खण्ड 8

श्री उपाध्यक्ष: श्री गुमानमल लोढ़ा ।

श्री गुमानमल लोढ़ा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(खण्ड 8 में श्री गुमानमल लोढ़ा द्वारा प्रस्तावित संशोधन)

उपखण्ड (3) के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जावे:–

"परन्तु प्रथम लोकायुक्त को 1952 से अब तक के किसी भी अभिकथन के अन्तर्गत आने वाली शिकायत की जांच करने का अधिकार होगा यदि वह शिकायत 1 वर्ष के अन्दर प्राप्त हो जावे ।"

यह सर्व विदित है और इस मन्त्रिमण्डल का अभ्युदय इस बात पर हुआ कि यहां पर भ्रष्ट शासन था और भ्रष्ट सरकार थी, भ्रष्ट मन्त्रि-मण्डल था और यह कह कर कि जो लोग बेदाग हैं, जिन लोगों के बारे में करप्शन की कम से कम शिकायतें हैं, जो भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं आते उन लोगों का नया मन्त्रिमण्डल बनाया जाय, नए चेहरे लिए जावें और जो लोग भ्रष्ट हैं, जो भ्रष्टाचार के दायरे में आते हैं, जिनके खिलाफ शिकायतें लगातार प्राप्त होती रहती हैं उनको हटाया जाय । मैं नहीं समझता कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी इसमें ऐसा प्रावधान क्यों करना चाहते हैं जिसके द्वारा पिछले 25 सालों में किए हुए सारे पाप 'सारे स्कैंडल, सारे काण्ड और सारे भ्रष्टाचार जिन मन्त्रियों ने यहां पर किए उनको एक प्रकार से सील कर दिया जाय, उनको इम्यूनिटि दे दी जाय ? यह हास्यास्पद है। यदि इस इरादे से बख्शीस दी जावे कि हमारे दिलों में उनके प्रति प्रेम है, हमारे पर उनकी मेहरवानीयां हैं, उनके साथ मन्त्रिमण्डल में काम किया है, तो मैं सोचता हूं कि यह भावना नहीं आनी चाहिए । हम चाहेंगे कि जनता के दरवार के अन्दर पिछले बीस-पच्चीस सालों के इतिहास को, राजस्थान के मन्त्रिमण्डल ने, जिसने एक नहीं अनेक भ्रष्ट कारनामें किए हैं, जिनको इस सदन पटल पर बारबार लाया गया, वह चाहे पानरवा जंगल का काण्ड हो, चाहे छोटीसादड़ी का सोना काण्ड हो, चाहे कंजरों आदि आदमियों की जमीनों को हड़पने का काण्ड हो, या अन्य अनेक काण्ड हों, उन सब की जांच कराई जाय।

आखिर इस मेहरबानी का मतलब क्या है ? मैं आपको इस समय यह बताना चाहूंगा कि जिस समय यह मामला विचाराधीन था, इस मामले पर विचार किया गया था, उस समय निश्चित रूप से यह कहा गया था और जो कमेटी बनी थी उसने भी यह अपना रवैया व्यक्त किया था कि हमारे देश में पिछले 16 सालों में जो कांग्रेस का मन्त्रिमण्डल रहा है उनके बारे में स्पष्ट धारणा बने । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी कभी देखा होगा, समाचार पत्रों में भी कई खबरें आती हैं कि तपेदिक के बीमार को जब तक वह बीमार रहता है,

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

औषधि उसे देने के पहले और उसके इलाज के पहले वह कितना दुबला पतला होता है लेकिन जव उसको औषधि मिल जाती है तो वह कितना तगड़ा, मोटा हो जाता है। इसी प्रकार हमारे मन्त्रिमण्डल में जो सदस्य आए थे उनके पास खाने को कुछ नहीं था, रहने को मकान नहीं था, उनकी बड़े बड़े इण्डस्ट्रीज लग गईं, बड़े बड़े फार्म हो गए, अंगूर की बैलें लग गईं, उद्यान खड़े हो गए, हरियाली हो गई और ऐसा मालूम पड़ता है कि लक्ष्मीदेवी ने रातों रात यहां पर कृपा की। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के काण्ड हैं और काण्डों का सारा इतिहास है। अभी अभी यहां पर सदस्यों ने कहा था कि कुछ तो भ्रष्टाचार था और कुछ प्रचार किया गया। तो मैं समझता हूं कि कितना तो भ्रष्टाचार था और कितना प्रचार किया गया? यदि आप इस बिल के द्वारा उनको इम्युनिटी देना चाहते हैं, उनको बक्श देना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि उनके सारे स्केंडल्स पर पर्दा लग जाय, सील लगा दी जाय तो मैं समझता हूं कि यह लोक आयुक्त का कानून वास्तव में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नहीं लेकिन भ्रष्टाचार के काण्डों को सील्ड करने के लिए बनाया गया है। कोई कारण नहीं लगता मुझ को। क्यों मुख्य मन्त्री इंसिस्ट करते हैं कि बीस साल के मामले नहीं खोले जायें? उनका यह कहना है कि इसके बारे में एवीडेंस कमजोर होगी, एवीडेंस कमजोर होगी तो जिसको चार्ज लगाना है उसको एवीडेंस भी लानी होगी। आपने तीन साल की सजा का प्रावधान किया है, इतना कुछ आपने इसमें अंकुश रखा है, इतना दमनचक्र रखा है, इसके वाद में भी हिम्मत नहीं होती कि आप जनता के लोगों को इस बात का अधिकार दें कि लोक आयुक्त के सामने इन सारे काण्डों को खोलें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस बिल के अन्दर जो यह पांच साल का प्रावधान रखा गया है वह वास्तव में इन इरादों का पर्दाफाश करता है। जो बिल को प्रगतिशील, जो बिल को लोक कल्याणकारी, जो बिल को क्रांतिकारी का नारा देकर जिस प्रकार से जनता की आशाओं को हर प्रकार से धूमिल करता है, उनकी आशाओं पर तुषारापात करता है, और इस प्रकार का प्रावधान रख कर हम चाहते हैं कि सारे के सारे भ्रष्टाचार के कारनामों और काण्डों को हमेशा के लिए इम्युनिटी दे दी जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब भी चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी यदि वास्तव में जैसा वे कहते हैं वैसे ही वे करना चाहते हैं, यदि उनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है, यदि भ्रष्टाचार के मामलों को हमेशा के लिये खत्म करना चाहते हैं तो इसमें जो अमेंडमेंट रखा है उसको स्वीकार करें। जब से राजस्थान बना है तब से सब के सब भ्रष्टाचार के मामले यदि लोक-आयुक्त की नियुक्ति के एक साल के अंदर उनके सामने लाना चाहें तो लाने दिया जाय। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

जब मुख्य मंत्री जी स्वयं कहते हैं कि दूध अलग और पानी अलग करो तो फिर बीस पच्चीस साल के मामलों को सामने लाने से क्यों रोकते हैं? मैं चाहता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय। यदि तनिक भी ईमानदारी हो, तनिक भी जीनुियसनेस हो, थोड़ी भी हिम्मत हो, इस बात को चाहते हो कि राज्य सरकार के कांग्रेस के मंत्रि-मण्डल चाहे सुखाड़ियाजी का मंत्रि मण्डल

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

हो, चाहे हीरालालजी शास्त्री का मंत्रिमण्डल हो, मंत्रिमण्डल चाहे टीकारामजी पालीवाल का हो या किसी भी व्यक्ति का हो, कांग्रेस के मंत्रिमण्डल ने यहां पर एक छत्र बीस साल तक, पच्चीस साल तक जो काले कारनामें किए हैं वे सारे स्केंडल, जिसमें करोड़ों की सम्पति बनाई, इण्डस्ट्रियलिस्ट्स से, बड़े 2 सेठों से मिल कर, बिग बिजनेस मेन से मिलकर बड़े 2 फार्म बनाए, बड़े 2 स्केंडल किए, उन सब के पर्दाफाश करने का अवसर दिया जाना चाहिए, और अवसर नहीं देना, तीन साल की सजा के प्रावधान को रखने के बाद भी, मैं समझता हूं कि निश्चितरूप से राज्य सरकार का इरादा नापाक है। वह केवल ढकोसला करना चाहती है दुनियां को दिखाने के लिए कि ऐसा कानून बना दिया। यह उसी प्रकार का ढकोसला है जैसे कहा गया था कि एक साल में गरीबी मिटा देंगे। अब कहते हैं कि धान मिलता नहीं है तो धान कहां से दें?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार करे और जो मेरा संशोधन है कि 52 से अब तक के मामले लिये जा सकें और मंत्रिमण्डल के सारे मामले लोकायुक्त के सामने रखन से नहीं रोका जाय। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन न हो, कोई लिमिटेशन नहीं हो, कोई रुकावट नहीं हो, कोई बाधा न हो, कोई हिंडरेंस नहीं हो। मेरे इस संशोधन को स्वीकार करके मुख्य मंत्री स्पष्ट तौर से बतायें।

(समय—समाप्ति—सूचक घण्टी)

उनको दो चीजों में निर्णय करना है। एक तरफ तो यह भ्रष्टाचार है, बीस साल का भ्रष्टाचार है जिस पर वे पर्दा डालना चाहते हैं, उसको सील करना चाहते हैं, उसको इम्युनिटी देना चाहते हैं, हमेशा के लिए अमर बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर यह है कि वह जनता के दरबार में खड़े उनको आप कहें कि उनके खिलाफ जांच करेंगे। चाहे कंजरों की भूमि का मामला हो, चाहे छोटी सादड़ी सोना काण्ड का मामला हो, चाहे पानरवा फारेस्ट का मामला हो, इन सब मामलों की जांच करायेंगे। इसके बाद भी लोक आयुक्त के निर्णय पर बाध्य नहीं हैं तो फिर आप इसको करने में क्यों कतराते हैं? इस प्रकार से पांच साल का समय निश्चित करके जो चल रहे हैं तो मेरा निश्चित रुप से मत है कि इसके प्रति ईमानदारी की कमी है। भ्रष्टाचार मिटाने की उनकी जो बात है, जब वे राज्य सरकार के मुख्य मंत्री बने तो सबसे पहले यह घोषणा की थी कि छः महीने के अंदर भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा या स्वयं समाप्त हो जाऊंगा, तो भ्रष्टाचार तो आज भी चल रहा है, खुल्लम खुल्ला खेल रहा है, गांव 2, स्थान 2 और ऑफिस ऑफिस में खेल रहा है। भ्रष्टाचार सुरसा की तरह से बढ़ रहा है। आप खड़े होकर कहते हैं कि इतने लोगों को रिटायर कर दिया लेकिन इतने लोगों को रिटायर करने से ही भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। रिटायर करके बलि का बकरा बनाने से भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता। भ्रष्टाचार ऊपर से प्रारम्भ होकर, मंत्रिमण्डल से प्रारम्भ होकर चपरासी तक पहुंचता है, पटवारी को पकड़ लेते हैं, एल० डी० सी० और यू० डी० सी० को पकड़ लेता है लेकिन जो बड़े 2 मगरमच्छ बैठे हैं, जो सेठों के साथ में सांठ-गांठ करके झूठे लोन दिलवाते हैं, बड़े 2 जो मंत्रियों के कारनामे हैं उनको छुपाने का यह प्रयास है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

Page No. 138

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल: मेरा यह निवेदन करना है कि "खण्ड 8 के उप-खण्ड (2) को विलोपित किया जाय"। इसमें यह कहा गया है......

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: इसको जब सेक्शन 19 लिया जावे तब तक के लिए डेफर कर दिया जाय। हमारा कहना यह है कि सेक्शन 19 डिलिट हो। फिर इस सेक्शन की पॉवर्स को एक्सक्लूड करना गलत है.

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: आपका मतलब है कि सेक्शन 19 को विलोपित किया जाय।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: इसका ताल्लुक है उससे।

श्री उपाध्यक्ष: ऐसा संशोधन तो नियमानुसार प्रेषित नहीं किया जा सकता।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: हम अपोज करेंगे। विलोप करने का अमेंडमेंट तो नहीं लाया जा सकता लेकिन इसका अपोजीशन किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: विलोपित करने वाली बात कही है आपने।

श्री केशरीमल: तो खण्ड 8 के उप-खण्ड (2) में यह कहा गया है कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त ऐसी शिकायत के संबंध में अन्वेषण नहीं करेगा जो धारा 10 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के फलस्वरुप उसकी अधिकारिता से अपवर्जित हो जाती है। धारा 19 में यह कहा गया है कि ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में राजपत्र में निकाल दिया जाय कि जांच नहीं की जाय तो जांच नहीं होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि सेक्शन 8 के उप खण्ड (2) को विलोपित किया जाय, इसमें से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री निरंजननाथ आचार्य।

(अनुपस्थित)

श्री केदार।

श्री केदारनाथ: वही।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में माननीय सदस्य श्री गुमानमल लोढ़ा ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में माननीय सदस्य, श्री केशरीमल ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 पारित किया गया।

खण्ड 9। इस पर कोई संशोधन नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य।

(श्री उपाध्यक्ष)
(अनुपस्थित), श्री केदारजी ! आप रखना चाहते हैं ?

श्री केदारनाथ: पब्लिक ग्रीवान्स का इसमें जोड़ने का था एलिगेशन के साथ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 9 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 पारित किया गया।

खण्ड 10, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री केशरीमल।

श्री केसरीमल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 10 के उप-खण्ड (1) के भाग (ख) प्रयुक्त शब्द 'अपनी टिप्पणियों' के स्थान पर शब्द 'अपना उत्तर प्रतिस्थापित किये जावें, यह करने के लिए कहा गया है। उप-खण्ड (1) के भाग (क) में यह कहा गया है कि 'उस शिकायत की प्रतिलिपि या किसी ऐसे अन्वेषण की दशा में, जो वह स्वप्रेरणा से करना प्रस्थापित, करे, उसके लिये आधारों का एक विवरण, संबंधित लोकसेवक को और संबंधित सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा।'

इसी प्रकार से मेरा संशोधन है कि "उप–खण्ड (4) में से भाग (ग) को विलोपित किया जाय।"

खण्ड (4) के भाग (ग) में कहा गया है "शिकायतकर्त्ता के लिये अन्य उपचार उपलभ्य हैं और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, शिकायकर्त्ता के लिए उन उपचारों का लाभ प्राप्त करना अधिक उचित होगा"। मैं चाहता हूं कि इसको विलोपित किया जाय।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े मनन की बात है। वह इसलिए है कि वह दोषी बनकर आता है तो उसको कमेन्ट्स देने के लिए कहना यह इसमें हुकुमत की बू आती है। वह दोषी बनकर आता है तो उसके विचार लें, तो कमेन्ट्स बड़े आफिसर और बड़े लोग देते हैं तब कोई नोट लिखा जाता है। यह दोषी का फर्ज नहीं होता है। इसलिये मैंने लिखा है कि 'उत्तर दें' या 'अपने विचार पेश करें'।

दूसरा जो है वह बड़ा इम्पोर्टेन्ट है, और वह इम्पोर्टेन्ट इसलिये है कि आप मुलाहिजा फर्मायेंगे कि आलटरनेटिव रेमेडीज की जो बात कही गई है यह किसी के लिए भी किसी वक्त के लिए कही जा सकती है कि आल्टरनेटिव रेमेडी खुली है चाहे वह सिविल रेमेडी हो' क्रिमिनल रेमेडी हो, चाहे हाई कोर्ट की रेमेडी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की रेमेडी हो। इसका जो स्कोप है उसे बिल्कुल महदूद करने का है। इसमें अनरेस्ट्रिक्टेड पॉवर्स गवर्नमेंट में वेस्ट करते हैं। इसलिये मेरी गुजारिश है कि जब आप लोकायुक्त जैसे औहदे को पैदा करते हैं जिस पर कि 5 हजार रुपया माहवार खर्च होगा तो आप उसके जुरिस्डिक्शन को करटल करें, इस एक्ट में कम करें तो वह मकसद समझ नें नहीं आता है। मेरी मान्यता यह है कि आपने इसको देखा ही नहीं है कि यह सही है या गलत है। लॉ डिपार्टमेंट ने जैसा लिखकर भेज दिया वैसा ही एडॉप्ट कर लिया। अगर इस पर खास माइण्ड एप्लाई किया जाय तो यह गैर जरूरी है, और इसको डिलीट कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री निरंजनाथआचार्य, श्री केदार, श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा: उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री खेतसिंह: हरेक पर बोलेंगे तो आप थक जाओगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा: मैं तो थक-जाऊंगा तो कोई बात नहीं। पर मुझे विश्वास है कि आप नहीं थकेंगे, और आप से प्रेरणा लेकर मैं भी नहीं थकूंगा "

खण्ड 10 में तो जो मेरा संशोधन है वह केवल यह है "उप-खण्ड 2 तथा 3 विलोपित किये जायं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्षजी, इसमें इन्होंने जो अपना टिप्पणियों के स्थान पर उत्तर पेश करने का संशोधन रखा है तो मैं समझती हूं कि 'टिप्पणियों' और 'उत्तर' में कोई विशेष फर्क नहीं है । आशय उसमें सावित है कि जो आरोप उसमें लगाया है उसके खिलाफ तो उसके वारे में उत्तर देता है । इसलिए कोई विशेष फर्क नहीं है।

दूसरा उप-खण्ड (4) के भाग (ग) को विलोपित करने के लिए कहा है तो अगर उपधारा (4) को आप पढ़ें तो उसमें स्पष्ट-तौर से लिखा है कि अन्वेषण करने से अपने विवेकानुसार इन्कार कर सकेगा। लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त के इन्कार करने के ऊपर क्या कार्यवाही हो सकती है ? तो विधेयक में राज्य सरकार के द्वारा या विधान सभा के द्वारा इस पर पाबन्दी नहीं लगाई गई है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अपने विवेक के अनुसार वह उपयुक्त समझे तो शिकायत लेने से मना कर सकता है और उसके कारण निम्नलिखित होंगे। तो उस संबंध में यह है कि दूसरे जरिये उपलब्ध हों तो उसको न लिया जाय। तो मैं निवेदन करूंगी कि वे इसको वापिस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा का 2 और 3 को विलोपित करने के लिए संशोधन है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उप-खण्ड (2) और (3) को विलोपित करने का जो एमेंडमेंट उन्होंने पेश किया है तो इसमें लिखा है साफ कि अन्वेषण करने की जो विधि होगी वह एसी होगी जो कि लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त उपयुक्त समझें । दूसरे में यह है कि अगर वह खुले में अन्वेषण करना उपयुक्त न समझे तो न करे और ऐसी स्थिति समझता है कि जनहित में मामले को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है तो खुले रूप में भी वह अन्वेषण कर सकता है अथवा वह ऐसे तरीके से कर सकता है जो उसको उपयुक्त लगे और किसी ऐसे मुद्दे को भी खोल सकता है। इसलिये ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिये इस धारा को पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री केशरीमल ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 में माननीय सदस्य श्री गुमानमलजी लोढ़ा ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 10 पारित किया गया ।

(विराम)

खण्ड 11, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 11 के उप-खण्ड (5) के भाग (ख) को विलोपित किया जाय।

श्री मोहम्मद गफफार अली : We withdraw it.

श्री केसरीमल : मैं विथड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : खण्ड 11 पर जो मेरा संशोधन प्रस्ताव है उसको मैं विथड्रा करता हूं। 12 वाले को यह मान लेंगे ।

श्री केदारनाथ : हमने इस आशा से इसको विथड्रा किया है कि आग का आने वाला जो संशोधन है वह मन्जूर कर लिया जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा: नहीं मानेंगे। आपको यह आशा नहीं करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 11 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 11 पारित किया गया।

(विराम)

खण्ड 12, श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के अंदर यदि किसी........

श्री खेतसिंह: क्यों आप...

श्री केदारनाथ: बगैर महनत के पैसा नहीं ले रहे हैं किबला।

श्री गुमानमल लोढ़ा: विशेष धारा को उसका हृदय कहा जाय, आत्मा कही जाय, या फेफड़े कहे जांय तो वह धारा 12 है। इसके अंदर यह प्रावधान रखा है। जब हम इमानदारी से लोकायुक्त का कानून पास कर रहे हैं तो लोकायुक्त का कानून पास करने के बाद लोकायुक्त की सिफारिश और निर्णय का क्या बनेगा ? यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कई भ्रम हैं। इसके बारे में बहुत कुछ भ्रम तो यह है कि वास्तव में लोकायुक्त के क्या अधिकार हैं ? मैं यह जानना चाहूंगा कि लोकायुक्त किसी को सजा नहीं दे सकता। लोकायुक्त किसी को डिसमिस नहीं कर सकता। हमारे संविधान में प्रावधान है इसके लिए क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल और अपील रूल्स भी बने हुए हैं जिसमें प्रावधान है और हर कानून में इसके अंदर प्रावधान है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को डिसमिस करने के पहले एक बड़ा लम्बा चौड़ा प्रोसीजर फोलो करते हैं। क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल और अपील रूल्स का रूल 16 है जिसके अंदर शौ काज नोटिस देते हैं, इन्क्वायरी होती है उसके बाद उसको निकाला जाता है, संविधान की धारा 111 भी है। तो लोकायुक्त का काम इतना मोस्ट इम्पार्टेन्ट है कि वह सारी जांच करने के बाद इस बात का निर्णय ले कि मेरे विचार से इस व्यक्ति ने अपने पद का दुरुपयोग किया है इस प्रकार से। यह एलीगेशन साबित होता है

(श्री गुमानमल लोढा)

तो राज्य सरकार उसका प्रोटेक्शन करे या डिसप्लनरी एक्शन ले। ऐसा कर सकती है। अगर राज्य सरकार भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है तो मैं समझता हूं this Act is a farce and an eyewash. It would be an unnecessary waste of public exchequer. यदि लोकायुक्त के इस विचार को भी राज्य सरकार मानने के लिये तैयार नहीं है कि आप अमुक व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करें, उसको प्रोसीक्यूट करें। लोकायुक्त का यह निर्णय भी अमुक व्यक्ति ने 2 लाख का नाजायज फायदा लिया है उसको मुख्य मंत्री जी अपने मन्त्रियों के साथ बैठे बैठे रद्दी की टोकरी में रख दें तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जून, 62 में लालबहादुर शास्त्री ने ऐसी एक कमेटी में कहा था:--

"I feel that this matter should not entirely left for consideration in the hands of the officials. It is desirable that there should be exchange of views betweem them and public men of experience. Perhaps hon. Members might have read in the papers that I have suggested that formal committee should consider the important aspects of the evils of corruption. But I don't want to make it a formal committee as such and wait for its report. since we know most of the problems, the real point is to take remedial action. I, therefore, propose to request some members of the Parliament and, if possible, other public men, to sit with such officers in order to review the problem of corruption and make suggestions."

उसके बाद में श्री के० संथानम् की अध्यक्षता में कमेटी का निर्माण हुआ। जिस क्रान्तिकारी कदम की बात करते हैं, प्रगतिवाद की बात करते हैं उन्होंने सोशियल कैलोमिटी के बारे में लिखा था। उसमें कांग्रेस के मोस्टली एम० पीज० थे।

"There is a large consus that a new tradition of integrity can be established only if the example is set by those who have ultimate responsibility for the governance of India, namely, the Ministers of the Central and the State Governments. The problem is difficult and delicate. Ministers are necessarily the leaders of the political party which succeeds in obtaining majority in elections based on adult sufferage. There is widespread impression...."

मैं इसे विशेषतौर से पढ़ना चाहता हूं माननीय सदस्यों के लिए :—

"....that failure of integrity is not uncommon among Ministers, and that some Ministers who have held office during the last 16 years have enriched themselves illegitimately, obtained good jobs for their sons and relations through nepotism, and have reaped other advantages inconsistent with any notion of purity in public life. The

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

general belief about the failure of integrity among Ministers is as damaging as actual failure. That these Ministers have held office in the name of Indian National Congress which had evolved the highest notions of personal integrity and service under the inspiration of Mahatma Gandhi has given rise to the exaggerated view of their failure to maintain high standards of integrity. It is a pity that neither the Congress authorities nor the great leaders who took over the Government of India realised the importance of evolving suitable machinery and procedure for preventing and dealing with such corruption. We are convinced that ensuring of absolute integrity on the part of Ministers at the Centre and the States is an indispensable condition for the establishment of a tradition of purity in public services".

और उसके बाद उन्होंने रिकमण्डेशन की। मैं यह कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझ सका कि इस बात को मानने में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को क्या कष्ट और दुविधा हो रही है। जो रिकमण्डेशन्स हमारे यहां के लोकायुक्त देंगे, लोकायुक्त यह तो नहीं कह सकेंगे कि किसी को फांसी दे दी जाये या एक दिन का कारावास दे दिया जाये या लोकायुक्त का क्लासिफिकेशन एण्टीकरप्शन एक्ट में किया जाये। अगर कोई अन्याय करे तो राज्य सरकार उसको मिटाने के लिए अपने को बाध्य नहीं समझती है। मैं समझता हूं यह तो बेकार है। कागज पर कानून रहेगा। लोकायुक्त जो निर्णय देंगे वह राज्य के मुख्य मन्त्री के पास जायेगा। जिन कारणों से भ्रष्टाचार बढ़ा है, वह कारण वहां आयेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं जिस करप्शन को मिटाने के बारे में कहा गया था, इससे तो वह करप्शन और बढ़ने की सम्भावना रहती है। मुख्य मन्त्री हमारे यहां के लोकायुक्त की बात मान लें, तो ठीक है। नहीं मानें तो यह पवित्रता की भावना है, जो भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प है, वह खत्म हो जाता है। माननीय मुख्य मन्त्री ने 20 साल के शासन में जो एक बच्चा पैदा किया उसको उन्होंने जन्म से पहले ही समाप्त कर दिया। The child has been killed and smothered in the womb itself.

(समय-सामप्ति-सूचक घंटी)

इसके जरिये से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया है बल्कि उसका रास्ता खोल दिया है। अगर वास्तव में एक प्रतिशत भी ईमानदारी चाहते हैं तो यह स्वीकार कर लिया जाये कि लोकायुक्त की जो सिफारिश होगी, जो निर्णय होगा, उससे यह राज्य सरकार बाध्य होगी।

मैंने एक और संशोधन दिया है 'यदि राज्य सरकार किसी विशेष कारण से लोकायुक्त का निष्कर्ष मान्य न करे तो राज्य सरकार अपना प्रतिवेदन लोकायुक्त को पुनर्विचार के लिए 3 माह में भेजेगी। लोकायुक्त का इस प्रतिवेदन पर दिया गया निर्णय अन्तिम होगा'।

अगर कोई मन्त्री अपने पद का दुरुपयोग करता है तो आप उसको पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। अगर उसका दामन साफ है, चोला उज्ज्वल है तो वह आये और लोकायुक्त

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

को कन्वींस करें। नहीं तो यह कानून का मखौल है। 25 साल के बीच में आपने पब्लिक ग्रीवेंसेज कमीशन भी बनाया, अगर माननीय मुख्य मन्त्री यह कहते हैं कि इस विधेयक से भ्रष्टाचार समाप्त करते हैं, अगर वह ऐसा कहते हैं तो उनके कहने में किंचित मात्र भी ईमानदारी नहीं है। कन्विक्शन, करेज ऑफ कन्विक्शन उनके हृदय के अन्दर अधिक होगा। लोकायुक्त की सिफारिश को बाईंडिंग और मेण्डेटरी मानने का मेरा संशोधन है, उसको स्वीकार कर लें तो। अगर नहीं करते हैं तो यह मापदण्ड है भ्रष्टाचार का और ईमानदारी का ? इसलिए मेरा निवेदन है कि:–

खण्ड 12

खण्ड 12 में खण्ड (2) व (3) को विलोपित कर दिये जावें व उनके स्थान पर निम्न उप-खण्ड प्रतिस्थापित कर दिये जावें:—

"(2) लोकायुक्त का निष्कर्ष व सिफारिश राज्य सरकार को मान्य करनी होगी।

(3) यदि राज्य सरकार किसी विशेष कारण से लोकायुक्त का निष्कर्ष मान्य न करे तो राज्य सरकार अपना प्रतिवेदन लोकायुक्त को पुनर्विचार के लिए 3 माह में भेजेगी। लोकायुक्त का इस प्रतिवेदन पर दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।"

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित)

श्री केशरी मल !

कह दिया है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन है:—

खण्ड 12

(1) वर्तमान उप-खण्ड (2) को निम्न उप-खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाय:—

"(2) सक्षम प्राधिकारी उप-धारा (1) के अधीन उसे भेजे गए प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य होगा और वह तीन माह के भीतर लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर क्रियान्विति की जो कार्यवाही की गई हो उसकी सूचना देगा;

परन्तु यदि वह प्रतिवेदन मुख्य मन्त्री के सम्बन्ध में है तो उसकी क्रियान्विति के लिए राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति के पास अपनी सिफारिशों सहित अपना प्रतिवेदन भेजेंगे।"

उसके बारे में मुझे यह अर्ज करना है, आपने कितना बड़ा ओहदा पैदा किया, क्रियेट किया, इतना भला बिल आप लाये और उस पर काफी रुपया सर्फ होगा—इसमें दो सेक्शन ऐसे हैं जो किसी को भी लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त के समक्ष नहीं आने देंगे। एक दफा है 13 जिसमें तीन साल की सजा की तलवार लटकी हुई है तो दूसरा आदमी किस उम्मीद से आयेगा ? वह सोचेगा, मैं जाता हूं तो तीन साल की सजा का खतरा भी लेता हूं। उसके बाद यदि फैसला हो भी जाता है मेरे पक्ष में तो अख्तियार है गवर्नमेंट को कि वह मंजूर करे या न करे। ऐसी स्थिति में तीन साल की सजा एक तरफ, दूसरी तरफ लोकायुक्त की सिफारिश है व रिपोर्ट से आगे नहीं बढ़े तो इसका मतलब नहीं है। जैसा अभी जोधपुर से आने वाले विधायक ने कहा, जब पूरा प्रोटेक्शन मौजूद है

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, यह कानून में मौजूद है कॉन्सटीट्यूशन के आर्टिकल 311 है, नोटिस दिया जायगा, उसके बाद जवाब लिया जायगा। तो वह रिकमन्डेशन कर दे तो कम से कम यह होना चाहिए कि जिन फैक्ट्स के ऊपर लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त ने सिफारिश की है, वह फैक्ट्स बाईडिंग होने चाहिए। वह नहीं होता है तो इसका कोई मकसद नहीं है। जब कि तमाम प्रोटक्शन मिले हुए हैं गवर्नमेन्ट सर्वेंट को, फिर आप इन चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं और बाईडिंग नहीं रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह जो पैसा खर्च होगा, यह एक्सचैकर के ऊपर तो बोझ नहीं होना चाहिए। इस बिल को स्क्रेप कर दिया जाय। जो लाखों अरबों का कर्ज है, उसके अन्दर और ऐड कर दें और दर्शनी हुण्डी की तरह शो केस में यह रह जाय। मेरा निवेदन है कि मेरी तरमीम एक्सेप्ट की जाय या इस बिल को रद्द कर दिया जाय क्योंकि यह बेकार होगा, इस पर बेकार का खर्च नहीं हो और एक्स-चैकर पर इससे जो बोझ पड़ रहा है वह बोझ न पड़े। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि ठण्डे दिल से सोच कर इसे स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह नाहर।

श्री यशवन्त सिंह नाहर: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन जो इस प्रकार से है:—

खण्ड 12

उप-खण्ड (6) के पश्चात् निम्नांकित उपखण्ड जोड़े जावेंगे:—

"(7) लोकायुक्त या उपलोकायुक्त यदि उचित समझे तो लोक सेवक को, जिसके विरुद्ध जांच की गई है सक्षम अधिकारी द्वारा उचित कार्यवाही करने तक निलम्बित कर सकेगा।

(8) लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त का प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी पर बाध्य होगा और सक्षम अधिकारी को प्रतिवेदन की सिफारिश के अनुसार कार्यवाही करना होगा।"

चाहता तो था कि इसे विथड्रा कर लूं। मैं एक बात कह कर विथड्रा करता हूं। दोनों माननीय सदस्य बोले, इस पाइन्ट पर बोले, दोनों लॉइय्यर हैं, यह जानते हुए भी कह तो दिया, रामायण तो गा दी कानून की लेकिन यह भूल गये, कानून के अन्दर, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एण्ड अपील रूल्स और संविधान की धारा 311 के तहत कार्यवाही करेंगे। क्या रबड़ की मोहर होगा सरकार का जब कि चार, साढ़े चार हजार रुपये में हाई कोर्ट का जज ला रहे हैं, उसके सम्बन्ध में आप शंका करें यह उचित नहीं है। आप कानून कह सकते हैं कि बाईडिंग हो। सक्षम अधिकारी है, तो क्या वह सक्षम अधिकारी नहीं करेगा। मैंने कानूनन् गलती कर दी, मैंने मूव कर दिया था। लेकिन अब मैं विथड्रा कर रहा हूं। इस कानन में कमी नहीं है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, दुर्भाग्य ऐसा नहीं हो, जो मुखर्जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज उन्होंने कह दिया है- Time is not too far for people like you, we may require Lockpal for Lokpal ऐसा नहीं हो कि लोकपाल पर फिर लोकपाल नियुक्त करना पड़े।

श्री गुमानमल लोढ़ा: जो बैरी कमीशन ने गोली काण्ड की जांच की थी, जो बैरी राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, उस पर लाखों रुपया खर्च हुआ था, लेकिन उस पर क्या हुआ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं विथड्रा कर रहा हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं समझता हूं कि वापिस होगा तो यह रखने में क्या आपत्ति है कि फाइंडिंग बाइंडिंग होगी इस कानून के अनुसार।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा निवेदन यह है कि मैं अपनी गलती समझ चुका हूं। विथड्रा कर रहा हूं यह आपकी समझ में क्यों नहीं आता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपको इसलिए करना पड़ेगा कि माननीय खेतसिंह की चाबुक आपके ऊपर है। आप नहीं करेंगे तो जबर्दस्ती आपको करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पेश नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य।

(अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ !

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, नाहर साहब का तो इन्टयूशन काम कर गया। मैं क्या करूं। एक बात है, सब-क्लॉज 3 है जिसमें लिखते हैं :

"If the Lokayukta or the Up-Lokayukta is satisfied with the action taken or proposed to be taken on his recommendations or findings referred to in sub-section (1) he shall close the case under information to the complainant, the public servant and the competent authority concerned, but where he is not so satisfied and if he considers that the case so deserves, he may make a special report upon the case to the Governor and also inform the complainant concerned."

आप ताज्जुब करेंगे। मुझे टेनीसन का एक एक्सप्रेशन याद आता है, आपने हाइएस्ट ऑथोरिटी तब तय कर दिया:–

"In affectual angel beating his luminous wings in vain and in void."

एन्जल तो है, लूमिनस विंग्स, बहुत खूबसूरत पंख हैं, इन वेन एण्ड इन वोईड। अन्त में फ्यूचेरिटी यह हुई उसकी, उसकी फाइंडिंग बाइंडिंग नहीं है, काम्पीटेंट ऑथोरिटी उसके मुताबिक एक्शन नहीं लेती, राज्यपाल मौजूदा सेट अप में कॉन्स्टीट्यूशनल हैड हैं, राज्यपाल मीन्स चीफ मिनिस्टर, फिर क्या फायदा है ? इसलिए बांइडिंग होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि इसका असर हो। इसका मैंने यह संशोधन किया है:–

खण्ड 12

खण्ड 12 में खण्ड (2) व (3) को विलोपित कर दिये जावें व उनके स्थान पर निम्न उप-खण्ड प्रतिस्थापित कर दिय जावें:–

"(2) लोकायुक्त का निष्कर्ष व सिफारिश राज्य सरकार को मान्य करनी होगी।"

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्षजी, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस धारा के बारे में यह उल्लेख किया

Page No. 147

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

है कि यह धारा इस विधेयक का हार्ट है और इसके मुतल्लिक जितनी उपेक्षा की गई है, इसमें जो कमियां रखी गई हैं उसके कारण से इस विधेयक का होना अपने आपमें निरर्थक होजाता है। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि इस धारा को इस विधेयक का हार्ट समझते हुए इसके अन्दर प्रावधान किया गया है, उससे अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि जो लोकायुक्त उप-लोकायुक्त के अन्वेषण की रिपोर्ट होगी उसको अमान्य करने का या उस पर मनमाने तौर पर राज्य सरकार द्वारा एक्शन लेने का कोई भी अन्देशा पैदा नहीं होता वह इसलिए कहना चाहती हूं, इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है "प्रतिवेदन के आधार पर" यदि प्रतिवेदन परजो कार्यवाही राज्य सरकारद्वारा की गईहै उससे लोकायुक्त उपलोकायुक्त का समाधान हो जाता है तब तो उसके बारे में उसे फरदर कार्यवाही करने की जरूरत नहीं लेकिन यदि समाधान नहीं हो तो वह इस मामले को योग्य समझे तो राज्यपाल को दुबारा उसके बारे में विशेष प्रतिवेदन भेज सकेगा तथा सम्बन्धित, शिकायतकर्ता को भी उसकी सूचना देगा अर्थात, उसके बारे में फरदर कार्यवाही की जा सकती है, यह उसका अधिकार रहेगा। यह सबसे बड़ा अंकुश लगाया गया है, उप-धारा 5 में:

"उप-धारा (3) के अधीन विशेष प्रतिवेदन व उप-धारा (4) के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल, उसकी एक प्रतिलिपि, स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष रखवायेंगे।"

इसका मतलब स्पष्ट है, उस पर दोहरा अंकुश लगा है, किसी प्रकार राज्य सरकार स्वेच्छा से लोकायुक्त द्वारा दी हुई फाइंडिंग पर मनमानी कार्यवाही नहीं कर सकती। इसलिए यह अन्देशा करना जिस लक्ष्य के लिए बिल बनाया गया है, इस धारा के द्वारा निरस्त हो जाता है, निर्मूल है।

इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहती हूं जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने धारा 8, धारा 12 के संदर्भ में मुख्य मन्त्री जी के बारे में बार बार शंका प्रकट की है, आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार मिटाने में कटिबद्ध नहीं है, और भ्रष्टाचार को मिटाने की दिशा में कोई कार्य नहीं कर पाये हैं। मैं स्पष्ट तौर पर निवेदन करना चाहती हूं, सदन भी जानता है, माननीय सदस्य जो आरोप लगाने वाले हैं वह भी जानते हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कितने ही उल्लेखनीय कदम उठाये हैं और उसका प्रशासन पर स्पष्ट प्रभाव और असर पड़ा है, कितने ही आफिसर को रिटायर किया गया है, कितनों के खिलाफ कार्यवाही की गई है।

श्री मनोहर लाल: भ्रष्टाचार बढ़ा है।

श्रीमती कमला बेनीवाल: विजीलेन्स कमीशन के जरिए बड़ी संख्या में इस प्रकार की कार्यवाही की गई है और साथ में भ्रष्टाचार निरोधक समितियां जिला स्तर पर कायम करने की घोषणा की गई है जो निकट भविष्य में स्थापित होने वाली हैं और उसके साथ में आखिर में यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो विधेयक पेश हुआ यह भारत भर में सिर्फ दो तीन राज्यों को छोड़कर कहीं नहीं रखा गया है। राजस्थान ने इसके अन्दर पहल की है बल्कि भारत सरकार ने भी इस ओर कदम नहीं उठाया है। इसलिये मैं समझती हूं कि उनके इरादों के बारे में, उनके कार्यकलापों के बारे में, उनके द्वारा की गई चेष्टाओं के बारे में इस प्रकार सरसरी तौर पर आक्षेप

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

लगाना, सही नहीं है। इसलिये तमाम संदर्भों के साथ में, मैं संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं और धारा को यथावत पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री यशवन्तसिंह को अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री गुमानमल लोढ़ा : 'ना' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर कहता हूं। प्रश्न यह है कि माननीय श्री यशवंतसिंह नाहर को अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी गई।

श्री केदारनाथ : गैरहाजिर रहने का मतलब वह नहीं लेना चाहते थे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह स्वयं विथड्रा हो गए।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : मैं श्री यशवंत सिंह नाहर की तरफ से उनका संशोधन वापस लेता हूं।

कई माननीय सदस्य नहीं ले सकते।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री यशवन्तसिंह नाहर [सदन में आयें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड 12 में श्री गुमानमल लोढ़ा का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 12 में श्री मोहम्मद गफ्फार अली का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 12 में श्री केदारनाथ का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 12 को पारित किया जाय

(स्वीकृत)

खंड 12 पारित किया गया।

खंड 13

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 13 के उप-खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित नवीन उप-खंड अन्तः स्थापित किया जाये:-

(1) "(4) उप-धारा (3) के अधीन की गई शिकायत के संबंध में अभियोजन लोक अभियोजक द्वारा संचालित किया जावेगा तथा उक्त अभियोजन से संबंधित समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे।"

(श्री खेतसिंह)

(2) विद्यमान उप-खंड (4) के उप-खंड (5) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाए ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं इस संशोधन का.....

श्री खेतसिंह : स्वागत करता हूं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : विरोध करता हूं। खर्चा सरकार किसको देगी ?

श्री नानालाल : ऊंट को मूंग खिलाओगे तो भी गरड़ाटा करेगा और गुड़ खिलाओगे तो भी गरड़ाटा करेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह कहा गया है कि उप-धारा (3) के अधीन की गई शिकायत के संबंध में अभियोजन लोक अभियोजक द्वारा संचालित किया जावेगा तथा उक्त अभियोजन से संबंधित समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे। धारा 13 के अन्दर यह प्रावधान रखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो शिकायत करेगा उसके बारे में यदि लोकायुक्त यह अनुमति दे कि वह शिकायत मैलीशसली की गई या डेलीवरेटली की गई है, वह साबित नहीं हो सकती तो उस व्यक्ति को तीन वर्ष का कारावास दिया जाएगा। अगर मैं गलत समझा हूं तो सचेतक महोदय मुझे करेक्ट करें, उसका अर्थ यह है कि उनको सजा दिलवाने के लिए उसका प्रोसीक्यूशन किया जाएगा, उसका खर्चा सरकार देगी । सदन में भावना बन रही थी कि शायद सचेतक महोदय तीन साल की सजा को हटाकर केवल फाइन करेंगे लेकिन अब जले पर नमक वाली बात एडिंग इन्सल्ट टू इन्जुरी लेकर आए हैं कि शिकायतकर्त्ता को सजा ही नहीं दी जाएगी बल्कि उसको सजा दिलवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से खर्चा किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि तलवार टांग दी गई है कि जो व्यक्ति कहे कि मैं शिकायत करता हूं कि मंत्री महोदय ने या सचिव ने इसी प्रकार से अपने पद का दुरूपयोग किया है तो उस व्यक्ति को पहले सोचना पड़ेगा कि तीन साल के लिए वह सोलीटरी कन्फाइनमेंट में जाएगा क्योंकि मैं साबित नहीं कर पाऊंगा कि दुर्भावनापूर्ण है या सदभावपूर्ण है...

श्री रामनारायण चौधरी : झूठा है तो ही मस्ट गो ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जो व्यक्ति शिकायत करने आएगा वह झूठा होगा तो इंडियन पेनल कोड में प्रावधान है लेकिन इसमें यह प्रावधान करके इस विधेयक की भावना को समाप्त कर दिया गया है, शिकायत करने वाले व्यक्ति टेरेराइज्ड हो जायेंगे, घबरा जायेंगे वह साधारणत: शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा ।

अभी कहा गया कि भ्रष्टाचार को मिटाने की सरकार की भावना में शंका नहीं करनी चाहिए, कई लोग रिटायर किए गए, सस्पेंड किए गए और यह भी कहा गया कि मुख्य मंत्रीजी या राज्य सरकार, मेरा किसी विशेष मंत्री से संबंध नहीं, इस विल को लाकर भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं। यह मेरे पास महाराष्ट्र का एक्ट है, वह बहुत बड़ा प्रदेश है और बड़ा मंत्रिमंडल है वहां पर अधिक अभियोग होने की संभावनायें हैं, महाराष्ट्र सरकार ने जिस समय लोकायुक्त और उपलोकायुक्त का कानून बनाया, जह तक मैं पढ़ सका हूं, अगर गलत हूं तो आई

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

एम आलवेज ओपन टु करेक्शन, इस कानून में सजा की बात तो छोड़िए, सजा दिलवाने के लिए खर्च की बात तो छोड़िए, फाइन तक करने का प्रावधान नहीं है। आप कहते हैं कि हम तीन राज्यों में से हैं जिन्होंने यह कानून बनाया है, वहां की सारी की सारी नकल है, इसमें आपने यह एडीशन क्यों की ? मैं समझ नहीं सका, महाराष्ट्र एक्ट में प्रावधान न हो, कानून बनाने में हमने उनकी नकल करने का प्रयास किया लेकिन दो महत्वपूर्ण जो बातें थीं एक तो पब्लिक ग्रीवेन्सेज को हटा दिया गया और दूसरी इसमें तीन साल वाली सजा का प्रावधान किया गया। लटका दी तलवार शिकायत करने वाले पर। वह पहले सोचेगा कि गवाहों को ला सकूंगा या नहीं, इतने बड़े व्यक्ति के विरुद्ध आप अनुमान लगायें, मंत्री के विरुद्ध शिकायत की जाती है, कितनी हिम्मत का काम है, यदि गलत शिकायत की जाती है तो इसमें दो राय नहीं कि इंडियन पेनल कोड में प्रावधान है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है लेकिन तीन साल की सजा का प्रावधान इस बात के लिए रखा जाए, टॅरीफाई करने के लिए, टॅरर पैदा करने के लिए, पैनिक क्रिएट करने के लिए, कोई व्यक्ति शिकायत करने नहीं आएगा, सरकारी खजाने से पैसा देकर एडवोकेट जनरल उसको जेल में डलवाएगा। कई लोगों ने कहा, वकील लोग जानते हैं, एक कातिल है, मुलजिम है जिसने सरे आम दिनदहाड़े कतल किया है, उसमें भी उसको सजा दिलवाना कितना मुश्किल है, आप सब जानते हैं। आप सोचिए, मंत्रियों के खिलाफ, वड़े वड़े अधिकारियों के खिलाफ, उनके नाम पर उनके कहे बिना गवाहों को टॅरोराइज करेंगे, लालच देंगे, प्रलोभन देंगे, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत सिद्ध करना कितना मुश्किल है। उसका अर्थ यह है कि शिकायत करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकेगा।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी शिकायत करना चाहते हुए भी शिकायत करने की जुर्रत नहीं करेगा। मैं जानना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि महाराष्ट्र का कानून देखो, और जहां तक मैं समझ सका हूं उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो फिर आपने ऐसा प्रोवीजन क्यों रखा ? महाराष्ट्र की नकल करने वाले मुख्य मंत्री जी आप तो इससे भी आगे बढ़ गये। आपने इसमें तीन साल की सजा का प्रावधान रखा है। अभी भी संशोधन कर लीजिये, अभी भी एमन्डमेट कर लीजिये, वरना आपका यह प्रावधान एडिंग इनसल्ट टु दी इन्जरी हो जायेगा और जो इस बिल को लाने का उद्देश्य है, जो इस बिल को लाने की भावना है वह समाप्त हो जायेगी। क्योंकि एक तरफ तो आप लोकायुक्त और उपलोकायुक्त बनाते हैं तो दूसरी तरफ उनके पास कोई शिकायत न करने जाय ऐसा प्रावधान रख रहे हैं क्योंकि अगर वह सच्चा और ईमानदार, शिकायत कर्त्ता है अगर वह शिकायत प्रूव करने में असफल रहा तो उसे यह भय रहेगा कि कहीं तीन साल की सजा नहीं हो जाय, कहीं तीन साल का सोलीटरी कन्फाइनमट आप उसे नहीं करदें। इसलिये मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको निकाल दो। यह उचित नहीं है। इसमें एमेन्डमेंट करदो और तलवार तीन साल के जेल की लटकाई है उसे हटा दो, दफना दो। यह अनचित प्रावधान है। जेल के सीकचों में बन्द करने का उसे हटा दो। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री कहने को प्रगतिशील बनते हैं लेकिन ऐसे विधेयक में वे हमेशा अपने मंत्रियों को, अपने चमचों को बचाने का

(श्री गुमानमल लोढा)

प्रावधान रखते हैं जैसे सीलिंग बिल में उसमें भी शहर वालों के लिये अलग कानून है और गांव वालों के लिये अलग प्रावधान है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे प्रावधान रखने से विधयक को लाने की जो भावना होती है वह समाप्त हो जाती है, खतम हो जाती है। मिट जाती है। आज दुनिया में दुनिया के किसी के कानून में ऐसे प्रावधान नहीं ह कि जहां पर पढ़े लिखे और अनपढ़ों में कोई कानन हो और उसमें फर्क हो। इसलिये मैं कहता हूं कि अगर आप कुछ ईमानदारी से करना ही चाहते है भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो शिकायत कर्त्ता को जेल के सीकचों में बन्द करने के प्रावधान को हटा दो। अगर नहीं हटायेंगे तो आपने मंत्री महोदय के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं आयेगी तो आप कहेंगे कि हमारे मंत्री लोग ईमानदार हैं हमारे यहां पर भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है हमने भ्रष्टाचार को निकाल दिया है, हमने भ्रष्टाचार का फातिहा पढ़ दिया है हमेशा के लिये तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो तीन साल की जेल जाने का प्रावधान है वह समाप्त कर दें क्यो कि, उपाध्यक्ष महोदय, जेल तो जाना कौन चाहेगा ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह ठीक है आप आज बहुमत के आधार पर वोटिंग कराकर, ट्रेजरी बैन्चेज वाले विधेयक को पास करा लेंगे और यह बिल लाकर अपने भ्रष्ट मन्त्रियों को आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देंगे हम चाहे उसके खिलाफ वाक आउट करे, कुछ भी करे चिल्लाये आप इस बिल को पास कराकर उन्हें बचा लेंगे। लेकिन मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि जो ईमानदारी का ढोंग रचने वालों, भ्रष्टाचार के मसीहाओ, भ्रष्टाचार के सम्राट अगर तुम्हारे इरादे पाक हैं, तुम्हारे इरादे ईमानदार हैं, बेदाग हैं, साफ हैं और अपने आप को प्रोग्रेसिव मानते हो तो इस विधेयक में से तीन साल की जेल का प्रावधान निकाल दो, डिलीट करदो नहीं तो शिकायत कर्त्ता के लिये तो तीन साल की जेल रखी है उसके बदले अपने मंत्रियों के लिये तुमने सारा खर्चा देने की इम्यनिटी इसमें ग्रान्ट की है। उसको प्रोटेक्शन दिया है इधर आपके तीन साल की जेल की तलवार लटका कर शिकायत कर्त्ता के मन मे हौवा पैदा कर दिया है, टैरर पैदा कर दिया है, उसे डराया जा रहा है कि कहीं शिकायत करदी तो तुम्हें तीन साल की जेल हो जायेगी। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को फिर कहूंगा कि अगर तुम वास्तव में इस बिल को प्रभावकारी बनाना चाहते हो जनहित में लाना चाहते हो और अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है, समाप्त करना है, खतम करना है तो जेल का प्रावधान रखा है उसे विथड्रा करो, हटा दो, डिलीट करदो, उसमें एमेन्डमेट कर दो। वरना तो एक भी शिकायत कर्त्ता अपने मकान दूकान बेचकर इन बड़े मिनिस्टर्स के खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वह केस लड़ेगा, लेकिन इसके विपरीत आपने मंत्रियों के लिये जो कि भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, उन्हें आप बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार की इन्क्वायरी असफल रही तो आप मन्त्री महोदय यह पत्रम पुष्पम से उसकी सेवा करेंगे। इसलिये मैं कहता हूं कि इस प्रावधान को हटा दो। ताकि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं मिले।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढा :—इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि

(**श्री गुमानमल लोढ़ा**)

आप इस पर पुर्नविचार करके इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारण करके जनता से उसके विचार मांगे।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप में।

श्री गुमानमल लोढ़ा: बहुत संक्षेप में कह रहा हूं।

इसलिये फिर कह रहा हूं कि अगर आप को भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है, अगर आपके इरादे पाक हैं, बेदाग हैं, धवल, उज्जवल, साफ हैं, नापाक नहीं हैं, तो जिस प्रकार महाराष्ट्र में लोकायुक्त के बिल मे यह प्रावधान नहीं है उसी तरह उसी पेटर्न पर बिल लाइये, वही प्रावधान रखिये और फिर पास कराइये, और हिन्दुस्तान की जनता के सामने प्रिसीडेन्ट कायम कीजिये, और बताइये कि हमने जो सजा का प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया है, डिलीट कर दिया है। वरना किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ेगी और फिर आप अपने प्रतिवेदन में यहां पर यही कहोगे कि हमारे यहां पर मेरी केबीनेट में एक भी प्रतिशत भ्रष्टाचार नहीं है, क्योकि न तो कोई शिकायत कर्त्ता सामने आयेगा और न कोई जांच होने का प्रश्न खड़ा होगा। क्योकि कौन तीन साल की जेल जायेगा? इसलिये मैं अब भी कहता हूं कि समय है इस प्रोविजन को हटा दो, समाप्त करदो। बस इतना ही कह कर मैंने जो संशोधन दिया है, उसका समर्थन करता हूं और राज्यपाल महोदय के अध्यादेश पर जो बिल यहां पर आया है उसका समर्थन करने से मजबूर हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मोहम्मद गफ्फारअली।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली: उपाध्यक्ष महोदय अभी हाउस मे जो एमेन्डमेंट श्री खेतसिंह जी की तरफ से आया कि उप-खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खण्ड अन्तःस्थापित किया जायं "(1) इसमें (4) उप-धारा (3) के अधीन की गई शिकायत के संबंध में अभियोजन लोक-अभियोजक द्वारा संचालित किया जायेगा तथा उक्त अभियोजन से संबंधित समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे। इसका मतलब यह है कि आप भ्रष्ट मंत्रियों और भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं। यह जो धारा 13 में आपने एमन्डमेंट किया है अगर वह मानते हैं तो फिर आप अपने मंत्रियों को बचाना चाहते हैं। उनको आप फ्री एसिसटेन्स दे रहे हैं और फ्री लीगल एड दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो बिल की मूल भावना है उसको समाप्त करना चाहते हैं। आज आपने नाम को महाराष्ट्र के पेटर्न पर लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त के लिये बिल लाये है लेकिन कानून के प्रावधान आपने उनके मुताबिक नहीं रखे हैं। आपने जो जेल का प्रावधान रखा है वह बिल्कुल गलत रखा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस डर से कि उसे सजा नहीं हो जाय वह सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा और अगर करता है और किसी कारण से वह शिकायत प्रूव नहीं हो सकी तो आप उसको तो जेल के अंदर दाखिल कर देंगे और उस भ्रष्टाचारी अधिकारी को खर्चा भी देंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने मंत्रियों को क्लीन स्लेट करना चाहते है। इसका मतलब यह है कि आप उस अधिकारी को संरक्षण देना चाहते हैं। शिकायतकर्ता तो लड़ेगा कस अपने पैसों से और जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसके मुकदमें का खर्चा देगी राज्य सरकार। यह एमेन्डमेन्ट जो

(श्री गफ्फार अली)

पहले मेन बिल में नहीं था उसको ऐड किया जा रहा है। इस प्रकार जो सेक्शन 13 की शक्ल थी वह बदल जाती है और बिल की वह भावना ही नहीं रहती भ्रष्टाचार मिटाने की और आप इस बिल को ईमानदारी से लागू करना नहीं चाहते हैं, बल्कि अपने भ्रष्ट अधिकारियों को और भ्रष्ट मन्त्रियों के खिलाफ जो आज तक चार्जेज लगते रहे हैं उन्हें कानूनी संरक्षण देकर उन्हें बेदाग करना चाहते हैं, और संरक्षण देना चाहते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस सेक्शन तेरह की शक्ल में जो एमेन्डमेन्ट ला रहे हैं उसको अगर एड कर रहे हैं तो मैं अपने दल के साथ वोटिंग के वक्त इसके प्रोटेस्ट में सदन छोड़कर चला जाऊंगा। वाक आउट कर जाऊंगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो खेतसिंहजी ने संशोधन रखा है उसको नहीं माना जाय, और जो इस बिल में तीन साल की सजा का प्रावधान है उसे समाप्त किया जाय।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी इस राजस्थान लोकायुक्त और उपलोकायुक्त बिल में एक एमेन्डमेन्ट श्री खेतसिंहजी द्वारा लाया गया है वह बिल्कुल ही गलत है। इस बिल की जो मेन भावना है वह खराब हो जाती है। मिनिस्टर को जिसके खिलाफ चार्जेज हैं एक गवर्नमेन्ट ऑफिसर जिसके खिलाफ चार्जेज हैं आप उन्हें सेव करने के लिए फ्रीलीगल एड दे रहे हैं फ्रीलीगल एसिस्टेन्स दे रहे हैं? उस क्लाज को इस बिल में नहीं रखा जाना चाहिए। क्योंकि जो कम्प्लेनेन्ट है वह ऐसी हिम्मत ही नहीं कर सकेगा कि कोई भ्रष्ट करप्ट मिनिस्टर और ऑफिसर के खिलाफ कोई शिकायत करें। क्योंकि साबित नहीं करने पर उसे तीन साल की सजा है और वह भी सोलीटरी कनफाइनमन्ट। यही इनिशियल स्टेज ही इसका गलत हो गया। इसे डिलीट किया जाना चाहिए क्योंकि सबूत नहीं होने पर उसे जेल का डैन्जर है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर कि जो इस बिल के मेन ऑबजैक्ट्स एण्ड रीजन्स हैं वह इटसेल्फ ही खेतसिंहजी वाला एमेन्डमेन्ट आने से समाप्त हो जाता है। लोगों में कॉन्फीडेन्स ही नहीं क्रियेट हो सकेगा इससे। इसलिए You are letting loose not forum of confidence but of corruption and tyranny.

आपको निवेदन करना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, यह एमेन्डमेन्ट इसमें कर लीजिये और जो सोलीटरी कनफाइनमन्ट जिसे काल कोठरी कहते हैं कौन जाना पसन्द करेगा मेरे जैसे व्यक्तियों के लिये कोई बात नहीं मैं तो कई बार जेल याफता हो चुका हूं। इसलिये इसे डिलीट किया जाय और जो प्रोसीक्यूशन को सरकारी खर्चे पर वहन करने की बात है उसे हटाइये नहीं तो यह एक कोटवाल-और आ जायेगा। ऐसी चीज में तीन साल की कैद करने के बाद कोई एम०पी० या एम०एल०ए० हिम्मत नहीं कर सकेगा कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कम्पलेन्ट करें। ऐसे आदमी जो बार बार मैलिशियस नैचर से करते हों तो उसके लिये लॉ है। खेतसिंहजी के दिमाग में यह हेमर की गयी है, उन्होंने अपने आप यह नहीं किया है। क्लाजेज तक नहीं पढ़ी हैं उन्होंने। ऑफिशियल्स का इसके पीछे बेकग्राउन्ड है कि हमारे खिलाफ कोई राजस्थान में कम्पलेन्ट करने की हिम्मत न कर सके, कोई कम्पलेन्ट हमारे खिलाफ न हो सके और रेन ऑफ टेरेनी राजस्थान की लूट हमारी कायम रहे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के बारे में मैं निवेदन

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

करना चाहूंगा। जिस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये यह क्लाज रखा गया है और कानून बनाया गया है उसका भावना के रूप में स्वागत करता हूं, परन्तु मुझे बड़ा खेद है कि ऐसी धारा इस कानून में जोड़ कर इसको बनाया जा रहा है कि जो बिल्कुल ही आत्माहीन हो। मुझे इसका अनुभव है कि किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई गवाह देने जाता है तो पुलिस उसको किस प्रकार से टेरोराइज करती है और कहती है कि तुम मिनिस्टर के खिलाफ गवाही देने आये हो। इस क्लाज में तीन साल की सजा जोडने के बाद फिर नया संशोधन जोड़ देना यह इस बात का द्योतक है जैसा कि उदयपुर की बार कौंसिल में माननीय राष्ट्रपतिजी ने सीधी सी बात कही कि आज देश में ब्यूरोक्रेसी का नंगा नाच हो रहा है। नौकरशाही सोचा करती है और यह कहती है कि यह जनतन्त्र खत्म हो जाय। ब्यूरोक्रसी के कहने के अनुसार इस प्रकार का संशोधन करें कि अदालत में केस करेगा उसको खर्चा राजकीय कोष से दिलाया जायेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई न तो शिकायत करने आवेगा और न ही हिम्मत कर सकेगा। आराम से जितना भी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करना चाहें भ्रष्टाचार करें और फिर तो इस पुस्तक को जला कर खाक बना दिया जाय। इस कानून का उपयोग ही क्या है? सुखाड़ियाजी हों या और कोई हों, उनका प्रोटेक्शन ही करना है तो इस प्रकार के काले कानून को सदन की मेज़ पर रखना यह कानून का अपमान करना है। इन्सानियत के नाते, ईमानदारी से चाहते हैं कि भ्रष्टाचार न हो तो आइये। राज्य क्या कोई अन्देशों पर चलता है। अन्देशों पर राज्य नहीं चलता। तथ्यों पर विचार करें। इसलिये यह संशोधन है वह खतरनाक है। यह कानून की आत्मा को समाप्त करने वाला है। जितने माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उन्हें मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने अन्तर की आवाज़ को पहिचानें। कांग्रेस के सचेतक महोदय हैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि नौकरशाही के चक्कर में न आकर इसको वापिस लें।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी सारी इस बहस को सुना मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इसी के क्लाज 13 के भाग (3) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं:—

"No such court shall take cognizance of such offence as aforesaid except on a complaint made by a person against whom false complaint was made after obtaining the previous sanction of the Lok Ayukt or Up Lok Ayukt, as the case may be."

यह सब क्लाज 3 अपने आपमें काफी स्पष्ट है। अच्छे आदमी हैं शिकायत करने वाले तो उनको इसमें प्रोटेक्ट किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो मन्त्रीजी इसका उत्तर देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : मुझे अधिकार है और मैं यह कह सकता हूं। लोक सेवक के खिलाफ कोई मनचाही शिकायत न करें इसलिये इसका प्रोविजन किया गया है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल : यह कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। कहा तो यह गया कि भ्रष्टाचा को मिटाने के लिये कानून के जरिये व्यवस्था की

(श्री केशरीमल)
जा रही है। धारा 13 में सब धारा और जोड़ कर यह प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार खूब करो और किसी को शिकायत करने का मौका न रहे ।

श्री उपाध्यक्ष : (कुछ माननीय सदस्यों द्वारा ऑफिशियल गेलेरी के अधिकारियों से बात करते हुए व्यवधान होने पर) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री केशरीमल: ऐसी स्थिति बन जायगी कि कोई आदमी शिकायत न करेगा और करेगा तो उसको सजा मिलेगी । मन्त्री महोदय कहेंगे कि हमने ऐसा कानून बनाया है कि जो गलत काम करेगा तो उसको कड़ी सजा देंगे और सरकारी कर्मचारी कहेंगे कि हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता और कोई हमारे खिलाफ करेगा तो हम उसको खत्म कर देंगे। तब ऐसी शिकायत करने की कौन हिम्मत करेगा ? आप कहते हैं कि धारा 13 को नरम करने जा रहे हैं, मुझे यह समझ में आता है कि यदि आप उस व्यक्ति के लिये सोचते कि शायद ऐसे मौके पर फंस जाने की उसकी स्थिति हो तो उसके लिये कोई कोशिश करें तो बड़ी खुशी होती ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मन्त्री ।

श्रीमती कमला बेनीवाल: इस धारा के सम्बन्ध में जितनी बातें पैदा हो रही हैं उतना उनमें तथ्य नही है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस धारा के उप-भाग (1) में स्पष्ट तौर पर यह लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी शिकायत जो जान बूझ कर दुर्भावना से मिथ्या रूप से की गई हो और इस प्रकार से पायी गई हो उसके बारे में यह प्रावधान किया गया है। ऐसी मिथ्या दुर्भावना से और जान बूझ कर किसी आचरण को अनावश्यक तौर पर लांछित करने के लिये अगर कोई कार्यवाही की गई और वह झूठी पायी गई है उसके बारे में तीन वर्ष की सजा की अवधि अथवा जुर्माना का प्रावधान किया गया तमाम उन शिकायतों के बारे में जो अपने आप तथ्य पूर्ण हो सकती थीं लेकिन साबित नहीं हो सकीं लेकिन जिसके साथ में दुर्भावना अथवा बदनियत नहीं थी उन सब के साथ लागू नहीं होती। उनके साथ यह लागू होती है जो मिथ्या दृष्टि से, दुर्भावना से किसी को आक्षेपित करने मात्र से की गई है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: जनता नहीं समझती कि क्या शिकायत लेकर आती है।

श्रीमती कमला बेनीवाल: इसको लागू करने वाले और कार्यवाही करने वाले होंगे वे सुयोग्यता के साथ लागू करेंगे वह यह सब जानते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री: दुर्भावना का कौन तय करेगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: इसमें प्रावधान है कि कौन तय करेगा। जैसा झुन्झुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा ऐसा कोई भी व्यक्ति......

"No such court shall take cognizance of such offence as aforesaid except on a comp'aint made by a person against whom false complaint was made after obtaining the previous sanction of the Lok Ayukt or Up Lók Ayukt, as the case may be."

सजा के लिये जब तक लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न हो जावे

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

तब तक उस पर मामला नहीं बनाया जा सकता। जब वे कायम कर देंगे कि शिकायत मात्र दुर्भावना से की गई है और इसमें एक परसेन्ट भी सत्यता नहीं है तभी वह इजाजत देगा और उस पर कार्यवाही की जावेगी। इसलिए इसमें कोई भी यह कारण पेश करना कि शिकायत करने वाले व्यक्ति को डरावेंगे, वह घबरायेगा, कांपेगा, पुलिस डरावेगी, करेगी तो यह सिर्फ परिकल्पना है, यथार्थ से कोसों दूर है।

मैं इसका दूसरा पक्ष भी निवेदन करना चाहती हूं। सरकारी तन्त्र में काम करने वाला कर्मचारी तथा सार्वजनिक जीवन में काम करने वाला कार्यकर्ता जो हैं उनका जीवन जिस प्रकार का होता है उसमें जिन परिस्थितियों में वे कार्य कलाप करते हैं और जिस प्रकार का पिछला हमारा सभी का सार्वजनिक जीवन का अनुभव है वे सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ऐसी पाबन्दियां नहीं लगाई जाती हैं तो कई प्रकार की झूठी और आधारहीन शिकायतें बहुत बड़ी तादाद में लोकायुक्त के पास आ सकती हैं जिनका निराकरण करने के लिये कितना समय और शक्ति नष्ट हो सकती हैं यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिये यह जरूरी है कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाय।

श्री केशरीमल: महाराष्ट्र फिर इस अर्थ में बेवकूफ है कि उन्होंने ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया।

श्री रामनारायण चौधरी: यह महाराष्ट्र नहीं है, राजस्थान है। राजस्थान की विधान सभा में आप बैठे हैं, महाराष्ट्र की में नहीं।

श्रीमती कमला बेनीवाल: यह जरूरी नहीं है कि जो महाराष्ट्र करे वह हम भी करें। हम अपनी परिस्थितियां देखकर स्वतन्त्र निर्णय करने को स्वतन्त्र हैं। अब खेतसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसका भी तात्पर्य स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ निराधार और सवथा झूठे आक्षेप लगाये गये हैं और तमाम जानकारी के बाद और जांच करने के बाद वे झूठी पाई गई हैं उसको कितना हैरेशमेन्ट हुआ है और कितनी उसकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा गिरी है जब कि तथ्य कुछ भी नहीं निकला है ऐसी स्थिति में इस प्रकार के व्यक्ति को क्या ऐसी भी सहयोग और सहायता नहीं देना चाहेंगे कि प्रोसीक्यूशन के लिये सरकारी मदद उसको मिल सके क्योंकि इन सारी की सारी कम्पलेन्ट और एलीगेशन को प्राइवेट तौर पर उसे निपटाना होगा। इसका सरकार कॉग्नीजेन्स नहीं ले सकती इसलिये यह प्रावधान किया गया है। इसलिए निवेदन करूंगी कि इसको संशोधन सहित पारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री खेतसिंह जी, मुख्य सचेतक, ने खण्ड 13 में जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(ध्वनिमत के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता। 'हां' पक्ष जीता।

श्री गुमानमल लोढ़ा: 'ना' पक्ष जीता, 'ना' पक्ष जीता।

(मत विभाजन सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 13 में श्री खेतसिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 13 मय संशोधन स्वीकृत किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 13 मय संशोधन स्वीकृत किया गया।

खण्ड 14

श्री गुमानमल लोढा: आपने खण्ड 13 संशोधन सहित स्वीकार नहीं कराया और खण्ड 14 पर आ गये ।

श्री उपाध्यक्ष: मैं दुबारा रख देता हूं। प्रश्न यह है कि खण्ड 13 मय संशोधन के स्वीकृत किया जाय ।

(ध्वनिमत के पश्चात्)
'हां' पक्ष जीता । 'हां' पक्ष जीता ।

कई माननीय सदस्य: नोज हैव इट, सर नोज हैव इट, सर ।

(मत-विभाजन-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 13 मय संशोधन के स्वीकृत किया जावे ।

(स्वीकृत)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हम यह महसूस करते हैं कि इस सदन में यह जो बिल इस रूप में पास किया जा रहा है उसमें भागीदार नहीं होना चाहते। इसलिए हम वाक आउट करते हैं ।

(विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों का बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष: आप खड़े हो जायें।

खण्ड 13 मय संशोधन के स्वीकृत हुआ।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : उपाध्यक्ष जी, साल भर बाद आपको तजुर्बा हो जावेगा कि एक शिकायत इस लोकायुक्त के सामने नहीं आवेगी और आप यह कहेंगे कि हमारे सारे मंत्री और अफसर बिल्कुल साफ और दूध के धुले हुए हैं। और यह इसलिये होगा कि आपने तीन साल की सजा का इसमें प्रावधान रखा है। यह एक तरह से मखोल है। यह सारा खर्चा इस लोकायुक्त पर करना भी एक तरह से मखोल बनकर रह गया है। इसमें हम भागीदार नहीं हो सकते। हम इसके विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं।

(भा०क०पा० के माननीय सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री मनोहरलाल: उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष: धारा 15 से 18 लगायत स्वीकृत किये जावें। प्रश्न यह है कि धारा 15 से 18 लगायत स्वीकृत किये जावें।

(स्वीकृत)

धारा 15 से 18 तक स्वीकृत किये गये।

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त विधेयक, 1973 में पीनल क्लॉज रखने संबंधी

श्री मनोहरलाल : आन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में तीन लिस्टें हैं। एक यूनियन लिस्ट है एक स्टेट की लिस्ट है और एक कन्करेन्ट लिस्ट है

(श्री मनोहरलाल)

जिनमें मैटर्स एन्यूमेरेट किये गये हैं। लॉ जब बनेंग तो कौन कौन से मेटर पर सेन्टर लॉ बनावेगा, कौन कौन पर स्टेट बनावेगी और कौन कौन से एसे हैं जो कन्करेन्ट लिस्ट में हैं जिन पर यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि यह जो मेटर है यह मेटर कन्करेन्ट लिस्ट का है। (कुछ सरकारी पक्ष के सदस्यों के हंसने पर) माननीय उपाध्यक्षजी, यह हंसने की बात नहीं है। कानून के समझने की बात है। आप भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कर रहे हैं। इस कानून से आप यह मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार इससे मिट गया। पर मेरा ऐसा मानना है कि इससे भ्रष्टाचार और बढ़ जावेगा। उसकी रेट हाई हो जावेगी अब।

तो मैं कह रहा था कि यह कन्करेन्ट लिस्ट का मेटर है। यह क्रिमिनल लॉ से सम्बन्ध रखता है। इस पर सेन्टर का लॉ बना हुआ है। तो यह मान्य सिद्धान्त है, उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर इस पर सेन्टर का लॉ है तो वह स्टेट के लॉ पर प्रिवेल करेगा। स्टेट का लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि धारा 182, आई० पी० सी० में लिखा है कि "Giving false information to a public servant in order to use his lawful power to the injury of any person." उसके लिए सजा है "Imprisonment of either description for six months or fine of one thousand rupees or both." अर्थात किसी भी सरकारी अधिकारी या व्यक्ति की झूठी शिकायत करने व झूठी चना देने पर उसको जो दण्ड होगा वह सिक्स मन्थ इम्प्रिजनमेन्ट और वन थाउजेण्ड रुपीज फाइन होगा। इससे अधिक नहीं।

तो मैं निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस सजा के प्रावधान से अधिक तो आप जा ही नहीं सकते। यह आलरेडी कानून में प्रावधान है। इसलिये स्टेट सबजेक्ट में यह है नहीं। सेन्टर लिस्ट में भी नहीं। यह कन्करेन्ट लिस्ट में है। इसमें आपका लेजिस्लेशन बाद का होगा इसलिये वह प्रिवेल नहीं करेगा।

यह सेन्ट्रल लेजिस्लेशन का है। इसलिये निवेदन करूंगा जो आप सजा भी रखते हैं वह इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। इस कानून का नाम लोकपाल कानून नहीं है भूतपाल कानून है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर: मैं निवेदन करूंगा आप पढ़कर कहीं उलझ गये हों। कन्करेन्ट लिस्ट में इंडियन पेनल कोड आता है और आर्टिकल 254 ऑफ दी कान्स्टीट्यूशन

(8.22 रात्रि)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

सेन्टर लेजिसलेशन लॉ है। स्टेट लॉ बना सकता है किन्तु वह प्रायर परमीशन के नहीं बना सकता है। इसमें प्रायर परमीशन ले ली गई है। यह गलत इनफार्मेशन लोकपाल को देने का सेक्शन 13 है और उसमें तीन साल की सजा है।

श्री गुमानमल लो[ढ़ा]: तीन साल ये और 6 महीने इस तरह साढ़े तीन साल....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री यशवन्त सिंह नाहर: सेक्सन 13 ऑफ दी....प्रावधान कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा: There is an existing law.

श्री मनोहरलाल: } (एक साथ बोलने पर
श्री यशवन्तसिंह नाहर: } अश्रव्य)।

श्री हीरालाल देवपुरा: अध्यक्ष महोदय, जहां पर कोई स्पेसिफिक लॉं इनेक्ट करते हैं तो Specific law always prevails over general law. यह सेक्शन 182. It is only for cases under Indian Penal Code. वह ओफेन्स होगा। आई० पी० सी० वहां 182. अप्लाई करेगा। स्पेशल फंक्शन है वह अप्लाई भी नहीं करता है। यह लोकपाल का स्पेशल लॉं है और स्पेशल लॉं के अन्तर्गत आ सकता है। इसमें यह अप्लाई करने का प्रावधान ही नहीं है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। It is a special law और स्पेशल लॉं में प्रोवीजन है वे जनरल लॉं में प्रिवेल करते हैं इसलिये इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मैं निवेदन कर दूं-प्रश्न व्यवस्था का यह उठाया गया है कि यह विधेयक कन्करेन्ट लिस्ट का है जिसका अर्थ यह है कि राज्य भी उसका नियम बना सकती है और केन्द्र भी बना सकती है। कहा यह गया है कि चूंकि यह कन्करेन्ट लिस्ट में है और वैधानिक रूप से यहां नहीं लिया जा सकता है। जो माननीय सदस्यों ने कहा है, बधाई है। लेकिन इसमें वैधानिक दृष्टि और है और वह यह है कि इस सदन से भी तय किया हुआ मामला है और पार्लियामेंट से भी तय किया हुआ है वह स्थिति जब यह उठ जाय, कॉन्स्टीटयूशन पॉइन्ट उठ जाय तो उसकी कम्पीटेन्स कोर्ट से डिसाइड कर सकती है कि स्पीकर से ऐसे कन्वेन्शन है। मैं पढ़कर सुना देता हूं-लोक सभा का भी है और यहां का भी है। मैं लोक सभा का पढ़कर सुना देता हूं-

"Legislative competence:—Chair not to rule whether or not a Bill is constitutional within the legislative competence of the House to pass."

किसी विधान की वैधानिकता का निर्णय अध्यक्ष पद से नहीं दिया जाय। राजस्थान पशु चिकित्सा बिल की चर्चा के दौरान यह बात आई थी सेक्शन 571 में भी है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो बिल लाया जा सकता है उस पर यह निर्णय भी दिया जा सकता है। अगर कोई चेलेन्ज करना चाहे तो कोर्ट में चेलेन्ज कर सकता है; यहां जरूरत नहीं है और वह तो पास भी हो गया। मेरा रिलेटिंग पॉईन्ट यह है कि कॉन्स्टीट्यूशनल पॉइन्ट की कम्पीटेन्स चेयर को डिसाइड नहीं करना है।

श्री गुमानमल लोढ़ा: अध्यक्ष महोदय, मेरा... ..

श्री हीरालाल देवपुरा: व्यवस्था होने के बाद कोई चेलेन्ज नहीं किया जा सकता है।

श्री खेतसिंह: यह पॉइन्ट तो यहीं खतम हो गया।

श्री गुमानमल लोढ़ा: अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि....

श्री अध्यक्ष: पहले आप कह लीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा: मेरा यह निवेदन है कि जहां पर कॉन्स्टीटयूशनल पोइन्ट के बारे में सीरियस कन्ट्रोवर्सी है तो वहां यह भी प्रावधान है राजस्थान सरकार में और

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

केन्द्र सरकार में। केन्द्र सरकार में एटोर्नी जनरल होता है वह लेजिस्लेचर की कम्पीटेन्स का प्रश्न आये कि यह कन्करेन्ट लिस्ट का है या स्टेट लिस्ट का है तो वह अपनी ओपीनियन दे सकता है और इसके लिये पार्लियामेंट कम्पीटेन्स रखती है या....

श्री हीरालाल देवपुरा: अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के बाद तो कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है....

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप सुनने की कोशिश कीजिये, सजा तो आप दे देंगे लेकिन थोडा सुनने का भी सब्र रखें। वहां पर एटोर्नी जनरल सीतलवाड है और पार्लियमेंट में जब यह प्रश्न आया तो सीतलवाड को बुलाया गया और उनकी ओपीनियन क्या है, वह बताई गई। उसी प्रकार हम भी अपने यहां पर एडवोकेट जनरल रखते हैं यह लेजिस्लेशन के कम्पीटेन्स का प्रश्न है और धारा 182 में झूठी शिकायत का प्रावधान है उसमें सजा और फाइन का प्रावधान रखा है और हम इस लेजिसलेशन में तीन साल की सजा का प्रावधान करें तो प्रश्न लेजिसलेशन के कम्पीटेन्स का रेज किया गया है उसका निर्णय एडवोकेट जनरल से करा लिया जाय तो अधिक उचित रहेगा। वैसे आपकी आज्ञा सिरोधार्य है जो आप कहें वह करवा ही सकते हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से और राज्य सरकार से चाहूंगा वे एडवोकेट जनरल को बुलाकर लेजिसलेचर के कम्पीटेन्स की राय ले लें इसका उचित हल निकल जायगा।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय मैं आपकी रूलिंग के बाद बोलना तो नहीं चाहता हूं लेकिन जनसंघ के माननीय नेता ने जो मुद्दे उठाये हैं, उसका जवाब देना चाहता हूं। प्रेसीडेन्ट से प्रायर परमिशन हम ले चुके हैं और हमें प्रायर परमिशन ग्रान्ट हो चुकी है और जिस समय प्रायर परमिशन ली जाती है तो वहां को होम मिनिस्ट्री से और लॉ मिनिस्ट्री से राय लेली जाती है। यह ऑर्डिनेन्स वहां जा चुका है और सब कुछ हो चुका है।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त विधेयक, 1973 पर अग्रेतर खण्डश: विचार

श्री अध्यक्ष : खण्ड 19। श्री राम नारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 19 को पास किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 19 पास किया गया।

खण्ड 20 से 23 कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 20 से 23 पास किये जायें।

(स्वीकृत)

खण्ड 20 से 23 तक स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि अनुसूची प्रथम स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

अनुसूची प्रथम स्वीकार की गई।

द्वितीय अनुसूची

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, 'द्वितीय अनुसूची' में मेरा संशोधन इस प्रकार है: द्वितीय

(श्री खेतसिंह)

अनुसूचि में, लोकायुक्त के वेतन से संबंधित प्रविष्ट के सामने, अंक '4000' के स्थान पर अंक '4500' प्रतिस्थापित किये जायें।'

अध्यक्ष महोदय, यह 4500 रखने का मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज रिटायर होते हैं तो उनकी तनख्वाह 4500 होती है। यदि सुप्रीम कोर्ट का जज जैसा कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अपने विचार प्रकट किये थे और जनसंघ के माननीय सदस्य ने भी बात कही थी कि इस पद पर सुप्रीम कोर्ट के जज आये तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा, उसी को ध्यान में रखते हुए यह 4500 का वेतन रखा गया है। मेरे ख्याल से आप इस पर आपत्ति नहीं करेंगे और अब भी आपत्ति करते हैं तो हम यह समझेंगे कि आपका मानस ही आपत्ति के लिए बन गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस वेतन के अंदर वृद्धि का जो संशोधन लाया गया है। मैं समझता हूं कि इस बिल की सारी धाराओं को सम्मिलित रूप से देखा जाये तो देखने के बाद यह स्पष्ट हो जायेगा कि इससे भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कोई सहायता होने वाली नहीं है बल्कि एक ओर जनता में आंतक पैदा करने के लिए स्थिति बन गयी है। यदि कोई भी व्यक्ति शिकायत करेगा तो तीन साल की जेल होगी। तो मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में यह पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर जो बरडन है और जो पहले 4000 रखा गया था वह काफी पर्याप्त था। वेतन में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति यहां आयेगा तो पैसों के लिए यह तो उपयुक्त नहीं है। लोकायुक्त के नाते जनता के प्रति जो अपना कर्त्तव्य है उसके लिए जो प्रावधान हमने पहले रखा है वह उपयुक्त है और उसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि द्वितीय अनुसूची में जो संशोधन माननीय श्री खेतसिंह जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

द्वितीय अनुसूची में संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि द्वितीय अनुसूची संशोधन रूप में स्वीकार की जाये?

(स्वीकृत)

द्वितीय अनुसूची संशोधित रूप में स्वीकार की गयी।

ख० 1 अधिनियम ने सूत्र और नाम

श्री गुमानमल लोढ़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक के अन्दर यह संशोधन रखा है कि उप-लोकायुक्त के बारे में जो भी प्रावधान यहां पर इस विधेयक के अन्दर हैं उनको विलोपित कर दिया जाये। ये इस प्रकार है:—

उप-खंड (1) में से शब्द "तथा उप-लोकायुक्त" विलोपित किया जावे।

मुख्य शीर्षक

(1) मुख्य शीर्षक में से शब्द "तथा उप-लोकायुक्त" विलोपित कर दिया जावे व विधेयक में उप-लोकायुक्त संबंधित समस्त प्रावधान विलोपित कर दिये जावें।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक गरीब प्रदेश है और यहां की स्थिति को देखते हुए उप-लोकायुक्त का जो प्रावधान और रखा गया है लोकायुक्त के अलावा मैं समझता हूं कि वह न उपयोगी है और न उसका किसी प्रकार से लाभ ही होने वाला है। लोकायुक्त के अतिरिक्त जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बताया था पब्लिक ग्रीवान्सेज का हमारे पास सेक्टर है जिसमें ग्रीवान्सेज सुनी जाती हैं, क्लासीफिकेशन कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स हैं, इन्डियन पीनल कोड है, एन्टीकरप्शन एक्ट है—यह सारे प्रावधान हैं और इसमें भी यह प्रावधान है कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त उन मामलों की जांच करेंगे जो कि कई दूसरे स्थान पर या किसी और कानन के जरिये जिनकी जांच नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह है कि कोई केस प्रिवन्शन ऑफ करप्शन के अन्दर आया और उसमें प्रोसीक्यूट हो सकता है 161 में तो वह इन्डियन पीनल कोड या प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन में प्रोसीक्यूट करने के लिए वहां पर प्रावधान है और लोकायुक्त उसके बारेमें जांच करेगा। इसी प्रकार से अन्य क्लियर कट ऐसे केसेज हैं कि जिनके बारे में कानून बने हुए हैं उनके बारेमें लोकायुक्त जांच नहीं करेगा। फिर मैं समझता हूं कि लोकायुक्त ही काफी उपयुक्त है और उप-लोकायुक्त की कोई आवश्यकता नहीं है। दो व्यक्ति लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त दोनों के होने के कारण से फाइनेन्शल स्ट्रेन भी होगा स्टेट के ऊपर और दोनों में कनफ्लिक्ट भी होगा कि कौन से केस को लोकायुक्त और कौन से केसे को उप-लोकायुक्त लेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि लोकायुक्त ही नियुक्त किया जाय और उप-लोकायुक्त के बारे में जितने भी प्रावधान हैं वह सब इसमें से विलोपित किये जायें।

श्री अध्यक्ष: श्री निरंजननाथ आचार्य।

(अनुपस्थित)

श्रीमती कमला बेनीवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त ही सिर्फ रखा जाये और उप-लोकायुक्त को विलोपित किया जाये इस पर जो तर्क माननीय सदस्य ने दिया वह कार्य की सम्पन्नता को देखते हुए व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही नहीं उतरता। इसलिए कि इस विधेयक में स्वयं में धारा 7 के अन्दर स्पष्टरूप से लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त दोनों के अपने 2 कार्यक्षेत्र विभाजित हैं। इसलिए उन दोनों को अलग अलग रूप से अपने कार्य का सम्पादन करना होगा और उसके लिए जरूरी है कि लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त दोनों रखा जाय।

दूसरा सवाल यह है कि किसी कारण से लोकायुक्त अगर अपने कार्य में उपस्थित नहीं हो सके उस अवस्था में दूसरी कोई भी व्यवस्था सम्भव नहीं है और उसका प्रावधान नहीं किया जाये तो यह समस्त विधेयक की पूर्ति और लक्ष्य पूर्ण ही नहीं होता। इसलिए यह जरूरी है कि लोकायुक्त की अनुपस्थिति में उप-लोकायुक्त कार्य करें। उप-लोकायुक्त के अन्य तमाम कार्य उप-लोकायुक्त करेगा. लेकिन फिर भी उनके कार्य विभाजन को देखत हुए उनकी अनुपस्थिति में दूसरे अधिकारी का होना आवश्यक है इसलिए उप-लोकायुक्त का प्रावधान भी आवश्यक है। इसलिए इसको विलोपित नहीं किया जा सकता इसलिए इस क्लाज को यथा प्रस्तावित ही पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय श्री लोढ़ा ने खण्ड 1 में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और नाम स्वीकार किये।

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और नाम स्वीकार किये गये।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त बिल को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

श्री गुमानमल लोढ़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस जल्दबाजी के अन्दर इस विधेयक को पारित करवाने का प्रयास किया जा रहा है यद्यपि विधेयक की मूल भावना, विधेयक का उद्देश्य सराहनीय है, प्रशंसनीय है, इस कारण से मैं विधेयक की भावना और उद्देश्य का स्वागत करते हुए भी मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि जिस प्रकार से रिजिड एप्रोच सत्तारूढ़ दल के द्वारा की जा रही है अतः हम दिन को रात कहें या रात को दिन कहें—जो हमने कह दिया, हमारी ग्रुप मेजोरिटी है उसके द्वारा हम पारित करवा लेंगे। मैं समझता हूं कि जनतंत्रीय परम्परा के अन्दर यद्यपि यह किया जा सकता है लेकिन इससे कोई कनवेन्शन नहीं ले सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक के पहले एक ऑर्डिनेन्स लाया गया। मैं जानना चाहूंगा मुख्य मन्त्रीजी से आज और पोइन्टेडली जानना चाहूंगा कि यदि उस ऑर्डिनेन्स के लाने के बाद के अन्दर लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? जब विधान सभा बुलाई जाने वाली थी और उसको बुलाने का कार्य वे स्वयं करते थे, यह उनका कार्य है, वे इस बात को जानते थे तो फिर यह जिस शोर शराबे के साथ में जनता के अन्दर यह कहा गया कि राज्यपाल ने आर्टिकल 213 की इमर्जेन्सी पावर के अधिकारों का प्रयोग करके राजस्थान की जनता के लिए, यह भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए इस ऑर्डिनेन्स को निकाला है और जब इस प्रकार इमर्जेंसी पावर्स का प्रयोग किया गया तो अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं की गई और विधान सभा आ गई? आज तक लोकायुक्त की नियुक्ति का अनाउन्समेंट नहीं किया गया। मैं जानना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि क्या प्रचार के अतिरिक्त कोई अभिप्राय, किसी प्रकार का अभिप्राय, इस ऑर्डिनेन्स को लाने का था? मैं इस बात में अभी जाना नहीं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन थे और उसी समय में इसे लाया गया, किस विशेष उद्देश्य से लाया गया, लेकिन इसको कहने को इसलिए बाध्य होना पड़ता है कि कोई रीजनिंग, कोई प्रीटेक्स्ट भी है क्या कि जिससे ऑर्डिनेन्स लाया गया, और यदि आर्डिनेन्स लाया गया और यदि हमारी राज्य सरकार समझती थी कि यह इतना आवश्यक है कि पच्चीस साल या चौईस साल तक जो कुछ किया गया उसको एकदम से ऑर्डिनेन्स लाकर लोकायुक्त की नियुक्ति कर उसको धो देंगे। ऑर्डिनेन्स लाने के बाद में और इस एक्ट की अवधि तक आज तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करना क्या बताता है? आज तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई, न विरोधी दल के किसी व्यक्ति को बुलाया गया, न किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई, न नियम बनाए गए। मैं जानना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि क्या हम वास्तव में भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं या भ्रष्टाचार को समाप्त करने का एक ढकोसला मात्र करना

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

चाहते हैं राजस्थान के अन्दर। यदि हम ढकोसला नहीं करना चाहते हैं तो कोई कारण नहीं कि आर्डिनेन्स लाने के बाद आज तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की जाय। यह एक स्पष्ट प्रश्न है, जिस प्रशन का उत्तर मैं चाहूंगा कि लोकायुक्त करने का कोई कदम नहीं उठाना, और कोई भी कार्यवाही नहीं करना, रूल्स नहीं बनाना, विरोधी दल के किसी व्यक्ति को नहीं बुलाना और केवल लोकायुक्त की नियुक्ति का आर्डिनेन्स जनता के सामने रख देना कि आर्डिनेन्स ले आए हैं, क्या सिद्ध करता है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम कभी भी व्यक्ति विशेष पर, किसी पर आरोप नहीं लगाते कि वह भ्रष्ट है न मैं आज इस सदन के इस वातावरण में किसी प्रकार का आरोप लगाना चाहता हूं लेकिन मुझे एक बात अवश्य खटकती है और मैं यह कहना चाहूंगा, मैं यह तो नहीं कहता कि यह शासन सुखाड़िया शासन से अधिक भ्रष्ट है, मैं यह नहीं कहता, न मैं यह फील करता हूं, न मेरा यह कन्वीक्शन है लेकिन एक बात अवश्य है कि सुखाड़िया शासन के अन्दर कम से कम उस आदमी ने उस मुख्य मन्त्री ने नाथद्वारा कमीशन का निर्माण करवाया। अपने खिलाफ आरोप लगाने पर तीन साल की सजा की तलवार नहीं लटकाई। किसी प्रकार से आरोप झूठे साबित हों तो तीन साल की सजा और जुर्माने की रकम लेकर सुखाड़ियाजी भेंट की जायेगी, यह नहीं किया। इस प्रकार का डिटरेंट प्रोवीजन, इस प्रकार का प्रोवीजन जिसकी वजह से गहन आतंक पैदा हो, टैरर क्रियेट करने की कोशिश, भय का वातावरण पैदा करना, यदि लोकायुक्त के पास आए तो खबरदार पहले सचेत होकर आना, तुम्हारी शिकायत झूठी निकली तो जेल की सीखचों में डाल दिए जाओगे, तीन साल की सजा होगी और उसके साथ जुर्माना वसूल होगा और जुर्माना लेकर उस अधिकारी और मन्त्री को दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं और बात ठीक भी है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत न हो, किसी राज्य कर्मचारी के खिलाफ चाहे छोटा हो या मोटा हो, सचिव हो या एल.डी.सी. हो, झूठी शिकायत नहीं की जानी चाहिए और इसके लिए इण्डियन पीनल कोड में प्रावधान है, 182 के तहत किसी भी पब्लिक सर्वेंट को गलत इन्फार्मेशन देने पर कार्यवाही की जा सकती है। फिर ऐसी क्या आवश्यकता थी कि आपने यह प्रोवीजन इसमें किया ? मैं महाराष्ट्र और राजस्थान का कम्पेरिजन नहीं करना चाहता। राजस्थान मेरा है, मैं यहां का जाया जन्मा हूं, मैं नहीं चाहता कि इस सदन के स्थल पर किसी प्रकार की कोई बात कहूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि इसे महाराष्ट्र के कानून के पैटर्न पर कानून बनाया है। मैं आपसे कहता हूं कि इसमें कई प्रावधान महाराष्ट्र के कानून के हैं लेकिन मैं सब्जेक्ट टू दी करेक्शन हूं, महाराष्ट्र के कानून के पैटर्न के ऊपर कानून बानया तो इसमें आपने दो चैंजेंज किए हैं, दो आल्ट्रेशन किए हैं और दोनों ही आल्ट्रेशन प्रतिगामी हैं, दोनों ही आल्ट्रेशन ऐसे हैं कि जिसके द्वारा भ्रष्टाचार मिटाने की बात वह खोखलापन, उसका ढकोसलापन, वह ढोंग उभर कर उजागर हो जाता है।

पहला तो आपने यह किया कि पब्लिक प्रीवेंसेज के बारे में माल-एडमिनिस्ट्रेशन, डिले के बारे में जो प्रोवीजन है इसमें आपने फर्क कर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
दिया । मैं इस बारे में अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता ।

दूसरा आपने यह किया कि जो महा ट्र सरकार ने उचित नहीं समझा । वहां पर पैनल पनिशमेंट का, ड्रास्टिक पनिशमेंट का, तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रोवीजन और उसमें भी यह कि मामला झूठा साबित होने पर उस अधिकारी और मन्त्री को सरकार अमाउन्ट देगी, it is adding insult to the injury. यह जले हुए घाव पर नमक छिड़कने वाली बात है । जुर्माना ही नहीं होगा, सजा होगी और राज्य सरकार उन मन्त्रियों को सारा खर्चा देगी कि वह आगे जाकर फाल्स कम्पलेनेन्ट को प्रोसीक्यूट करे । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आवश्यकता थी इसकी ? आज आप अपने हृदय पर हाथ रख कर सोचें । मुझे खुशी है कि भ्रष्टाचार मिटाने के मसिहा बनकर राजस्थान में कहने के लिए आप आगे आए हैं । मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपने कुछ कदम उठाए हैं इस दिशा में, यह अलग बात है कि वह पर्याप्त है या अपर्याप्त है । मुझे इस बात की खुशी है कि आपने अपने कार्यालय में विजिलेंस सेक्शन रखा है लेकिन इन सब खुशियों पर तुषारापात करने के लिए आपने राजस्थान की जनता के ऊपर यह लटकती हुई तलवार, डैमोकल सोर्ड लटका दी, कोई इस तलवार के पास मत आओ, खबरदार लोकायुक्त के पास आए, और तुम्हारी बात साबित नहीं हो सकी तो तुम्हें सजा हो जायेगी । मैं एक प्रश्न और. . .

श्री यशवन्तसिंह नाहर: मेरी एक आपत्ति है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा this argument has been advanced and repeated a number of times.

श्री अध्यक्ष: कृपया दोहराए नहीं ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: My objection is that repetition of arguments should be discontinued.

श्री अध्यक्ष: जो कुछ कह चुके हैं उसको कृपया दोहराए नहीं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा: मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि तीन साल का प्रावधान इसके लिए भी कर दें ताकि दुबारा सुनने का अवसर न आए । मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह बात तो सर्वविदित है कि हमारे नये मन्त्रिमन्डल ने शपथ ली, नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ तो केन्द्र से, प्रदेश के सब स्थानों पर एक बात की घोषणा की गई कि पहले जो मन्त्रिमन्डल था उस मन्त्रिमण्डल के अन्दर कुछ व्यक्ति भ्रष्ट थे । मैं सब की नहीं कहता, उसका इमेज खराब था, जनता के अन्दर उसका प्रतिबिम्ब, उसके बारे में भावनाएं इस प्रकार की थीं कि वह मन्त्रिमण्डल भ्रष्ट है । उसके बारे में बहुत कुछ हुआ और उसके साथ में यह घोषणा की गई कि अब कम से कम भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा । अभी तक जो कुछ हुआ, जो मन्त्रिमण्डल में लोग थे और उनकी छंटनी की गई यह कह कर कि दागेल और बेदाग, नापाक और पाक की छंटनी कर दी गई । स्याह को सफेद कर दिया गया । इसके बाद में यदि आज आकर के मुख्य मन्त्री आप यह साबित करें कि इन सब के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले साबित नहीं हो सकेंगे । साबित करने के लिए तो, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपको कहा, मुझे क्षमा करेंगे दोहराने के लिए कि सरे आम दिन के उजाले में कत्ल होता है तो भी उस कत्ल को साबित करने में आप जानते हैं किस प्रकार की दुविधा होती है । साबित करना

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
इतना आसान नहीं। इस कारण से यह कह देना कि किसी भी व्यक्ति को तीन साल की सजा होगी यदि शिकायत दुर्भावना पूर्ण तरीके से की गई हो, It defeats the whole purpose of the Bill. इससे इसकी भावना समाप्त हो जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो यह प्रोवीजन जो उन्होंने किया है इसके कारण से इस विधेयक को बना करके जो अच्छी शुरुआत करके एक जज्बात को रखा जनता के सामने, लेकिन वह इससे समाप्त कर दिया।

दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी रिकमण्डेशन को राज्य सरकार रद्दी की टोकरी में डाल सकती है, यह डिस्क्रीशन, यह मनमानापन, यह तानाशाही, यह सख्ती राज्य सरकार को दे कर के लोकायुक्त के पद को हमेशा के लिए केवल एक शोभनीय पद रख दिया गया है इसमें यह नहीं कहा गया है कि उसकी जो रिकमन्डेशन है उस पर कार्यवाही करेंगे.....

श्री अध्यक्ष: मैं आपको रोकना नहीं चाहता। मैं इतना ही आपको ध्यान दिलाता हूं कि थर्ड रीडिंग पर वे ही मुद्दे उठाये जाते हैं जो कि पहले नहीं उठाये गये हों। जारी रखिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा: मैं सारे मुद्दे उठा चुका हूं। मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। मैं यह जानता हूं कि मेरे सामने प्रचण्ड बहुमत है, और वह प्रचण्ड बहुमत तर्क को छोड़कर, भावनाओं को कुचलकर, न्याय को तिलांजली देकर ऐन केन प्राकरेण जो यह काला प्रोवीजन है ऐसे कानून के अंदर उसको पास करवाने के लिए संकल्प है। इसलिये मैं कहूंगा कि वे पारित करवायें और पारित करवाने में मैं भी आपके साथ हूं और साथ रहूंगा, विरोध में नहीं रहूंगा, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो मेरी टीस थी, दर्द था और हृदय में शोले थे उसको निवेदन करने के लिए मैंने यह कुत्सित प्रयास किया है, धृष्टता की है। मैं चाहूंगा कि आप इसके लिए मुझे क्षमा करें।

श्री भानुकुमार शास्त्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं। जिस सद्भावना के साथ यह बिल बनाया गया है और उसमें कुछ प्रावधान रखकर उसको इतना कठिन बनाया गया है कि मैं समझता हूं कि कोई भी शिकायत करने वाला नहीं आयेगा। यह सब ठीक है जो आप कहते हैं कि इसमें यह आइडिया है कि जो दुर्भावनापूर्ण होगा उसको किया जायगा, जो दुर्भावनापूर्ण नहीं होगा उसको नहीं किया जायगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसमें तीन साल की सजा उसको दी जायगी जिसकी शिकायत झूठी साबित हो जायगी और जिसके खिलाफ शिकायत की है उसको आप सारा खर्चा देंगे और राजकीय व्यय से उस पर दावा होगा। यह एक एमेंडमेंट इस कानून के अंदर लाया गया और उसको पास करके मैं समझता हूं कि इस कानून को खोखला बनाया गया है। मैं समझता हूं कि इस एमेंडमेंट को वापिस ले लेते तो ठीक होता। नाथद्वारा की एन्क्वायरी हमारी साबित नहीं हुई तो उसके बाद किसी को परेशान करने के लिए उस पर दावा राजकीय कोष से होगा बजाय इसके कि कम्प्लेनेंट जो कि शिकायत लेकर आता है उसमें प्राइमा फेसी देख लिया तो उसको राजकीय सहायता मिले व मिलना चाहिए। यदि उनको प्रोटेक्शन मिला जो कि भ्रष्ट आचरण

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

वाले हैं या जिन पर भ्रष्ट आचरण का आरोप है और बजाय इसके कि कोई उनके खिलाफ शिकायत ले कर आता है उसको प्रोटेक्शन देने के तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कमीशन, लोकायुक्त के पास कोई शिकायत लेकर नहीं आयेगा। मुझे भी मालूम हुआ है कि आपका स्कूटर काण्ड हुआ है उसमें जो मर्डरर हैं जिन पर आरोप था पुलिस को वह एडवोकेट मिला, लेकिन जनता को एडवोकेट नहीं मिला। जनता कहां से पैसा लायेगी? इस भय के कारण कोई शिकायत नहीं आयेगी। यह कानून वैसे का वैसा रह जायगा। सद्भावनापूर्ण बने हुए एक अच्छे कानून में एक एमेंडमेंट रखकर, राजकीय पैसा देकर और जेल की सजा की अवधि रखकर, क्रिमिनल ऑफेन्स में पकड़ा जाय और 5 साल की अवधि को रखकर इस बिल की आत्मा को समाप्त किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आज भी अवसर है कि आप इस एमेंडमेंट को वापिस ले लें।

श्री केदारनाथ: अध्यक्ष महोदय, मैं एक शब्द ही कहना चाहता हूं कि इस बिल के जो रीजन्स एण्ड ऑब्जक्ट्स हैं उसमें आपने यह दिया है कि सेन्स ऑफ कॉन्फीडेन्स पैदा करेंगे तो आप उन लफ्जों को वापिस लेलें। आपने यह कहा है कि इससे सेन्स ऑफ कॉन्फीडेन्स और सोशियल क्लाइमेंट पैदा होगी और जो चीज 15-20 साल से कामन आदमी के दिमाग में थी वह समाप्त होगी तो Corruption is writ large on the walls of Rajasthan. इसलिये यह लफ्ज वापिस लेलें। बाकी की बातों को मैं मानता हूं। हम अपना लाजिक सेन्स और एलोक्वेन्स क्यों वेस्ट करें? बाकी की बातें ठीक हैं।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा अगर मैं यह कहूं कि कुछ मित्रों को ग्लास आधा खाली नजर आता है और कुछ लोगों को आधा ग्लास भरा नजर आता है। दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं। बहुत सी जगह पर कांग्रेस की सरकारें नहीं बनी थीं वहां पर भी यही आरोप लग रहा है, लेकिन सुखाड़ियाजी की हिम्मत थी जिन्होंने कमीशन मांगा। यह उनकी उदारता थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट के अंदर कुछ लोगों के लिए साफ कहा गया था कि उन्होंने फोर्जरी की है, उसके बाद भी सुखाड़िया साहब ने उन पर मुकद्दमा नहीं चलाया। मेरे खिलाफ भी हाई कोर्ट के अंदर कुछ एफिडेविट दिये गये थे और उन पर डिसकशन करने के बाद जजमेंट हुआ तो शायद मैं भी उन एफिडेविट का जो कि मेरे खिलाफ दिये गये थे इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन हम लोग कोई विन्डीकेशन बनाना नहीं चाहते।

दूसरी चीज मैं अर्ज करना चाहता हूं। मैं दावे और चेलेन्ज के साथ कहता हूं कि मैंने या मेरे साथियों ने जिनको टिकट नहीं मिला या केबिनेट में नहीं आये उनके लिए न तो यह कहा कि करप्ट थे न आज कहता हूं न मैंने यह कहा कि बेइमान हैं और न आज कहता हूं। मैंने यही कहा और आज भी कहता हूं कि छोटी गवर्नमेंट बनाना चाहता था, बड़ी गवर्नमेंट जब बनी तब लांछन लगाया गया था कि बहुत बड़ी गवर्नमेंट बन गई, छोटी गवर्नमेंट बने, तो मजबूरन कुछ दोस्तों को छोड़ना पड़ा, लेकिन उन दोस्तों को छोड़ा तो राजी खुशी नहीं छोड़ा, मजबूरन उनको छोड़ना पड़ा ताकि छोटी गवर्नमेंट बनाकर राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट चलाकर बता सकता हूं।

(श्री बरकतुल्लाह खां)

मैं घिसे हुए रेकार्ड की तरह बारबार वही जवाब नहीं देना चाहता हूं जो कि दे चुका हूं, लेकिन मजबूर किया जा रहा हूं कि वही जवाब दूं। इसके अंदर यह सोचना कि कोई शिकायत नहीं करेगा। यह तो उस वक्त होता जब कि जैसा कि मैंने कहा उसके ऊपर यह हो जाता कि चाहे मेलिशस हो या नहीं उसके ऊपर मुकद्दमा चला दिया जायगा। यहां पर वही रिपीट कर रहा हूं क्योंकि वही आर्ग्यमेंट आया है। इसलिये पहले तो यह रखा है कि लोकायुक्त जो है वह आज्ञा दे कि अगर एप्लीकेशन में कुछ सफिशियन्ट तथ्य है या उससे बोना फाइड मिस्टेक हो गई है तो जिसको इतनी बड़ी जगह पर हम ले रहे हैं और मिनिस्टर और सेक्रेटरीज के ऊपर एन्क्वायरी करके एक तरीके से प्राइमा फेसी केस एस्टेब्लिश करेगा तो जब हमारे खिलाफ फैसला दे तब तो वह सही है लेकिन यह फैसला दे दे कि फलां आदमी ने जानबूझकर अपनी महनत करके झूठ को सच करना चाहा और जो साबित नहीं हो पाया और वह झूठ ही था, लेकिन उसने डेलिब्रेटली उसको सच करना चाहा तो उस वक्त वह गलत हो जायगा। इतने बड़े आदमी को जिसके बारे में जिक्र चल रहा था कि रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सर्विंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट की है सियत के आदमी को लेकर बिठायें तो इन सब आर्युमेंट्स और इन तर्कों को देखेंगे और एस्टीमेट करेंगे तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे न हम ब्रूट मेजोरिटी को इस्तेमाल करना चाहते हैं और न हमने कभी ब्रूट मजोरिटी का इस्तेमाल किया है। इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सब को मालूम होना चाहिए कि आज हमारी कांग्रेस कान्टीन्युअस गवर्नमेंट चला रही है राजस्थान के अंदर-दूसरी जगहों पर बीच के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं चली थी—अगर यह परम्परा आपने खोली तो यह समझ लीजियेगा कि जो आपके साथी दूसरे प्रान्तों में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ भी झूठी शिकायतें आयेंगी। उनकी इमेज टारनिश की जायेगी। तो अगर उसका आपका प्रोग्राम हो तो कम से कम मैं उसमें शरीक होने को तैयार नहीं हूं। अगर हम करने की तैयारी में नहीं होते तो यह ऑर्डिनेन्स नहीं निकलता, लेकिन हमने असम्बली के बुलाने के पहले यह ऑर्डिनेन्स निकाला, और ऑर्डिनेन्स निकाला तो इसलिये कि आम लोगों में इसकी चर्चा हो, आम लोग इस पर सोचेंगे, इस पर बहस करेंगे। इस पर बहस का समय मिला आपको और हमारी पार्टी को भी समय मिला, और उसके अंदर सुझाव एक दूसरे के ले सकें तो इससे अच्छा मौका और हो नहीं सकता, और पब्लिसिटी के लिए निकालना चाहते तो भी निकाल सकते थे। पब्लिसीटी के लिए नहीं काम करने के लिए निकालना चाहते हैं, और काम करने के लिए और हम क्या कर सकते कि पूरी केबिनेट, चीफ मिनिस्टर को छोड़कर, सब की गर्दन लोकायुक्त के हाथ में हो गई, और चीफ मिनिस्टर की गर्दन जब तक लोकपाल नहीं बनता है उस वक्त तक प्रेसीडेन्ट के हाथ में होगी। लेकिन यह भी बात सही है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये पूरे समाज के अंदर परिवर्तन होगा, पूरे समाज के लोगों को एक दूसरों का साथ देना पड़ेगा। हम एक दूसरे को सर्मन प्रीच नहीं कर सकते। मैं आपको सर्मन प्रीच नहीं कर सकता, आप मुझे सर्मन प्रीच नहीं कर सकते। यह देश हमारा है और इस देश के अंदर आपको और हमको रहना है, हमारे बच्चे इसके अंदर रहने वाले हैं, इस जमीन के ऊपर हमें रहना है। इसलिये

(श्री बरकतुल्ला खां)

एसी चीज जो अच्छी हो रही उसको इस तरीके से इन्टरप्रेट नहीं किया जाय। यह ठीक है, अगर आप कम्प्लेन्ट कर देंगे तो उसके अंदर, जैसी कि एक कहावत है, हिन्दी में उसका तर्जुमा होगा, 'चारे में दो चुटकी चारा और डाल दिया जाये तो वह सारी चीज मिक्सअप हो जाती है'। इसी प्रकार से गलत एप्लीकेशन और सही एप्लीकेशन दोनों की दोनों मिक्सअप होगी, तो यह दिमाग में आ सकता है कि लोकायुक्त सही काम नहीं करता है। यह दिमाग में आ सकता है कि सही काम नहीं करता है। तो पहली चीज तो यह है कि जो इस स्टेट्स का आदमी है तो क्या वह यह नहीं कर सकेगा, इतना भी नहीं कर सके। तो जहां पर लोगों ने कहा, लोगों पर ट्रस्ट करके चले हैं। इसलिये अगर किसी पर मुकदमा चलाया जायगा तो परमीशन देकर मुकदमा चलाया जायेगा। वह नहीं देंगे तो किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जायेगा। अब कोई भी माननीय सदस्य यह समझ सकते हैं कि लोकायुक्त की रिपोर्ट आये, गवर्नर की रिपोर्ट आये तो हमारी ड्यूटी हो जायेगी कि हम एक्शन लें। अगर नहीं लेंगे, तो यह हो नहीं सकता है। अगर हम बेईमान हैं तो बेईमानी साबित होनी चाहिए। अगर हम ईमानदार हैं तो ईमानदारी साबित होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। फिर एक दफा मैं कहता हूं कि मेजोरिटी के बल पर नहीं ला रहे हैं यह बिल, और न लाना चाहते हैं। यह इसलिये कि राजस्थान में एक वातावरण बन गया था उस वातावरण को तोड़ने के लिए यह भी एक कदम है, आखरी नहीं है। यह भी एक कदम है। आज सोशल चेंज की जरूरत है। जो आज रूढ़िवादिता आ रही है, उसको मिटाना जरूरी है। हम आज एक ऐसे इतिहास से गुजर रहे हैं। तो, माननीय अध्यक्ष, मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को पास करें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त विधेयक, 1973 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 2-3-73 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9 बज कर 5 मिनट पर शुक्रवार, दि० 2 मार्च, 73 के 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सके

तारांकित प्रश्नोत्तर

मावली तहसील में राहत कार्य

230. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

मावली तहसील, जिला उदयपुर में अब तक कितने राहत कार्य आरम्भ किए जा चुके हैं और प्रत्यक राहत कार्य पर कितनी संख्या में मजदूर काम कर रहे हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

तहसील मावली में जो राहत कार्य चल रहे हैं उनकी सूची मय श्रमिकों की संख्या के संलग्न है।

सूची राहत कार्य जो तहसील मावली में चल रहे हैं

क्र.सं.	नाम अभिकरण	नाम कार्य	श्रमिकों की संख्या
	सार्वजनिक निर्माण विभाग	कुतवास-अमरपुरा से फतेहनगर रोड	588
	"	फतेहनगर-रेलमगरा रोड	509
	"	गुड़ली-खोमला-थामला रोड	928
4.	सिंचाई विभाग	बासनी	60
5.	"	नउवा	81
6.	"	सालेरा	291
7.	"	राडी	40
8.	"	जीवाना	20
9.	भू-संरक्षण	पलाना	100
10.	"	सबानीया	80
11.	"	ओरडी	75
		योग ..	2,772

Page No. 171

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का स्टाफ

231. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट) में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी किन किन पदों पर किन किन स्थानों (नगरों व शहरों) में नियुक्त हैं ? पूर्ण विवरण देते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार उपरोक्त स्टाफ के कार्य की महत्ता को देखते हुए अपर्याप्त नहीं समझती ? यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त कमी की पूर्ति के लिए क्या कदम उठा रही है ?

(3) क्या राज्य सरकार प्रत्येक जिले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का कार्यालय डिप्टी सुपरिण्टेनडेन्ट, पुलिस के पद के व्यक्ति को नियुक्ति कर स्थापित करना उचित समझती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(4) क्या उक्त विभाग में अधिकारी एवं कर्मचारी उनकी ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के कारण नियुक्त किये जाते हैं ? यदि हां, तो उसके लिए क्या मापदण्ड अपनाया जाता है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये जा चुके हैं एवं एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व अन्य स्टाफ की स्वीकृति जारी कर दी गई है। और स्टाफ बढ़ाने के लिये कार्यवाही विचाराधीन है।

(3) इस सम्बन्ध में मामला विचाराधीन है।

(4) जी हां, यथासम्भव भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में सुयोग्य व्यक्तियों को उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

सूची

क.सं. नाम कार्यालय व चौकी	स्वीकृत डी० आई० जी०	नफरी एस० पी०	एडीशनल एस० पी०	डीवाई० एस० पी०	पी० आई०	एस० आई०	एच० सी०	कॉन्स्टेबल	मण्डल जो चौकी के क्षेत्र हैं
1. मुख्यालय	1	1	1	4	2	—	14	29	
2. जयपुर नगर	—	—	1	—	—	1	1	4	जयपुर नगर केवल
3. जयपुर देहात	—	—	—	1	—	1	1	4	जयपुर नगर को छोड़ कर मण्डल, जयपुर
4. अजमेर	—	—	—	1	1	1	1	6	1. अजमेर 2. भीलवाड़ा
5. जोधपुर	—	—	1	—	1	1	1	6	1. जोधपुर 2. जैसलमेर 3. बाड़मेर
6. बीकानेर	—	—	—	1	1	1	1	6	1. बीकानेर 2. नागौर
7. उदयपुर	—	—	1	—	—	1	1	4	1. उदयपुर 2. डूंगरपुर 3. बांसवाड़ा 4. चित्तौड़गढ़
8. कोटा	—	—	1	—	1	1	1	6	1. कोटा 2. बूंदी 3. झालावाड़
9. भरतपुर	—	—	1	—	—	1	1	4	1. भरतपुर 2. अलवर
10. गंगानगर	—	—	1	—	—	1	1	4	गंगानगर
11. टोंक	—	—	—	1	—	1	1	4	1. टोंक 2. सवाई माधोपुर
12. झुन्झुनू	—	—	—	1	—	1	1	4	1. झुन्झुनू 2. सीकर 3. चूरू
13. पाली	—	—	—	1	—	1	1	4	1. पाली 2. सिरोही 3. जालौर

नोट:—15 कॉन्स्टेबल ड्राईवर हैं जिनमें 12 कान्स्टे० ड्राईवर चौकियों पर एवं 3 कान्स्टे० ड्राईवर मुख्यालय पर हैं।

राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन करने हेतु राजकीय नीति

232. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल, जयपुर)

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राजस्थान में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने क्या कोई नीति बना रखी है ?

(2) क्या सरकार ब्यावर और नीम का थाना में सीमेन्ट का कारखाना लगवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

(3) क्या सरकार मोरीजा में एक छोटा स्टील प्लान्ट लगवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो किस कारण से ?

(4) क्या सरकार राज्य में खाद का कारखाना लगाने के बारे में भी सोचती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) अब तक सरकार को कितने उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेन्स मिल चुके हैं ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें तथा इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

(6) राज्य सरकार ने जयपुर की विश्वकर्मा औद्योगिक बस्ती के लिए कोई सुविधाएं प्रदान की हैं ? यदि हां, तो वे क्या क्या हैं ?

(7) क्या उद्योगों द्वारा कच्चा माल मंगवाने पर ऑक्ट्रॉय देनी होती है ? यदि हां, तो, क्या यह उचित है ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ब्यावर में सरकार सीमेन्ट का कारखाना लगाने का कोई विचार नहीं रखती। नीम-का-थाना में सीमेन्ट के कारखाने के लिए राजस्थान उद्योग एवम् खनिज विकास निगम ने एक प्रार्थना-पत्र भारत सरकार को भेजा है, जिसकी राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई। आवेदन-पत्र केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। राजस्थान राज्य उद्योग व खनिज विकास निगम द्वारा एक छोटा स्टील प्लांट राजस्थान में संयुक्त क्षेत्र में लगाया जावेगा, जिसके लिए अभी तक स्थान का चयन नहीं हुआ है।

(4) जी हां।

(5) अब तक सरकार को 16 उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेन्स मिल चुके हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमें की गई प्रगति का भी वर्णन है।

(6) जी हां:-

1. सड़क, पानी तथा बिजली की व्यवस्था।

2. एक पोस्ट ऑफिस स्थापित किया जा चुका है।

3. टेलीफोन लाइन डाली जा चुकी है जिससे टेलीफोन वालों को शीघ्र ही कनेक्शन दे दिये जावेंगे।

4. बैंक सुविधा प्रदान करने के लिये राजस्थान बैंक को (ए) टाईप-शॉप

(उद्योग मंत्री)

कम –रेजीडेन्शियल फ्लेट का अलॉट-मेन्ट कर दिया गया है ।

(7) नये उद्योगों तथा पुराने उद्योगों को विस्तार हेतु, स्थापना अथवा विस्तार की तिथि से सात वर्ष तक ऑक्ट्रॉय नहीं देनी होती ।

अनुसूचित जाति व जनजाति की सहकारी समितियों को गृह नि णि हेतु बिना ब्याज दी गई धनराशि

233. **श्री शंकरलाल** (पाली): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान के किन-किन जिलों में अनुसूचित जाति व जनजाति की किन-किन सहकारी समितियों को गृह निर्माण हेतु राजस्थान हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी से बिना ब्याज रकम प्राप्ति के लिए प्रत्येक सदस्य तीन सौ रुपये शेयर मनी के अनुदान के रूप में दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इस रकम का अलॉटमेन्ट किस आधार पर कब-कब किया गया और उपयोगिता के क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) इस रकम का अलॉटमेन्ट दी राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी लि०, जयपुर द्वारा ऋण स्वीकृत करने के पश्चात् ही समितियों को 300) रुपया प्रति सदस्य की दर से हिस्सा पूंजी के लिए अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाता है । स्वीकृत राशि की तिथियों की सूचना सूची के कॉलम नम्बर 6 में अंकित है ।

परिशिष्ट (अ)

क्र० सं०	जिला	नाम समिति	सदस्य संख्या	स्वीकृत राशि	तिथि
1	2	3	4	5	6
1	जयपुर	गृह निर्माण सहकारी समिति, सिरसी,	21	6300	25-11-72
2	,,	,, ,, तुंगा	74	22200	,,
3	,,	,, ,, बिलवाड़ी	44	13200	,,
4	,,	,, ,, बगैदिया	39	11700	,,
5	,,	,, ,, निमेड़ा	18	5400	16-12-72
6	,,	,, ,, हसनपुरा	117	35100	,,
7	,,	,, ,, वासड़ी खुर्द	22	6600	,,
8	,,	,, ,, विराटनगर (वैराट)	54	16200	,,
9	,,	,, ,, मनोहरपुर	75	22500	,,
10	,,	,, ,, भसवाड़ा	30	9000	,,

Page No. 175

1	2	3		4	5	6
11	जयपुर गृह.नि.स.समिति		जयसिंहपुरा	31	9300	16-12-72
12	,,	,, ,,	ढाणी बैराट	23	6900	18-1-73
13	,,	,, ,,	वाटिका	23	6900	,,
14	,,	,, ,,	नवभारत	29	8700	,,
15	,,	,, ,,	चावण्ड कामड	30	9000	,,
16	,,	,, ,,	लवाण	32	9600	,,
17	,,	,, ,,	दलपतपुरा	24	7200	,,
18	,,	,, ,,	रावसर	28	8400	21-2-73
19	,,	,, ,,	रिक्शा	18	5400	,,
20	,,	,, ,,	रूपवास	49	14700	,,
21	,,	,, ,,	बूजगढ़	29	8700	,,
22	,,	,, ,,	नानन	22	6600	,,
23	,,	,, ,,	मण्डावरी	42	12600	,,
24	,,	,, ,,	लालासर	25	7500	,,
25	,,	,, ,,	जलालपुर	62	18600	,,
26	,,	,, ,,	रूपवास	43	12900	,,
27	,,	,, ,,	मदरामपुरा	47	14100	,,
28	,,	,, ,,	नागतलाई	16	4800	,,
29	,,	,, ,,	नाटाणियों का बाग	43	12900	,,
30	,,	,, ,,	बन्ना की बगीची	33	9900	,,
31	,,	,, ,,	बस्ती नायकान	36	10800	,,
32	,,	,, ,,	हसनपुरा	69	20700	,,
33	,,	,, ,,	बस्ती सीतारामपुरा	83	24900	,,
34	सीकर	,, ,,	सिहाना	32	9600	16-12-72
35	,,	,, ,,	पालड़ी	26	7800	,,
36	,,	,, ,,	रामपुरा	21	6300	,,
37	,,	,, ,,	काशीकावास	18	5400	,,
38	,,	,, ,,	पीपराली	28	8400	,,
39	,,	,, ,,	लालसी	42	12600	,,
40	,,	,, ,,	चांदपुरा	18	5400	,,
41	,,	,, ,,	बसाना	10	3000	18-1-73
42	,,	,, ,,	स्वेदवड़ी	49	14700	21-2-73

1	2	3		4	5	6
43	सीकर	गृ.नि.स.समिति,	नानवां	20	6000	21-2-73
44	,,	,, ,,	गुहला	25	7500	,,
45	,,	,, ,,	पलसाना	18	5700	,,
46	,,	,, ,,	साखू	29	8700	,,
47	,,	,, ,,	ताजसर	10	3000	,,
48	,,	, ,,	सिटोट	17	5100	,,
49	,,	,, ,,	नितेड़वास	11	3300	,,
50	,,	,, ,,	चैनपुरा	36	10800	,,
51	,,	,, ,,	मिर्जावास	30	9000	,,
52	,,	,, ,,	दौंद	32	9600	,,
53	,,	,, ,,	सकराई	19	5700	,,
54	कोटा	,, ,,	कवरावटा	55	16500	16-12-72
55	,,	,, ,,	अन्ता	36	10800	,,
56	झालावाड़	,, ,,	गंगधार	27	8100	5-9-72
57	,,	,, ,,	चौमहला	56	16800	,,
58	,,	,, ,,	चैचरानी	22	6600	11-12-72
59	,,	,, ,,	गवात	17	5100	,,
60	,,	,, ,,	वेलाखेड़ा	27	8100	,,
61	,,	,, ,,	वेलूखेड़ा	21	6300	,,
62	,,	,, ,,	ताईकेड़ा	21	6300	,,
63	भरतपुर	,, ,,	बयाना	43	12900	4-10-72
64	,,	,, ,,	नगर	19	5700	,,
65	अलवर	,, ,,	तिजारा	62	18600	,,
66	,,	,, ,,	शाहबाद	58	15700	,,
67	,,	,, ,,	रिवाली	26	7800	18-1-73
68	,,	,, ,,	दहनी	25	7500	,,
69	सवाई माधोपुर	,, ,,	नागलशेरपुर	20	6000	9-11-72
70	,,	,, ,,	छोटी उदई	25	7500	,,
71	टोंक	,, ,,	टोड़ली	22	6600	5-9-72
72	,,	,, ,,	मालपुरा	75	22500	21-2-73
73	,,	,, ,,	टोंक मोती बाग	35	10500	21-11-72
74	,,	,, ,,	रघुनाथ	60	18000	21-2-73
75	,,	,, ,,	टोंक	37	11100	,,

1	2			3	4	5	6
76	टोंक	गृ.नि.स.समिति		अलीगढ़	30	9000	21-11-72
77	नागौर	,,	,,	लाडनूं	25	7500	16-11-72
78	,,	,,	,,	कुडलू	25	7500	,,
79	अजमेर	,,	,,	नवल	50	15000	30-9-72
80	,,	,,	,,	राजेन्द्र	40	12000	,,
81	,,	,,	,,	आनन्दपुरी	39	11700	,,
82	,,	,,	,,	गांधीनगर किशनगढ़	24	7200	,,
83	,,	,,	,,	देलवाड़ा	36	10800	,,
84	झुन्झुनू	,,	,,	जटवाली	25	7500	21-2-73
85	,,	,,	,,	नवलगढ़	35	10500	,,
86	,,	,,	,,	,,	44	13200	,,
87	,,	,,	,,	सोनासर	39	11700	,,
88	,,	,,	,,	झुन्झुनू	41	12300	,,
89	,,	,,	,,	वसवा	34	10200	,,
90	चूरू	,,	,,	चूरू वार्ड नं० 2	47	14100	,,
91	,,	,,	,,	सालासर	25	7500	,,
92	जोधपुर	,,	,,	किलारोड़	24	7200	,,
93	भीलवाड़ा	,,	,,	आदर्श	72	21600	,,
94	,,	,,	,,	शाहपुरा	25	7500	,,

जिला चित्तौड़गढ़ के अकालग्रस्त घोषित ग्राम

234. **श्री शंकरलाल जाट** (कपासन) :-क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ की कुछ तहसीलों के गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसी तहसीलों के कौन कौन से गांव हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला अकाल राहत कमेटी ने अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कराने के लिए सिफारिश की है ? यदि हां, तो कौन से गांवों में किस किस कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है ? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा देरी का कारण क्या है ?

(स्थगित)

तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के तबादले

235. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बांसूर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

Page No. 178

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी के अध्यापकों का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला किया जाना मना है?

(2) क्या अलवर जिला शिक्षा निरीक्षक ने अन्य जिलों से तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के तबादले करने से मना कर दिया ?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश सं० इ.डी.बी. इएलई। सी। 1938।स्पे।70, दिनांक 13-12-71 के द्वारा निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा ने अन्तरजिला स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगा रखा है।

(2) जी, हां, प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में अंकित आदेश के अन्तर्गत ऐसा किया गया है।

पाली जिले में चोरियां

236. श्री मोहनराज जैन (बाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि गत छः माह में पाली जिले में चोरियों की अनेक वारदातें हुई हैं और माल व मुलजिमान का पता न लगने से आम लोगों में असन्तोष व निराशा का वातावरण पैदा हुआ है ?

(2) सारे क्षेत्र में भीषण अकाल होने से चोरियों व लूटपाट होने का खतरा दिनों दिन बढ़ रहा है ऐसी स्थिति में सरकार क्या क़दम उठा रही है?

उत्तर

(1) अगस्त, सन् 72 से लगाकर जनवरी, सन् 73 तक कुल 229 चोरी के अपराध घटित हुये। इस अवधि में 601794 रुपयों की कीमत की सम्पत्ति चोरी गई। जिसमें से 4,55,741 रुपये की सम्पत्ति बरामद की गई। चालान और माल बरामदगी का प्रतिशत क्रमशः 60-51 और 75-73 है जो सन्तोषजनक है।

(2) जिला पुलिस इस दिशा में पूर्ण सतर्क है।

जोधपुर नगर के पुलिस स्टेशनों पर पड़ी हुई साइकिलें

237. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर नगर के प्रत्येक पुलिस टेस्शन पर कितनी साइकिलें कितने समय से जमा पड़ी है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि लगभग सभी साइकिलें खुली हवा एवं धूप में पड़ी पूर्ण खराब हो चुकी हैं? यदि हां, तो सरकार ने इनकी सुरक्षा एवं इनके मामले के शीघ्र निपटारे के लिए वांछित कदम क्यों नहीं उठाया?

उत्तर

(1) विस्तृत विवरण तालिका के कॉलम नम्बर 2 व 3 में अंकित है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) स्थिति तालिका के कॉलम नं० 4 में अंकित है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

नक्शा लिस्ट जब्तशुदा साइकिलें थानावाइज सिटी सर्किल, जोधपुर

क्र० सं०	नाम थाना	जब्तशुदा साइकिलें	रिमार्क
1	सदर बाजार	5	(1) ये साइकिलें मालखाने के अन्दर रखी हुई हैं जो सही हालत में हैं। चालान इस्तगासे पेश अदालत किये गये। अदालत के मालखाने में जगह नहीं होने से साइकिलें थाने में पड़ी हैं।
2	उदयमन्दिर	167	(2) ये साइकलें थाना हाजा के आहते में रखी हुई हैं। मालखाना में जगह नहीं है, साइकिल बरसात वगैरह में भीगती है। जो खराब हालत में हैं। साइकिलों के इस्तगासे पेश अदालत कर दिये गये, वहाँ जगह न होने से थाने में पड़ी हैं।
3	खांडा फलसा	5	(3) ये साइकिल मालखाने के अन्दर रखी हुई हैं जो सही हालत में हैं। चालान इस्तगासे पेश अदालत किये गये। अदालत के मालखाने में जगह नहीं होने से साइकिलें थाने में पड़ी हैं।
4	सदर कोतवाली	—	—
5	सरदारपुरा	111	(5) ये साइकिलें थाने के अहाते में रखी हुई हैं। इनके चालान इस्तगासे अदालत में पेश कर दिये गये हैं। अदालत के मालखाने में जगह न होने से साइकिलें थाने में पड़ी हैं।
	कुल योग	288	

जिलाधीश सवाई माधोपुर द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के गांवों का दौरा

238. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिलाधीश सवाई माधोपुर ने किस–किस बाढ़–ग्रस्त क्षेत्र के गांवों का बाढ़ के समय दौरा किया? और दौरा किसी वैहीकल से किया गया या किसी अन्य साधन से?

(2) दौरे के फलस्वरूप कितने गांव बाढ़–ग्रस्त घोषित किये गये? यदि नहीं तो क्यों?

(3) दौरे में क्या कार्यक्रम बाढ़ ग्रस्त गांवों को सहायता पहुंचाने हेतु किया गया?

उत्तर

(1) अगस्त सन् 1972 में जो बाढ़ आई थी उस समय जिलाधीश ने दिनांक 11 एवं 14 अगस्त को गंगापुर, सपोटरा एवं हिन्डोन तहसीलों में दौरा किया। यह दौरा गंगापुर तक मालगाड़ियों एवं रेलवे इंजिनों तथा हिन्डोन तक रेलवे ट्रोली के द्वारा किया गया। कुछ गांवों में जिनमें डावरा, कुरगांव, सलेमपुर इत्यादि शामिल है, जीप के द्वारा भी दौरा किया गया। इसके अलावा दिनांक 18,19 एवं 20 अगस्त को भी बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र का दौरा जिलाधीश ने किया।

(2) दौरे के फलस्वरूप कोई ग्राम बाढ़-ग्रस्त घोषित नहीं किया गया। राज्य सरकार ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित करती है। बाढ़-ग्रस्त घोषित करने की कोई नीति नहीं है। जिन ग्रामों में बाढ़ से हानि होती है उन्हें सहायता उपलब्ध की जाती है।

(3) जिलाधीश ने अपने दौरे के समय संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा तात्कालिक सहायता के लिये जो कार्यवाही की जा रही थी उसकी समीक्षा की गई और प्रभावित व्यक्तियों को तात्कालिक राहत के समय में अनाज आदि पहुंचाने के निर्देश दिये। खेतों में हुये नुकसान का भी कुछ जगह निरीक्षण किया गया।

ललित कला अकादमी

239. **श्रीमती निर्मला कुमारी** (चितौड़गढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ललित कला अकादमी का वार्षिक बजट कितना है और वह किन-किन मदों पर व्यय होता है?

(2) क्या इस अकादमी के सचिव की नियुक्ति कलाकार की दृष्टि से की जाती है?

(3) क्या इस अकादमी द्वारा कोई पत्रिका निकाली जाती है? यदि हां, तो इसमें मुख्य रूप से किस तरह के लेख होते हैं?

(4) क्या इस अकादमी द्वारा ललित कला को प्रोत्साहन के लिये चित्रों की प्रदर्शनी भी की जाती है?

उत्तर

(1) राजस्थान ललित कला अकादमी का बजट सन् 1972-73 में 75,000 रु० योजना भिन्न व्यय और 75,000 रु० योजना व्यय अर्थात् कुल 150,000 रु० का बजट था परन्तु इस वर्ष 1972-73 में योजना भिन्न व्यय पर 75,000 रु०

(शिक्षा मंत्री)

और योजना व्यय पर 50,000 रु० अर्थात् कुल 1,25,000 रु० का बजट है। यह कटौती मितव्ययता के आधार पर की गई है। बजट के मदों की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। सचिव का स्वयं कलाकार होना जरूरी नहीं है।

(3) जी हां। इस अकादमी द्वारा 'आकृति' नामक एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका में केवल कला संबंधी लेखों का ही समावेश किया जाता है।

(4) जी हां। अकादमी द्वारा ललित कला को प्रोत्साहन देने के लिये प्रति वर्ष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है क्योंकि इनके माध्यम से कला और कलाकारों के स्तर को ऊंचा किया जा सकता है।

बजट के मदों की सूची

1. पुस्तकालय
2. प्रदर्शनी
3. एकल चित्र प्रदर्शनी
4. प्रदर्शनी के सामान की खरीद
5. चित्रों की खरीद
6. कलाकारों को आर्थिक सहायता
7. कला संस्थाओं को सहायता
8. सैमीनार व कान्फरेन्स
9. पुरुस्कार
10. मेडिकल अलाउन्स
11. "आकृति"
12. लेखकों को पारिश्रमिक
13. छात्रवृत्तियां
14. सर्वे
15. प्रतियोगिताएं
16. वेतन तथा अलाउन्स
17. कार्यालय भवन का किराया
18. टेलीफोन
19. डाक व्यय
20. स्टेशनरी व छपाई
21. बिजली व पानी
22. वर्दियां
23. ऑफिस कन्टिन्जेन्सीज
24. फर्नीचर
25. पुस्तकें व पत्रिकाएं
26. स्टॉफ व मेम्बरों के टी. ए. एवं डी. ए.
27. मनोरंजन
28. ऑडिट फी
29. प्रकाशन
30. प्रोविडेन्ट फंड

जयपुर जिले के अकालग्रस्त घोषित ग्रामों में रोजगार

240. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले के किन किन गांवों को अभावग्रस्त एवं अकालग्रस्त घोषित किया गया है और किन किन गांवों के सम्बन्ध में अभी ऐसा निर्णय विचाराधीन है? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) जयपुर जिले के उपरोक्त क्षेत्रों में अकाल राहत के लिये किस किस प्रकार की क्या क्या योजनायें बनाई हुई हैं? कृपया इसका विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) माह अक्टूबर सन् 1972 से लेकर अब तक अकाल राहत के अन्तर्गत किस किस माह में कितने कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया?

(अकाल सहायता मंत्री)

उत्तर

(1) जयपुर जिले में कुल 2929 ग्रामों में से 1370 ग्रामों को राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इनकी तहसीलवार सूची संलग्न है। इस सूची में अंकित ग्रामों के अतिरिक्त और ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित करने का कोई मामला वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) जयपुर जिले में अकाल राहत के लिए जो सहायता कार्य स्वीकृत किये गये हैं उनमें सड़क निर्माण कार्य, सिंचाई कार्य, भू-संरक्षण कार्य, वन कार्य तथा गांवाई तालाबों की खुदाई के कार्य लिये गये हैं। जो कार्य अब तक स्वीकृत किये गये हैं उनकी सूची संलग्न है।

(3) सहायता कार्य दिसम्बर मास से चालू किये गये। तब से श्रमिकों की संख्या प्रत्येक मास में इस प्रकार रही:—

दिसम्बर, 1972	1014
जनवरी, 1973	2475
फरवरी	9000 लगभग

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पोषाहार कार्यक्रम

241. श्री नाथूराम (बागीडोरा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत किस किस जिले के लिये कितनी कितनी राशि विगत तीन वर्षों में किस किस मद में व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। क्या इनके लिये निरीक्षक रखे गये हैं? यदि हां, तो कहां कहां व कितनी राशि पर रखा जाता है?

(2) क्या यह सत्य है कि विभिन्न जिलों के लिये विभिन्न दरों से पोषाहार दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र में किस दर से पोषाहार दिया जाता है? और श्रीगंगानगर जिले के लिये किस दर से?

(3) क्या यह सत्य है कि पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवीक्षा अधिकारी, कोटा, अजमेर द्वारा गुड़ खरीदा गया था उस पर शिकायतें हुई? यदि हां, तो उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई और उसका परिणाम क्या रहा। यदि नहीं, तो विगत तीन वर्षों में परिवीक्षा अधिकारी, कोटा, अजमेर द्वारा पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत कब कब, क्या क्या सामान खरीदा गया व किस दर से? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) विशेष पोषाहार कार्यक्रम राजस्थान में सन् 1970-71 से चालू किया गया। अतः वित्तीय सत्र 1970-71 व 1971-72 में व्यय की सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

नियमानुसार 10,000 लाभान्वितों के उपर एक पोषाहार निरीक्षक की नियुक्ति की जा सकती है। इसी आधार पर नियुक्त किये गये निरीक्षकों की सूची (ब) सदन की मेज पर रखदी गई है।

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

(2) जी नहीं। सभी स्थानों के लिये विशेष पोषाहार निर्धारित दर से दिया जाता है। जिला डूंगरपुर-बांसवाडा में केयर द्वारा सी० एस० एम० व सोयाबीन तेल सप्लाई किया जाता है जिससे तैयार विशेष पोषाहार केन्द्रों पर वितरण किया जाता है। परन्तु गंगानगर में केयर यह सामान सप्लाई नहीं करती, अत: स्थानीय खाद्य पदार्थों से तैयार विशेष पोषाहार निर्धारित स्केल के अनुसार वितरण किया जाता है।

(3) यह सत्य है कि कोटा व अजमेर शहर में चल रहे केन्द्रों पर विशेष पोषाहार सप्लाई करने के लिये गुड़ खरीदा गया। अजमेर के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कोट शहर के केन्द्रों के लिये क्रय किये गये गुड़ के बारे में शिकायत थी जिसकी जांच की जा रही है।

विगत दो वर्षों में जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी अजमेर व कोटा द्वारा पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रय किये गये सामान की सूची (स) सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नीमका थाना तहसील के प्रभावग्रस्त घोषित ग्राम

242. श्री मालाराम (नीम का थाना): अकाल सहयता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नीम-का-थाना तहसील में किस किस गांव को अभावग्रस्त एवं अकाल ग्रस्त घोषित किया गया है ?

(2) फसल की गिरदावरी कब हुई है और जिन जिन गांवों में अकाल या अभाव की स्थति घोषित नहीं की गई उनमें कितनी कितनी फसल बतायी गई है ?

(3) इस गिरदावरी की गिरदावर, नायब–तहसीलदार, तहसीलदार, उप–खण्ड अधिकारी एवं जिलाधीश द्वारा कब कब, किन किन गांवों में जांच की गई ?

उत्तर

(1) सूची 'क' संलग्न है।

(2) इस तहसील में फसल खरीफ की गिरदावरी दिनांक 1-10-72 से 20-10-72 तक हुई थी। जिन गांवों में अभाव की स्थिति घोषित नहीं की गई उनमें बताई गई फसल के बाबत ग्रामवार सूची संलग्न है जो सूची 'ख' है।

(3) सूची 'ख' में अंकित है।

फसल खरीफ सम्वत् 2029 में खराब होने के कारण जिन ग्रामों को तहसील नीम का थाना में अभावग्रस्त घोषित किया गया।

सूची

क्रम सं०	नाम ग्राम	क्रम सं०	नाम ग्राम
1.	गुहला	29.	ईमलोहा
2.	चला	30.	श्यामपुरा
3.	टिकरिया	31.	बगडावा
4.	गोविन्दपुरा	32.	कालाकोटा
5.	भगोट	33.	डाबला
6.	भगेगा	34.	शमिली
7.	सिरोही	35.	झलोदड़ा
8.	चकचारावास	36.	कुवरकानांगल
9.	मण्डेली	37.	तिगरी
10.	माकड़ी	38.	जाटकानांगल
11.	भावण्डाखुर्द	39.	खोरी
12.	महवा	40.	पांचुखरखरा
13.	नीमोद	41.	डोकन
14.	हरजनपुरा	42.	नावदा
15.	बासड़ीखुर्द	43.	मगेश्वर
16.	बासड़ीकलां	44.	रायपुरपाटन
17.	छापर	45.	खडगबीजपुर
18.	पीतमपुरी	46.	लुहारवास
19.	राणासर	47.	रामल्यावास
20.	भावण्डाकलां	48.	झरूण्डा
21.	नाथाकीनांगल	49.	मोकलावास (झरोण्डा)
22.	लाखाकीनांगल	50.	टोडा
23.	कुवारा	51.	दीपावास
24.	बिहारीपुरा	52.	बाटागुवार
25.	दयाल की नांगल	53.	छोपलाटा
26.	झालरा	54.	पीथलपुर
27.	गांवली	55.	झावलपुरा शेखावतान
28.	जिलो	56.	रायपुरजागीर

Page No. 185

क्र० सं०	नाम ग्राम	क्र० सं०	नाम ग्राम
57.	ब्यौर	65.	चन्डला
58.	गाड़राटा	66.	किशनपुरा
59.	जैतपुरा	67.	जुगलपुरा
60.	कुण्डाला	68.	अजमेरी
61.	कालाखेड़ा	69.	टटेरा
62.	लादोकावास	70.	दरीबा
63.	नानकवास	71.	बिहारी
64.	शावलपुरा	72.	किशोरपुरा

———

सूची (ख)

सूची उन ग्रामों की जिनमें अकाल या अभाव की स्थिति घोषित नहीं की गई।

सं० 2029 — तह० नीमका थाना (सीकर) राजस्थान ।

क्रम संख्या	नाम गांव	वास्तविक रकबा जो बोया गया (खरीफ) बोया गया रकबा	खराबा	गिरदावर द्वारा की गई जांच का दिनांक	राजस्व अधिकारी द्वारा की गई जांच का दिनांक	उप-खण्ड अधिकारी द्वारा की गई जांच का दिनांक
1	2	3.	4	5	6	7
1.	नीमकाथाना	4724)4	2199111)	9-10-72	10-10-72	14-10-72
2.	गोडावास	2408)।	1209111)।	22-10-72	10-10-72	—
3.	नापावली	8331)4	—	13-10-72	—	—
4.	पुरानावास	10371)।	—	13-10-72	—	—
5.	चक मंडोली	1376111)।	—	7-10-72	8-10-72	5-10-72
6.	गावड़ी	6191)3	2974111)2	9-10-72	9-10-72	7-10-72

7.	गनेश्वर	53011) 1	1473) 3	8-10-72	22-10-72	7-10-72
8.	मुडोली	89721) 1	3705111)	17, 18-10-72	19-10-72	14 10-72
9.	वरसिंहवास	957111) 1	359)	17-10-72	18-10-72	—
10.	बल्लूपुरा	5761) 3	—	4-10-72	5-10-72	6-10-72
11.	मोना की नांगल	389) 4	—	29-10-72	5-10-72	—
12.	झायावास	188111) 4	3111)	4-10-72	5-10-72	—
13.	मोहनपुरा	57111) 1	—	29-10-72	—	—
14.	करजो	592111) 1	—	29-10-72	—	—
15.	दलपतपुरा	9401) 1	611) 4	28-10-72	—	—
16.	चक करजों	46) 3	—	29-10-72	—	—
17.	बेगा की नांगल	347111) 1	—	28-10-72	—	—
18.	खुरहियां	20011) 1	—	28-10-72	—	—
19.	रामपुरा	3401) 1	—	3-10-72	—	—
20.	कागथलो	19511) 1	—	28-10-72	—	—

सूची 'ख' (क्रमशः)

1	2	3	4	5	6	7
21.	मोठूका	1101)	3151)1	28-10-72	—	—
22.	छाजा को नांगल	3691)1	58)1	27-10-72	—	6-10-72
23.	रामसिंहपुरा	510)1	—	17-10-72	—	—
24.	चक रामसिंहपुरा	711)2	—	27-10-72	—	—
25.	फतेहपुरा	283)3	62111)3	27-10-72	6-10-72	—
26.	हरिपुरा	247)	11)2	27-10-72	—	—
27.	ढाणीअहिरान	343)3	—	27-10-72	—	—
28.	वोपिया	562)3	731)3	5-10-72	6-10-72	6-10-72
29.	हसामपुर	538)	611)2	26-10-72	—	—
30.	माण्डाला	1531)2	231)3	26-10-72	—	—
31.	जाटवास	385)1	—	6-10-72	7-10-72	—
32.	राजपुरा	795)4	—	6-10-72	7-10-72	6-10-72

33.	घांवेला	51211)	23111) 2	26-10-72	—	—
34.	कोला की नांगल	522111) 1	45) 2	30-10-72	—	—
35.	जयसिंहपुरा	3311) 1	—	30-10-72	—	—
36.	बक्सीपुरा	4191) 2	—	30-10-72	—	—
37.	रांगा का बास	397111) 4	4211) 2	30-10-72	—	—
38.	घासीपुरा	262111) 3	—	30-10-72	—	—
39.	फागनवास	41)	—	7-10-72	—	—
40	,, ,, डूंगर	9111) 3	—	7-10-72	—	—
41.	चक फागनवास	931)	—	7-10-72	—	—
42.	चक कोला की नांगल	43111) 2	—	30-10-72	—	—
43.	रेला	1861) 2	1111) 1	7-10-72	—	7-10-72
44.	न्योंसना	692111) 4	153111) 2	21-10-72	—	—
45.	काचरडा	3961) 2	15)	11-10-72	18-10-72	—
46.	मोहब्बतवास (दरोबा)	19711) 4	—	12-10-72	21-10-72	—

ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत दी गई धनराशि

243. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत क्रेश प्रोग्राम योजना के लिये केन्द्र द्वारा भी दी गई राशि का राज्य सरकार ने समुचित उपयोग नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों तथा कितनी राशि केन्द्र द्वारा दी गई थी और उसमें से कितनी खर्च हुई और कितनी बाकी रही ?

(2) जिन अधिकारियों के कारण उक्त राशि का उपयोग नहीं हुआ, क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ?

(3) यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त रोजगार योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले में कितनी राशि किन किन तहसीलों में खर्च की गई ?

(स्थगित)

कोटपुतली थाने का स्टॉफ

244. श्री सुरेश चन्द्र (कोटपुतली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटपुतली थाने के लिये कितना स्टॉफ स्वीकृत है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्टॉफ राजस्थान बनने के समय में जितना था उतना ही अभी तक चला आ रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर-देहली राष्ट्रीय मार्ग इधर से निकल जाने व अन्य विकास के कारण यहां पुलिस का कार्य क्षेत्र बढ़ गया है और इसलिये राष्ट्रीय मार्ग पर एक चौकी और कायम करने की आवश्यकता है ? यदि हां, तो सरकार कब तक स्टॉफ बढ़ाने के आदेश जारी करेगी ?

उत्तर

(1) थाने के लिये एक उप-निरीक्षक, एक मुख्य आरक्षी और 12 आरक्षक स्वीकृत हैं।

(2) जी नहीं, एक आरक्षक की वृद्धि की गई है।

(3) वर्तमान में सरकार पुलिस चौकी कायम करने की आवश्यकता अनुभव नहीं करती।

खैरवाड़ा तहसील में अकाल सहायता हेतु तालाबों का निर्माण कार्य

245. श्री विद्यासागर (खैरवाड़ा): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष खेरवाड़ा तहसील में अकाल सहायतार्थ कई तालाब निर्माण करने हेतु जिला अकाल राहत कमेटी, उदयपुर ने मन्जूर किये हैं ? यदि हां, तो वे कौन कौन से हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि जो जिला अकाल राहत कमेटी, उदयपुर ने तालाब मन्जूर किये हैं उन पर कार्य नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके

(श्री विद्यासागर)
क्या कारण हैं व काम कब तक शुरू करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) यह सही है कि जिला राहत सलाहकार समिति, उदयपुर द्वारा खैरवाड़ा तहसील के लिये तालाब एवं सिंचाई कार्य स्वीकृत किए गये हैं । सूची संलग्न है ।

(2) इनमें से केवल 3 कार्य ऐसे हैं जो अभी प्रारम्भ नहीं किए गये, शेष कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं । यह कार्य निम्नलिखित है :–

1– झाझरी टैंक
2– कोजावाड़ा टैंक
3– कडिया देह टैंक

इन्हें भी शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जावेगा ।

जिला राहत सलाहकार समिति, उदयपुर द्वारा तहसील खैरवाड़ा के लिए स्वीकृत तालाब एवं सिंचाई कार्यों की सूची :

1. बिलक टैंक
2. लोवर थोड़ी कैनाल
3. सोम कैनाल
4. मूदर कैनाल
5. हाथियों का नाका
6. परेडा टक
7. थाना टैंक
8. गोदावरी का नाका नहर
9. लोड़दा टैंक
10. झाझरी टैंक
11. कोजावाड़ा टैंक
12. कड़िया देह टैंक

झालावाड़ जिले में औद्योगिक विकास हेतु सर्वेक्षण

246. **श्री गौरीशंकर (खानपुर):** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में औद्योगिक विकास हेतु कोई सवक्षण करवाया गया है ? यदि हां, तो उसके अनुसार कौन कौन से उद्योग स्थापित करने के लिये क्या क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

उत्तर

जी हां ।

सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार जिला झालावाड़ म निम्न उद्योगों को विकसित करने को संभावनाएं हैं :—

1– फूड प्रिजर्वेशन ।
2– वेस्टर्न टाइप शूज ।
3– कृषि यंत्र
4– रेडीमेड गारमेन्ट ।
5– कारपेन्ट्री ।
6– सूती होजरी का सामान

उक्त उद्योगों की स्थापना के लिय इच्छक उपक्रमियों को विभाग द्वारा वांछित जानकारी दी जाती है ।

स्थाई सूखाग्रस्त जिलों के विकास हेतु दी गई धनराशि में से बाड़मेर जिले को आवंटित धनराशि

247. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) स्थाई सूखाग्रस्त जिलों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई धन-राशि में से बाड़मेर जिले में वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में कितनी धनराशि आवंटित की गई, और इन्हीं वर्षों में कितनी धनराशि का काम करा लिया गया ?

(2) उक्त तीन वर्षों में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी लागत से पूरे कराये गये ?

(3) क्या वर्ष 1973-74 में किये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या इन कार्यों पर राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति दी जा चुकी है ? कृपया 1973-74 में किये जाने वाले कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार ने डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत बाड़मेर जिले हेतु 2.00 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 1970-71 से वर्ष 1973-74 तक (चतुर्थ पंचवर्षीय योजना) के लिए स्वीकृत की है। इस स्वीकृत राशि का अभिकरणवार आवंटन व व्यय निम्न प्रकार है :—

नाम विभाग	स्वीकृत कार्यों की अनुमानित लागत (लाख रु० में)	जनवरी, 73 तक व्यय (लाख रु० में)
1. सड़क	80–00	73–45
2. ग्रामीण जल प्रदाय योजना	64–20	8–21
3. वन विभाग	26–04	7–43
4. सिंचाई विभाग	35–62	16–61
	205–86	105–70

(2) स्वीकृत कार्य अनुमानित लागत वर्षवार व्यय का विवरण एवं कार्य की वर्तमान स्थिति का विवरण संलग्न है।

(3) जी हां। भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृतियां जारी करदी गई हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक पूर्ण किया जाना है। स्वीकृत कार्य जो अब तक पूर्ण नहीं हो पाये हैं उन्हें जारी रख कर वर्ष 73-74 में पूर्ण करवाया जाना है।

जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग के अभिकरण से

नाम कार्य	अनुमानित लागत लाखों में	जनवरी, 72 तक व्यय	कार्य पूर्ण अथवा प्रगति में
1	2	3	4
1. पारलू अमरलाई	2-60	16,476	प्रगति में
2. फानासर-कास्मीर	1-60	1,50,929	"
3. ढोली असरावा	2-00	11,947	"
4. व्यार बसाई कलां	4-20	35,600	"
5. मूटलाव-हूडूवारवा	19-50	2,18,631	"
6. पाडलू असाड़ा	31-00	3,22,205	"
7. गांगा हूखेचा	1-10	64,872	"
स्टॉफ आदि	2-20	—	—
	64-20	8,20,660	

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभिकरण से

1. शिव फ्लसूड	15-00	14-63 लाख	पूर्ण
2. बालोतरा–जालोर	4-00	2-53 "	"
3. चौहाटन–बावासर	16-00	16-53 "	"
4. सिंदरी गुडा	7-00	3-69 "	कार्य प्रगति में
5. बाड़मेर वायन्ट	38-00	36-07 "	"
	80-00	73-45	

वन विभाग के अभिकरण से

1. पौध शाला	1-40	16592
2. चारागाह सुधार	3-70	120419

1	2	3	4
3. फोडर बैंक	2-25	153725	
4. शेल्टर बैल्ट	2-50	—	
5. टीबों का स्थरीकरण	5-59	177237	
6. हरी घास का उत्पादन	2-20	54395	
7. घोरों का निर्माण	1-15	26694	
8. भवन (घास गोदाम बीज गोदाम)	3-45	82420	
9. साज सामान	1-02	88069	
10. कार्यालय	2-78	20882	
	26-04	743433	

सिंचाई विभाग के अभिकरण से

नाम कार्य	अनुमानित लागत लाख रुपये	जनवरी, 73 तक व्यय	काम पूर्ण अथवा प्रगति में
1	2	3	4
1. मेली फीडर एण्ड केनाल	4-770	0-36	प्रगति में
2. झडीसर खडीन	0-257	0-24	"
3. नीमला खडीन	0-295	0-24	"
4. प्रोहीतान खडीन	0-226	0-25	"
5. कालियार खडीन	0-105	0-10	"
6. डावला खडीन	1-080	0-03	"
7. डांगरिया बंध	1-601	1-22	"

1	2	3	4
8. बोजना बंध	1-185	1-49	पूर्ण
9. कोईसा बंध	0-277	0-23	प्रगति में
10. हुकमानीया का बंध	—	—	—
11. विसादंड खडीन	1-092	0-79	प्रगति में
12. तोरा खडीन	0-591	0-73	पूर्ण
13. गोरधनवाला खडीन	0-186	0.06	प्रगति में
14. करेली नाड़ी का बांध	0-156	0-05	"
15. जेतपुरा बंध	1-18	0-26	"
16. त्रिसागरी खडीन	0-30	0-20	"
17. चन्द्र बंध	1-50	0-08	"
18. रामसर का नाडा	0-50	0-001	"
19. गोलिया बंध	2-05	0-46	"
20. माखरपुरा बंध	4-00	2-52	"
21. लोखेरिया बंध	1-00	0-82	"
22. पीथवाला बंध (पीयला)	1-00	0-26	"
23. नोकाड़ा बंध	0-50	0-80	"
24. खारवा गोलिया बंध	0-82	0-28	"
25. मोकलसर खड़ीन	0-50	0-01	"
26. बालरू जाटी खडीन	0-50	0-01	"
27. सारणा की धनोद खडीन	0-50	0-00	"
28. बोरिया खडीन	0-70	0-01	"
29. मलों की ढाणी	0-50	0-37	"
30. विनायक तिलवारा स्कीम	0-47	0-26	"
31. सिघासवा बंध	3-580	1-26	"
स्टाफ टूल्स एन्ड प्लान्ट्स	4-30	—	—

डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा किये गये व्यय का वर्षवार विवरण

(राशि लाखों में)

क्र०सं०	नाम विभाग	1970–71	1971–72	1-4-72 से 31-1-73 तक	योग
1	सार्वजनिक निर्माण विभाग	2.72	45.20	25.53	73.45
2	सिंचाई विभाग	0.21	9.94	6.46	16.61
3	वन विभाग	0.30	4.59	2.54	7.43
4	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	—	—	8.21	8.21
		3.23	59.73	42.74	105.70

जालोर के श्री भैराराम के कत्ल के अभियुक्तों की गिरफ्तारी

248. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि रानीवाड़ा में केन्द्रीय सहकारी बैंक, जालोर के श्री भैराराम का कत्ल काफी अर्से पहले कर दिया गया था ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त कत्ल के मुख्य अभियुक्तों को अभी तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया है ? अगर हां, तो क्यों?

(3) उक्त कत्ल के मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए अब तक पुलिस द्वारा क्या क्या कदम उठाये गये हैं तथा भविष्य में अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या यह सत्य है कि उक्त कत्ल के मुख्य अभियुक्तों को गजट में नोटिफाई करके प्रोक्लेम्ड अभियुक्त अभी तक घोषित नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त कत्ल के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए कोई विशेष पुरस्कार भी घोषित करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा एवं क्या पुरस्कार घोषित किया जावेगा ।

उत्तर

(1) जी हां, यह कत्ल दिनांक 9-8-70 को हुआ था ।

(2) जी हां, बावजूद भरसक प्रयत्न के कत्ल के मुख्य अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके ।

(3) अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके निवास स्थानों पर और दीगर छिपने की जगहों पर समय समय पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई और तलाश की गई । भविष्य में भी यह क्रम जारी रहेगा । इतना ही नहीं, उक्त गिरफ्तारी हेतु जिला पुलिस ईनाम घोषित करने की कार्यवाही भी कर रही है ।

(4) मुख्य अभियुक्त झाबरसिंह को इश्तिहारी मुलजिम घोषित किया जा चुका है ।

(5) जी हां, मुलजिमान की गिरफ्तारी हेतु जिला पुलिस 200/- रुपये का ईनाम घोषित करने की कार्यवाही कर रही है ।

यू. आई. टी., भीलवाड़ा द्वारा बनाई गई दुकानों की नीलामी

249. **श्री भंवरलाल भवाल** (भीलवाड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा में फैक्ट्री एरिया चौराहे के पास के गरीब केबिन वालों और टाट लगाकर बैठे हुए मण्डलियों को एवज में जगह देने के लिए यू.आई.टी., भीलवाड़ा ने इसी के पास पक्की दुकानें बनाई हैं ? यदि हां, तो ये दुकानें कब बनकर तैयार हुई हैं ?

(2) उक्त दुकानें केबिन वालों और अन्य गरीब लोगों को, जो कि वर्षों से वहां किराये पर बैठे हैं को निश्चित दर पर अलॉट क्यों नहीं की जा रही हैं ?

(श्री भंवरलाल भवादा)

(3) क्या यह सही है कि इन दुकानों की नीलामी की जायगी ? यदि हां, तो क्या इससे गरीब केबिन वाले और खोरिये लाभान्वित हो सकेंगे और उनकी समस्या हल हो सकेगी ?

उत्तर

(1) न्यास ने केबिन होल्डर्स को एवज में देने के लिए 45 दुकानें तथा 30 दुकानें नीलाम हेतु बनाई। दुकानें दिनांक 22-1-72 को बनकर तैयार हुईं।

(2) नगर परिषद् से प्राप्त सूची के अनुसार सभी 45 केबिन होल्डर्स को निर्धारित कीमत पर दुकान दिये जाने का निर्णय है। किन्तु अभी तक केबिन होल्डर्स ने निर्धारित कीमत जमा नहीं कराई है।

(3) केवल 30 दुकानें नीलामी द्वारा बेचने का न्यास का निर्णय है।

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न सं० 224 की सूची

दिनांक 24-2-73 को समाज कल्याण विभाग में निलम्बित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची।

क्र०सं०	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	पद (निलम्बन के समय)	जाति	निलम्बन की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती राजकपूर	अधीक्षिका, राजकीय उत्तर रक्षा गृह, अजमेर	खत्री	7-4-69
2.	श्री हरीश चन्द्र शर्मा	कनिष्ट लिपिक, उत्तर रक्षा गृह, अजमेर	ब्राह्मण	7-4-69
3.	श्री मोहम्मद ऐजाजखां	छात्रावास अधीक्षक, टोंक	मुसलमान	27-8-70
4.	श्री अर्जुनलाल तंवर	छात्रावास अधीक्षक, छतरगढ़	राजपूत	27-8-70
5.	श्री माधोसिंह बोहरा	वरिष्ठ लिपिक, जिला कार्यालय, बांसवाड़ा	औसवाल जैन	24-3-71
6.	श्री त्रिलोकनाथ जोशी	जिला परिवीक्षक एवं समाज कल्याण अधिकारी, सीकर	ब्राह्मण	21-4-71
7.	श्री विजयसिंह	छात्रावास अधीक्षक, झुन्झुनू	अनुसूचित जाति	12-5-71
8.	श्री महादेव प्रसाद मिश्रा	वरिष्ट लिपिक, जिला कार्यालय, सीकर	ब्राह्मण	9-10-71
9.	श्री हरिभजन	छात्रावास अधीक्षक, जोधपुर	अनुसूचित जाति	2-9-71
10.	सुश्री राजेश्वरी वेश्य	अधीक्षिका, राज्य महिला सदन, जयपुर	अग्रवाल	7-10-71
11.	श्री मनोहरलाल शर्मा	छात्रावास अधीक्षक, जयपुर	ब्राह्मण	15-10-71
12.	श्री सुमेरसिंह	छात्रावास अधीक्षक, जयपुर	अनुसूचित जाति	9-10-71
13.	श्री रामचन्द्र नैना	अन्वेक्षक, जिला आश्रय गृह, कोटा	अनुसूचित जाति	29-10-71

Page No. 200

1	2	3	4	5
14.	श्री चतुरीलाल	छात्रावास अधीक्षक, केलवाड़ा	अनुसूचित जाति	1-11-71
15.	श्री बजरंगलाल	छात्रावास अधीक्षक, जयपुर	अ० पिछड़ी जाति	30-1-72
16.	श्री भौंरीलाल	छात्रावास अधीक्षक, जयपुर	अनुसूचित जाति	6-5-72
17.	श्री किशोरीलाल	छात्रावास अधीक्षक, कुम्हेर	अनुसूचित जाति	7-6-72
18.	श्रीमती ज्ञानेश शर्मा	सहायक अधीक्षिका, जिला महिला आश्रय गृह, भरतपुर	ब्राह्मण	24-7-72
19.	श्री गणपतसिंह मुनोत	जिला परिवीक्षक एवं समाज कल्याण अधिकारी, बाड़मेर	ओसवाल जैन	1-9-72
20.	श्रीमती तीजादेवी	अधीक्षिका, मानसिक पीड़ित महिला आश्रम गृह, जयपुर	अनुसूचित जाति	18-9-72
21.	श्री रघुनाथ यादव	छात्रावास अधीक्षक, मालारोड़, कोटा	अनुसूचित जाति	21-11-72
22.	श्री रामचन्द्र मेहरा	कनिष्ट लिपिक, जिला कार्यालय, कोटा	अनुसूचित जाति	27-11-72
23.	श्री घनश्याम बृजवासी	छात्रावास अधीक्षक, जयपुर	अनुसूचित जाति	12-12-72
24.	श्री नेनाराम	छात्रावास अधीक्षक, बाली	अनुसूचित जाति	20-12-72
25.	श्री रामचन्द्र मालवी	छात्रावास अधीक्षक, गडरारोड़	अन्य पिछड़ी जाति	12-1-73

परिशिष्ट 3

(अ० ता० प्र० सं० 106 की सूची)

क्र० सं०	पद	समय
1	2	3
1.	ज्यूडिशियल ऑफिसर, सांभरलेक ..	दिनांक 17-1-49 से 25-8-49 (पूर्वान्ह) (पूर्वान्ह)
2.	प्रथम श्रेणी दण्डनायक, नीम का थाना .. —	दिनांक 26-8-49 से 4-11-49 (अपरान्ह) (पूर्वान्ह)
3.	नगर दण्डनायक, भरतपुर ..	दिनांक 5-11-49 से 14-6-50 (अपरान्ह) (पूर्वान्ह)
4.	प्रथम श्रेणी दण्डनायक, जयपुर ..	दिनांक 17-6-50 से 23-6-53 (अपरान्ह) (पूर्वान्ह)
5.	सहायक जिलाधीश एवं दण्डनायक, श्रीगंगानगर ..	दिनांक 1-7-53 से 26-7-53 (अपरान्ह) (पूर्वान्ह)
	दिनांक 27-7-53 से 24-1-54 तक अवकाश पर	
	दिनांक 25-1-54 से 11-3-54 तक आदेश की प्रतीक्षा में	
6.	प्रथम श्रेणी दण्डनायक, सांभरलेक	दिनांक 12-3-54 से 24-1-55 (पूर्वान्ह)
7.	उप-खण्ड अधिकारी, सीकर ..	दिनांक 1-2-55 से 9-5-57 (पूर्वान्ह)
8.	उप-खण्ड अधिकारी, ब्यावर ..	दिनांक 15-5-57 से 10-2-59 (अपरान्ह) (अपरान्ह)
9.	उप-जिलाधीश, जागीर, जयपुर	दिनांक 19-2-59 से 7-12-59 (अपरान्ह)
10.	उप-जिलाधीश, जागीर, सीकर ..	दिनांक 15-12-59 से 9-6-61 (अपरान्ह) (अपरान्ह)

1	2	3
	दिनांक 10-6-61 से 9-7-61 तक आदेश की प्रतीक्षा में	
11.	उप-जिलाधीश, नागौर, सीकर ..	दिनांक 10-7-61 से 8-8-61 (अपराह्न) (पूर्वान्ह)
12.	विकास अधिकारी, ढोड ..	दिनांक 17-8-61 से 20-6-63 (अपराह्न) (पूर्वान्ह)
13.	सहायक आयुक्त, आबकारी एवं वाणिज्य कर, जयपुर ..	दिनांक 26-6-63 से 6-5-64
14.	वाणिज्य कर अधिकारी (आवृत), जयपुर	दिनांक 7-5-64 से 13-7-65 (अपराह्न) (पूर्वान्ह)
15.	वाणिज्य कर अधिकारी (विशेष वृत), जयपुर	दिनांक 14-7-56 से 18-8-66 (अपराह्न) (पूर्वान्ह)
16.	उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यक कर विभाग, कोटा	दिनांक 20-8-66 से 5-5-67 (अपरान्हि) (पूर्वान्हि)
	दिनांक 5-5-67 से 19-5-67 तक आदेश की प्रतीक्षा में	
17.	उपायुक्त (अपील-II) वाणिज्यक कर, जयपुर	दिनांक 20-5-67 से 6-11-67 (अपराह्न) (पूर्वान्हि)
18.	उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यक कर	दिनांक 15-11-67 से 1-7-70 (अपराह्न) (पूर्वान्ह)
19.	उपायुक्त (प्रशासन) मुख्यालय, वणिज्यक कर, जयपुर ..	दिनांक 6-7-70 से 18-9-71 (पूर्वान्ह) (अपराह्न)
20.	उपायुक्त (प्रशासन) वाणज्यक कर, जयपुर	दिनांक 18-9-71 से 24-6-72 (अपराह्न) (अपराह्न)
21.	उप-सचिव, खान विभाग, जयपुर ..	दिनांक 26-6-72 (पूर्वान्ह) से कार्य कर रहे हैं।

परिशिष्ट 4

(आ० ता० प्र० सं० 115 की सूची)

सूची (अ)

क्रमांक	गेंग नं०	मेट का नाम	कुल उठाई गई राशि	पर्सेन्टेज में	बकाया राशि
1.	33	दानाराम पुत्र श्री बालूराम मेगवाल, ग्राम धीरदेसर चोटियान	378.13	40 प्रतिशत	—
2.	34	टीकूराम पुत्र श्री भोमाराम, धीरदेसर	371.88	40 ,,	—
3.	35	नारायण सिंह पुत्र श्री सावंतसिंह	528.44	50 ,,	13.50
4.	36	दानाराम पुत्र श्री पीथाराम, मेगवाल, धीरदेसर, चोटियान	455.78	40 ,,	—
5.	37	गंगाराम पुत्र श्री तुलसीराम, धीरदेसर	484.28	50 ,,	—
6.	38	भींवसिंह मुकन्दसिंह, किवासर	428.68	40 ,,	10-80
7.	39	बुध्धराम पुत्र श्री आसूराम. मेगवाल, रामसरा	580.00	50 ,,	67.19
8.	40	टिकूराम पुत्र श्री दानाराम धीरदेसर	302.00	50 ,,	—

परिशिष्ट 5

(अ. ता. प्र. सं. 116 की सूची)

सन् 1971-72 में नगर परिषद्, जयपुर को राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में एवं अन्य रूप में जिस कार्य हेतु राशि दी गई थी उसका विवरण ।

उद्देश्य	अनुदान की राशि	विभाग जिसके द्वारा दी गई
1. मनोरंजन कर का अनुदान	3,04,664.00	वाणिज्य कर विभाग
2. अल्प बचत योजना में भाग लेने का पुरस्कार	30,000.00	स्वायत्त शासन विभाग
3. सामान्य अनुदान	2,1[illegible],836.00	स्वायत्त शासन विभाग
4. विशेष सहायता क्रोसड्रेनेज एवं सड़कों की मरम्मत हेतु	7,35,000.00	सार्वजनिक निर्माण विभाग
5 विशेष सहायता क्रासड्रेनेज एवं सड़कों की मरम्मत हेतु	4,21,673.00	सार्वजनिक निर्माण विभाग
6. नवीन सड़कों के निर्माणार्थ	1,00,000.00	सार्वजनिक निर्माण विभाग

परिशिष्ट 6

(अ. ता. प्र. सं. 117 की सूची)

गंगापुर सिटी नगरपालिका ने 1-4-1968 से 31-3-1972 तक भूमि विक्रय से आमदनी का बजट में प्रावधान रखा उसका ब्यौरा।		गंगापुर सिटी नगरपालिका को 1968-69, 1969-70, 1970-71 व 1-4-71 से भूमि विक्रय से हुई वास्तविक आय का विवरण 30-9-71 तक ।	
वर्ष	बजट प्रावधान	वर्ष	वास्तविक आय
1-4-68 से 31-3-69	50,000 . 00		58,433.13 पैसे
1-4-69 से 31-3-70	50,000 . 00		25,431.68 पैसे
1-4-70 से 31-3-71	25,000 . 00		16,209.48 पैसे
1-4-71 से 31-3-72	25,000 . 00	1-4-71 से 30-9-71	4,641.10 पैसे
		1-10-71 से 31-3-72	प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट 7

(अ० तां० प्र० सं० 122 की सूची)

राजस्थान विश्वविद्यालय की सीनेट पर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों के नामों की सूची

1. 2-6-1956 से 1-6-1961 तक—

   1. श्री जनार्दन राय नागर, एम० ए०, वाइस चांसलर, विश्व विद्यापीठ, उदयपुर।
   2. श्रीमती शारदा भार्गव, एम० ए०, एस० एम० एस० हाइवे, जयपुर।
   3. श्री मिल्खीराम (भूतपूर्व शिक्षा निदेशक, राजस्थान), कुलसचिव, गांधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर।
   4. श्री बी० जी० तिवाड़ी, उप-शिक्षा निदेशक, राजस्थान, जयपुर।
   5. श्री शम्भू लाल, उप-शिक्षा निदेशक, राजस्थान, जोधपुर।

2. 2-6-1961 से—

   1. श्री विष्णुदत्त शर्मा, शिक्षा सचिव, राजस्थान, जयपुर।
   2. श्री जे० एस० मेहता, निदेशक, प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
   3. श्री पी० के० चौधरी, एम० एल० ए०।
   4. श्री के० एल० बोरड़िया, निदेशक, विद्या भवन समिति, उदयपुर।
   5. श्री जनार्दन राय नागर, उदयपुर।

   नोट:—सन् 1962 में एक्ट में संशोधन हुआ और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या घटाकर चार रह गई और तदनुसार पुनः मनोनयन हुआ।

3. 21-11-1962 से 20-11-1967 तक—

   1. श्री वी० डी० शर्मा, शिक्षा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
   2. श्री पी० के० चौधरी, एम० एल० ए०।
   3. श्री के० एल० बोरड़िया, उदयपुर।

Page No. 207

4. श्री जनार्दन राय नागर, उदयपुर ।

4. 30-11-1967 से 29-11-1972 तक—

1. श्री वी० डी० शर्मा, शिक्षा सचिव, राजस्थान ।

2. श्री पी० के० चौधरी, एम० एल० ए० ।

3. श्री के० एल० बोरडिया, उदयपुर ।

4. श्री जनार्दन राय नागर, उदयपुर ।

5. 30-11-1972 से पांच वर्ष के लिये—

1. डॉ० मूलचन्द सेठिया, प्रवक्ता, विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग, जयपुर ।

2. श्रीमती जयलक्ष्मी द्रविड, प्रिन्सीपल, सोना देवी सेठिया गर्ल्स कॉलेज, सुजानगढ़ ।

3. श्री मनोहर कोठारी, एम० एल० ए०, नाथद्वारा ।

4. श्री एल० एन० गुप्ता, जिलाधीश, जयपुर ।